1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] षष्ठम विधान सभा के चतुर्थ सत्र का छठा दिवस [संख्या 4

सोमवार

दिनांक, 9 अक्टूबर, 1978

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या 95

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रामनारायण चौधरी।

निगम की बसों के किराये में वृद्धि

96. श्री **रामनारायण चौधरी** (मंडावा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में भाड़े की बढ़ोतरी की है? यदि हां, तो कितनी और उससे पथ परिवहन निगम को कितना लाभ होगा?

यातायात मंत्री (श्री केदारनाथ) : जी हां, दिनांक 1-4-78 से ख एवं ग श्रेणी के मार्गों को छोड़कर 0.4 पैसा प्रति किलोमीटर किराये की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि से निगम को वर्ष 1978-79 में 116.24 लाख रुपये की अतिरिक्त आय होने की आशा है।

श्री राम नारायण चौधरी : रोड्स के ऊपर कितनी गाड़ियां पहले से चल रही थीं? किराया बढ़ाने के बाद उससे कितनी ज्यादा चलाई हैं?

श्री केदार नाथ : 192 नई गाड़ियां हैं, जिनमें से कुछ की चैसिस बन रही हैं, 75 गाड़ियां डेप्लाय की हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : पिछले दिनों मुख्य मन्त्री जी के नाम से वक्तव्य पढ़ा था कि आप छोटे रूट्स को डीनेशनलाइज करके प्राइवेट पार्टीज को देना चाहते हैं। क्या उन गाड़ियों को आप रूट्स पर चलाने की तजबीज कर रहे हैं? क्या यह समझें कि सरकार की राष्ट्रीयकरण की नीति को आप चला रहे हैं या उसमें संशोधन कर रहे हैं?

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, जो रूट्स सरकार ने नेशनलाइज कर दिये हैं उनको डी-नेशनलाइज करने का सवाल ही

Page No. 2

(2)

(श्री केदार नाथ)
नहीं है। आइन्दा कौन-कौन से रूट्स को नेशनलाइज करना है उसके लिये एम. एल. एज. की एक कमेटी बना दी है। उसमें माननीय सदस्य भी मेम्बर हैं वह कमेटी रिकमण्ड करती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : हमने अखबारों में पढ़ा था कि आप छोटे रूट्स पर प्राइवेट बसें लगायेंगे जो रूट्स नेशनलाइज कर दिये हैं क्या वह वाकायदा रहेंगे ?

श्री केदार नाथ : जो रूट्स नेशनलाइज कर दिये हैं उनको डी–नेशनलाइज करने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : छोटे रूट्स हैं जहां रोडवेज की गाड़ियां अभी चल रही हैं उनको वापिस तो नहीं लेंगे ?

श्री केदार नाथ : अध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब बिल्कुल स्पष्ट है जिनको हमने नेशनलाइज कर दिया है और जिन पर गाड़ियां चल रही हैं उनको डी–नेशनलाइज करने का प्रश्न ही नहीं होता।

श्री गुलाब सिंह कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह कौनसे आधार हैं जिनके आधार पर आप किराया बढ़ाते हैं ? इस बार आपने किस आधार को लेकर किराया बढ़ाया है। उस आधार पर इतना ही क्यों बढ़ाया अधिक क्यों नहीं ?

श्री केदारनाथ : माननीय अध्यक्ष महोदय, किराये में वृद्धि के कारण है लुब्रिकेन्ट के मूल्यों में वृद्धि, स्पेयर पार्टस की कीमतों में वृद्धि, निगम के कर्मचारियों को दिये गये वेतन वृद्धि में बढ़ोतरी, व्यावसायिक बैंक द्वारा दिये गये ऋणों पर ब्याज की दर में बढ़ोतरी, बस बॉडीज के निर्माण की दरों में बढ़ोतरी। यह किराये में वृद्धि केवल 'ए' श्रेणी के रूट्स पर की गई है। 'बी' और 'सी' श्रेणी में किराया नहीं बढ़ाया है।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि छोटे रूट्स आपने नेशनलाइज कर लिये हैं लेकिन छोटे रूट्स पर····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री गुल मोहम्मद।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि जो किराया बढ़ाया है रोडवेज की बसों के ऊपर तो जो प्राइवेट बसें चल रही हैं उनके किराये का अनुपात और रोडवेज की बसों के किराये के अनुपात में कितना फर्क है यह कभी आपने देखा है ?

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं जिन पर अभी रोडवेज की बसें नहीं चलतीं ? यह बताने की कृपा करें।

श्री केदारनाथ : मैं निवेदन करूं कि उत्तर प्रदेश में बेसिक किराया 5.32 पैसा है, महाराष्ट्र में 5.11, बिहार में 5.50, मध्यप्रदेश में 5.30, गुजरात में 4 पैसा है क्योंकि वहां शत प्रतिशत नेशनलाइजेशन है। हरियाणा में 4 पैसा क्योंकि वहां गवर्नमेन्ट का डिपार्टमेंट है। राजस्थान में

(श्री केदार नाथ)

4.40 पैसा बढ़ाने के बाद है। यह इस-लिए निवेदन किया कि दूसरी स्टेट्स के कम्पेरीजन में राजस्थान स्टेट का किराया कम है। एक और निवेदन करना चाहता था कि जो पैसेन्जर टैक्स हम देते हैं····

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : बसें खराब हैं राजस्थान की।

श्री केदारनाथ : ..राजस्थान में···

श्री रघुनाथ विश्नोई : राजस्थान में किराया ज्यादा है और फेसेलिटीज कम हैं।

श्री केदारनाथ :..राजस्थान में पैसेन्जर टैक्स हम 35 पर्सेन्ट देते हैं, गुजरात 25 पर्सेन्ट देता है, महाराष्ट्र 18 पर्सेन्ट, उत्तर प्रदेश 15 पर्सेन्ट, बिहार 25 पर्सेन्ट, हिमाचल प्रदेश 18 पर्सेन्ट, उडीसा 15 पर्सेन्ट, आसाम 10 पर्सेन्ट, मध्य प्रदेश 33 पर्सेन्ट और दिल्ली में बिलकुल नहीं है। पश्चिम बंगाल में नहीं है। याने दूसरी स्टेट्स के कम्पेरीजन में जो पैसेन्जर टैक्स हम देते हैं वह 33 पर्सेन्ट देते हैं और किराया कम लेते हैं।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन छोटे मार्गों का राष्ट्रीय-करण आपने कर लिया है उनके ऊपर व्यावहारिक आधार पर बसें चलाने में आप असमर्थ हैं। क्या छोटे मार्गों पर प्राइवेट बसों को परमिट देंगे ?

श्री केदारनाथ : मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि एक कमेटी आलरेडी बना दी है। कुछ हिल्ली रीजन्स हैं, रोड्स की हालत खराब है और बरसात में बसें नहीं चल सकतीं वहां टेम्प्रेरी परमिट दे सकते हैं लेकिन जो हमारी नेशनलाइजेशन की स्कीम है उससे हम बैकआउट नहीं करेंगे।

श्री गुल मोहम्मद : जो सरकारी बसें चल रही हैं और प्राइवेट बसें चल रही हैं उन दोनों के किराये में क्या फर्क है ?

श्री केदारनाथ : मैं आपसे निवेदन कर दूं कि कुल टोटल रजिस्टर्ड व्हीकल्स 11,000 हैं और हमारी व्हीकल्स 1800 हैं। हम पैसेन्जर टैक्स का 60 पर्सेन्ट देते हैं और बाकी 40 पर्सेन्ट देते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : पहले आपकी योजना यह थी कि 1978 और 1979 तक सारे राजस्थान में मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जायेगा। इस बात का निर्णय ले लिया था। आप अब कृपा करके बतायें कि राष्ट्रीयकरण की नीति में विश्वास करते हुए कौन सी तारीख तक राजस्थान में राष्ट्रीय-करण हो जायेगा ?

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : एक सवाल मैं भी पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेन्ट्री पूछ लें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अभी कुछ दिन पूर्व इस बात की अखबारों के अन्दर चर्चा हुई थी कि छोटे रूट्स का डी-नेशनलाइजेशन कर देंगे और प्राइवेट बस ओनर्स को परमिट दिये जा रहे हैं। मैं इतना पूछ रहा हूं जब आपने प्रश्न के उत्तर में कहा कि हम डी-नेशनलाइ-जेशन नहीं करने जा रहे हैं तो फिर यह क्या है ?

श्री केदारनाथ : मैंने जवाब दे दिया है। हमारे एम.एल.एज. की एडवाइजरी कमेटी

(श्री केदार नाथ)
की मीटिंग हुई है उसका स्टेटमेंन्ट भी प्रकाशित कर दिया उसमे पोजीशन क्लियर हो जाती है। अभी डागा जी ने प्रश्न पूछा कि 1978–79 तक कितने पर्सेन्ट रूट्स क नेशनलाइजेशन कर देंगे? हमारा लक्ष्य था 8 पर्सेन्ट का 5 पर्सेन्ट आलरेडी हो चुका है। हमने सोचा था कि 8 पर्सेन्ट कर देंगे लेकिन कुछ टेक्निकल कमी हुई, रिसोर्सेज की कमी हुई और जितनी बसें खरीदनी चाहिए उतनी नहीं खरीद पाये क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम थे और स्टेट और सैन्टर का शेयर भी कम था इसलिए इस वर्ष 5 पर्सेन्ट करेंगे। आइन्दा 8 पर्सेन्ट की स्पीड से नेशनलाइजेशन करेंगे और 7 सालों में पूरा नेशनलाइजेशन हम कर देंगे।

श्री गुल मोहम्मद : मंत्री महोदय आपने बताया कि 60 पर्सेन्ट पैसेंजर टैक्स हम दे रहे हैं और 40 पर्सेन्ट प्राइवेट बस ओनर्स दे रहे हैं। प्राइवेट बस ओनर्स के पास गाड़ियां भी अधिक हैं तो क्या वह चोरी करके 40 पर्सेन्ट देते हैं या कोई और बात है?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसींद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यह किराया बढ़ाने के बाद आपका निगम सैल्फ सफिशियेन्ट हो जायेगा या नहीं?

श्री नारायणसिंह (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 5 पर्सेन्ट या 8 पर्सेन्ट की गति से नेशनलाइजेशन करते जायेंगे। लेकिन जो हालत रोडवेज की है, वह सन्तोषप्रद है या नहीं? अभी इन्होंने कृपा की है कि विधायकों को चैकिंग करने की पावर्स दे दीं। इसका मतलब यह है कि पुलिस वाले अन्दर रखेंगे। क्योंकि जनता में इसके लिए काफी आक्रोश है कि एक गाड़ी के अन्दर 50–60 की केपेसिटी होती है किन्तु 90 और 100 आदमी भरते हैं। कृपा कर इसको ठीक करें।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : एक प्रश्न मेरा भी है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह!

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपकी मार्फत मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने फर्माया कि प्राइवेट बसेस 40 पर्सेन्ट टैक्स देती है। टैक्स की इतनी चोरी होती है उसको रोकने के लिये क्या किया गया है? क्या कारण है कि 40 प्रतिशत ही रिकवरी होती है?

श्री केदारनाथ : पहला सवाल तो यह किया गया कि क्या इस किराये की बढ़ोतरी के बाद निगम की आर्थिक पोजीशन ठीक हो जायेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निगम की आर्थिक पोजीशन ठीक नहीं हुई मगर जो तीन महीने के फीगर्स आये हैं, मई जून, जुलाई के उनके अनुसार 40 लाख रुपये का मुनाफा हुआ है। इसलिये सोचते है कि अगर पूरी बसेस दे दीं, जितने रिसोर्सेज हैं, 1 करोड़ रुपया मांगा है कुछ बैंक से पैसा ले रहे हैं, उनसे 800 बसें ली जाती हैं तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे निगम की हालत ठीक हो जायेगी। मैं मानता हूं कुछ बसेज की कण्डीशन ठीक नहीं है। उसका कारण बसेस की कमी है। स्पेअर पार्ट्स की कमी है। जितनी हमारी बसेज की फ्लीट है उनके लिये पर्याप्त वर्कशाप्स नहीं हैं। 14 वर्क शाप्स और बढ़ा दिये हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला। प्राइवेट बसेज वाले केवल 40 पर्सेंट टैक्स देते हैं इसका क्या कारण है? क्या आपने चोरियां पकड़ी हैं ? क्या इन्सपैक्टर्स को डिसमिस किया ?

श्री केदारनाथ : जितना टैक्स देना चाहिये..

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं उनके आधार पर जितनी बसेज हैं, क्या आप उनको पर्याप्त समझते हैं ? दूसरा प्रश्न यह है कि राजस्थान रोडवेज की बसेज की छतों पर बैठकर ओवर लोड होकर नहीं जाते हैं ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : एक इम्पार्टेंट क्वेश्चन पूछना है। Very very important question, Sir.

श्री अध्यक्ष : वैरी वैरी इम्पार्टेंट क्वेश्चन है, मैं मानता हूं। मेरी भी सहानुभूति है। किराये की वृद्धि के साथ साथ सुविधायें भी उपलब्ध होनी चाहिये। एक प्रश्न आप कर लीजिये।

श्री किशनसिंह भाटी : लॉ का वायोलेशन हो रहा है। छत पर बैठकर भेड़ बकरियों की तरह जाते हैं। इसको रोकने के लिये क्या कर रहे हैं ? चालान क्यों नहीं करते हैं जब कि निजी बसों के चालान करते हैं ? कानून सभी के लिए एक सा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मेरा एक प्रश्न है···

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुझे इजाजत मिल चुकी है।

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपत सिंह, आप प्रश्न पूछिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर रोडवेज से राज्य सरकार को कितना टैक्स मिलता है और बाकी सारे ट्रांसपोर्टर्स से कितना मिलता है···

मुख्यमंत्री (श्री भैरोंसिह शेखावत) : आप लेट आये हैं।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : When the Minister is ready to reply, he should be allowed.

श्री केदारनाथ : बसेज 53,000 रुपये टैक्स के रूप में देती हैं। 8.33 पर्सेंट एम्पलायमेंट देती हैं इसके साथ साथ 4 महीनों में 3 करोड़ रुपया पैसेन्जर टैक्स के रूप में राज्य सरकार को दे दिया है और अब तक पिछला सारा एरियर पूरा कर दिया है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : प्राइवेट से कितना मिलता है ?

श्री केदारनाथ : निवेदन कर दिया है, टोटल टैक्स का 40 प्रतिशत।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा !

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय बतायें जो बसेज सरकार चलाती है उन बसेज से कितने एक्सीडेंट हुए हैं···

Page No. 6

(6)

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : और कितने एक्सीडेंट शराब पीने वाले ड्राइवर्स के द्वारा हुए हैं ? इसकी देखभाल की जा रही है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हरिकृष्ण।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नदबई का भवन

97. श्री हरिकृष्ण (नदबई) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नदबई को इस वर्ष भवन निर्माण के लिए कितना धन दिया गया और इस धन से क्या क्या कार्य सम्पन्न कराये गये ?

(2) क्या पूर्ण सामान लगाया जा चुका है या शेष है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन) : (1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नदबई, जिला भरतपुर को इस वर्ष भवन निर्माण हेतु कोई धन राशि आवंटित नहीं की गई।

(2) जो मरम्मत का कार्य हुआ है वह ठेके से हुआ है।

(3) कार्य सम्पूर्ण हो चुका है।

श्री हरिकृष्ण : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो रकम अलाट हुई, उसमें कौन कौन से काम कराये गये और वे काम पूरे हो चुके हैं तो क्या अन्तिम भुगतान प्रमाण-पत्र ले कर किया गया है ?

श्री त्रिलोक चन्द जैन : जो प्रश्न उठाया गया है वह भवन निर्माण के सम्बन्ध में है अतः भवन निर्माण का कोई काम नहीं हुआ है। पुराने भवन की मरम्मत का काम हुआ है। इसके लिए जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा लगभग 28,800 रुपये की राशि आवंटित की गई थी। मरम्मत का काम श्री अलोक श्रमिक ठेका सहकारी समिति द्वारा किया गया था। नियमानुसार टेन्डर आमंत्रित कर यह कार्य किया गया। कार्य का सत्यापन करवा कर नगरपालिका नदबई द्वारा यह भुगतान हुआ है।

एक माननीय सदस्य : भवन के लिये कोई पैसा नहीं दिया गया है तो मरम्मत किस से की गई है ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन तो पहले का बना हुआ है। यह खर्च मरम्मत के लिये हुआ है।

श्री हरिकृष्ण ; माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का फर्माना है कि भवन निर्माण के लिये कोई राशि नहीं दी गई। 28,800 रुपये में कौन कौन सा निर्माण हुआ और कितना लम्बा चौड़ा निर्माण हुआ जिसमें यह राशि लगी ?

श्री कौशल किशोर जैन : अगर भवन किराये का है और 28 हजार दिया है तो इसको वापसी कहां से होगी ? सुधार के लिये 28 हजार का खर्चा किया है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : किराये का भी नहीं है। लोगों ने डोनेट किया है।

श्री त्रिलोक चन्द जैन : जो राशि खर्च की गई है उससे चिकित्सा केन्द्र की इमारत तथा वाउन्डरी वाल की मरम्मत की गई है। भवन चिकित्सा विभाग का है।

श्री हरिकृष्ण : लम्बा चौड़ा कितना है..

श्री श्योपत सिंह मकासर : नक्शा भी मांग लो।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री जहूर मोहम्मद।

भरतपुर-कामां मार्ग पर बसों की व्यवस्था

98. **श्री गुल मोहम्मद** (जौहरी बाजार) : [श्री मोहम्मद जहूर (कामां) की अनुपस्थिति में] : (1) भरतपुर से कितनी बसें कामां पहाडी मार्ग पर चल रही हैं ? क्या ये गाड़ियां यात्रियों को देखते हुए अपर्याप्त नहीं हैं ? यात्रियों की इस असुविधा को देखते हुए राज्य सरकार अब कब तक और बसें उपरोक्त रूट पर लगाने की व्यवस्था कर देगी ?

(2) क्या कामां जुरहरा मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या बसों के चलने की व्यवस्था सही नहीं है ? यदि हां, तो कब तक उक्त व्यवस्था को ठीक कर दिया जायेगा ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होने प्रश्न कैसे पूछा ?

अध्यक्ष : ये अधिकृत हैं।

यातायात मंत्री (श्री केदारनाथ) : (1) भरतपुर से कामां पहाड़ी मार्ग पर निगम 10 वाहनें दैनिक रूप से संचालित कर रहा है। इस मार्ग का सर्वे करवाया जायगा। यदि यात्री भार अधिक पाया गया तो मार्ग पर अधिक सेवायें उपलब्ध करा दी जावेंगी।

(2) जी नहीं। इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण का अभी निगम ने निर्णय नहीं लिया है।

(3) उक्त मार्ग पर व्यवस्था ठीक है। यदि इसमें कोई कमी पाई गई तो उचित व्यवस्था कर दी जायगी।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, जैसा उन्होंने बताया, मैंने यह पूछा कितनी बसेज चल रही हैं, पहाड़ी और कामां में कितनी बसें चल रही हैं ? जो यात्री ऊपर नीचे बैठकर आते हैं उसके कारण कई दफा एक्सीडेन्ट हो जाते हैं उसके लिये कोई व्यवस्था की है या नहीं ?

श्री केदार नाथ : हम सर्वे करा रहे हैं। अगर भीड़ ज्यादा है तो बसें बढ़ाई जायेंगी।

श्री काशी नाथ गुप्त (कुम्हेर) : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि पहले बसें 25–25 मिनिट में चला करती थीं और अब घंटों यात्रियों को इन्तजार करना पड़ता है और कितनी ही बसों में पैसेन्जर खड़े चलते हैं ?

श्री बाल चन्द आर्य (डग) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो बसें चलती हैं उस रूट पर, उनकी हालत अच्छी है क्या ?

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, निगम 800 बसें लेने का विचार कर रहा है। सवाल यह है कि जिस समय तक बसें आयेंगी उस समय तक 500–600 बसें और खराब

(श्री गुल मोहम्मद)
हो जायेंगी तो क्या इतनी बसें पर्याप्त मात्रा में होंगी ?

श्री केदार नाथ : जितनी बसें चल रही हैं उनकी रिपेयर के लिये हमारे पास वर्कशाप है, उनमें बसों की समय समय पर मरम्मत होती रहती है। एक नया वर्कशाप अभी अजमेर में खोला जा रहा है। वर्कशाप में मेन्टीनेन्स और रिपेयर का काम चलता रहता है। यह सही है कि जो हर साल 10 पर्सेन्ट इन्क्रीज होता है उसके लिये हम नई बसेज ला रहे हैं।

श्री काशी नाथ गुप्त : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि बसेज़ की कमी के कारण कई गाड़ियां ऐसी चलती हैं जिनमें न लाइट है न आगे के शीशे हैं ? उनके यात्रियों को भारी परेशानी होती है तथा एक्सीडेन्ट का खतरा बना रहता है।

श्री भैरव लाल कालाबादल (खानपुर): क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि राष्ट्रीयकृत मार्ग होते हुये भी कई जगह परिवहन निगम की बसें उस रूट पर नहीं चलती हैं ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री काशीनाथ गुप्त : मैंने प्रश्न पूछा था, अध्यक्ष महोदय, उसका जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ब्यावर की पेयजल समस्या का निवारण

99. **श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :** क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) ब्यावर की पेयजल समस्या निवारण हेतु क्या कदम उठाये गए ?

(2) क्या यह सही है कि बनास से पाइप लाइन द्वारा दो वर्ष में ब्यावर को पानी दिया जायेगा ? अगर हां, तो यह कार्य कब से चालू होगा ?

(3) क्या ब्यावर क्षेत्र के राजियावास व बड़ाखेड़ा ग्राम में पेयजल योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस योजना को राज्य सरकार कब तक चालू करेगी ?

राज्य मंत्री, स्वास्थ्य (श्री महबूब अली): (1) समस्या के तत्कालीन हल के लिये एक छोटी योजना बनाई गई है। इसके अनुसार ब्यावर नगर में औसत वर्षा होने पर 10 लाख गैलन प्रतिदिन अतिरिक्त जल उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें मकरेड़ा के तालाब से 7 लाख गैलन व सेन्दड़ा से 3 लाख गैलन जल प्रतिदिन उपलब्ध कराया जायेगा। योजना की अनुमानित लागत 49.41 लाख रु. है। इस योजना पर शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ किये जाने के प्रयास चल रहे हैं।

(2) जी हां, दो वर्ष में 5 लाख गैलन जल देने का प्रस्ताव है। योजना स्वीकृत होते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

(3) जी नहीं।

श्री उगम राज मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि ब्यावर वाटर सप्लाई, जो अभी नगर परिषद् के अन्तर्गत है, क्या राज्य सरकार अपने हाथ में लेने का विचार रखती है ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने चीफ इंजीनियर, इर्रीगेशन और चीफ

(श्री उगम राज मेहता)
इंजीनियर पी. एच. डी. को गत 15 अगस्त, जो अभी गई है, तक यह रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था कि ब्यावर को बनास योजना से 2 वर्ष में किस प्रकार पानी उपलब्ध कराया जाय ?

श्री महबूब अली : जहां तक म्युनिसिपाल्टी से लेने का प्रश्न है, इसका प्रयास किया गया था लेकिन म्युनिसिपैलिटी इसको हैन्ड ओवर करने को तैयार नहीं है। दूसरा जो टैक्निकल प्रश्न किया है, पांच लाख गैलन पानी बनास योजना से दिया जाय ब्यावर की पेय जल की समस्या को हल करने के लिये, तो इसमें पांच लाख गैलन पानी कौलन गांव से देने की योजना है। ऐसी स्कीम चल रही है और स्कीम के स्वीकृत होते ही कार्य शुरू कर दिया जायगा।

श्री कल्याण सिंह सांखला (अजमेर पूर्व) : मंत्री महोदय, यह स्पष्ट करें कि बनास बान्ध बना कर नसीराबाद और अजमेर को भी पानी देने की कोई योजना है या अलग से कोई और योजना है ?

श्री महबूब अली : वह अलग योजना है 8 करोड़ की, उससे ब्यावर, अजमेर और किशनगढ़ को पानी दिया जायगा। अभी ब्यावर के जल संकट को देखते हुये 49 लाख की एक नई स्कीम तैयार की गई है। इस नई स्कीम से मकरेड़ा का जो तालाब है और सैन्दड़ा का जो तालाब है उससे पानी लेकर ब्यावर के जल संकट को आंशिक रूप से हल करने की योजना है।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है।

श्री कौशल किशोर जैन : यह गहन मसला है, अध्यक्ष महोदय, ब्यावर में पानी की गंभीर समस्या है।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, ब्यावर में गंभीर जल संकट है। जब यह प्रश्न विधान सभा में आ ही गया है तो मंत्री महोदय यह बतायें कि यह योजना कब तक स्वीकार कर ली जायेगी ?

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, ब्यावर की जल समस्या अहम समस्या है। डेढ़ साल से राजस्थान के अन्दर· · ·

(व्यवधान)

पेयजल समस्या को हल करने का सरकार आश्वासन देती रही है। यह सरकार भी केवल आश्वासन पर जिन्दा रहना चाहती है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज !

माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें।

मकराना पंचायत समिति के कुओं को बिजली

100. श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मकराना पंचायत समिति के अन्तर्गत कितने कुओं को सिंचाई हेतु बिजली दी गई ?

(2) इस वर्ष कितने गांवों को (मकराना क्षेत्र पंचायत) बिजली दी जायेगी ?

(श्री अब्दुल अजीज)
सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या विद्युत् मण्डल को मकराना क्षेत्र में कुओं का जल स्तर ऊपर आने की नवीन सूचना भू-जल विभाग ने दी है? यदि हां, तो इस आधार पर बिजली उपलब्ध कराने की राज्य सरकार कब तक व्यवस्था करेगी?

विद्युत मंत्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : (1) मकराना पंचायत समिति के 56 कुओं पर विद्युत् उपलब्ध करा दी गई है?

(2) इस पंचायत समिति के किसी गांव के विद्युतीकरण की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूं कि 56 कुओं को बिजली देने की बात कही है, वह इस वर्ष दी गई है या पिछले वर्ष दी गई है, यह बतायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इस तरह सभी लोग खड़े हो जाते हैं और हमारे प्रश्न का उत्तर रह जाता है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान सरकार ने इन कुओं को बिजली दी है?

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि 56 कुओं को कब बिजली दी गई थी?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि यह 56 कुओं को जो बिजली दी गई थी···

श्री अब्दुल अजीज : कब दी गई है? आपके कार्यकाल में दी गई है?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हमारे कार्यकाल में नहीं दी गई है, पहले दी गई थी। 104 ग्रामों में से 6 ग्रामों में बिजली है। राज्य सरकार इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि जहां जहां पर वाटर पोटेंशियल की रिपोर्ट अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से आती है उसके आधार पर इम्बेलेंस को दूर करने के लिए प्राथमिक रूप से इन सारी जगहों को लिया जाना चाहिए लेकिन····

श्री अब्दुल अजीज : सरकार की योजना यह थी कि विद्युत् उसी जगह पर पहले देंगे जहां पर जल स्तर ऊंचा होगा। और जहां पर पहले से ही बिजली की लाइन है उन गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जावेगा। यह आपकी घोषणा रही है। मकराना में 132 के. वी. की लाइन है और पांच सौ के करीब एप्लीकेशन्स पेंडिंग हैं, समझे साहब! लेकिन लोगों से भारी रिश्वत ली जा रही है। जब इस बात को लेकर डी वाई. एस. पी. एण्टी करप्शन श्री अमरसिंह जी ने इंटरफियर किया तो असिस्टेंट इंजीनियर का वहां से तबादला कर दिया। तबादला करने से क्या होता है, उसको दण्डित करना चाहिए। केवल तबादला करना सजा नहीं

Page No. 11

(11)

(श्री अब्दुल मजीद)
है। मैं राज्य सरकार से और विशेष तौर से मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि बाढ़ के बाद में मकराना के कुओं का जल स्तर बढ़ा है। फिर भी आप भी कहते हैं कि प्रश्न नहीं उठता, बिजली देने का। अब सैंकड़ों कुओं वाले काश्तकार अपनी एग्रीकल्चर बढ़ाना चाहते हैं तो उनको बिजली प्राथमिकता के आधार पर दी जाय, इस बारे में क्या जवाब देते हैं यह फर्मायें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले सवाल के जवाब में कह दिया है कि दो क्राइटेरिया है। जल स्तर ऊपर उठाना ही पर्याप्त नहीं है; मेन क्राइटेरिया यह है कि वाटर पोटेंशियल कितना है। यह अण्डरग्राउण्ड वाटर बोर्ड सर्वे करके बताता है, फिर इम्बेलेंस दूर करने की बात भी आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इम्बेलेंस की बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि शाहबाद में बिजली है, ट्राइबल एरिया है, 35 गांव हैं, बहुत अच्छी जमीन है, वाटर पोटेंशियल बहुत अच्छा है लेकिन पिछले तीस सालों में कांग्रेस सरकार की कृपा से सिर्फ एक गांव को बिजली दी गई थी····

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने वाटर पोटेंशियल की बात कही है तो क्या वें सभी जगहों पर इसी आधार पर विद्युतीकरण कर रहे हैं? मंत्री महोदय नीति की घोषणा करें कि जहां पर वाटर पोटेंशियल है वहां पर विद्युतीकरण कर देंगे, इस प्रकार की नीति की घोषणा करें। मर्जी होती है वहां विद्युतीकरण कर देते हैं और मर्जी नहीं होती है वहां नहीं करते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले श्री नवरंगसिंह, फिर श्री श्योपतसिंह।

श्री नवरंगसिंह : माननीय मंत्री महोदय से मैंने यह जानकारी चाही थी कि क्या राजस्थान के किसानों को कुओं के लिए बिजली नहीं मिलने का कारण यह है कि विद्युतीकरण के लिए पर्याप्त मात्रा में सामान नहीं है? इसी के कारण विद्युतीकरण नहीं हो रहा है? क्या इस वर्ष जिनकी एप्ली-केशन्स पेंडिंग हैं उन सब को विद्युत् कनेक्शन दे दिये जायेंगे?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिण्डोली की फैक्ट्री बन्द हो गई, कण्डक्टर्स की बहुत तकलीफ हुई और भी कठिनाइयां रही हैं लेकिन अब लगातार प्रयत्न हो रहा है कि अधिक से अधिक सामान उपलब्ध हो जाय। फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस वर्ष के टार्गेट बजट के हैं वे निश्चित रूप से इस वर्ष में पूरे किये जावेंगे।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, आपकी घोषणा थी····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय क्या इस बात की तरफ ध्यान देंगे कि जो ऐसे क्षेत्र हैं राजस्थान के जहां पर न सिंचाई के साधन हैं, न तालाब हैं और न नहरों के साधन हैं, मगर जमीन के नीचे मीठे पानी का भण्डार मौजूद है। उन क्षेत्रों को पहले प्रायोरिटी देंगे या अपने राजनैतिक आधार पर बिजली देंगे ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसका उत्तर दे चुका हूँ कि वाटर पोटेंशियल...

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप प्राथमिकता किस को देंगे ?

श्री अध्यक्ष : सरकार का उत्तर पर्याप्त है। श्री किशनसिंह भाटी।

श्री मूलचंद डागा : एक छोटा सा प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : I will not have it. Please sit down,

श्री बिरदमल सिंघवी।

श्री किशनसिंह भाटी।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का बहुत बड़े महत्व का सवाल था। माननीय मन्त्री महोदय ने जो पोइन्ट रेज किया है..

श्री अध्यक्ष : किस प्रश्न के बारे में, माननीय सदस्य ?

श्री मथुरादास माथुर : मकराना में कुओं को बिजली के बारे में है। यह बहुत बड़ा पोइन्ट है, मैं मुख्य मन्त्रीजी से इसलिए पूछना चाहता हूं कि क्या यह राज्य सरकार की नीति है कि राजस्थान के हर कुए पर बिजली तभी दी जायेगी जब कि प्रमाण-पत्र ले लिया जायेगा ? अगर और जगहों पर ऐसा नहीं है तो मकराना के लिए ही यह क्यों किया गया है ? अगर सभी जगहों पर यह कर रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मकराना के लिए ही यह क्यों किया गया है ?

श्री मूलचन्द डागा : अगर यह नीति है तो मकराना पंचायत के केलवा गांव में बिजली कैसे लगी है ? यह बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है। श्री किशनसिंह भाटी।

राज्य कार्य में हिन्दी का प्रयोग

101. **श्री बिरदमल सिंघवी** (जोधपुर) एवं **श्री किशनसिंह भाटी** (जैसलमेर) : वन जीरो वन।

क्या भाषा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राज्य में राज्य कार्य में हिन्दी के उपयोग के लिए पिछले 1 वर्ष में क्या क्या प्रयत्न हुए हैं व उपलब्धि हुई है तथा अगले वर्ष के लिये क्या योजना है ?

भाषा मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : प्रश्न हिन्दी के उपयोग के बारे में पूछा गया है लेकिन माननीय किशनसिंहजी ने प्रश्न अंग्रेजी में किया है।

श्री किशनसिंह भाटी : इसमें हिन्दी में छपा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : छपा हुआ तो 101 है लेकिन आपने अंग्रेजी में वन जीरो वन कहा है। इस राज्य में···

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जो भी भाषा हो उसमें आंकड़े व अर्थमेटिक अंग्रेजी में है। यह यू. एन. ओ. और हिन्दुस्तान सभी जगह प्रचलित है। आपकी इसी नीति के अनुसार मैं चल रहा हूं। अब आप साइड ट्रेक मत करें, उत्तर दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस राज्य में पिछले एक वर्ष में राज्य कार्य में हिन्दी के उपयोग के लिये विशेष प्रयत्न किये गये हैं तथा गत 2 अक्टूबर से अनेक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। ऐसे प्रयत्नों में से प्रमुख का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। इन सबसे राजभाषा के रूप में हिन्दी प्रयोग को गति मिली है। वर्ष 1978-79 को राजभाषा वर्ष के रूप में मनाने का निश्चय किया गया है ताकि इस वर्ष राजभाषा के प्रयोग और विकास को और अधिक गति दी जा सके। अगले वर्ष की इस योजना का विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के तीन पार्ट होते हैं, प्रयत्न क्या है, उपलब्धि क्या है और योजना क्या है ? योजना क्या है इस बारे में मंत्री महोदय ने कुछ भी नहीं बताया। जहां तक योजना का सवाल है, आपने यहां पर कुछ भी नहीं कहा है ? अगर राज्य सरकार भविष्य की योजना के बारे में कुछ भी नहीं बताती है तो क्या यह समझा जाय कि योजना-विहीन है ?

श्री ईश्वर चन्द्र : मंत्री महोदय, एक विभाग का नाम भी ऐसा बताएं जिसमें सारा काम हिन्दी में होता हो ?

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : मंत्री महोदय इसके लिए रेस्पोंसिबल हैं····

श्री ईश्वरचन्द्र : एक भी विभाग ऐसा हो जिसमें सारा काम हिन्दी में होता हो, तो बतायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जब भी यह प्रश्न आता है तब यही बात कही जाती है कि सारे टाइपराइटर अंग्रेजी में हैं इसलिए हिन्दी में कार्य नहीं हो सकता। इस बारे में राज्य सरकार की क्या योजना है, कब तक हिन्दी के टाइपराइटर उपलब्ध करा दिये जायेंगे ताकि केवल हिन्दी भाषा में ही कार्य किया जाय ? आज तक यह देखा जाता है कि जितने नोट्स लिखे जाते हैं उनमें से अस्सी प्रतिशत नोट्स अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। यहां तक कि मंत्री महोदय भी इंगलिश में नोट्स लिखते हैं····

श्री मूलचन्द डागा : यह गलत है, मंत्रियों को अंग्रेजी नहीं आती।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हिन्दी में ही कार्य किया जावे इसके लिये हिन्दी टाइप-राइटर्स उपलब्ध कराने के बारे में क्या योजना है ? यह बताने की कृपा करें।

श्री बालचन्द आर्य : राजस्थान सचि-वालय में इस बात के सूचना पट्ट लगे हुए

(श्री बालचन्द आर्य)
हैं कि हिन्दी में अधिक कार्य होना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके यहां पर हिन्दी में कार्य होता है ?

श्री विज्ञान मोदी (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कार्य में इस्तेमाल की भाषा हिन्दी है, इसको सरल बनाने के बारे में राज्य सरकार की क्या योजना है ? दूसरा मेरा प्रश्न है कि जो आफिसर लोग अपने काम के अन्तर्गत अपनी फाइलों पर अंग्रेजी में नोट लिखते हैं उनको रोकने के बारे में राज्य सरकार के सामने क्या योजना है ?

श्री बालकृष्ण धानवी (फलौदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री से लेकरके अन्य सभी मंत्री हिन्दी का ही प्रयोग करते हैं या अंग्रेजी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ? यह बताने की कृपा करें।

श्री गुल मोहम्मद : क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य रूप से कर दिया गया है वह अनिवार्य रूप से इस प्रकार का क्लिष्ट किया गया है कि जिसको साधारण आदमी नहीं समझ सकता है ? क्या इस प्रकार क्लिष्ट संस्कृत-मय हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य किया गया है या जो हिन्दी साधारण लोगों की भाषा है उसका प्रयोग अनिवार्य किया गया है ? ऐसे संस्कृतमय शब्द, जिनका अर्थ समझा नहीं जा सकता और डिक्शनरी में जिनका अर्थ ढूंढ़ने पर नहीं मिलता, का प्रयोग राज काज की भाषा के लिए होगा या जो साधारण भाषा है, उसका प्रयोग सरकार करना चाहती है ? कृपया मंत्री महोदय यह बतावें। यह अहम् सवाल है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। हिन्दी को प्राथमिकता दी जाती है।

(व्यवधान)

सरकार की नीति, माननीय सदस्यगण, स्पष्ट है। हिन्दी को प्राथमिकता दी जाएगी। वह दिन दूर नहीं है जब सर्वांगीण रूप से सब काम सरकार का हिन्दी में ही होने लगेगा।....

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, वह दिन और वह तरीका बता दीजिए। वह तारीख कौनसी है ?

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त प्रकाश डाल दिया है सरकार की नीति पर और क्या बाकी रहता है।

श्री प्रद्युम्नसिंह

(व्यवधान)

केवल मात्र श्री माणक चन्द सुराणा।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए कि जो आम बोल चाल में हिन्दी बोली जाती है उसका प्रयोग किया जाएगा या क्लिष्ट हिन्दी का प्रयोग होगा ?

श्री अध्यक्ष : अब कोई प्रश्न नहीं। केवल श्री माणकचन्द सुराणा।

श्री माणकचन्द सुराणा : क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि राज्य सरकार

(श्री माणकचन्द सुराणा)
शीघ्रलिपिकों को भर्ती में अंग्रेजी जानने वालों की ही क्यों भर्ती करती है और उनको ही प्राथमिकता क्यों दी जाती है ?, नियमों में ऐसा प्रावधान क्यों है जिसके अनुसार अंग्रेजी जानने वाले शीघ्रलिपिकों, स्टैनोग्राफर की भर्ती की जाती है हिन्दी जानने वालों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है ? हिन्दी जानने वाले शीघ्रलिपिकों को स्थान नहीं मिलता है, क्या यह सही है ?

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों का उत्तर नहीं आ रहा है। मंत्री महोदय से उत्तर दिलवाइये।

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं माननीय मुख्य मंत्री से इसका उत्तर चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, उत्तर देना है तो दीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभी विभागों को टाइपराइटर हिन्दी के उपलब्ध कराये जाएं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसका जवाब मुख्य मंत्री महोदय को देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, नियम साफ है कि जो प्रश्न करे उसका उत्तर आवे।

श्री अध्यक्ष : जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें मंत्री महोदय प्रश्नों के उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं। प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्नों की बौछार आप किए जा रहे हैं। मैं भी प्रश्नों को नहीं समझ सका। मंत्री महोदय के साथ मेरी सहानुभूति है। एक प्रश्न हो तो उत्तर भी आए। आखिरकार मंत्री महोदय की सीमा को सोच कर प्रश्न करने चाहिये। सहानुभूतिपूर्वक प्रश्न करिये। सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने के लिये मुझे सहयोग दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, स्टेनोग्राफर के लिये हिन्दी या अंग्रेजी स्टेनोग्राफी जानना, किसी भी भाषा की किसी प्रकार से कोई पाबंदी नहीं है।

श्री माणकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे कृपा कर नियमों को मंगवा कर देखें। उसमें साफ है जो अंग्रेजी शीघ्रलिपि जानते हैं उनको ही प्राथमिकता दी जाएगी। हिन्दी जानने वालों को प्राथमिकता से वंचित किया गया है याने हिन्दी जानने वाले को प्राथमिकता नहीं दी जाती है।

श्री ईश्वरचन्द : आपके सचिवालय में कितने आई.ए.एस. अधिकारी ऐसे हैं जो हिन्दी का अ ब स नहीं जानते हैं ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न। श्री प्रद्युम्न सिंह। प्रश्न संख्या 102।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, राज भाषा का प्रश्न है उसके बारे में उत्तर दूंगा। मेरा निवेदन है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले मंत्री महोदय प्रश्न 101 के ऊपर जो सप्लीमेन्ट्री किये गये हैं उनका उत्तर दें। उसके बाद में प्रश्न

(श्री अध्यक्ष)
102 पर आऊंगा। शिक्षा मंत्री खड़े हैं तो उत्तर दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय आपने उत्तर में व्यवधान डालने वालों को प्रताड़ना दी है····

(व्यवधान)

मेरे उत्तर को शान्ति से सुनिये··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, आसन पैरों पर है। उत्तर देना है तो दीजिए वरना आपका उत्तर पर्याप्त है। आगे 102 पर चलने दीजिए····

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है, मंत्री महोदय। शिक्षा मंत्री महोदय, उत्तर दे दिया है या देना चाहते हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, राज भाषा के प्रचार और प्रसार के लिये माननीय सदस्यों को चिन्ता है कि यह कैसे फूले। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने एक योजना बनाई है जो दो अक्टूबर से लागू की गई है। इस वर्ष पूरे को हिन्दी वर्ष के रूप में मनाया जायगा। इस वर्ष कौन कौन से काम लागू किए जायेंगे, उसकी जानकारी मैं माननीय सदस्यों को देना चाहता हूं····

श्री मूलचन्द डागा : आप योजना को सदन की मेज पर रख दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : याने आप उत्तर दे देंगे।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 102 बहुत जरूरी है। वह रह जायगा समय के कारण से। वह पहले ले लिया जाए।

श्री मूलचन्द डागा : यह समय प्रश्न 102 को टालने के लिए लिया जा रहा है?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं फिर से कहता हूं कि यह सरकार जानबूझ कर जवाब नहीं देना चाहती मेरे प्रश्न का।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सं. 101 नहीं अब 102 चल रहा है। माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से सहायता

102. श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तहत भारत सरकार से राज्य सरकार को कितना धन मिलेगा तथा इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी?

(2) राज्य सरकार इस कार्यक्रम पर अपनी तरफ से कितनी धनराशि खर्च करेगी?

(3) उक्त कार्यक्रम किन संस्थाओं के द्वारा चलाया जाएगा?

शिक्षा मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिये वर्ष 1978–79 की जो योजना बनाई गई है, यदि केन्द्रीय सरकार उसे स्वीकार कर ले तो उसके अनुसार भारत सरकार से लगभग

(श्री भंवरलाल शर्मा)

125–00 लाख रुपये मिलने चाहिये। इस कार्यक्रम में 15 से 35 आयु वर्ग के प्रौढ़ों के लिये शिक्षा की व्यवस्था होगी। इसका उद्देश्य प्रौढ़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि करना, उनमें सामाजिक चेतना उत्पन्न करना तथा उन्हें सामान्य पढ़ाना, लिखाना एवं गणित का ज्ञान कराना है।

(2) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की वार्षिक योजनानुसार राज्य सरकार इस कार्यक्रम हेतु योजना मद से लगभग 31 लाख रुपये खर्च करेगी।

(3) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की वार्षिक योजना में यह संकल्पना की गई है कि इस वर्ष लगभग 9015 केन्द्र संचालित होंगे, जिनमें से 5378 केन्द्र स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा, 2760 केन्द्र राज्य सरकार द्वारा, 750 केन्द्र नेहरू युवक केन्द्रों द्वारा तथा 120 केन्द्र महाविद्यालयों की राष्ट्रीय समाज सेवी योजना के अन्तर्गत चलाये जाएंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप इन केन्द्रों को राजनैतिक पार्टियों के जिम्मे कर दीजिये। राजनैतिक पार्टियों को सौंप दीजिये। उन कार्यकर्ताओं के जिम्मे कर दीजिये तो मेरा सोचना है कि आपके इन केन्द्रों से अच्छे केन्द्र चला सकेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो बताया कि 2 अक्टूबर से ये कार्यक्रम प्रदेश में प्रारंभ कर दिये गये हैं लेकिन अब तक भारत सरकार से कितने रुपये मिलेंगे इस सम्बन्ध में कोई कमिटमेंट भारत सरकार ने नहीं किया है। योजनानुसार 12 लाख मिलने की इनको आशा है भारत सरकार ने कितना कमिटमेन्ट किया है, माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे ?

तीसरे प्रश्न में माननीय मंत्री महोदय, ने बड़ी चतुराई से स्वयंसेवक संघ के नाम को छिपाने की कोशिश की है मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि यह कार्यक्रम किन-किन संस्थाओं द्वारा चलाया जाएगा। 9015 जो आपके केन्द्र चलाये जाएंगे वे जिन स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जाएंगे उनमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा कितने केन्द्रों का संचालन किया जाएगा ? कृपया स्पेसिफिक नम्बर देने की कृपा करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो आर. एस. एस. के नाम से आपको चिन्ता है...

श्री श्योपत सिंह मकासर : आप शरमा क्यों रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री बजरंगलाल शर्मा प्रश्न सं. 103

श्री श्योपतसिंह मकासर : ये जवाब दे रहे थे...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, 103 का उत्तर आ रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : धीरे-धीरे उत्तर दीजिए।

आपातकालीन स्थिति में पैरोल पर छोड़े गये व्यक्ति

103. **श्री बजरंगलाल शर्मा** (वनीपार्क, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आपातकालीन स्थिति में राज्य में किन-किन लोगों को पैरोल पर छोड़ा गया और किन-किन कारणों से ?

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

(2) आपातकालीन स्थिति में किन-किन बन्दियों ने माफी मांगी या अन्य कोई माफीनामा दस्तावेज लिख कर दिया? उन दस्तावेजों में क्या कहा गया था? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

गृह मंत्री (श्री संपतराम) : (1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। (2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो सूचना रखी गई है उससे पता नहीं चलता कि वे व्यक्ति कौन हैं, कब से कब तक पैरोल पर रहे और जो पत्र लिखा उसकी क्या भाषा थी? न उन मंत्रियों के नाम बताये गये हैं जिन्होंने माफीनामे दिये हैं। क्या मंत्रियों के नाम बहुत से हैं जिन्होंने माफीनामे दिये हैं? जो सरकारी उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति हैं इस तरह के व्यक्ति उच्च पदों पर आसीन होकर मेहरबानी करके कुछ पर्टीक्यूलर्स प्रोवाइड करें ·····

(व्यवधान)

श्री मूलचंद डागा : आप नाम पढ़िये। कौन-कौन मंत्री लोग आये हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस प्रश्न का उत्तर आने दीजिये। माननीय सदस्य, Please sit down.

श्री बजरंगलाल शर्मा : कृपा करके पहले प्रश्न का उत्तर फर्मा दें।

श्री ईश्वर चन्द्र : जिन लोगों का डिटेन्शन हुआ था उन्होंने कौन सी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है? क्या यह सही है कि कानसिंह आयोग ने इन गिरफ्तारियों को अवैध घोषित किया है?

श्री मूलचंद डागा : सवाल यह है कि किन-किन लोगों ने ····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये। अगर उत्तर हो तो उत्तर मिलेगा। नहीं तो माननीय प्रश्नकर्ता मंत्री महोदय के कक्ष में जा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रश्नकर्ता ने अनेक शंकाएं खड़ी कर दी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय स्पष्ट करें ताकि शंका खड़ा न हो। फिलहाल में मंत्रियों के बारे में शंका खड़ी कर दी गई है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कितने ऐसे एम.एल.ए. और कितने ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने माफी मांगी है?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : कोई एम.एल.ए. और मंत्री नहीं है जिन्होंने माफी मांगी हो।

श्री बजरंग लाल शर्मा : स्वयं मुख्य मंत्री जी ने कष्ट किया है इसलिये मैं उनका ध्यान

(श्री बजरंग लाल शर्मा)
दिलाना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से उत्तर दिया गया है उसमें कुछ है और जबानी जमा खर्च कुछ और हो रहा है। 209 पर लिखा है, "लिखित में शांति और व्यवस्था बनाये रखने का आश्वासन दिया" यह क्या है?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमें शांति भंग करने में गिरफ्तार नहीं किया।

श्री बजरंगलाल शर्मा : स्वयं की बीमारी के कारण भारतीय जन संघ से त्याग-पत्र तथा साम्प्रदायिक गतिविधियों में भाग न लेने हेतु आश्वस्त किया। यह माफीनामा नहीं है तो माफीनामे का कौन सा स्वरूप होता है? मंत्री महोदय या उप मन्त्री महोदय, बयान देते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है?

श्री मूलचन्द डागा : ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है। इन्होंने हाउस को गुमराह किया है।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुख्य मंत्री जी ने मेरे सवाल के जवाब में कहा है, किसी मन्त्री या एम. एल. ए. ने माफी नहीं मांगी है। एक बात पूछना चाहता हूं कि हम लोगों को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया था कि हम शांति भंग कर रहे थे। हमको सोये हुए गिरफ्तार किया है। अगर सोये हुए को गिरफ्तार करके लाया गया है और वह लिख कर देता तो इसका मतलब यही है कि उसने माफी मांगी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि जिन लोगों ने अकारण ही विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, वही आज जानकारी चाह रहे हैं कि किन लोगों ने माफी मांगी है और किन लोगों ने माफी नहीं मांगी है।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : सुन लीजिए आप भी...

श्री श्योपतसिंह मकासर : जो बहादुरी से लड़े हैं, उनको पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन जो मैदान छोड़कर भागे हैं, उनको भी देखना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया, किन कारणों से जेलखाने में रखा गया है, यह सदन अच्छी तरह से जानता है। उन लोगों के साथ कितना अन्याय किया गया। कई लोग अस्वस्थ और बीमार रहे, कई लोगों के परिवारों के लोग बीमार रहे। कितने ही लोगों को आर्थिक संकट था तथा कई लोग भूख और बेरोजगारी में परेशान हो गये। आज इस प्रश्न को लेकर कि किसने माफी मांगी है या किसने नहीं मांगी है हमने रिकार्ड देखा है। उससे मालूम पड़ता है कितना प्रेशर उन लोगों पर डाला गया है।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा (वेगूं) : सुन तो लीजिए पहले।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : ये सदन का समय बरबाद करते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

क्वेश्चन अवर समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य को भाखरा काम्पलेक्स से प्राप्त विद्युत्

95. श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत)–क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे––

(1) राज्य सरकार का भाखरा कम्पलेक्स से जैनरेट होने वाली बिजली में कितना हिस्सा है ?

(2) क्या राज्य को उपरोक्त हिस्सा पूर्ण मिल रहा है ? क्या राज्य सरकार की इस पावर के बंटवारे की व्यवस्था में भागीदारी है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार का भाखरा काम्पलेक्स में जनरेट होने वाली बिजली में 15.22 प्रतिशत हिस्सा है।

(2) जी हां।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

समाचार-पत्रों में दिये गये विज्ञापनों पर खर्च

48. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) जन संपर्क विभाग द्वारा समाचार-पत्रों को दिये गये विज्ञापनों पर वर्ष 1975-76, 1976-77, 1977-78, 1978-79 में कितना-कितना खर्चा किया गया ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त वर्षों में किस-किस दैनिक समाचार पत्रों व अन्य समाचार-पत्रों, जो राजस्थान से प्रकाशित होते हैं, को कितने-कितने रुपये के विज्ञापन दिये गये ? वर्षवार सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राज्य के बाहर कौन-कौन से समाचार-पत्रों को उपरोक्त रुपयों में से कितने-कितने रुपयों के विज्ञापन दिये गये थे ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) विज्ञापन देने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

(5) इस सम्बन्ध में कोई नियम बने हुये हों तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जन सम्पर्क विभाग द्वारा समाचार-पत्रों को दिये गये विज्ञापनों पर वर्ष 1975-76, 1976-77, 1977-78, 1978-79 में जो खर्चा किया गया उसका वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट 'क')

(2) उपरोक्त पत्रों में दैनिक समाचार-पत्रों व अन्य समाचार-पत्रों, जो राजस्थान से प्रकाशित होते हैं, में दिये गये विज्ञापनों की राशि की सूचना वर्षवार सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 'ख')

(जनसम्पर्क मंत्री)

(3) राज्य के बाहर के समाचार-पत्रों को उपरोक्त खर्च की गई राशि में से दिये गये विज्ञापनों की राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट 'ग')

(4) राजकीय विज्ञापन नियम, 1962 के अनुसार विज्ञापन दिये जाते हैं।

(5) जी हां, नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 'घ')

(विवरण आदि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

चिकित्सा निदेशालय के अधिकारी

49. **श्री ओंकारलाल चौहान** (डग) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) क्या राज्य के चिकित्सा निदेशालय के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची बनी हुई है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य के चिकित्सा निदेशक का पद किस आधार पर भरा जावेगा तथा अब तक इस पद के रिक्त रहने का आधार क्या है ?

(3) अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा विभाग के पदों पर नियुक्ति करने का क्या आधार है तथा वर्तमान में नियुक्त अधिकारियों को इन पदों पर किस आधार पर लगा रखा है ?

(4) क्या अधीक्षक, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर का पद अतिरिक्त निदेशक के पद के समकक्ष है ? यदि हां, तो वर्तमान में इस पद पर कौन व्यक्ति हैं और उनकी नियुक्ति इस पद पर किस आधार पर की हुई है ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त नियुक्ति से विभाग के कई अधिकारियों का हक मारा गया है ? यदि हां, तो किन किस का ?

(6) क्या राज्य सरकार सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीक्षक की तरह राज्य के अन्य अस्पतालों में भी अधीक्षक के पद पर नियुक्तियां करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां कहां एवं कब तक ?

(7) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार निदेशक के पद पर किसी आई.ए.एस. अधिकारी की नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो नियुक्ति कब तक हो जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

राज्य के चिकित्सा निदेशालय के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य के चिकित्सा निदेशक का पद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा भरा जावेगा। राजस्थान मेडिकल और हैल्थ सर्विस रूल्स, 1973 के अनुसार निदेशक के पद भरे जाने का निम्न प्रावधान है:—

(22)

(चिकित्सा मंत्री)

पद का नाम	प्रतिशत सहित भर्ती का तरीका	पद जिसमे पदोन्नति दी जावेगी	योग्यता एवं अनुभव
निदेशक	100% पदोन्नति द्वारा	(1) अतिरिक्त निदेशक	(1) अतिरिक्त निदेशक का तीन वर्ष का अनुभव
		(2) वरिष्ठ विशेषज्ञ	(2) वरिष्ठ विशेषज्ञ का पांच वर्ष का अनुभव
		(3) उप निदेशक	(3) उप निदेशक का पांच वर्ष का अनुभव

(3) 1976 के माह सितम्बर में यह निर्णय लिया गया था कि निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के पद को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा शीघ्र ही भरा जावे एवं समिति की बैठक बुलाने हेतु कार्यवाही भी की गई। किन्तु एक अन्य डाक्टर द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण में एक अपील दायर करने के फलस्वरूप विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं हो सकी। विद्वान अधिकरण के फैसले के अनुसार नियमों में कुछ विषमतायें पाई गईं और जिनको दूर करने के लिये संशोधन हेतु कार्यवाही चालू कर दी गयी एवं नियमों में संशोधन की कार्यवाही अंतिम स्तर तक पहुंच चुकी थी किन्तु नये मेरिट रूल्स प्रकाशित होने के फलस्वरूप विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाने हेतु कार्यवाही की गई किन्तु फिर पदोन्नति समिति की बैठक पर प्रतिबंध लगने के कारण समिति की बैठक न हो सकी। अब प्रतिबंध हट गया है व बैठक बुलाने की कार्यवाही की जा रही है। अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा विभाग के पदों पर नियुक्ति करने का, राजस्थान मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विस रूल्स के अनुसार निम्न प्रावधान है। तथा वर्तमान में नियुक्त अधिकारियों को इन पदों पर वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त कर रखा है।

पद का नाम	प्रतिशत सहित भर्ती का तरीका	पद जिससे पदोन्नति दी जावेगी	योग्यता एवं अनुभव
अतिरिक्त निदेशक	100% पदोन्नति द्वारा	उप निदेशक	उप निदेशक का दो वर्ष का अनुभव

(4) जी हां।

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के अधीक्षक के पद को राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें नियमों में सम्मिलित किया जाकर अतिरिक्त निदेशक के पद के समकक्ष किया हुआ है। इस पर डाक्टर बी. एम. शर्मा हैं।

(5) जी नहीं।

(6) शैक्षणिक अस्पतालों में पूर्णकालीन अधीक्षक का पद सृजित करने से पूर्व इसका परीक्षण करने हेतु डाक्टर बी. एम. शर्मा की नियुक्ति अधीक्षक के पद पर की गई है। सब ही शैक्षणिक अस्पतालों में पूर्णकालिक अधीक्षक रखने का विचार रखती है।

(चिकित्सा मंत्री)

(7) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर सहायक स्वास्थ्यकर्ताओं की नियुक्ति

50. श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवा रामगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर ए. एच. डब्लू. पदस्थापन किये जा सकते हैं ?

(2) यदि हां, तो कौन से सत्र के नियुक्त ए. एच. डब्लू. का पदस्थापन किया जा सकता है ?

(3) उप स्वास्थ्य केन्द्र बीलवाड़ी (पी.एच.सी. मेड़) रामेश्वर प्रसाद ए.एच. डब्लू. को क्यों नहीं रखा गया ?

(4) उक्त स्थान पर उसी सत्र का नियुक्त ए. एच. डब्लू. किस नियम के आधार पर रखा गया है ?

(5) उक्त रामेश्वर प्रसाद ए. एच. डब्लू. की फाइल सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) उन उपकेन्द्रों पर जहां ए. एच. डब्लू. के पद स्वीकृत हैं वहां पर ही ए. एच. डब्लू. का पदस्थापन किया जा सकता है।

(2) वर्ष 1965 या इसके बाद प्रशिक्षण प्राप्त ए. एच. डब्लू. का पदस्थापन उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर किया जा सकता है।

(3) उप स्वास्थ्य केन्द्र बीलवाड़ी (पी. एच. सी. मेड) पर श्री रामेश्वर प्रसाद, सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फरवरी, 76 से कार्यरत था तत्पश्चात् इनको प्रशासनिक कारणो से नहीं रखा गया।

(4) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 8 (1) एम. पी. एच./77/ग्रुप-II दिनांक 1-11-77 के अनुसार बहुउद्देशीय चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त एवं ए. एच. डब्लू. दोनों में से किसी एक का पदस्थापन उन उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर जिन पर ए. एच. डब्लू. का पद सृजित है, किया जा सकता है।

(5) पूर्ण तथ्य स्पष्ट कर दिए गए हैं।

नर्सिंग ट्यूटर का पद

51. श्री गोविन्द सिंह (शक्तावत) (कुम्भलगढ़) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विगत 18 वर्षों से नर्सिंग ट्यूटर (सिस्टर-ट्यूटर) पद पर कार्य करने वालों को, पद पर स्थायी नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1974 में विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) ने नर्सिंग ट्यूटर्स का साक्षात्कार किया, किन्तु अभी तक उसका प्रतिफल नहीं प्रकाशित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 से सिस्टर ट्यूटर (नर्सिंग-ट्यूटर) को भी असिस्टेन्ट नर्सिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर पदोन्नत किए जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो आज तक सिस्टर-ट्यूटर्स को इस पद पर पदोन्नत क्यों नहीं किया गया ?

(चिकित्सा मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 29-10-75 को हुई परन्तु प्रशासनिक कारणों से उसे अन्तिमरूप नहीं दिया जा सका है।

(3) जी हां।

इस पद के लिए सिस्टर-ट्यूटर एवं सिस्टर दोनों ही इसके लिए ऐलीजीबल हैं। दोनों की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए ही पदोन्नति की जाती है। अब तक 4 सिस्टर ट्यूटर को पदोन्नति दी जा चुकी है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांचोर

53. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)— क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत कर 30 शैय्या वाला अस्पताल शीघ्र बनाने का आश्वासन राज्य सरकार ने विधान सभा में दिया था ? अगर हां, तो कब ? क्या यह भी सत्य है कि राज्य सरकार ने विधान सभा की आश्वासन समिति में उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को रेफरल अस्पताल जिला जालोर में सबसे पहिले क्रमोन्नत करने का जवाब दिया था ? अगर हां, तो कब ?

(2) उपरोक्त आश्वासन के अनुसार उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को कब तक क्रमोन्नत किया जा सकेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 6-3-1974 को। वर्ष 1977-78 व 1978-79 में ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया।

(2) आगामी वित्तीय वर्ष में इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु जन सहयोग से भवन निर्माण का ठोस प्रस्ताव व वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर अन्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने के प्रस्तावों के साथ विचार किया जा सकेगा।

मांडलगढ़ क्षेत्र के गांवों में सिंचाई हेतु एनीकट का निर्माण कार्य

54. श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जो किसी भी हालत में तालाबों से सिंचित नहीं हो सकते।

(2) यदि हां, तो ऐसे गांवों के आसपास बहने वाले नाले को बांध कर कुओं का जलस्तर ऊंचा उठाने की कौनसी योजना राज्य सरकार हाथ में ले रही है ?

(3) क्या यह सही है कि मांगटला के पास नोलप नदी, शक्ताजी का खेड़ा तथा जम्भोला के पास सोन नदी तथा कुन्डया खाल को काछोला के पास बांध कर ही कुओं का जलस्तर ऊंचा उठाया जा सकता है।

(4) क्या यह सही नहीं है कि इस प्रकार के एनीकट बंधवाकर ही हजारों किसानों को अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया जा सकता है ?

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

(5) यदि, एनीकट बंधवाना सिंचाई-विभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, तो फिर किस विभाग में आता है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस विभाग द्वारा ऐसी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है जिससे सिर्फ कुओं का जल-स्तर ऊंचा उठता हो।

(3) यह सम्भव है।

(4) एनीकट बनाने के खर्च एवं कुओं में जल स्तर ऊंचा होने के लाभ का मूल्यांकन किये जाने के पश्चात् ही यह निश्चित किया जा सकता है कि स्कीम लाभप्रद है अथवा नहीं।

(5) यह कार्य सिंचाई विभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं है। पंचायत समिति के अधीनस्थ इस प्रकार के कार्य करवाये जाते हैं।

तहसील पिड़ावा में गागरनी बान्ध का निर्माण कार्य

56. श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ में गागरनी बांध बनाने की राज्य सरकार की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश-सरकार से राज्य सरकार की प्रारम्भिक बातचीत हो चुकी है ?

उत्तर

(1) जी हां।

सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

(2) जी हां।

मोटर लाइसेन्स प्रणाली

57. श्री गंगा सहाय (कठूमर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में मोटर चालक लाइसेन्स प्रणाली कब चालू की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि चालक को पहले आवेदन करने पर तीन माह का लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है फिर टेस्ट देने पर पक्का लाइसेंस दिया जाता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि अवधि पूरी हो जाने पर दुबारा आवेदन करना पड़ता है तथा पुनः लाइसेंस देने में देरी की जाती है ?

उत्तर

(1) दिनांक 1-4-1951 से।

(2) जी हां।

(3) यदि तीन माह की अवधि में टेस्ट पास नहीं करता है अथवा पक्का लाइसेन्स के लिये आवेदन नहीं करता है तो दुबारा आवेदन करना पड़ता है। इस कार्य के लिये विभाग की ओर से कोई देरी नहीं की जाती है।

Page No. 26

(26)

ग्राम मांगलियावास की चैक पोस्ट

58. मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य के ग्राम मांगलियावास (जिला अजमेर) में कोई रोड़वेज की चैक पोस्ट है ?

(2) क्या इस 'चैक पोस्ट' के लिये एक टैन्ट (तंबू) का उपयोग हो रहा है जिसका रु. 10/– प्रति दिन किराया देना पड़ रहा है।

(3) 'चैक पोस्ट' के उपयोग हेतु किसी मकान को किराये पर नहीं लेने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) ग्राम मांगलियावास पर चैक पोस्ट के उपयोग हेतु कोई उपयुक्त मकान उपलब्ध न होने के कारण टैन्ट की व्यवस्था की गई है।

निगम की बसों से आय

59. श्री रणमल सिंह (सीकर):–क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि प्राईवेट बसें 1.20 प्रति किलोमीटर की रेट पर चार्ज करने पर भी लाभ में रहती हैं और राज्य परिवहन निगम की बसें 2.50 प्रति किलोमीटर लेने पर भी घाटे में चलती हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(2) क्या यह भी सही है कि परबतसर के मेले पर राज्य परिवहन निगम की बसों को 7.50 प्रति किलोमीटर मिला फिर भी निगम को घाटा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) निगम प्राइवेट बसों को 1.20 पैसा प्रति किलोमीटर देता है लेकिन इन में कन्डक्टरों, टिकटों, चेकिंग स्टाफ तथा अन्य खर्च शामिल नहीं होते। अतः उक्त रेट की तुलना निगम की आय प्रति किलोमीटर से किया जाना सम्भव नहीं है।

(2) जी नहीं। इस वर्ष परबतसर मेले को प्रति किलोमीटर आय रु. 2.10 पैसे प्राप्त हुई। इससे निगम को लाभ हुआ है।

मांडलगढ़ से जहाजपुर चलने वाली बसें

60. श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मांडलगढ़-काछोला जहाजपुर रूट पर केवल चार बसें चलती हैं जिसके कारण हजारों लोग भारी कष्ट पा रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि हर बस में ऊपर तथा नीचे सवारियां ठूंस ठूंस कर भरी जाती हैं ?

(3) क्या यह सही है कि ऐसे रूट पर नई गाड़ियों का जब भी स्कोप निकलता है तब पुरानी गाड़ियों के मालिक स्टे ले जाते हैं ?

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

(4) यदि हां, तो क्या सरकार कानून में ऐसा परिवर्तन ला रही है जिससे ये स्टे न ला सकें ?

(5) क्या राज्य सरकार उक्त मार्ग पर ठसाठस भरकर सवारियां ले जाने तथा टिकट न काटने पर परमिट कैन्सिल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ऐसे अधिकारियों को वहां से हटाया जायेगा जो अब तक ऐसे मोटर मालिकों के विरुद्ध एक्शन लेने में असमर्थ रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्तमान में इस मार्ग पर 4 परमिट 3 रिटर्न ट्रिप के दिये हुये हैं। किन्तु मार्ग पर यात्रीभार की अधिकता को ध्यान में रखते हुए आर. टी. ए. ने अपनी दिनांक 19-7-78 की बैठक में मार्ग का स्कोप 5 वाहन व 6 रिटर्न ट्रिप कर दिया है तथा इस स्कोप के अनुसार परमिट देने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) मार्ग पर यात्री भार की अधिकता के कारण ही परमिट व ट्रिप्स की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। नये स्कोप के अनुसार वाहन संचालन प्रारम्भ होते ही समस्या का समाधान हो जायेगा।

(3) जी हां।

(4) इस समस्या के समाधान हेतु विचार किया जा रहा है।

(5) दोषी वाहनों के चालकों के विरुद्ध समय-समय पर कार्यवाही की गई है। अतः अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का का प्रश्न नहीं है।

निगम द्वारा चेसिसों की खरीद

61. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान पथ परिवहन निगम ने सन् 75–76, 76–77 एवं 77–78 में कौन कौन सी तारीखों में कितने कितने चेसिस किन किन कम्पनियों से खरीदे ?

(2) उन चेसिस की बोडियां किस किस कम्पनी से बनवाई व अनुमानित लागत क्या आई ?

(3) सन् 75–76, 76–77 व 77–78 में किस किस डिपो को निगम द्वारा कितनी कितनी बसें समर्पित की गई ?

(4) क्या यह सही है कि भिन्न भिन्न डिपो को जो बसें दी गई हैं उनमें कोटा डिपो को सबसे कम बसें दी गई हैं ?

(5) कोटा डिपो का गत तीन वर्षों का आय-व्यय का ब्योरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) वर्ष 1976–77 एवं 1977-78 की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। वर्ष 1975-76 से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है क्योंकि आवश्यक रिकार्ड मारूती जांच आयोग को प्रेषित किया हुआ है। (परिशिष्ट–1)

(2) वर्ष 1976–77 व 1977–78 की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–2)

(यातायात मंत्री)

(3) वर्ष 1976–77 तथा 1977–78 से सम्बन्धित सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–3)

(4) जी नहीं।

(5) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–4)

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अनिवार्य सेवा निवृत्त कर्मचारी

62. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहर थाना): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) आपातकाल के दौरान कितने कर्मचारियों को कम्पलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया था? प्रत्येक विभाग की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) कितने अधिकारियों को पुनः सेवा में ले लिया गया इसकी भी विभागवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या अब राज्य सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि अब तक जिनको लिया जा चुका है पर्याप्त है, आगे नहीं लिया जाय और इस मामले को यहीं रोक दिया जाय?

(4) इस नीति के कारण कितने अधिकारी पुनः सेवा में आने से वंचित रह जायेंगे?

(5) यदि किन्हीं अधिकारियों की हियरिंग बाद को हुई है तो उनमें उन कर्मचारियों का क्या दोष है जिनके कारण वे अन्य लोगों को मिली सुविधा नहीं पा सकेंगे?

उत्तर

(1) आपातकाल के दौरान कुल 3,087 कर्मचारियों को कम्पलसरी रिटायरमेंट दिया गया था, विभागवार सूची संलग्न है।

(2) इनमें से अब तक 2,287 कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिया जा चुका है (इनका विवरण भी संलग्न सूची में अंकित है)।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

ग्राम कटारा का नल कूप

63. श्री हरिकृष्ण (नदबई): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सन् 1971-72 में एक नल कूप ग्राम कटारा, तहसील नदबई में लगाया गया था और पानी ठीक निकलने पर सील कर दिया था वह अब तक सील पड़ा है?

(2) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसे चालू कराने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, इस विभाग द्वारा वर्ष 1969-70 में इशरपुर कटारा तहसील नदबई

(मुख्य मंत्री)

जिला भरतपुर में भू-जल के स्रोत का पता लगाने के लिए परीक्षण हेतु नलकूप बनाया गया था। इस नलकूप के पानी की किस्म उपयुक्त (सूटेबल) थी। स्रोत के बाद इसको सील कर दिया गया, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई जल प्रदाय योजना प्रस्तावित नहीं थी।

(2) अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। आवश्यकता होने पर व मांग आने पर विचार किया जा सकता है।

आपातकाल में मकान गिराने के विरुद्ध की गई शिकायत

64. श्री शंकरलाल (जैतारण): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पाली नगर के श्री गोबर भील ने आपातकाल में उसका मकान पाली नगरपालिका प्रशासक द्वारा जबरन हटाने व उसका सामान भी नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा उठाकर ले जाने की शिकायत राज्य सरकार व श्री कानसिंह आयोग के समक्ष की थी?

(2) उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई और क्या नतीजा रहा?

उत्तर

(1) जी हां, श्री गोबर भील द्वारा श्री कानसिंह आयोग के समक्ष शिकायत की गई थी। राज्य सरकार को ऐसी शिकायत किये जाने की सूचना पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

(2) कानसिंह आयोग से प्राप्त रिपोर्ट राज्य सरकार के परिवीक्षाधीन हैं।

कानसिंह जांच आयोग का गठन

65. हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है आपातकालीन ज्यादतियों की जांच के लिये राज्य सरकार ने कानसिंह जांच आयोग का गठन किया था? यदि हां, तो कब, कितने समय के लिये तथा उसको किस प्रकार से किन-किन मुद्दों पर जांच करनी थी?

(2) क्या उक्त आयोग ने कोई रिपोर्ट राज्य सरकार को दी है? यदि हां, तो कब कब, कौन-कौन सी रिपोर्ट? रिपोर्ट की प्रतियां मय राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 7 (39)ए/आर/ग्रुप-5/77 दिनांक 14 जुलाई, 1977 द्वारा आपातकालीन ज्यादतियां जांच हेतु कानसिंह समिति का गठन किया गया था आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है। इस समिति का कार्यकाल प्रारंभ में 31-10-77 तक था जो समय-समय पर बढ़ाया गया अब इसका कार्यकाल 31-3-79 तक बढ़ाया गया है।

(2) जी हां, कानसिंह समिति ने जो अब तक रिपोर्ट दी है उसकी सूची संलग्न है। कानसिंह समिति ने खुली सुनवाई करके जो रिपोर्ट राज्य सरकार को दी है उसमें आगे किये जाने वाली कार्यवाही के लिए राज्य

(मुख्य मंत्री)
सरकार को सुझाव देने हेतु एक समिति अध्यक्ष राजस्व मण्डल की अध्यक्षता में गठित की है। तत्सम्बन्धी आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है। कानसिंह समिति द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट्स राज्य सरकार के विचाराधीन है जो निर्णय लिये जाने पर सदन की टेबल पर रखी जा सकेगी।

(3) इस भाग का उत्तर प्रश्न के भाग एक के उत्तर में दिया जा चुका है।

(आदेशों की प्रति व सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

ग्राम गरनावद में पीने के पानी की व्यवस्था

66. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि ग्राम गरनावद तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ में पीने का पानी दूषित हो गया है? यदि हां, तो राज्य सरकार ने स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

ग्राम गरनावद, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ में विभाग के मास्टर प्लान के अनुसार इस ग्राम के कुए का जल खारा एवं किटाणुयुक्त है। पीने का पानी हाल हीं में दूषित होने की सूचना इस विभाग को नहीं है। अधिशासी अभियन्ता को जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं।

मंत्रियों के बंगलों पर पुलिस गार्ड की व्यवस्था

67. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा):–क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य के कितने मंत्री ऐसे हैं जो अपने बंगलों पर पुलिस गार्ड की सुविधा ले रहे हैं व अंग रक्षक भी साथ रखते हैं?

(2) क्या राज्य सरकार इस सामन्तवादी लवाजमें को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इस समय राज्य के 11 मंत्री व 3 राज्य मंत्री अपने बंगलों पर गार्ड की सुविधा ले रहे हैं तथा अंगरक्षक भी साथ रखते हैं।

(2) बंगलों पर पुलिस गार्ड की व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से की जाती है व अंगरक्षक उपलब्ध कराने के पीछे भी यही उद्देश्य है। सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है अतः इसे हटाने का विचार नहीं है।

राजस्थान हाउस दिल्ली

69. श्री शिवचरण सिंह (बयाना): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान हाउस दिल्ली में 1977–78 में राज्य के कौन-कौन से आई. ए. एस. अधिकारी ठहरे?

(2) राजस्थान हाउस दिल्ली में कौन-कौन से आई. ए. एस. अधिकारी किस-किस आफिसियल ड्यूटी पर होने के कारण ठहरे

Page No. 31

(31)

(श्री शिवचरण सिंह)

तथा कौन-कौन अधिकारी पर्सनल विजिट पर वहां ठहरे ?

(3) राजस्थान हाउस दिल्ली में क्या विधान सभा सदस्य ठहर सकते हैं ? यदि हां, तो राजस्थान हाउस दिल्ली में 77–78 में कौन कौन विधायक आफिसियल कार्य पर व कौन-कौन प्राईवेट तौर पर ठहरे। सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि अधिकारीगण प्राईवेट विजिट को भी आफिसियल विजिट बता कर वहां ठहरते हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान हाउस, नई दिल्ली में सन् 77–78 में ठहरे आई.ए.एस. अधिकारियों की सूची संलग्न है।

(2) (i) कौन-कौन से अधिकारी किस राजकीय कार्य से ठहरे उसकी सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(ii) निजी कार्य पर गये अधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना प्रश्न के भाग–1 में सम्मिलित है।

(3) जी हां।

सूची संलग्न है।

(4) इस प्रश्न का उत्तर देना इस विभाग के लिये संभव नहीं है। आवास व्यवस्था रजिस्टर में अधिकारियों द्वारा अंकित करने के अनुसार की जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम मून्जासर में पीने के पानी की व्यवस्था

70. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम मुंजासर, तहसील फलौदी, जिला जोधपुर में पीने का पानी गहरा होने से ग्रामवासियों को पीने के पानी की गम्भीर समस्या बनी हुई है ? यदि हां, तो इस ग्राम के लिए पीने के पानी की जल-प्रदाय योजना सर्वेक्षण करवा कर कब तक मंजूर करवा दी जावेगी ? उक्त ग्राम के पीने के पानी का गंभीर संकट कब तक मिटा दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सत्य है कि ग्राम मुंजासर में एक सतीमाता का मेला लगता है जहां यात्रियों को पीने के पानी का गम्भीर संकट बना रहता है ? यदि हां, तो वह मेला साल में कब-कब लगता है एवं उसमें कितने लोग अन्दाजन इकट्ठे होते हैं ? ऐसे यात्रियों को पीने के पानी का राज्य सरकार द्वारा कब तक क्या इंतजाम किया जावेगा ? क्या राज्य सरकार उक्त सतीमाता के मेले के स्थान पर एक नल कूप बनाकर पीने के पानी की योजना बनाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त सतीमाता के मेले पर आए हुए दर्शनार्थियों के लिए पीने के पानी के लि कोई एक बड़ा 'टांका' बना कर उसमें पानी भरवा कर पीने के पानी का तुरन्त इंतजाम करना उचित समझेगी ? यदि हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सतीमाता के मेले के स्थान से थोड़ी दूर एक सार्वजनिक

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पीचका है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार इस 'पीचके' पर पंपिंग सेट लगाकर गहरा-पानी बाहर निकालकर गांव वालों एवं सतीमाता के मेले पर आए हुए यात्रियों को पीने का पानी उपलब्ध कराना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि 'सती-माता' के मेले के स्थान से कुछ ही दूर गांवाई 'पीचका' में मिट्टी एवं मलवा भरने से पानी की आमद कम हो गई है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त 'पीचके' में पड़ी मिट्टी एवं मलवा निकलवाकर 'पीचके' में पानी की आमद बढ़ाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक कितना खर्चा किया जाकर उक्त 'पीचके' के तले में पड़ी हुई मिट्टी एवं मलवा निकलवा कर 'पीचके' में पानी बढ़ा सकेगी ? उक्त 'पीचके' पर पुराने बने हुए सार्वजनिक पानी के कोठों की मरम्मत राज्य सरकार कब तक कराना उचित समझेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम मुंजासर में पीने का पानी गहरा होने से ग्रामवासियों को पीने के पानी की दिक्कत है । चूंकि यह ग्राम जिला आयोजना समिति के वर्ष 77–78 एवं 79–80 के प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया है अतः इस ग्राम की योजना हेतु विचार नहीं किया जा सका ।

(2) विभाग द्वारा एकत्रित सूचना के अनुसार ग्राम मुंजासर से 8 किलोमीटर दूर सतीमाता का मेला लगता है । इस मेले में विभाग द्वारा पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है । यह मेला वर्ष में 2 बार हिन्दी माह के अनुसार माह सुदी 13 एवं भादवा सुदी 13 का लगता है जिसमें करीब 7–8 हजार यात्री एकत्रित होते हैं । इस जगह के लिये कोई पेय जल योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(3) ऐसी कोई योजना विभाग द्वारा विचाराधीन नहीं है । मेले के स्थानों का पेय जल योजना इस विभाग द्वारा नहीं बनाई जाती है । मेले में पानी इत्यादि की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन द्वारा की जाती है ।

(4) सतीमाता के मेले के स्थान से एक किलोमीटर दूर पर एक सार्वजनिक पीचका का कुआ है । इस पीचका के कुए से जल उपलब्ध करवाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है । क्योंकि विभाग द्वारा पेय जल योजनायें जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों के आधार पर स्वीकृत की जाती है ।

(5) इसके बारे में विभाग को कोई सूचना उपलब्ध नहीं है एवं 'पीचके' के कुएं में मिट्टी एवं मलवा निकलवाकर एवं कोठी इत्यादि की मरम्मत करवाने की कोई योजना विभाग के विचाराधीन है ।

जीप से बालक की मृत्यु

71. श्री **रामनारायण चौधरी** (मंडावा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की करेंगे:—

(1) क्या सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, भरतपुर को पिछले विधान सभा के चुनावों में वर्तमान वित्त मंत्री की जीप से किसी बालक के मारे

(श्री रामनारायण चौधरी)
जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त शिकायत की एक प्रति वर्तमान गृह मंत्री को भी प्राप्त हुई और उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) गृह मंत्रीजी के ध्यान में नहीं है कि ऐसी कोई शिकायत आई थी।

पाहड़ा के हैड कान्स्टेबल के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

72. श्री सूर्य प्रकाश डोडा (खैरवाड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि हैड कांस्टेबल (एच.सी.) दुर्जन सिंह, पुलिस स्टेशन, पाहड़ा, उदयपुर द्वारा अपने क्षेत्र में अवैधानिक मुकदमें दायर किये जा रहे हैं ?

(2) पाहड़ा पुलिस स्टेशन पर होते हुये श्री दुर्जनसिंह के द्वारा आज तक कितने मुकदमें दायर किये गये ? पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या श्री दुर्जनसिंह के ऊपर किसी प्रकार की जांच अवैधानिक मुकदमें के प्रति हो रही है ? यदि हां, तो कौन जांच कर रहा है व आज तक उस जांच के क्या परिणाम हुये व कितने समय से जांच, किस मुकदमे को लेकर हो रही है ? पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) श्री दुर्जनसिंह द्वारा उसकी नियुक्ति की अवधि में कुल 23 मुकदमें दर्ज किये गये हैं सूची संलग्न है।

(3) जी हां, उप पुलिस अधीक्षक, सलूम्बर इस मामले की जांच कर रहे हैं। जांच जारी है। यह जांच अभियोग नं. 36/78, थाना पहाड़ा के सम्बन्ध में दिनांक 30-9-78 से की जा रही है। अभी जांच जारी है। अतः रिपोर्ट की प्रति संलग्न करने का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

जिला जालोर के थानों में दर्ज जुर्म के मामले

73. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालोर के पुलिस थाना सांचोर, सरवाना एवं चीतलवाना में पिछले एक साल में उससे पहिले के दो सालों के मुकाबले जुर्म बढ़े हैं ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो तुलनात्मक उपरोक्त तीनों थानों की स्थिति की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त थानों में संगीन जुर्म एवं चोरी एवं नकबजनी के जुर्म पिछले एक वर्ष में बढ़े हैं? अगर हां, तो क्यों? तथा चोरी गया माल बरामदगी का क्या औसत रहा है ? अगर नहीं, तो पिछले तीन सालों की तुलनात्मक स्थिति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३४)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(3) क्या यह सही है कि उक्त थानों में दर्ज हुए जुर्मों के अनुसार अदालत में चालान कम पेश हुए हैं ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो पिछले एक साल का थानोंवार चालान करने वाले जुर्मों एवं हकतामी दिए गए जुर्मों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) पुलिस थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये राज्य सरकार ने अब तक क्या-क्या कदम उठाये हैं एवं भविष्य में क्या-क्या कदम उठाए जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। जुर्मों की संख्या बढ़ने का कारण जन संख्या में वृद्धि होना एवं आपातकालीन स्थिति हटने के बाद आम आदमी चुनाव में निर्भीकता पूर्वक पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज कराना है।

(2) जी हां। जुर्मों की संख्या बढ़ने का कारण जन संख्या में वृद्धि होना एवं आपातकालीन स्थिति हटने के बाद आम आदमी द्वारा निर्भीकता पूर्वक पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज कराना है। चोरी गये माल की बरामदगी औसत सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं। थानेवार सूची संलग्न है।

(4) भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु भ्रष्टाचार निरोधक विभाग एवं अपर महानिरीक्षक सतर्कता सक्रिय है। जो इन आरोपों पर तत्काल कार्यवाही करते हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9.देखें)

भरतपुर जिले में मारे गए एवं पकडे गए डाकू एवं चोर

74. श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भरतपुर जिले की भरतपुर कुम्हेर एवं नदबई तहसीलों में घटित मामलों से सम्बद्ध 1 जनवरी, 1978 से अब तक कितने डाकू और चोर पकडे गए अथवा मारे गये ?

(2) इनमें से कितने डकैत या चोर पुलिस द्वारा और कितने नागरिकों तथा कितने उत्तर प्रदेश की पुलिस व राजस्थान के अन्य जिलों की पुलिस द्वारा पकडे गये व मारे गये और कितने उत्तर प्रदेश की हवालातों से लाये गये ?

उत्तर

(1) सूचना संलग्न है।

(2) सूचना संलग्न है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

पुलिस थाना, चीतलवाना में दर्ज मामला

75. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या पुलिस थाना, चीतलवाना, जिला जालौर में एक श्री मांगी लाल नामक शिक्षित अनुसूचित जाति के नवयुवक का नाजायज शराब बनाने के मामले में मुंसिफ मजिस्ट्रेट अदालत, सांचोर में चालान पेश कर दिया गया था ? अगर हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले विधान सभा सत्र में राज्य सरकार ने उक्त नवयुवक

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
के विरुद्ध पेश किए गए आरोप को वापिस लेने का आश्वासन दिया था ? अगर हां, तो इस बारे में अब तक राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(3) उक्त नवयुवक के विरुद्ध फौजदारी आरोप मुंसिफ मजिस्ट्रेट अदालत से वापस कब तक ले लिया जावेगा ? निश्चित अवधि बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 7–11–77 को चालान न्यायालय में पेश किया गया था।

(2) श्री मांगी लाल के विरुद्ध चल रहे मुकदमे को न्यायालय से वापस लिये जाने हेतु जिला दण्डनायक, जालौर को दिनांक 22–9–78 को आदेश दिये जा चुके हैं।

(3) इसका उत्तर बिन्दु (2) में दे दिया गया है।

जिला खाद्य निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही

76. **हरजी राम बुरडक (लाडनूं):** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री पी.सी. जैन, जिला खाद्य निरीक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में गृह विभाग में कोई कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो कब से तथा किस स्तर पर ?

(2) इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की जा चुकी है तथा क्या क्या शेष है जो कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

उत्तर

(1) श्री प्रकाशचन्द्र जैन, जिला खाद्य निरीक्षक, स्वास्थ्य विभाग, करोली, सवाई माधोपुर के विरुद्ध एक परिवाद प्राप्त हुआ था किन्तु श्री जैन एक अराजपत्रित कर्मचारी होने के कारण परिवाद को निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को उचित प्रारंभिक कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में मोटर दुर्घटनाओं के मामल

77. **श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा):** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एक जनवरी 1978 से 31-8-78 तक राज्य में मोटर दुर्घटनाओं से कितने लोग मारे गये तथा कितने घायल और हमेशा के लिए अपाहिज हो गये ?

(2) इन दुर्घटनाओं में से राजस्थान रोडवेज की गाड़ियों से कितनी दुर्घटनाएं हुई और कितने लोग मारे गये और कितने घायल हुए ?

(3) स्थानीय पुलिस द्वारा इन उपरोक्त मामलों में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1978 में माह अगस्त तक राज्य में मोटर दुर्घटनाओं से 525 व्यक्ति मारे गये तथा 2403 व्यक्ति घायल हुए जिनमें से 106 अपाहिज हुये।

(2) इन दुर्घटनाओं में राजस्थान रोडवेज की बसों से 211 दुर्घटनाएं हुई जिनमें 77 व्यक्ति मारे गये और 267 व्यक्ति

Page No. 36

(36)

(गृह मंत्री)

घायल हुये, जिनमें से 6 व्यक्ति अपाहिज हुये।

(3) इन सभी मामलों में पुलिस द्वारा दोषी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई है।

उदयपुर नगर के विद्यालय

78. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर नगर में कुल कितने विद्यालय राज्य सरकार के चल रहे हैं? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) इन विद्यालयों में से कितने विद्यालय किराये के भवनों में चल रहे हैं? उनका प्रत्येक का कितना किराया देना पड़ता है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या किराये के भवन में चलने वाले विद्यालयों में बालकों की संख्या के अनुपात में कमरे हैं? यदि नहीं, तो राज्य सरकार इन्हें सुधारने की क्या योजना बना रही है?

(4) क्या यह सच है कि विद्यालय भवन पर्याप्त नहीं होने के कारण अभिभावकों को मजबूरन अधिकांश बालकों को निजी शिक्षण संस्थाओं में भेजना पड़ता है, जिससे उन्हें प्रति मास भारी शुल्क देना पड़ता है?

उत्तर

(1) उदयपुर नगर में राज्य सरकार द्वारा चलाये गए विद्यालयों की सूची (क) सदन की मेज पर रखदी गई हैं।

(2) जो विद्यालय किराये के भवनों में चल रहे हैं और उनका प्रत्येक का कितना किराया दिया जाता है, सूची (ख) सदन की मेज पर रखदी गई हैं।

(3) कुछ विद्यालयों में बालकों की संख्या के अनुपात से कमरे नहीं हैं इसका स्थायी हल भवन निर्माण से हो सकता है। वित्तीय प्रावधान होने पर इस पर विचार किया जा सकेगा।

(4) सामान्यतया राज्य सरकार सरकारी विद्यालयों में प्रवेश लेने में कोई बंधन नहीं करती। फिर भी अभिभावक अधिक सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने बालकों का अन्यत्र प्रवेश कराने में स्वतंत्र हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

संस्कृत कालेज, मनोहरपुर के प्राचार्य पद पर नियुक्ति

79. श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री मोती लाल जोशी, प्राचार्य राजकीय संस्कृत कालेज, मनोहरपुर को प्रथम बार महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर कब नियुक्त किया गया था एवं नियुक्ति से पूर्व वह किस पद पर किस वेतन शृंखला में कार्य कर रहे थे?

(2) क्या इनकी प्राचार्य पद पर प्रथम नियुक्ति/पदोन्नति नियमानुसार सेवा नियमों के अन्तर्गत की गई थी? यदि नहीं, तो नियम विपरीत प्राचार्य पद पर नियुक्ति अथवा पदोन्नति के क्या कारण थे?

(श्री ईश्वर चन्द्र)

(3) उस समय प्राचार्य पद के लिए क्या योग्यता निर्धारित थी और क्या श्री जोशी उनकी पूर्ति करते थे ?

(4) क्या उस समय संस्कृत शिक्षा विभाग में अन्य कोई कर्मचारी इनके समान योग्यता धारी नहीं था जिसे उक्त पद पर नियुक्ति/पदोन्नति की जाती। उस समय की संस्कृत शिक्षा विभाग की वरीयता क्रम की सूची सदन में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

उत्तर –

(1) श्री मोती लाल जोशी की पदोन्नति कार्यवाहक प्राचार्य, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, मनोहरपुर के पद पर 6 माह अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित व्यक्ति उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो राजकीय आदेश दिनांक एफ. 4 (डी) (8) एज्यू./सेल-3/62, दिनांक 16–9–63 के द्वारा की गई थी। इससे पूर्व व प्रधानाध्यापक के रूप में वेतन शृंखला 115–250 में नियुक्त थे।

(2) उस समय संस्कृत सेवा नियम न होने के कारण वह पदोन्नति तत्कालीन राजकीय आदेश के अनुसार की गई जिनमें आयु तथा योग्यता निर्धारित की गई थी।

(3) राज्य सरकार ने अपने आदेश संख्या एफ. 1 (5) एफ. डी. (आर) 61 पार्ट–II, दिनांक 25–9–62 के द्वारा प्राचार्य शास्त्री/उपाध्यक्ष के लिये निम्न योग्यता निर्धारित की थी और श्री जोशी इसके अनुसार योग्यता रखते थे।

Principals of Sanskrit College of Shastri or Upadhyaya Standard : Ist or IInd division acharya with fair knowledge of English or Ist or 2nd Div. M A. (Sanskrit) or equivalent qualification in sanskrit with atleast three years teaching experience in a college and two years administrative experience.

(4) उस समय किसी वरिष्ठता सूची का प्रकाशित होना नहीं पाया जाता। जो छः पद प्रिंसिपल शास्त्री व उपाध्यक्ष कालेज के रिक्त थे उनमें से 3 पद पदोन्नति द्वारा तथा 3 पद सीधी भर्ती से भरे गए। सीधी भर्ती के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आयु व योग्यता के आधार पर निम्नांकित तीन व्यक्तियों को 6 माह के लिए अथवा राजस्थान सेवा आयोग द्वारा चयनित व्यक्ति के उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया।

(1) श्री मदनलाल डोलिया
(2) श्री श्रीनारायण त्रिपाठी
(3) श्री मोतीलाल जोशी

नयाबास विद्यालय का भवन

80. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि अलवर नगर में नयाबास स्थित विद्यालय का भवन बड़ी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और उसकी छत किसी समय भी गिर सकती है ? अगर हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नयाबास, अलवर के विद्यालय भवन के तीन कमरे

(शिक्षा मंत्री)

जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। भवन एवं पथ विभाग, अलवर ने इसकी मरम्मत के लिए 20,000) रु. चाहे हैं। निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को दिनांक 3–9–78 को सूचित कर दिया गया है कि इस भवन की मरम्मत करने की व्यवस्था करें।

नेमानी सेकण्डरी स्कूल, चूड़ी

81. श्री रणमल सिंह (सीकर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री नेमानी सेकण्डरी स्कूल चूड़ी, अजीतगढ़ सन् 1971-72 से ही मान्यता प्राप्त स्कूल है, और एडेड भी है?

(2) क्या यह भी सही है कि इस स्कूल को अभी तक मिडिल स्कूल के स्तर की ही एड मिल रही है, जबकि इसके साथ ही मान्यता प्राप्त तमाम स्कूलों को सेकण्डरी स्तर की एड मिल रही है? यदि हां, तो ऐसा किस कारण से है?

(3) क्या यह भी सही है कि इस स्कूल की एड का तीन वर्ष का एरियर अभी तक बकाया चल रहा है यदि हां, तो क्यों? क्या राज्य सरकार इस स्कूल का एरियर देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह भी सही है कि श्री नेमानी प्राथमिक विद्यालय की टेक-ओवर की कार्यवाही सन् 1973 से चल रही है किन्तु अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

उत्तर

(1) जी हां, यह संस्था मान्यता प्राप्त तो है किन्तु माध्यमिक स्तर पर अनुदान प्राप्त नहीं है।

(2) जी हां, यह सही है कि इस स्कूल को अभी तक मिडिल स्कूल के स्तर तक का ही अनुदान मिल रहा है किन्तु यह सही नहीं है कि इसके साथ के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को सेकण्डरी स्तर की एड मिल रही है।

(3) जी नहीं, ऐसा कोई प्रकरण राज्य सरकार के स्तर पर या निदेशालय में बकाया नहीं है।

(4) जी हां, राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यह संस्था यदि दो वर्ष का आवर्तक व्यय जमा करा दे और निर्धारित डिजाइन के अनुसार भवन, खेल मैदान व सम्पत्ति का हस्तान्तरण कर दें तो विद्यालय राज्याधीन लिया जा सकता है।

कन्या माध्यमिक शाला, पिडावा में प्रधानाध्यापिका की नियुक्ति

82. श्री ईश्वरचन्द्र (पिडावा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कन्या माध्यमिक शाला, पिडावा में पिछले 16 माह में प्रधानाध्यापिका नहीं है? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है?

(2) क्या यह सही है कि प्रधानाध्यापिका न होने के कारण छात्राओं ने प्रवेश नहीं लिया व अधिकांश छात्राएं परीक्षा में असफल रहीं?

(श्री ईश्वर चन्द्र)

(3) राज्य सरकार निकट भविष्य में कब तक प्रधानाध्यापिका की व्यवस्था करने में सक्षम होगी ?

उत्तर

(1) जी हां । इस अवधि में इस स्थान पर तीन अध्यापिकाओं को पदोन्नत कर पदस्थापित किया गया किन्तु इस स्थान पर किसी ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इनमें से दो अध्यापिकाओं ने तो अपनी पदोन्नति भी छोड़ दी ।

(2) जी नहीं ।

(3) आदेश दिनांक 28-6-1978 द्वारा श्रीमती सरोज चतुर्वेदी को प्रधानाध्यापिका के पद पर पदस्थापित कर दिया गया था, किन्तु ये रुक रुककर छुट्टी का प्रार्थना पत्र देती रही । इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है तथा शीघ्र ही दूसरी प्रधानाध्यापिका का पदस्थापन किया जा रहा है ।

माध्यमिक पाठशाला ग्राम हाडेचा में वाणिज्य विषय की पढ़ाई

83. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माध्यमिक पाठशाला, ग्राम हाडेचा, जिला जालोर में अभी तक वाणिज्य विषय नहीं खोला गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पाठशाला में वाणिज्य विषय नहीं खोलने के लिए स्थानीय जनता की मांग राज्य सरकार के पास आई है ? अगर हां, तो कब ? अब तक उक्त पाठशाला में वाणिज्य विषय क्यों नहीं खोला गया ?

(3) अब उक्त पाठशाला में वाणिज्य विषय कब तक खोल दिया जाएगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि उच्च माध्यमिक पाठशाला, सांचौर में वाणिज्य कक्ष एवं विज्ञान कक्ष का राज्य सरकार द्वारा निर्माण नहीं कराया गया है ? अगर, हां, तो क्यों ? अब वाणिज्य कक्ष एवं विज्ञान कक्ष का निर्माण कब तक करवा दिया जायगा ?

उत्तर

(1) हाडेचा में वाणिज्य विषय खोल दिया गया है ।

(2) विषय खोल दिया गया है ।

(3) विषय खोल दिया गया है ।

(4) वाणिज्य वर्ग के लिए विद्यालय में एक कक्षा कक्ष 28'×25' नाप का पहले ही उपलब्ध है। विज्ञान वर्ग के लिए प्रयोगशालाओं का निर्माण धनराशि का प्रावधान न होने के कारण नहीं कराया जा सका । इस संबंध में प्रधानाध्यापक द्वारा जन सहयोग से निर्माण कार्य कराने हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं वर्तमान में प्रयोगशालाओं के लिये दो कमरे 25'×20' के उपलब्ध हैं ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री श्योपतसिंह मकासर, सदस्य विधान सभा की ओर से जोधपुर विश्वविद्यालय.

(श्री अध्यक्ष)

तथा राजस्थान विश्वविद्यालय में अस्थायी प्राध्यापकों की नियुक्ति में पुराने कार्यरत प्राध्यापकों को ध्यान में न रखने के विषय में।

(2) श्री वृद्धिचन्द जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले में पीने के पानी के अभाव के विषय में।

(3) श्री अब्दुल अजीज, सदस्य विधान सभा की ओर से मकराना में संगमरमर की खानों की वितरण प्रणाली में हुई अनियमितताओं के विषय में।

इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(4) श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य विधान सभा की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा माण्डड़ी नदी पर बनाये जाने वाले पुल का निर्माण कार्य पिछले 6 महीने से बन्द होने के विषय में।

(5) श्री रामकरणसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान में समय पर खाद और बीज वितरण न होने के विषय में।

(6) सर्व श्री गंगाराम चौधरी व मथुरा दास माथुर, सदस्य विधान सभा की ओर से सीमेंट में वितरण का काम सहकारी समितियों को न देने के विषय में।

(7) श्री मूलचन्द डागा व श्री रामचन्द्र, सदस्य विधान सभा की ओर से मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज जयपुर के अध्यापक संघ द्वारा अनिश्चितकाल के लिये हड़ताल करने के निर्णय के विषय में।

(8) श्री जगतारसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर में गत 5 अक्टूबर को दुर्गापुरा के निकट एक व्यक्ति के निवास स्थान पर डाका डाले जाने की घटना के विषय में।

(9) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान नहर का काम इन दिनों प्रायः बन्द हो जाने की घटना के विषय में।

(10) श्री नूरा, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला गंगानगर में गंगनहर की नहरों पर पुलियाओं का निर्माण कार्य बन्द हो जाने के विषय में।

(11) श्री रामकृष्णदास, सदस्य विधान सभा की ओर से पश्चिमी राजस्थान में टिड्डियों का प्रकोप निरन्तर बढ़ रहा है, इस विषय में।

इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है। मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रश्नकाल की समाप्ति पर अनुत्तरित अनुपूरक प्रश्न

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि क्वश्चन आवर में सवाल का जवाब दिया जा रहा है। मुख्य मन्त्री महोदय बोलना चाहते हैं और बोल नहीं पाये हैं ऐसे समय में प्रश्नकाल समाप्त हो जाये तो उस प्रश्न की क्या स्थिति रहती है? उस पर हाफ एन आवर का डिस्कशन होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्री जी ने पर्याप्त-रूपेण उत्तर दे दिया है। ऐसी परिस्थिति में प्रश्न काल समाप्त करने की घोषणा की गई है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी राय से डिफर करता हूँ। मुख्य मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे थे तब तक स्थगन प्रस्तावों की व्यवस्था आ गई। मेरा निवेदन है कि मेरे सप्लीमेंट्री का जवाब नहीं आया है। अगर आया हो तो इस सदन के कोई भी माननीय सदस्य बता दें। अभी तक सारा प्रश्न बिना उत्तर दिये हुये पड़ा है।

श्री मूलचन्द डागा : साहब, यह बात सही है कि जवाब नहीं आया है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उत्तर देना बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या महत्वपूर्ण प्रश्नों से सरकार इसी प्रकार से बचती रहेगी? मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को पोस्टपोन किया जाय या फिर जैसा आप मुनासिब समझें निर्णय दें। सभी माननीय सदस्य इस सदन के प्रांगण से सच्चाई जानना चाहते हैं, यह एक महत्वपूर्ण और पब्लिक इम्पार्टेन्स का प्रश्न है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकारी बैंचेज को इसका उत्तर देना चाहिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (विधि मन्त्री): आॅन ए पाइन्ट आॅफ आॅर्डर, सर।

अध्यक्ष महोदय, जब आप व्यवस्था दे चुके हैं···

श्री मूलचन्द डागा : आॅन ए पाइन्ट आॅफ आॅर्डर क्या, आप बैठिये, वे बोल रहे हैं।

श्री सूर्यनारानायण चौधरी : उसके बाद पुन: इस पर नहीं बोला जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्य को संकेत किया है कि आपके प्रश्न का उत्तर सदन के नेता द्वारा दिया जा चुका है। अब इस प्रश्न पर कोई चर्चा की गुंजाइश नहीं है। मेरा निर्णय है वह अन्तिम है। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था मैं दे चुका हूं। अब इसके सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के क्रम

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : आॅन ए पाइन्ट आॅफ आॅर्डर, सर! अध्यक्ष महोदय, मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है, मेरा एक महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मेरा आपसे निवेदन है कि कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आये हैं, करीब 30 आये हैं उनमें से एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक दिन में लिया जा सकता है। आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या है आप कृपया मुझे मेरे कक्ष में आकर संकेत करेंगे तो मैं उत्तर देने की स्थिति में होऊंगा।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि समय और तारीख देकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करते हैं। मैं यह आग्रह कर रहा हूं कि जो समय और दिन हो उसी के हिसाब से प्रायोरिटी में चढ़ जाय तो

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
हमारे ग्रापस में झगड़ा नहीं होगा । इस ढंग से व्यवस्था हो जाय तो ठीक रहेगा ।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापका प्रस्ताव ग्रस्वीकार कर दिया हो तो ग्राप इसके ऊपर कुछ कह सकते हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ग्रध्यक्ष महोदय, 6 तारीख को हमने दिया था ।

श्री ग्रध्यक्ष : मुझे ग्रभी याद नहीं है, माननीय सदस्य ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ग्रध्यक्ष महोदय, सचिवालय से सूचना प्राप्त कर लीजिये । टाईम के हिसाब से प्रायोरिटी में ग्राना चाहिये ।

श्री ग्रध्यक्ष : ऐसी ही व्यवस्था है माननीय सदस्य । जब प्रस्ताव ग्राता है तो समय ग्रौर तारीख ग्रवश्य नोट की जाती है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बाद वालों के पहले ग्रा जाते हैं ग्रौर पहले वालों के पीछे ग्रा जाते हैं ।

श्री ग्रध्यक्ष : ऐसा नहीं है, माननीय सदस्य, मैं ग्रापको विश्वास दिलाता हूं ।

स्थगन प्रस्ताव ग्रादि पर चर्चा

श्री समरथ लाल (रामगढ़) : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव था ।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापका प्रस्ताव ग्रस्वीकार कर दिया है ।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : ग्रध्यक्ष महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय ग्रौर राजस्थान विश्वविद्यालय में जो ग्रस्थाई प्राध्यापक हैं, मेरा स्थगन प्रस्ताव उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में है । मेरी समझ में नहीं ग्राता कि ये विश्वविद्यालय एक स्टेट के ग्रन्दर ग्रलग ग्रलग स्टेट बने हुए हैं । इनके ऊपर राज्य सरकार की कोई भी नीति को लागू करने का दायित्व नहीं है ग्रौर दायित्व निभाने की कोई भी कोशिश नहीं करते । इनको राज्य की नीतियों को लागू करने की ग्रावश्यकता नहीं है, इस तरह के लोगों के हाथ में ग्रापने विश्वविद्यालयों को सौंपा है । माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार हरिजनों के ग्रारक्षण के बारे में बहुत बड़ी बातें करती है, हरिजनों की बड़ी पैरवी करती है ग्रौर हरिजनों के लिए बड़ा ढिढोरा पीटती है । मैं ग्रापके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं जो प्राध्यापक ग्रस्थाई थे, जो पांच पांच साल से, सात-सात साल से ग्रौर 15-15 साल से ग्रस्थाई तौर पर थे, एक ग्रध्यादेश के जरिये इस दफा यह तय किया कि उन ग्रस्थाई लेक्चरार्स को, इन टेम्प्रेरी लैक्चरार्स को स्थाई पद दे देंगे । उसके लिए एक कमेटी का निर्माण हुग्रा । वह कमेटी क्या करेगी ? कोई इन्टरव्यू नहीं लेगी । उसके लिए ग्रध्यादेश के द्वारा बाकायदा डाइरेक्शन्स दिये गये हैं कि वह इन लैक्चरार्स का किस ग्राधार पर चुनाव करेगी । उसमें लिखा है, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, "Screening Committee" means Committee appointed under the provisions of this Ordinance to scrutinise the academic record and report about the work and the conduct of temporary lecturers."

(श्री श्योपतसिंह मकासर).

वह कमेटी इन्टरव्यू नहीं लेगी। विश्वविद्यालय में टेम्प्रेरी टीचर्स को भरती करने के लिए, परमानेन्ट करने के लिए इन्टरव्यू नहीं होगा। जो वर्क रिपोर्ट है उसके आधार पर वह स्क्रूटिनाइज करेगी और बाद में जो टेम्प्रेरी अध्यापक योग्यता को पूरा करेंगे उनको परमानेन्ट कर दिया जायेगा। मैं कह रहा था जो महाशय, सज्जन, कमेटी में बैठे है, वह किस प्रकार के लोग बैठे हैं ? राज्य सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। राज्य सरकार की आरक्षण की नीति है हरिजनों और अनुसूचित जातियों के लिये किन्तु जोधपुर विश्वविद्यालय में एक मात्र लैक्चरार जो अनुसूचित जाति का था, जिसकी राजस्थान में सैकिण्ड पोजीशन थी, जो एक होनहार लेक्चरार था, उस लेक्चरार के बारे में जब उस कमेटी के लोगों ने यह मालूम हुआ कि वह हरिजन है, अनुसूचित जाति का है तो उसे प्रोफेसर के पद पर नहीं लिया गया। उसका एक्सपीरियेन्स, सारी की सारी उसकी शिक्षा तथा उसके सारे कमेन्ट्स कोई भी चीज कम नहीं थी उस लेक्चरार के हायर सैकेण्डरी के अन्दर साठ प्रतिशत अंक है लेकिन····

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : क्या नाम है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : चौबे विहारी लाल शर्मा। यह हरिजन है, हरिजनों का पंडित, जिस तरह से सवर्णों में पंडित होते हैं उसी तरह से हरिजनों का वह पंडित है।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, चौबे और शर्मा हरिजनों में कोई नहीं होता।

श्री श्योपत सिंह (मकासर) : उसके पास सारे सर्टिफिकेट हैं····

एक माननीय सदस्य : जाली हैं।

श्री श्योपतसिंह (मकासर) : फर्जी नहीं है। फर्जी हो तो कार्यवाही करो। परदेशी नहीं है जोधपुर का रहने वाला है, हरिजन जाति से है। मेघवाल जाति का गुरड़ा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने जोधपुर विश्वविद्यालय का शुद्धिकरण कर दिया है। एकमात्र हरिजन लड़का था उसे प्रोफेसर पद के लिये विश्वविद्यालय ने पसन्द नहीं किया। इस कमेटी और जोधपुर के विश्वविद्यालय के वाईस चान्सलर का आपको एक्स्प्लेनेशन कॉल करना चाहिए।

(समय–समाप्तिसू-चक घंटी)

यह गंभीर मामला है। आप कहेंगे कि यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। राजस्थान की एक तरफ नीति यह है कि हम हरिजनों को आरक्षण के तौर पर पद देंगे और दूसरी तरफ वहां पर काम कर रहे हरिजनों को निकाल रहे हैं, आपके अधिकारी शुद्धिकरण कर रहे हैं तो फिर आपके कानून व नीतियों को कौन मानेगा ? फिर या तो आपकी घोषणा ढोंग हैं या हमें बेवकूफ बना रहे हैं, दोनों में से एक बात जरूर है। वहां पर तीन प्राध्यापकों को नहीं लिया।

इसी तरह से राजस्थान विश्वविद्यालय में किस तरह की स्थिति है, मैं आपको थोड़ी सी झांकी बताना चाहता हूं। 6 लोगों को नहीं लिया गया जिनमें से एक है श्रीमती सी. पी. सिंह, वनस्पति विभाग जो 14 वर्षों से सेवारत है, गोल्ड मेडलिस्ट है। क्यों साहब, किस कायदे से उन्हें नहीं लिया ? इन

(श्री श्योपत सिंह)

6 प्राध्यापकों को राजस्थान विश्वविद्यालय में और जोधपुर के अंदर 3 लोगों को क्यों नहीं लिया गया ? आपकी व्हिम नहीं चलनी है। राजस्थान की जनता के पैसे खर्च करो, हम आपको मनमानी नहीं करने देंगे। राज्य सरकार उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कितना दखल देती है, यह अलग बात है लेकिन सरकार की नीतियों को लागू करना पड़ेगा। विश्वविद्यालय अलग देश, अलग स्टेट अलग जागीर नहीं है। सरकार की नीतियां इन विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलरों को लागू करनी पड़ेगी। जो लागू नहीं करें उनके विरुद्ध कार्यवाही करें। अगर आपने कोई कदम नहीं उठाया तो विस्फोट होगा। वहां जितने प्राध्यापक थे उन्होंने अपना रिजेंटमेंट जाहिर किया है। पांच लोगों ने दस्तखत करके वाइस--चान्सलर को रिप्रेजेन्टेशन दिया है, विद्यार्थियों में रिजेंटमेंट है। फिर सरकार लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति के बारे में कहेगी कि लॉ एण्ड आर्डर बिगड़ गया ? क्या आप चाहते हैं कि लोगों में रिजेंटमेंट हो फिर आप समस्या का हल निकालें ? मैं मुख्य मंत्री व शिक्षा मंत्री दोनों को निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा शुद्धिकरण मत करो। अन्त्योदय का मतलब शुद्धिकरण नहीं है, अन्त्योदय का मतलब केवल गांवों से नहीं है। वीकर सेक्शन्स के लोगों को न्याय मिले, यह अन्त्योदय का उद्देश्य हो सकता है। स्कूलों, कालेजों व विश्वविद्यालयों से हरिजनों को निकालें तो यह गलत बात होगी। यह आपकी नीतियों से मेल नहीं खाती। आप कह दो कि हरिजनों को नहीं लेना है, हमें मेरिट के हिसाब से लेना है। ऐसी हालत में मैं आशा करता हूँ कि राज्य सरकार इस बात की ओर ध्यान देगी।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मकराना की संगमरमर खानों की वितरण प्रणाली पर मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। संगमरमर की खानों के बारे में लोग समझते हैं कि ये सोने व चांदी की खानें हैं। मैं अखबार नवीसों से भी दरखास्त करता हूं कि डकायती, लूटमार व अव्यवस्था की चर्चा अखबारों में आती है लेकिन कुछ ऐसे भी अपराध हैं जो अखबारों में कम छपते हैं। मैं संगमरमर की खानों की वितरण प्रणाली पर रोशनी डालते हुए निवेदन करता हूं कि वहां राज्य सरकार ने क्या किया ? राज्य सरकार ने इसी आपन से राज्यपाल महोदय द्वारा घोषणा की थी कि हम लोगों को, जो खानों में काम करते हैं, खानें देंगे। गुजरात राज्य ने भी 2 अक्टूबर को घोषणा की कि हम मजदूरों को खनिज पट्टे देंगे लेकिन राज्य सरकार के खनिज विभाग ने क्या किया, इसका आप नक्शा देखें। संगमरमर की 31 खानों का वितरण किया जाना था। बजट सेशन के दौरान उन खानों के लिए मकराना के लोगों से काफी संख्या में आवेदन दिये हजारों रुपये की राशि मकराना के सहायक अभियन्ता ने आवेदन पत्रों द्वारा ली। 17 अगस्त को एक गजट नोटीफिकेशन निकाला कि 31 खानों में से 28 खानें हम नीलाम करेंगे। 31 में से 3 खानें कौन खा गया ? 28 की ही नीलामी क्यों हुई ?

दूसरे, राज्य सरकार की घोषणा थी कि जो पुश्तैनी खनन का काम करते आ रहे हैं उन मजदूरों व शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को ही खनन पट्टे देंगे। तीसरे, बार बार दरख्वास्त करने के बाद वहां 25 तारीख को जो नीलामी होनी थी उस दिन लोगों में रोष बढ़ा और इतनी सीमा तक वह रोष बढ़

Page No. 45

(45)

(श्री अब्दुल अजीज)

गया कि पूरे मकराना में अव्यवस्था हो गई हजारों मजदूर वहां जा पहुंचे, जहां नीलामी शुरू हो गई थी। लोगों में यह भ्रम हो गया कि हमारी खानें अन्य लोगों को दे दी गई है क्योंकि यह पता चला है कि यह नीति अपनाई हुई है कि जो सिक्योरिटी के साथ आवेदन दे वह नीलामी में स्टैंड करेगा। फायदा उसे होगा जो एक हजार रुपये जमा कराएगा। इस वितरण प्रणाली का जनता ने विरोध किया और 25, 26 व 27 को उक्त नीलामी को अपनी शक्ति के साथ रोक दिया। इस प्रश्न का राज्य सरकार के पास क्या उत्तर है ? मैंने बार बार मुख्य मंत्री से निवेदन किया कि क्या राज्य सरकार नीलामी करेगी ? उन्होंने विश्वास दिलाया कि नीलामी नहीं होगी। उसके बावजूद नीलामी हुई, प्रदर्शन हुआ। हजारों की संख्या में लोगों का सहायक अभियन्ता के दफ्तर पर 25 तारीख को प्रदर्शन हुआ, जुलूस निकला। कैलाश मेघवाल, मंत्री महोदय के विरुद्ध एक मजदूर भूख हड़ताल पर बैठा और वह कामयाब रहा। इसी तरह से 26 तारीख को मकराना बंद रहा। मैं जानना चाहता हूं कि वहां के मजदूरों की जवानी लेने के बाद राज्य सरकार ने उन मजदूरों को क्या दिया ? उनके हाथों से की हुई मेहनत से करोड़ों रुपयों की रायल्टी व सैल्स टैक्स हमने आपको दिया। आपने उनको क्या दिया, सिवाय टी. बी. के ? आपने उनको दवाइयां नहीं दी, पर्याप्त सड़कें नहीं दीं। लाखों रुपये रिश्वत खाकर तीन खानें दे दीं जिसका हाई कोर्ट से स्टे हुआ। इस कदर बेईमानी कौन करता है ? एक तरफ आपने घोषणा पत्र में कह दिया गया कि मजदूरों को खानें देंगे और दूसरी तरफ वितरण प्रणाली लाटरी सिस्टम से नहीं की। क्या कारण है कि खानें लाटरी सिस्टम से नहीं दी ? कौनसा ऐसा मुश्किल प्रश्न था जो राज्य सरकार हल नहीं कर सकती थी ? इसके पीछे षड़यंत्र छिपा हुआ है। एक तो करोड़पति को और करोड़पति बनाना, दूसरे रिश्वत से पूर्ण साधन उपलब्ध करना और तीसरे अपने रिश्तेदारों को खनिज देना। राज्य सरकार इन समस्त बातों के लिए जिम्मेदार है। मैं भैरोंसिंह शेखावत पर चार्ज लगाता हूं जिन्होंने कहा था कि मेरे मंत्रिमंडल में कोई चोर नहीं है, मैं कहता हूं कि चोर हैं। किस तरह से तीन खानें चली गईं ? क्या यह ईमानदारी है ? आप तमाम बातें सोच लें, आपने लोगों को क्या दिया ? क्या वायदे किए ? मेरा स्पष्ट इल्जाम है। सरकार ने मेरे प्रश्न संख्या 62 के लिखित उत्तर में कहा कि इनका आवंटन कार्य निरोध रीति से करेंगे। मेरी समझ में नहीं आता, मैं बी.एससी., एल-एल.बी. हूं। मैं आपके इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। इस तरह का सरकार का जो तरीका है उसको हम सुधारें। आपकी जिम्मेदारी स्पेशली है और आपने वायदा किया है। मैं आपके वायदे की तरफ ध्यान दिलाता हूं और मैं अपील भी करता हूं कि खनिज मंत्री और मुख्य मंत्री जी अपने वायदों पर अटल रहते हुए पुश्तनी काम करने वाले मजदूरों को सोच समझकर खानें दें ताकि जनता में उत्साह बढ़े।

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाये उनका उत्तर देने के लिए तैयार हूं। माननीय

(श्री कैलाश मेघवाल)

अध्यक्ष महोदय, सदन को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले बजट अधिवेशन में मकराना से आने वाले माननीय विधायक ने एक प्रश्न खड़ा किया था कि जो 31 खानें अलाट की जा रही हैं और उनके लिये जो अर्जियां आई हैं वे वहां के खानधारियों की और नौकरों की हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के नौकरों की है, जो मेनुअल लेबर हैं। उनकी है। खानों के अलाटमेंट में ईमानदारी बरतने की इनको शका है। इस तरह की बात मकराना से आने वाले माननीय विधायक ने कही। माननीय विधायक मकराना से आते हैं वहां पर संगमरमर की खानें हैं। मैं उनकी राय को बहुत महत्व देता हूं। इस प्रश्न पर उनकी राय को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कुछ समय के लिये अलाटमेंट की प्रणाली से उन खानों को अलाट करना बन्द कर दिया। उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के खनिज अधिकारियों का, पट्टेधारियों का और राजस्थान के विधायकों का उदयपुर में 7-8 मई को एक सम्मेलन बुलाया गया। उस सम्मेलन में बड़े विस्तार से चर्चा की कि मकराना की खानों को किस तरह से अलाट किया जाये, इस बात की वहां पर चर्चा की गयी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि जो तकनीकी राय और विशेषज्ञों की राय आई और जो स्थिति सामने आई वह यह आई कि अगर मेनुअल लेवर को भी खान के दोहन का काम दिया जाये तो 50 हजार की पूंजी लगानी पड़ेगी। दूसरे अगर कोई वैज्ञानिक उपकरणों के साथ इन खानों का दोहन कराना चाहे तो भी उसमें कम से कम 2 लाख की पूंजी लगानी पड़ेगी। इन दोनों ही स्थिति में जो एम्प्लायमेन्ट का आधार है, वहां मैनुअल लेवर काम करेगा तब भी 15-20 आदमी लगाये जायेंगे और यदि मशीनों के आधार पर काम चालू होगा उसमें भी 15-20 आदमी खपाये जा सकेंगे।

इसके बाद दूसरी स्थिति और सामने आई। पिछली बार जैसा मकराना से आने वाले माननीय विधायक ने एक सवाल उठाया कि खानों में पानी भर गया है। जब मैंने उसको देखा और विभाग के द्वारा सर्वे कराया तो पानी भरने का कारण मालूम हुआ कि मकराना की खानें सदियों से चली आ रही हैं और वैज्ञानिक तरीके से खनन कार्य नहीं हो रहा है अव्यवस्थित तरीके से खनन कार्य हो रहा है। ठीक ढंग से सर्वे और वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से कार्य नहीं होने के कारण इस तरह की स्थिति पैदा हुई है कि वहां पानी भर जाता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और सम्मेलन में विस्तार से चर्चा होने के बाद यह जानकारी हुई कि 50 हजार रुपये के बिना साधारणतया एक मैनुअल लेबर काम नहीं कर सकता। यह जानते हुये कि कोई अनुसूचित जाति या जनजाति का आदमी साधारणतया 50 हजार रुपया नहीं लगा सकता इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि इन खानों के पट्टे नीलामी से दिये जायें।

इसके बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा आसान आरोप लगाया और कहा कि भ्रष्टाचार मिटाने की घोषणा की जाती है। भ्रष्टाचार मिटाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन कुछ निहित स्वार्थों को आगे लाने के

(श्री कैलाश मेघवाल)

लिए जिस तरह से आरोप लगाये जाते है मैं विश्वासपूर्वक, माननीय अध्यक्ष, कहना चाहता हूं कि जिन तीन खानों के लिए कहा जा रहा है इनके बारे में माननीय विधायक स्वयं इस बात को जानते हैं कि कोई पार्टी है जिसका राज्य सरकार के साथ समझौता हुआ था कि कोटपूतली में उसकी कुछ खानें थीं कि यह खानें सरकार एक्वायर कर रही है तो उसको मकराना में दूसरी खानें दे दी जायें। उसी आधार पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस पार्टी को मकराना की तीन खानें उसके बदले दी गई। मैं उस पार्टी का नाम तो नहीं जानता लेकिन ऐसा हुआ।

आप बैठ जाइये, आपने आरोप लगाया। आप सुन लीजिए।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि वह तीन खानें एक आदमी, जिसका नाम याद नहीं है, को राज्य सरकार के समझौते के अनुसार अलॉट की गई। अब 31 खानों मे से 3 खानों को इस तरह से अलॉट कर दिया गया और बाकी रह गई 28 खानें, उनको नीलामी पर चढ़ाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। मुझे मालूम पड़ा कि इसमें कुछ सन्देह व्यक्त किया जा रहा है। तो, माननीय अध्यक्ष जी, जिस रोज मेरे ध्यान में यह लाया गया उसी रोज मैंने कह दिया कि जब तक विस्तार से मैं इस केस को नहीं देख लूं और राज्य सरकार दूसरा निर्णय नहीं ले तब तक यह खानें रोक दी जायें। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसलिए नहीं कि कुछ स्वार्थी लोगों को संरक्षण देने के लिए गलत आरोप लगाये जायें। मैं इस पृष्ठभूमि में निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब खानें नीलामी पर चढ़ाई गई तब मालूम था कि जो सदियों से काम करने वाले लोग हैं उनके कुछ स्वार्थो पर चोट पड़ेगी या जो लोग अपनी मोनोपाली समझकर चलाना चाहते हैं उनके ऊपर आघात पहुँचेगा· · ·

श्री अब्दुल अजीज : उनका नाम लेकर कहें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मुसलमान और हिन्दू का सवाल खड़ा किया जाता है मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय विधायक ऐसी बातें करते हैं। मैं मकराना से आने वाले माननीय विधायक को जिम्मेदार मानते हुए कहना चाहता हूं कि नीति संबंधी निर्णय लिया जाता है उसमें हिन्दू मुसलमान का सवाल नहीं लाये। जब व्यक्तिगत चार्ज लगा तो आपने कहा कि आप जनसंघ घटक से आने वाले हैं इसलिए आप चोट कर रहे हैं। मैं, माननीय अध्यक्ष जी, कहना चाहता हूं कि, हम नीति संबंधी निर्णय लेते हैं तो उसमें जातिवाद और सम्प्रदायवाद की बात लाकर वातावरण को रंग देने की कोशिश की जा रही है यह शर्म की बात है। मैं चाहता हूं कि आइन्दा ऐसा नहीं किया जाये। इस पृष्ठभूमि में मैं सदन के विरोधी पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य को सारी पत्रावलियां दिखाने को तैयार हूं। कांग्रेस (आई) के विधायक है सदन में मैं उनको सारी पत्रावलियां बताने को तैयार हूं। आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री स्तर पर

(श्री कैलाश मेघवाल)

भ्रष्टाचार है यह जो आरोप लगाया गया है यह बिल्कुल गलत है। अगर विरोधी दल के नेता उन पत्रावलियों को देखकर कह देंगे कि इसमें कोई गलत बात हुई है तो मैं त्याग पत्र देने के लिए तैयार हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने माननीय विधायक को विश्वासपूर्वक कई बातें कहीं और सरकार की नीति बताई, हम चाहते हैं कि मकराना में जो सदियों से खानें चली आ रही हैं उनका वैज्ञानिक ढंग से विकास जो अभी तक नहीं हो रहा था वह किया जाये। उसमें जिस तरह के लोग लगे हुए हैं, आज मेनुअल लेबर के नाम से जिन्होंने खानें ले रखी हैं और बेनामी ट्रान्जेक्शन हो रहे हैं और उनके संरक्षण के लिए जैसी बातें कही जाती हैं वह नहीं कही जा सकतीं। मैं चाहता हूं कि खनन नीति के बारे में सदन चाहे तो पूरी तरह से बहस कर ले, मुझे एतराज नहीं होगा। मकराना की खानों के अलाटमेंट को स्थगित कर दिया गया। आपने आन्दोलन कराया और मजदूर मेघवाल ने मंत्री मेघवाल के खिलाफ आमरण अनशन किया। यह जिस तरह से वहां हुआ वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। 50 हजार लगाने वाले किसी व्यक्ति से अगर आप अपना काम चलाना चाहें तो राज्य सरकार इस तरह के षडयंत्र को कभी बरदाश्त नहीं करेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कई जगह ऐसी शिकायतें हैं।...

श्री अब्दुल अजीज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी त्याग पत्र देने के लिए तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में और कह दीजिए।

श्री रामकरण सिंह : पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री ने कोटपूतली में 3 खानें वितरण करने की बात कही है और उसके बदले में वहां तीन खानें देने की बात कही है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की मार्फत सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि वह 12 लाख रुपये में बेची गयी। उनको खरीदने वाले लोग मौजूद हैं और इसकी जानकारी माननीय मंत्री महोदय को भी है, उद्योग मंत्री को भी है, वास्तव में अगर एक्वायर करने की बात है तो पुनः मंत्री जी इस बात को कहें। राजस्थान की बहबूदी के लिये सीमेन्ट के लिए अगर एक्वायर कर रही हैं तो ऐसी घोषणा सदन में कर दें। यह मैंने सूचना चाही है।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भीलवाड़ा, उदयपुर के अन्दर जिन लोगों को सोसाइटी बनाकर खानें दी गई हैं तो क्या मंत्री महोदय यह फर्मा सकते हैं कि यहां सोसाइटी क्यों नहीं बना सकते थे ? आप कर्ज देकर वहां अधिक से अधिक खानें गरीब और हमेशा से काम करते आये लोगों को दिला सकते थे।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं यही निवेदन कर रहा था मुझे वक्तव्य पूरा करने से पहले बैठना पड़ा। मैंने प्रयत्न किये हैं कि वहां के मजदूर कोआपरेटिव सोसाइटी बनायें, जनजाति के व्यक्ति अपनी सोसाइटी बनायें; 50 हजार का मिनिमम इन्वेस्टमेन्ट चाहिये। वह इन्वेस्ट करें। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार की सहकारी समितियों को पहले खानें मिलेंगी....

श्री अब्दुल अजीज : नाम मत लीजिये गरीबों का।

श्री कैलाश मेघवाल : केवल मकराना से आने वाले विधायक ही नहीं, जो दूसरे विधायक हैं, वे भी मेरे पास आये थे। जो स्वयं शिड्यूल्ड कास्ट्स के हैं, वे अभी यहां नहीं हैं, नहीं तो मेरी बात की पुष्टि करते। मैंने कहा था कि आप इन मजदूरों की सहकारी समितियां बनायें, जो दूसरे गरीब लोग हैं उनकी सहकारी समितियां बनायें और उनकी हैसीयत इस स्टेज पर ले आयें कि 50 हजार की पूंजी लगा सकें हमें कोई एतराज नहीं होगा। हम राज्य सरकार की नीति में बदलाव करेंगे। जहां हमें यह मालूम पड़ेगा कि इस तरह से गरीबों को लाभ मिल सकता है, मजदूरों को लाभ मिल सकता है तो राज्य सरकार अपनी नीति को बदलने में, नियमों को बदलने में पीछे नहीं रहेगी।

श्री रामकरण सिंह जी ने प्रश्न उठाया उसकी विस्तार से मुझे जानकारी नहीं, जितनी रिपोर्ट मालूम थी, एटरेण्डम जवाब देना पड़ा है, वह मैंने आपके सामने रखा है। आपको विश्वास दिलाता हूं कि मकराना की खानों के बारे में जो भी नीति गरीबों के हित में होगी, उस नीति को राज्य सरकार अपनायेगी।

श्री माधो सिंह (रेवदर) : यह घोषणा आप अभी खानों के बारे में कर चुके हैं कि आपने उन खानों की नीलामी और अलाटमेन्ट करना बन्द किया है। अगर सहकारी समितियां बन जाती हैं तो क्या उनको ट्रांसफर की जायगी? उनको वापस अलाट कर देंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : बन्द इसलिये ही कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल वर्मा : उनको रोक दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। श्री अब्दुल अजीज।

श्री अब्दुल अजीज : आपने कहा मकराना की खानों को चलाने के लिये 50 हजार रुपये की जरूरत पड़ेगी...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में समाप्त करें। दो मिनट।

श्री अब्दुल अजीज : मैं बिल्कुल टू दी पाइन्ट अर्ज कर रहा हूं। सैंकड़ों सालों से खानें चल रही हैं। मुझे भैरोंसिंह जी शेखावत, मुख्य मंत्री जी ने पत्र लिखा कि राजस्थान में मुसलमानों की समस्याओं को कैसे सुधार सकते हैं? मैंने कहा कि आपने केवल मुसलमानों की समस्याओं के बारे में ही क्यों पूछा मैं सभी लोगों की बात कहने के लिये तैयार हूं। सभी वर्ग के लोगों की बात पूछते तो बहुत अच्छा होता। मैंने कभी मांग नहीं की कि मुसलमानों को प्राथमिकता दी जाये...

(व्यवधान)

उनको काम दिया जाये। अगर वे काम करते हैं तो उनको काम दिया जाये। 50 हजार किसने दिया? उन जमीनों से करोड़ों रुपया लाकर दिया। राज्य सरकार की क्या देन है? मजदूरों ने अपनी जान खपाई, आपने क्या दिया? यह 50

(श्री अब्दुल अजीज)
हजार का नाम लेते हैं। मजदूर हाथ से काम करता है···

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा: बिना मशीनों के····

श्री अब्दुल अजीज : आपने कहा 50 हजार की लागत से काम शुरू होता है यह झूठ है। केवल 10 मजदूर चाहिये, एक क्रेन चाहिये····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये मैं अर्ज करूंगा···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मकराना में खानों के वितरण की प्रणाली मजदूरों के हक में हो यह आपके माध्यम से अनुरोध है। मालदार लोग रुपया तो लगा सकते हैं लेकिन हाथ कहां से लायेंगे ? अगर सही मायने में सरकार चाहती है कि मजदूरों के हित में काम हो तो जो हाथ से काम करते हैं उन्हीं को आगे बढ़ाइये। उनके हाथ मजबूत कीजिये। जो करोड़पति बम्बई से चले आ रहे हैं, आपको उनसे रुपया तो मिल जायेगा लेकिन वे हाथ कहां से लायेंगे ? मैं आपके विभाग को चुनौती देना चाहता हूं कि विभाग एक भी खान को चलाकर बताये। बड़े से बड़े इन्जीनियर को आप ले जायें और खान चलाकर बतायें, यह मैं चुनौती देता हूं। आप सिर्फ करोड़ों की आमदनी लेना चाहते हैं। आप अपने चुनाव के लिए राशि लेना चाहते हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अर्ज करूंगा कि मजदूरों को खानें दीजिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, आपको भी अहसास होगा, यह कोई मुश्किल सवाल नहीं है जिसे मन्त्री या मुख्य मन्त्री हल नहीं कर सकते। वितरण प्रणाली ठीक की जा सकती है। इस प्रणाली में राज्य सरकार से भूल हुई है, आपके माध्यम से दरख्वास्त करता हूं कि वहां जो लोग हाथ से काम करते आ रहे हैं, उनको राज्य सरकार काम दे।

श्री मथुरादास माथुर : यह मसला अहम हो गया है। इस सम्बन्ध में एडजार्नमेंट मोशन है इसके सम्बन्ध में, मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि आपकी पार्टी···

श्री अध्यक्ष : इलूसिडेशन का पाइन्ट है ?

श्री मथुरादास माथुर : आपकी पार्टी की एम्पलायमेंट के बारे में सन आफ दी सोइल की थ्योरी है। दूसरी बात यह है कि आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण द्वारा राज्य सरकार की इस नीति की घोषणा की है कि अगर किसी के पास पैसा न हो तो सरकार पैसा बैंक से लोन के रूप में प्राप्त करा कर मजदूरों को ही खानें देगी और बेनामी ट्रांजेक्शन को रोका जायेगा। यह नीति कायम रहेगी या नहीं ? यह दो बातें बता दीजिये। सन आफ दी सोइल को एम्पलायमेंट देंगे और जो मजदूर खानें खोदते हैं उनको ही खानें दी जायेंगी, इन दोनों नीतियों के बारे में बता दीजिये? 25 या 50 हजार रुपया दिलायेंगे। बैंक से या सहकारी समिति द्वारा कर देंगे यह बता दें कि किस तरह से देंगे। उनके पास हाथ है,

(श्री मथुरा दास माथुर)
पैसा नहीं है। क्या सरकार द्वारा वितरण प्रणाली में तबदीली लाने की कोशिश की जा रही है या नहीं की जा रही है ? यह मन्त्री महोदय बतायें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। आपने बताया कि खनन के लिये 50 हजार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या मंत्री महोदय महसूस करते हैं कि यह गरीब तबके के व्यक्ति के लिये सम्भव है ? वे 50 हजार रुपये की पूंजी जुटा सकेंगे ? इसमें मुझे शंका है। सरकार का क्या रोल रहेगा, कृपया मुख्य मन्त्री बतायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की तो खुशी है कि माननीय मथुरादास जी माथुर ने अप्रत्यक्ष रूप से इस बात की तो प्रशंसा की कि सरकार ने जो गरीबों को खानों के पट्टे देने की नीति घोषित की है वह सही है और उसी रूप में चलनी चाहिये।

एक माननीय सदस्य : नहीं चल रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बन्द कर दूं उसको।

कई माननीय सदस्य : चलाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे साथ ही इस बात की भी खुशी है, माननीय माथुर साहब ने कहा कि खानों के जो बेनामी ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी भी रोक-थाम की जानी चाहिये। इस सदन को इस बात की तो जानकारी होगी कि हमने अपनी नीति के अनुसार भीलवाड़ा जिले में और अभी हाल ही करौली क्षेत्र में खानों के पट्टे उन गरीबों को दिये हैं जिन गरीबों को आप पिछले 30 वर्षों में भूल गये थे। खानों के पट्टे वे ले सकते हैं, यह वे पिछले 30 वर्षों में स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे।

इस समय सही आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं कि भीलवाड़ा के कितने गरीब लोगों को खानों के पट्टे दिये गये हैं।

एक माननीय सदस्य : जोधपुर में भी दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जहां जहां दिये हैं, माननीय सदस्यों को भी जानकारी है। मकराना में खानों के पट्टे दिये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य कई बार मुझ से मिले थे और मुझ से मकराना की खानों की समस्या के बारे में जिक्र किया था। अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि मकराना की खानों में जितनी पूंजी के विनियोजन की आवश्यकता है, यदि वह आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो चाहे मजदूर खुद खान के पट्टे लेकर काम करना चाहे, वह नहीं कर पायेंगे। उनके पास पूंजी का अभाव है तो यह उनकी विवशता है। यदि उनको पट्टे दिये भी जाते हैं तो पूंजी के अभाव में जिन लोगों के पास साधन हैं, उनके चंगुल में फंसते हैं। यह मेरा अनुभव है और मैं समझता हूं कि माननीय अब्दुल अजीज साहब को भी होगा। गरीब को कोई काम दिया जाय, उस काम को करने के यदि उसके पास साधन नहीं है तो साधन वाले व्यक्ति उस व्यक्ति का एक्सप्लोईटेशन करने के लिए तैयार होंगे। मकराना में भी इसी प्रकार की समस्या है। आज मकराना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं खानों को खोदने के लिए क्रेन चाहिए और दूसरे साधन चाहिये। उन सब में आखिर पैसों की आवश्यकता होगी। हम गरीब को पट्टा दे दें और वह उस प्रकार की मशीनरी नहीं खरीद सके तो निश्चित रूप से वह कर्ज लेगा। कर्ज भी ऐसे समय में नहीं ले सकता है जब उसको बचत न हो तो मेरा निवेदन है कि वह कर्जा उसको संकट की स्थिति में डाल देगा। इसलिए हमने इस प्रश्न पर यह विचार किया है कि खान का अलाटमेंट इन्डिविजुअल को न देकर यदि मेनुअल लेबर करने वाली एक को-आपरेटिव सोसायटी बना लेते हैं तो उस कोआपरेटिव सोसायटी को अलाटमेंट किया जाय। अब कोआपरेटिव सोसायटी को वित्तीय संसाधनों से कितना कर्जा मिल सकता है, वह अलग बात है। मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं इन पट्टों के मामले को लेकर आप कहें कि जिस प्रकार के लोगों को अलाटमेंट करना चाहते हैं उनको नहीं कर पाये, तो इसमें एक मोटिव यह है कि अमुक आदमी ने भ्रष्टाचार किया है, अमुक आदमी ने पक्षपात किया है, मैं समझता हूँ माननीय सदस्य जोश में यह कह जाय और हम उसको सुनने के लिए भी तैयार हैं लेकिन वस्तु स्थिति को वे खुद समझते हैं। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं. . . .

श्री अब्दुल अजीज : तीन खानों के कैसे दिये. . . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह सुझाव दें कि लेबर को किस प्रकार अकामोडेट किया जा सकता है और किस प्रकार कोआपरेटिव सोसायटी बनाई जा सकती है। यदि इस प्रकार की कोई बात कहे तो मैं उसका स्वागत करूंगा। आप लेबरर्स को इस प्रकार तैयार कर दें कि कोआपरेटिव सोसायटी बनाकर सरकार के सामने आवेदन–पत्र दें वरना मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी गरीब को बड़ी खान देने का मतलब यह होगा कि गरीब आदमी के नाम पर बड़े आदमी काम करना चाहते हैं और बेनामी ट्रांजेक्शन के नाम पर पूंजीपति गरीबों का शोषण करना चाहते हैं। हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। हम लगातार इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनको पट्टे दिए हैं वे स्वयं काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमको जहां जहां जानकारी मिलती है, उसकी जांच करते हैं। मैंने स्वयं ने भी इस बात की जांच की है कि किसी मेघवाल को दिया, मुसलमान को दिया या और किसी गरीब तबके को दिया तो कहीं उसमें ऐसा तो नहीं है कि पूंजीपति घुस गया हो। इसलिए विश्वास करके चलिए कि यदि इस प्रकार की कोआपरेटिव सोसायटी का निर्माण करते हैं तो उसकी उपेक्षा नहीं की जायगी और प्राथमिकता दी जायेगी।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्था है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : इसमें कौनसा ऐतराज है. . . . .

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी मर्जी है लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि कोआपरेटिव

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
सोसायटी बनाने से 50 हजार की व्यवस्था कहां से हो जायेगी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकरण सिंह : अध्यक्ष महोदय मेरा स्थगन प्रस्ताव है ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, आप गरीबों को पट्टे देकर पूंजीपतियों को गरीब के पास लायेंगे नहीं तो पूंजीपति के पास गरीब को जाना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको क्या कहना है ?

श्री रामकरण सिंह : मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : किस बारे में है ?

श्री रामकरण सिंह : खाद और बीज के बारे में ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव मरुंडी नदी के पुल के निर्माण के बारे में दिया है। इस बारे में माननीय मन्त्री महोदय को दरख्वास्त दी थी कि इस पुल की वजह से पिछले 10 माह से सारा आवागमन ठप्प पड़ा हुआ है । जरा सा पानी आने से सारा जिला हैड क्वार्टर कट-आफ हो जाता है । अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले इसका प्रावधान करके मंजूरी दी थी परन्तु मुझे आपके जरिये राज्य सरकार को यह कहना है कि इसमें बिल्कुल काम नहीं हुआ है । यह क्यों नहीं हुआ है, यह मैं राज्य सरकार से जानना चाहता हूं । राज्य सरकार की क्या जिद है ? जालौर के सब डिविजन के ए.ई एन. को मरूंडी लगा दिया और उसको सिरोही में डाल दिया। सारे विधायक और संसद सदस्यों ने कलेक्टर महोदय को लिखा है कि कृपया जालौर के हित में इसका वापस ट्रान्सफर कर दीजिये, पुल जालौर के बिल्कुल पास में है लेकिन माननीय मंत्री जी यह कहते हैं जालौर जिले में पैसों का हिसाब बैठता नहीं है । मैं कहता हूं सिरोही जिले में जब से गया है सारा प्रोविजन सिरोही खण्ड में चला गया है, जालौर के पास रहा ही नहीं है प्रोविजन । मेरा निवेदन है कि जालौर में ट्रान्सफर करके कुछ प्राविजन कर दीजिये। सिरोही में रखने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, किसी प्रकार का तालमेल बैठता नहीं है। माननीय मंत्री जी ने मेरी दरख्वास्त पर आदेश दिया था कि सब डिविजन का 15 दिन में ट्रान्सफर हो जायगा। इतना कहने के बाद भी क्या राज्य सरकार की जिद है । भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य को जवाब दिया कि जल्दी से पुल निर्माण करने के हित में सिरोही ट्रान्सफर किया है । जब से यह सब-डिविजन ट्रान्सफर हुआ है मैं पूछना चाहता हूं कितने रुपयों का काम हुआ है ? हम तो यह कहते हैं इसका वापस जालौर ट्रान्सफर कर दीजिये ।

तो इसमें जिद् क्या है ? आपको पैसा मिला हुआ है लेकिन काम नहीं हो रहा है। सिरोही में क्या उपयोग है इसका ? यह आपके डिपार्टमेंट का कदम कोई मायने नहीं रखता है। इस पुल की वजह से सारा जिला

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

हैड क्वार्टर और सब डिविजन कट आफ हो जाता है। इसको बनाने के लिए प्रोविजन मौजूद है। जब बडगांव का पुल छः महीने में पूरा किया जा सकता है तो मरूंडी नदी का पुल क्यों नहीं किया जा सकता है ? यह मैं पूछना चाहता हूं । यह स्वीकृति प्राप्त होने के बाद भी ए. ई. एन. नदी पर बैठा हुआ हवा खा रहा है। उसके पास कोई काम नहीं है, कहां गया ठेकेदार इसका भी पता नहीं है। जब मुख्य मंत्री महोदय वहां पर गए तो उन्होंने देखा था कि बडगांव का पुल बन गया है। उस समय कहा गया कि सब डिविजन को सिरोही में ट्रान्सफर करने से काम जल्दी पूरा हो जाएगा, लेकिन इस समय कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि पब्लिक के हित की बात को मानें। सभी विधायकों ने प्रस्ताव किया है, पत्र लिखा है आपको, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप स्वयं जाकर देख लें और सब डिविजन को वापस ट्रांसफर कर दें ताकि काम पूरा हो जावे। वरना आपका जवाब बिल्कुल गलत है। पहले ट्रांसफर नहीं हुआ तब तो काम हुआ और अब ट्रांसफर होने के बाद काम नहीं हो रहा है, यह जवाब बिल्कुल गलत है, असत्य है। मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में कोई निर्णय लें। और जनता के हित में जो भी आवागमन की कठिनाई है उसका समाधान हो सके, आवागमन सुचारु रूप से चल सके इसके लिए कार्यवाही करें।

श्री जयनारायण पूनिया (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मरूंडी नदी के बारे में कुछ तथ्य पेश करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया गया है वह बिल्कुल उलटा सुलटा जवाब दिया गया है। छः महीने से कोई ठेकेदार वहां किसी तरह का काम नहीं कर रहा है। मरून्डी के पुल के नहीं होने से जिला हैड क्वार्टर से भीनमाल कट आफ है। हमने पिछले बजट सत्र में भी इस बारे में निवेदन किया था लेकिन सब डिविजन को ट्रांसफर कर देने से कोई काम नहीं हो रहा है। ठेकेदार ऐसा लगा दिया है जिसकी क्षमता नहीं है काम करने की। मेरा निवेदन है कि जो ठेकेदार कार्य नहीं कर सके, छः छः महीने से काम नहीं कर पाए, जिस ठेकेदार का पता नहीं है, ऐसे ठेकेदार को तुरन्त बदला जाय और दूसरे ठेकेदार को काम दिलाया जावे। यह इस क्षेत्र की बड़ी भारी समस्या है। जिला हैड क्वार्टर, सब डिविजनल हैड क्वार्टर भीनमाल से कट आफ है। इस समस्या को हमेशा के लिए हल करने के लिए मंत्री महोदय जल्दी निर्णय लें।

श्री जयनारायण पूनिया : अध्यक्ष महोदय, मरुन्डी नदी का जो पुल है वह जालौर जिले में वर्क लोड ज्यादा होने से और पुल को अति शीघ्र पूरा कराने के लिए ही सिरोही डिविजन में ट्रांसफर किया गया था। अगर बरसात की वजह से काम में ढिलाई रही तो यह बात तो दूसरी है लेकिन अब इस पुल को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। वैसे अगर उस जिले में ट्रांसफर करने की जरूरत हुई तो वह भी कर देंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो साबित हो गया है कि काम नहीं हुआ।

श्री सूरजपाल सिंह : ठेकेदार ने कोई काम नहीं किया है।

श्री मथुरादास माथुर : अब कह दिया है कि जल्दी करा देंगे।

श्री रामकरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, कृषि सम्बन्धी आवश्यक चीजें किसानों को समय पर मिलनी चाहिए वे नहीं मिलती है, इस सम्बन्ध में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था और मुझे विश्वास था कि किसानों की समस्या को बहुत अहमियत से आप समझेंगे लेकिन आपने इसे अस्वीकार कर दिया। खैर, इसके बारे में मैं केवल आपके सामने यही अर्ज करना चाहता हूं कि किसान को कृषि के समय जितना प्रोत्साहन दिया जावे, जितना बढ़ावा दिया जावे वह बढ़ावा किसान के हित में ही नहीं, देश के हित में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र के हित में है। क्योंकि आज कोई भी फैक्ट्री चलती है या कोई भी कारखाना चलता है वह किसाम की पैदावार के पीछे चलता है। किसाम को अन्नदाता कहते हैं लेकिन मेरी मान्यता है कि किसान सर्वदाता है, केवल अन्नदाता ही नहीं है। जब किसान को अन्नदाता ही नहीं बल्कि सर्वदाता मानेंगे तब आप देखेंगे कि देश, राष्ट्र बहुत उन्नति करेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज किसान के सामने जो समस्या है, खाद बीज, कुओं के लिए सीमेंट की जो किल्लत है उसकी ओर आप ध्यान दें। मैं मौजूदा सरकार को धन्यवाद देता हूं, खास तौर से शेखावत सरकार को, राज्य सरकार ने बजट बहुत बढ़ा दिया है और वह वास्तव में यह महसूस करती है कि इतना पैसा किसानों को दिया जाना चाहिए मगर जो योजना बनाई जाती है, अध्यक्ष महोदय, वह ऐसे लोगों द्वारा बनाई जाती है जो प्रेक्टिकली इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं। प्रेक्टिकली नहीं जानने के कारण जितना खर्चा किसानों के लिए किया जाता है वह सारा उनकी व्यवस्था पर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खर्च हो जाता है। अनाप-शनाप पैट्रोल, गाड़ियों पर खर्चा होता है। किसानों तक कुछ भी नहीं पहुंच पाता। आप देख लीजिए ग्राम सेवकों की योजना बहुत सालों से चालू है लेकिन ग्राम सेवक की डायरी उठा कर देखें कि वास्तव में उसने किसानों के साथ क्या सामंजस्य जोड़ा है। आज तक जितने भी जिला प्रसार अधिकारी हैं, कृषि प्रसार अधिकारी हैं किसी ने किसान से सामंजस्य नहीं जोड़ा है। इसी तरह से एक बहुत बड़ा अधिकारी है जिसको सफेद हाथी की संज्ञा दी गई है, वह सहायक निदेशक है जो सरकार के ऊपर बोझ है। मैंने खुद ने देखा है कि सरकार ने बहुत बड़ा बजट देकर, कारें देकर इसको साधन सम्पन्न तो बना दिया है। अनाप-शनाप इन पर खर्चा करती है लेकिन ये किसानों के पास कभी नहीं जाते बल्कि अपने दोस्तों के पास बातचीत करने जाते हैं, केवल अधिकारियों के पास चाय पीने जाते हैं। जिस तरह से एक फैक्ट्री का एजेंट काम करता है उसी तरह से ये काम करते हैं, किसानों से सामंजस्य कभी नहीं बिठाते। मुख्य मंत्री महोदय, मैं दावे से कहता हूं कि किसानों के नाम पर यह जो इतना बड़ा भारी खर्चा है यह किसानों के लिए कोई फायदेमन्द नहीं है। किसानों के साथ किसी प्रकार का, किसी तरह का सामंजस्य बिठाया नहीं जाता। किसानों से बात करना तक ये पसन्द नहीं करते।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री रामकरण सिंह)

इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा कि खाद और बीज जो इनको मिलता है वह ऐसे समय में मिलता है जब कि किसान खेत बो चुका होता है, काश्त कर चुका होता है। कुआ बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, और भी चीजें चाहिएं जिन्हें समय पर मुहय्या कराना राज्य सरकार का दायित्व है लेकिन समय पर कोई चीज नहीं मिलती। अगर समय पर खाद, बीज, सीमेंट वगैरह मिल जाय तो पैदावार बढ सकेगी और पैदावार के बढ़ने से देश सम्पन्न होगा, राष्ट्र सम्पन्न होगा और हर प्रकार की जिन चीजों की आवश्यकता है वह मिल सकेगी।

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना को एक अच्छे प्रेक्टिकल रूप में लेंगे तो किसानों का हित होगा।

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री जगतार सिंह कंग (करणपुर) : मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जयपुर में पांच तारीख की रात को डाका पड़ा है। मान्यवर, यह अहम मसला है हर एक की सुरक्षा का मसला है। हम तो यह सोचते थे कि आप सदन में इस पर चर्चा करने के लिये पूरा समय देंगे लेकिन आपने हमारे प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। मान्यवर, जैसा आपने पढ़ा भी है और सुना भी है, अपने जयपुर में प्रेम सांघी कृषि फार्म पर कुछ एक डाकुओं ने हमला किया, बच्चों को डराया, धमकाया और यहां तक कि टेलीफोन का कनेक्शन काट दिया और बुरी तरह से लूटा गया। यह ही नहीं पहनने का कोई कपड़ा तक नहीं छोड़ा। मान्यवर, माताओं, बहनों के गहने, जो कान में, गले में डाले हुए थीं, भी पिस्तौल की नोक पर उतरवा लिये गये। मान्यवर, इस तरह की घटना अगर जयपुर जैसे शहर में हों जहां कि हमारे मुख्य मंत्री, हमारे गृह मंत्री और हमारे पुलिस के उच्च अधिकारी रहते हैं उनकी नाक के नीचे ऐसी घटना होती है तो हम कहते हैं कि यह बहुत बड़ा सुरक्षा का सवाल है। हमारी सुरक्षा की क्या गारण्टी यह सरकार हमें दे सकेगी, यह हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं।

मान्यवर, इसी तरह से गंगानगर जिले में ग्राम 3-ओ तहसील करणपुर में डाका पड़ा है। मान्यवर, अभी तक किसी को भी पकड़ने में पुलिस कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है। इसी तरह से अगर पुलिस की व्यवस्था रहेगी तो किस तरह लोग अपने आपको सुरक्षित महसूस करेंगे ? आप हमारे गृह मंत्री महोदय से इस बारे में वक्तव्य दिलायें। वे बतायें कि इस तरह से डाके पड़ते रहे हैं इनसे कैसे लोगों की सुरक्षा हो सकेगी और पुलिस को भविष्य में क्या साधन देंगे, क्या व्यवस्था करेंगे जिससे इस तरह की डकैतियां नहीं हों। पुलिस इस समय कोई कार्यवाही करने में बिल्कुल असमर्थ है। माननीय गृह मंत्री इसके बारे में क्या कार्यवाही करेंगे, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह वास्तविकता है, यह सदन के लिये और हम सब के लिये एक बड़े दुख की बात है कि जयपुर शहर के इतने बड़े मार्ग

(श्री सम्पतराम)

पर एक भाई का सामान लूट लिया गया। वहां पर एक खिड़की थी उसको काट दिया गया और काट कर उस मकान में उन लोगों ने प्रवेश करके वहां के लोगों को डराया, भयभीत कर दिया। जहां तक जांच और मौके मुआयने से मुझे मालूम पड़ा है उनके पास ऐसे बड़े हथियार तो नहीं थे जिस प्रकार कहा गया है परन्तु फिर भी उनके पास ऐसी चीजें थीं जिनसे लोग भयभीत हो गये और जिनसे उनको डरा कर सामान को लूट लिया गया। इसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। एक स्क्वाड भी वहां पर भेजा गया। जिसकी वजह से काफी लम्बी दूरी पर एक ट्रान्जिस्टर और कुछ कपड़े वगैरह मिले हैं। इसके बाद वे लोग भाग गये। पुलिस काफी तत्परता से खोज में लगी है। मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से इन डकैतों को बरामद करेंगे और हमें कामयाबी हासिल होगी। यह दुख की बात है कि इस तरह की घटना हुई। इस घटना के बारे में जो कुछ भी कर सकते हैं, वह हम करेंगे। उत्तर प्रदेश और नागौर की तरफ भी कई लोगों को भेजा है। आम तौर से जो इस तरह की घटनाएं होती हैं। दूसरे जिलों में भी हुई हैं। अलवर जिले में भी एक-दो डाके पड़े हैं, मर्डर हुए हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि जो लोग पकड़े गये हैं वे मथुरा के पास के बावरियां हैं, जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं। वे सरलता से नहीं बताते हैं। इसकी सारी डिटेल मैं सदन को देना उचित नहीं समझता हूं और न यह जनहित में है। काफी कठिनाई और परिश्रम के बाद इस डाके का माल बरामद कर लिया गया है। मैं सदन को यही आश्वासन दे सकता हूं कि हमारी पुलिस और सरकार इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगी मेरा ख्याल ऐसा है कि शायद इस सदन में, चालू सत्र में ही इस प्रकार की कोई सूचना दे सकूंगा कि यह डकैती बरामद हो गई और मुलजिम पकड़ लिये गये हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जयपुर नगर के अन्दर दिन दहाड़े बैंक को लूट लिया गया, एक बड़े व्यापारी के मकान के अन्दर घुस कर उसको लूट लिया गया, लाखों का माल लूट लिया गया, एक बच्चे का मर्डर कर दिया गया, इन तीनों में से किसी भी मुलजिम को आज तक नहीं पकड़ा। तो क्या गृह मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि किस नैतिकता के नाते वे अभी तक गृह मंत्री के पद पर बने हुए हैं ? क्या उन्हें इस पद पर रहने का नैतिक अधिकार है ? यह ताज्जुब की बात है कि आपकी पुलिस को एक भी केस में आज तक कामयाबी नहीं मिली। दिल्ली के अन्दर गीता और संजय के हत्यारों को तत्परता के साथ पकड़ लिया गया और यहां पर एक बच्चे को मारने वाले का आज तक पता नहीं लगा। दिन दहाड़े बैंक को लूट लिया गया, बैंक में डकैती हो गई किन्तु आज तक कोई उसका सुराग पुलिस को नहीं मिला। यह जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इस राजधानी के अन्दर, राज्य के प्रमुख नगर के अन्दर इस प्रकार की स्थिति है तो, मान्यवर, आप अन्दाजा लगाइये जो गांव, शहर इन्टीरियर में हैं, धौलपुर, करौली, गंगानगर, वहां का क्या हाल होगा ? यह आप अन्दाज लगा सकते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आपको क्या अधिकार है गृह मंत्री बने रहने का ? आज राज

(श्री रामनारायण चौधरी)

धानी के लोगों में एक भय व्याप्त हो गया है, असुरक्षा की भावना बलवती हो गई है। ऐसी हालत में आपको गृह मंत्री बने रहने का क्या अधिकार है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : जिनके जमाने में पहले डाके पड़ते रहे वे जैसे मंत्री बने रहे वैसे ही अधिकार है ?

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि कभी कभी आदमी पथभ्रष्ट होकर रास्ते पर आ जाता है, वैसे ही नैतिकता की बात करने लग जाता है इसको मैं स्वीकार करता हूं। नैतिकता पहले की सरकार की कितनी थी और आज की सरकार में कितनी है, इसका तो आप स्वयं ही चिन्तन करें तो अच्छा होगा।

श्री नूरा (मसूदा) : उस राज्य सरकार में भी आप रह चुके हैं ? और इस सरकार में भी आप हैं ?

(व्यवधान)

इसलिए आप ऐसी बात नहीं कह सकते।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : राजधानी में डाका पड़ गया इससे हमारे मुख्य मंत्री और उनकी सरकार की बदनामी हो रही है। आप हट जाइये ताकि मुख्य मंत्री अच्छे मंत्री को नियुक्त कर सकें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस प्रकार की घटनाओं से सब को चिन्ता होती है। पुलिस विभाग पर यहां पर चर्चा होगी। यदि आप जानना चाहें कि कितनी डकैतियां हुई हैं और कितनी हत्याएं हुई हैं, उनके सम्बन्ध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की – यह आप सुन लेंगे तो आपको आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। डकैतियां हुई हैं, डकैतियों को किस सीमा तक पुलिस ने पकड़ा है और माल बरामद किया है और किस ने आत्म समर्पण किया है, वह माथुर साहब भी जानते हैं कि कैसे आत्म समपर्ण होता है...

श्री मथुरादास माथुर : मुझे इसमें मत घसीटो। मैंने आत्म समर्पण बन्दूक की नोक पर कराया है और उनसे आत्म समर्पण कराया है जिन पर राज्य सरकार ने चार, पांच लाख रुपया इनाम का घोषित किया था। कोई कैटल लिफ्टर से आत्म समर्पण नहीं कराया है।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : यह आपस में क्या आदान प्रदान हो रहा है ? क्या आपने माथुर साहब से प्रेरणा ली है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे इस बात की खुशी है कि आपने बन्दूक की नोक पर आत्म समर्पण कराया है लेकिन किसी को सजा नहीं मिली। भगवान जाने वह क्या चमत्कार था....

श्री मथुरादास माथुर : सजा मिली है, मुकदमा चला है, सजाएं मिली हैं और बाकी जो गोली से मर गये उनको क्या सजा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गोली से उड़ा दिया यह भी प्रक्रिया अच्छी थी। गोली से मार कर आत्म समर्पण कराया। मैं सदन को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो डकैतियां हुई हैं उनके लिए दुःख है। उनकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिये यह सरकार और पुलिस विभाग व्यवस्था कर रही है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जो घटनाएं हुई हैं उसकी किस प्रकार से रिकवरी हो और दोषी आदमियों को पकड़ा जाए इसका पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हृदय परिवर्तन करा कर किया है इसके लिए आपको नोबल पुरस्कार मिलना चाहिए। सभी डकैतों का आपने हृदय परिवर्तन कर दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हृदय परिवर्तन की कार्यवाही, पहले की सरकार ने ही शुरू की थी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप भी उन्हीं पद चिन्हों पर चल रहे हैं।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, श्री द्वारका दास, एस. डी. एम. कोर्ट रायसिंहनगर, जिला गंगानगर में भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनकी एक मुख्य मांग यह है कि गंग नहर की पुलियाओं के निर्माण कार्य को नहीं किया जा रहा है जिससे काश्तकारों को आने जाने में काफी असुविधा हो रही है। कृषि उपज मंडी रायसिंहनगर ने इन पुलियाओं का निर्माण करने के लिए दो साल पहले विभाग के पास पैसा जमा करा दिया था। पैसा जमा कराने के बाद भी आज तक इन पुलियाओं का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है जिससे जो लोग साधनहीन हैं, उनकी समस्या गंभीर हो गई है। कृषि उपज मंडी ने सिंचाई विभाग को इन पुलियाओं के निर्माण के लिए पैसा जमा करा दिया है और वहां के लोगों ने मुख्य मंत्री को भी एक ज्ञापन भेजा, सिंचाई मंत्री को भी भेजा और सारे विभाग को, उनके अधिकारियों को ज्ञापन दिया परन्तु इन पुलियाओं का निर्माण न करने से वहां के काश्तकारों को परेशानी हो रही है। इसके बावजूद कार्यवाही नहीं हो रही है। ऐसी हालत में उन को भूख हड़ताल का आज 12 वां दिन है। उन्होंने एक कपड़े पर यह लिख रखा है कि "यह भूख हड़ताल तब तक चलती रहेगी जब तक मेरा शव इस कपड़े के साथ न जाएगा।" "यह भूख हड़ताल तभी खतम होगी, जब या तो मांग मन्जूर होगी या मेरा शव यहां से हटेगा।" यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। यह वहां के इलाके की एक बहुत बड़ी मांग है। इस मांग की पूर्ति के लिए ही द्वारकादास भूख हड़ताल पर हैं और उनकी भूख हड़ताल का यह 12 वां दिन है। यह एक गंभीर समस्या है कि 11–12 दिन तक भूख हड़ताल चलती रहे और सरकार इस ओर ध्यान न दे। यह ताज्जुब की बात है कि इस भूख हड़ताल को समाप्त कराने के लिए अधिकारियों या सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस समस्या को हल कराने के लिए दो चार व्यक्ति और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यह एक अहम मसला है। मैं सिंचाई मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर अविलम्ब कार्यवाही करें। उनकी हालत गंभीर है। इतने लम्बे दिन तक भूख हड़ताल चले तो उनकी क्या हालत होगी, यह आप सोच सकते हैं। इस समस्या का हल कराने के लिए जो भूख हड़ताल हो रही है, रायसिंह नगर के एस. डी. एम. के आफिस के सामने, उस पर सरकार तत्काल ध्यान दे वरना वहां पर वह आन्दोलन और अधिक उग्र होगा। भूख हड़ताल लगातार चल रही है। इसलिए इससे पहले कि आन्दोलन और तेज न हो

(श्री नूरा)

जाय, जनता में जोश न फैले आप कार्यवाही करें। अगर कार्यवाही न हुई और उस व्यक्ति की जान खतरे में आ गई तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मैं आशा करूंगा कि आप जन-असंतोष को बढ़ने से रोकेंगे। आप भी इस बारे में हो सके तो सदन को जानकारी दें। इतना लम्बा समय बीतने के बाद भी इस पर कार्यवाही नहीं की है। मैं चाहूंगा कि आप जानकारी दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। आपने कहा कि सिंचाई मंत्री का मेमोरेण्डम दिया है, ऐसा कोई मेमोरेण्डम मुझे सिंचाई विभाग में प्राप्त नहीं हुआ। क्या स्थिति है, अगर वैसे हमारे पास आये हुए हैं, अगर सैंक्शन हुई है तो···

श्री नूरा : इसका मांग पत्र 19 को भेज दिया गया।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : मेरा नाम पहले है।

श्री अध्यक्ष : अभी कोई प्रस्ताव नहीं है मेरे पास।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : मुझे आपने आज्ञा दी थी, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में कहें।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : पांच मिनट मैं कहूंगा मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी लेकिन दुख है आपने इस भ्रष्टाचार के अहम मसले को स्वीकार नहीं किया। यह बहुत ही गंभीर मसला है इसलिये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं क्योंकि इस विषय पर माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत अहमियत देते हैं और इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। सदन में घोषणा करते हैं फिर भी कार्यवाही के नाम पर कुछ नहीं। मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसा व्यक्ति जो वहां सिरोही तहसील से हटा दिया गया उसी को दो माह बाद वापस लगा दिया गया। यही भ्रष्टाचार को पनपाने के लिये बहुत है। भ्रष्टाचार की शिकायत माननीय मुख्य मंत्री जी के सिरोही पधारने पर सरपंचों का डेपुटेशन उनसे मिला। डेपुटेशन मिलने पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने तहसीलदार का ट्रांसफर वहां से कर दिया। मुझे नहीं मालूम-माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश हुए या कैसे हुआ लेकिन हुआ उनके आदेशों पर उसकी जगह दूसरा तहसीलदार लगाया गया जिन्होंने वहां दो माह तक काम किया। उसके बाद वापस जिस आदमी की इतनी शिकायतें थी, जनता पार्टी की तरफ से शिकायत थी, जनता पार्टी के अध्यक्ष सुरेश डी. सुराणा द्वारा 23 सरपंचों की तरफ से शिकायत थी और तीन विधायकों के द्वारा शिकायत थी, जिनमें मेरा भी नाम था, जिला जनता पार्टी के अध्यक्ष, माननीय अलदाराम जी व अचलारामजी जनता पार्टी विधायक ने लिखित रूप से भी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था सभी तरफ से जितना भी रिप्रेजेन्टेशन करना चाहिए था, सरकार को रिप्रजेन्टेशन किया लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है ? मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस आदमी ने बड़े बड़े वहां पर भ्रष्टाचार किये हैं। जब उस जगह पर वह वापिस पहुंचा उसके बाद उसने फिर भ्रष्टाचार शुरू कर

(श्री माधोसिंह)

दिया है। उसकी फाइलें सील हो गई हैं। कलेक्टर महोदय को भी उसकी फाइलों पर आर्डर करने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्या राजस्थान तहसीलदार सर्विस में ऐसा कोई अन्य आदमी नहीं है जो सिरोही जिले में लगाया जा सके ? यह आदमी ही योग्य है ? यह पहले सस्पेन्ड हुआ फिर आहोर में दो दफा सस्पेण्ड हुआ है फिर भी वापस लाकर सिरोही में उसे लगाया जब कि इसे डिसमिस करना चाहिये था, मैं नहीं कहता कि ट्रांसफर किया जाय लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा जो भी शिकायत आई है आप उस पर ध्यान दें। सब से पहले विजिलेन्स कमेटी में वहां के दस व्यक्तियों ने एप्लीकेशन्स दीं। वजाराम साकिन नून से, उसने 300 रुपये लिये, प्रभूराम से 350 रुपये, राजगर बुलमा रघुनाथजी से 350 रुपये, कुम्हार रूपा मूला जी साकिन नून से 500 रुपये, भील हीरा पुत्र चमना जी सा. नून से 300 रुपये, भांबी ससांला पुत्र नरखा साकिन नून से 300 रुपये लिये। इतनी शिकायतें हैं, अध्यक्ष महोदय, इसके खिलाफ ये शिकायतें मैंने और इन दोनों माननीय सदस्यों ने दी हैं। इसके अलावा दूसरा चार्ज उन पर यह है, एक ठेकेदार ट्रांसपोर्ट की कई बसें थीं वे कुर्क हो गई थीं। उसने बसों के नम्बर तक बदल दिये। वह फाइल आज भी पेंडिंग पड़ी हुई है। मैं 7 तारीख को मीटिंग में गया था। जिलाधीश महोदय से अनुरोध किया लेकिन मेरी जानकारी के अन्दर अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। मेरा आपके द्वारा अनुरोध है कि अभी अभी हाल में और 7 आदमियों ने एफिडेविट देकर जिलाधीश को शिकायत दी है वे ही एफिडेविट रेवेन्यू मिनिस्टर को भी प्रस्तुत किये थे, मुख्य मंत्रीजी को पेश किये थे उन पर अभी कोई आदेश नहीं दिये गये हैं··

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष : महोदय, 1–2 मिनट।

इस आदमी को फिर वापस लगाया गया है। लगाने के बाद उसने रिकार्ड टेम्परविंद किया है। पूरी फाइलें बदल रहा है, पेपर्स फाड़ रहा है वे सभी सील हुई हैं लेकिन अभी किसी की हिम्मत नहीं कि उनको खोला जाय क्योंकि इसके पीछे ऐसे प्रभावशाली लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता और जरूरत पड़ी तो नाम भी लूंगा। जब कि हम 3 एम. एल. ए., 23 पंचायतों के प्रतिनिधि सरपंच और 5-7 गरीब तबके के आदमियों ने आपको रिप्रेजेन्टेशन दिये हैं और तार भिजवाये हैं इतना कुछ होने के बाद में रेवेन्यू मिनिस्टर को नाम पेश किये तो रेवेन्यू मिनिस्टर क्या कहते हैं ? मैंने उनको कहा चिट्ठी तो पढ़िये तो उन्होंने कहा क्या पढ़ना है ? ये अलदारामजी पास ही थे वहां के सरपंच भी साथ थे जिन जिन लोगों ने शिकायतें की हैं उनकी प्रतियां आप के पास है। माननीय मुख्य मंत्रीजी को दी हैं। इन लोगों की शिकायतों पर अभी तक ध्यान नहीं दिया है। फिर भी भ्रष्टाचार को मिटाने की बातें जोर शोर से करते हैं शर्म की बात है ये 23 सरपंचों के नाम हैं। यह फोटो स्टेट कापी लेकर मैं खुद आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ हूं। उसके बाद भी आप भ्रष्टाचार को सहते हैं इतने अहम मसले की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। वह किसी की परवाह नहीं करता। क्योंकि इसके पीछे एक प्रभावशाली सदस्य का हाथ है, वह लोगों को डरा रहा है। आपके सरपंच

(श्री माधोसिंह)
जिन्होंने रिप्रेजेन्टेशन दिये थे, को फंसाने की कोशिश कर रहा है। उनको 3–3 महीने की सजा दे रहा है। 91 की कार्यवाही के अन्दर मुख्य मंत्री महोदय, जो सरपंच सबसे पहले आपके समक्ष दूसरे सरपंचों के साथ पेश हुआ था उसको दो बीघा जमीन एन्डोर्समेन्ट्स, जो आज तक सिरोही जिले में नहीं हुआ, के मामले में फंसाया और 3 महीने की सजा दी। आज कलेक्टर महोदय उसकी जमानत स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मै उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डांगा : आप उन नामों को बता दीजिये...

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : मेरा यह निवेदन है, जिस जगह से ये पधारे हैं, वहां 5 गांव ऐसे हैं, जिनमें जागीरदारी रिजम्पशन होने के बाद गिरदावरी नहीं हुई है। तहसीलदार करना चाहते हैं तो उनको करने नहीं दी जाती है। लोगों ने 20 साल से एक पैसा जमा नहीं कराया है। 3 लाख रुपया बकाया है। अगर उसकी वसूली होती है और वसूली करने के लिये कोई आफिसर जाता है तो उसके साथ क्या होता है इसकी जांच होनी चाहिए। इनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : मैंने माननीय सदस्य का नाम नहीं लिया है।

श्री रघुनन्दन व्यास : मैं तैयार हूं, खुली जांच के लिए। यह चोरियां कौन कराता है। चोरों को कौन पनाह देता है। हरिजनों की भूमि हजारों बीघा दबा कर बैठे हैं। श्रीमान् माधोसिंह रेवदर, एम.एल.ए., गरीबों का खून पीते हैं।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : आपने डिमोरलाइज कर दिया है।

श्री रघुनन्दन व्यास : 5 लाख बीघा बेनामी जमीन दबाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : आप सामन्तवाद का नाम लेकर गरीबों की आवाज को दबा नहीं सकते हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : मैंने सामन्तवाद का नाम नहीं लिया है।

(व्यवधान)

आप लोगों की वसूली हुई है...

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह (रेवदर) : आपने क्या-क्या धन्धे किये हैं, उनकी लिस्ट है मेरे पास।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

उन्होंने दिखा दिया है कि एक भी जनता का आदमी इनके साथ नहीं है।

श्री रघुनन्दन व्यास : मुझे लोगों ने वोट दिये हैं।

(व्यवधान)

अगर जनता पार्टी का आदमी माधोसिंह (रेवदर) के फेवर में है तो वह जनता पार्टी का आदमी नहीं, आपका आदमी है।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : मन्त्रिमण्डल में इस बात पर खतो किताबत है कि भ्रष्टाचार को मिटाया जाएगा।

श्री रघुनन्दन व्यास : मैं चाहता हूं कि इस मामले में जांच हो।

(व्यवधान)

एक हजार हरिजनों की जमीन को दबाने वाले श्रीमान माधोसिंह (रेवदर) हैं। मैं लिस्ट देने वाला हूं। हरिजनों की जमीन दबाकर बैठे हैं। हरिजनों पर अत्याचार करने वाले आप हैं। उनसे दिन भर काम लेकर आठ आना मजदूरी देने वाले आप हैं।

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह (रेवदर) : इस बात की अलग से इन्क्वायरी करवा लें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मैं कुछ इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। श्री माधोसिंह जी ने जो आरोप लगाये हैं, इसके अलावा और जो भी आरोप हों, उनकी मर्जी हो तो लिख कर दे दें मैं उनकी जांच करवा लेता हूं। इसी प्रकार जैसा कि श्री रघुनन्दन व्यास ने कहा है, जिन हरिजनों की जमीन दबा ली गई है, मैं इस सम्बन्ध में आज ही कलेक्टर को लिखता हूं। उनकी भी जांच करवा लूंगा।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : मैंने पहले जो कागजात दिये हैं, उन्हें राजस्व मंत्री ने वेस्ट पेपर बास्केट में डाल दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और लिख कर दे दें।

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह (रेवदर) : उनको यह भी खबर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले वाले मामलों की जांच हो रही है। आपने जो और आरोप लगाये हैं, उनके आधार पर जांच करवा लूंगा।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : रिकार्ड की फाइलें सील्ड पड़ी हैं। कलेक्टर महोदय की हिम्मत नहीं हो रही है कि उनको ओपन करें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है वह मुख्य मंत्री जी से सम्बन्धित है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सुन रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, अभी रेवदर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो भी कुछ कहा है, उसकी आप राइटिंग में शिकायत मांग रहे हैं। इसी प्रकार से हरिजनों की जो भूमि दबा ली है, वह आरोप भी आप राइटिंग में लें।

श्री रघुनन्दन व्यास : मैं निश्चित रूप से राइटिंग में दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी राइटिंग में देंगे तभी जांच कराऊंगा।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : इन्होंने मेरे खिलाफ हरिजनों की जमीन दबाने के आरोप

(श्री माधोसिंह)

लगाये हैं, ये सरासर गलत हैं। अपने काले कारनामों को दबाने का प्रयत्न है। अध्यक्ष महोदय, मुझे समय देंगे तो मैं बताऊंगा कि इनके क्या क्या कारनामे हैं। ये माननीय सदस्य पहले भी 420 के केस में सजा यापता हैं। ये माननीय सदस्य भी तहसीलदार के साथ लिप्त हैं। तहसीलदार शिवगंज के साथ मिल कर अभी तहसील कम्पाउन्ड के नीम के पेड़ कटवा कर गायब कर दिये। इस मामले की भी जांच जिलाधीश कार्यालय में विचाराधीन है। ये महानुभाव जिला प्रशासन को सरकार का भय दिखा कर डिमोरेलाइज कर रहे हैं और अपने कारनामों को छिपाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : इतने जन प्रतिनिधियों व शिकायत कर्त्ताओं ने लिख दिया वह काफी नहीं है क्या जो आप अलग से लिख कर मांग रहे हैं? इससे तो यही साबित होता है कि आप कुछ कार्यवाही नहीं करना चाहते, मामलों को उलझाना चाहते हैं। अगर आप निष्पक्ष जांच चाहते हैं तो पहले तहसीलदार को वहां से हटाइये और फिर देखिये कि उसने अपने पद का कितना दुरुपयोग किया है वरना घोषणाओं से कुछ नहीं होता। करनी और कथनी में फर्क मिटाइये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। कोई स्पेसिफिक आरोप है तो लिख कर दे दीजिये।

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह (रेवदर) मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा⋯

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : क्या पाइन्ट आफ आर्डर है?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने अभी कहा है कि लिख कर दे दें तो जांच करवा लूंगा। मेरा यह निवेदन है कि यह सदन की गरिमा के विपरीत है। एक माननीय विधायक हाउस में आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों की रिकार्डिंग की जा रही है। इतना होने के बाद भी क्या विधायक महोदय को अलग से लिख कर देने की आवश्यकता हो जाती है? मैं समझता हूं कि यह हाउस की परम्परा के विपरीत है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने ध्यान से सुना नहीं। मैंने यह कहा है कि माननीय सदस्य उचित समझें तो लिख कर दे दें। कुछ आरोप लगाये हैं और कुछ लगाने वाले हैं। सारे लिख कर आरोप पत्र बना कर दे देते हैं तो क्या बुरा है?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य को ध्यान नहीं है। जब इनके वरिष्ठ नेता मोरारजी देसाई जैसे अपने बेटे के खिलाफ जांच कराने को तैयार नहीं हैं, तो माननीय मुख्य मंत्री जी कैसे जांच करने वाले हैं ?

(व्यवधान)

राज्य सभा, जो सर्वोच्च सदन है, के अन्दर भारी बहुमत से प्रस्ताव पास हुआ है जिस में मोरारजी भाई के लड़के के खिलाफ 34 इल्जाम लगाये हैं और मुख्य मन्त्रीजी कहते हैं कि लिख कर दे दो–

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं, विरोधी दल के माननीय नेता को याद होगा कि कई बार सदन के अन्दर मारुति को लेकर संजय गांधी के ऊपर चार्जेज लगाये गये हैं और इन्दिरा गांधी पर भी–

श्री रघुनाथ विश्नोई : उनकी तो आयोग जांच कर रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आयोग की जरूरत थी·····

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, कोई भी किसी पर आरोप लगाये तो लिखित में देना आवश्यक है और उसकी जांच माननीय सदस्य के रूबरू होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से एक बात कहूंगा कि रेवदर से आने वाले माननीय सदस्य ने·······

श्री माणक चन्द सुराणा : मैंने पहले अध्यक्ष महोदय की दृष्टि पकड़ ली है। I have caught the eye of the Speaker.

श्री मथुरादास माथुर : मुंह तो मेरी तरफ और नजर पकड़ी आपने–

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जिधर नजर पड़ गई उधर से बोल पड़ते हैं, जहां नजर पड़ गई–···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय माथुर साहब का क्लेम कुछ ज्यादा है नजर पकड़ने का।

श्री अब्दुल अजीज : नजर लगना बुरा है।

श्री माणकचन्द सुराणा : राज्य सभा के प्रस्ताव की दुहाई कई बार विरोधी दल के माननीय नेता दे चुके हैं। वे यह क्यों नहीं कहते कि प्रधान मन्त्री ने कहा है लिखित आरोप आने पर सुप्रीम कोर्ट के जज से····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप लोग विषयान्तर हो गये हैं, इसको समाप्त करें तो अच्छा रहेगा। माननीय सदस्य वृद्धिचन्द्रजी, प्रद्युम्नसिंहजी, स्थान ग्रहण करिये।

श्री मथुरादास माथुर : अब मैं आपकी नजर पकड़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मेरी नजर पकड़ कर आप क्या करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : आपकी नजरे इनायत मुख्य मन्त्रीजी पर ज्यादा है। कभी-कभी हमारे पर भी हो जाय ! मैं यह निवेदन कर रहा था कि रेवदर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चार्जेज लगाये, वे किसी माननीय सदस्य के खिलाफ नहीं हैं, तहसीलदार के खिलाफ हैं। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा है कि वे लिख कर दे दें, तो इसकी जांच करवा लेंगे। उन्होंने लिख कर भी दिया है, दुबारा दे देंगे। लेकिन तहसीलदार जब तक वहां रहेगा वह लोगों पर प्रेशर डालता रहेगा। इसलिए मुख्य मंत्रीजी अगर ईमानदारी से जांच करवाना चाहते हैं तो मेहरबानी करके तहसीलदार को वहां से टेम्प्रेरीली हटा कर हैड क्वार्टर पर बुला लें और फिर जांच करवायें। जांच उसके खिलाफ साबित हो जाय तो उसको सजा दे दें और साबित नहीं हो तो चाहे उसका प्रमोशन कर दें, हमें उससे क्या लेना देना है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव पेश किया है वह बाड़मेर जिले की 6 ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के बारे में है। मैंने यह एडजोर्नमेंट मोशन इसलिए रखा है कि इन क्षेत्रों के अन्दर अकाल पड़ा है और पानी का भारी संकट है, और जो पानी उपलब्ध है वह खारा है। इन योजनाओं के कारण ही ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था होती है। अब यह स्थिति वहां पर पैदा हो रही है इन योजनाओं के अन्तर्गत कि कहीं बरसात के दिनों में एक दफा पानी पहुंचता है, कहीं पर 15 दिन में भी पानी नहीं पहुंचता है, कहीं-कहीं पर आल्टरनेट डे पर भी पहुंचता है, और कुछ स्थान ऐसे हैं जहां कि बिल्कुल ही पानी नहीं पहुंच रहा है। पहले मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इन जगहों पर पानी नहीं पहुंच रहा है। इसलिए आप इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था करायें। पानी नहीं पहुंचता है मीमड़ा-बायतू योजना के अन्तर्गत उंडू-पनावड़ा योजना, भाडरवा-रोइली के योजना अन्तर्गत पानी नहीं पहुंचता है। रामसर कुआ रावतसर, गिड़ा, पुगलीया, मामदड़ा-सेतराई-वाडी, देरासर बोली, गुडी तिरलीगढी में पानी नहीं आ रहा है। उडु आगरडा में एक महीने से पानी नहीं पहुच रहा है। गिड़ा सर, शिवकर कुड़का गिराब खडीन इन सभी गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा है। कहीं-कहीं पर सप्ताह में एक बार और कहीं कहीं पर पन्द्रह दिन में एक बार पानी पहुंचता है।

अब प्रश्न यह है कि यह एडजोर्नमेन्ट मोशन मैंने इसलिए पेश किया कि अगर अभी व्यवस्था नहीं की, अभी भी गर्मी पड़ रही है, वर्षा डेढ महीने से नहीं हो रही है इसलिये पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। अगर समय रहते अभी से व्यवस्था नहीं की तो गर्मियों में स्थिति और भी भयंकर हो सकती है। इसके जो कारण बतलाये गये हैं विभाग की तरफ से वे यह हैं कि डीजल सैट ठीक नहीं हैं, मोटरें ट्यूबवैल्स में गिर जाती हैं और ट्यूब वैल्स का डवलपमेन्ट नहीं हो रहा है। इसके अलावा कई जगहों पर अभी ट्यूब वैल्स बने भी नहीं हैं। वहां पर ट्यूब वैल्स की आवश्यकता

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

है। इसका कारण यह भी है कि इन प्रोब्लम्स के बारे में एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स, सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर्स और असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स जो हैं वे भी विशेष दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर का आफिस जोधपुर में है। मैं कह रहा हूं कि क्या आवश्यकता है जोधपुर में रखने की जब कि सभी योजनाएं बाड़मेर और जैसलमेर में चालू की गई हैं। इसलिए जहां पर ज्यादा कार्य हो वहीं पर आफिस खोलने का निर्णय लिया जाना चाहिए।

अब प्रश्न यह है कि इस बारे में ठीक तरह से कदम नहीं उठाये गये हैं, इस सम्बन्ध में मैं बार-बार मुख्य मन्त्रीजी और अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करता रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगले 15 दिनों में उचित कदम नहीं उठाये गये तो स्थिति और भी भयंकर हो सकती है। इस प्रकार की वहां पर व्यवस्था है कि कहीं भी रेगुलर पानी नहीं आ रहा है। करोड़ों रुपये ढाई करोड़ रुपये की ये योजनाएं हैं। आठ लाख की आबादी है बाड़मेर जिले की। दो लाख जनता को इससे लाभ मिलता है जो इस लाभ से वंचित हो रही है उनके पास और कोई साधन नहीं है···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वहां की हालत बहुत खराब हो रही है। मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेन्ट दिया जाय अभी नहीं तो 13 तारीख से पहले स्टेटमेन्ट दें। सभी इन्फार्मेशन मंगा लें। मैं जो इन्फार्मेशन दे रहा हूं वह बिल्कुल बाड़मेर जाकर और जानकारी प्राप्त करके दे रहा हूं और सही तरीके से दे रहा हूं। यह प्रश्न सही तरीके से हल कर दें, यही मेरा निवेदन है।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने काम रोको प्रस्ताव सीमेंट के वितरण के सिलसिले में रखा है। राज्य सरकार ने सितम्बर, 1978 में एक आदेश जारी किया था जिसको राजस्थान सीमेन्ट लाइसेंसिंग और कन्ट्रोल (अमेंडमेंट) आर्डर, 1978 कहते हैं। उसके मातहत राज्य सरकार ने ये अधिकार ले लिए थे :

> "No licensee shall acquire cement or sell it except under authorisation issued by the State Government or the Collector within local limits of whose jurisdiction the licensee establishment situate."

कोई भी लाइसेंसी सीमेंट हासिल नहीं करेगा जब तक कि वह राज्य सरकार या कलेक्टर के आदेश न ले ले। मुझे इस आदेश के बारे में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि यह आर्डर इस समय हाई कोर्ट में चेलेंज हुआ है और हाई कोर्ट विचार कर रहा है। मगर इस आर्डर के तहत सरकार ने एक फैसला किया, फैसला ही नहीं बल्कि उसको अमल देने की कोशिश की कि जितने आज तक लाइसेंसीज थे, 1974 का आपका जो आर्डर है उसके मातहत उनका समय 1980 में एक्सपायर होता था उन सबको इस आर्डर के द्वारा सीमेंट देना बंद किया और सहकारी समितियों को देने का फैसला किया। मैं इसका स्वागत करता हूं। मेरा काम रोको प्रस्ताव दूसरे पहलू पर है · आपने समितियों की लिस्ट भी दे दी और कोटा भी अलाट कर दिया। इसके बाद हाई कोर्ट में अलवर,

(श्री मथुरादास माथुर)
अजमेर और जयपुर के लाइसेंसीज चले गए, और उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे आर्डर हासिल कर लिया। 29 तारीख को स्टे आर्डर मिल चुका है।

अब अजीब स्थिति पैदा हो रही है कि न तो सहकारी समितियां फंक्शन कर रही हैं न ही प्राइवेट डीलर्स को सीमेंट अलाट किया। इसलिए आज 10 दिन से बराबर राजस्थान में किसी दुकान से सीमेंट नहीं वितरित हो रही है। इस समय रवी की फसल का काम होगा, जगह जगह सीमेंट की मांग है। हाई कोर्ट में बहस हो गई। राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल बहस करने खड़े हुए तो उन्होंने एक अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि यह आपकी लिस्ट इम्मेच्योर है क्योंकि कलेक्टर का आर्डर इज ए मीयर प्रपोजल। इसके मायने यह है कि राज्य सरकार ने अलाटमेंट भी कर दिया, सहकारी समितियां फिक्स कर दीं उसके साथ-साथ में किसी को 2 टन, किसी को 4 टन अलाट कर दिए। आज एडवोकेट जनरल एज स्पोक्समैन ऑफ दी गवर्नमेंट कहता है कि वे मीयर प्रपोजल थे। इस स्टेटमेंट से पहली यह समस्या पैदा हुई कि क्या राज्य सरकार सहकारी समितियों द्वारा सीमेंट का वितरण कराने के लिए सीरियस नहीं है?

व्यवस्था का प्रश्न

उच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद पर प्रस्तुत पक्ष का उल्लेख

श्री किशन सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर। कोई भी मेटर हाई कोर्ट के सामने पेंण्डिंग है, उसमें एडवोकेट जनरल की क्या प्ली है, दूसरे रेस्पांडेंट्स की क्या प्ली है, केस के मेरिट्स पर हमारी प्ली मजबूत है या कमजोर है, उसके सम्बन्ध में he cannot speak.

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में समाप्त करें।

श्री किशन सिंह भाटी : The hon. Member cannot touch the very points presented in the case by the Advocate General. आप समस्या पर बोल सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं जो कह रहा हूं वह राजस्थान पत्रिका में छपा है जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमारा सिर्फ एक प्रपोजल था।

श्री जयकृष्ण शर्मा : एडवोकेट जनरल ने क्या कहा, यह अखबार में आ गया।

श्री अध्यक्ष : अगर अखबार में आ गया है तो आवश्यक नहीं कि सदन में भी वह बात आए।

श्री किशनसिंह भाटी : यह कोई जरूरी नहीं है। लेकिन किसी काउंसल की प्ली पर यहां बहस नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उस पर यहां चर्चा न करें।

श्री किशन सिंह भाटी : बिल्कुल 100 पर्सेंट गलत चल रहा है।

श्री बजरंग लाल शर्मा : मेहरबानी करके इसको एक्सपंज कराया जाए। सदन में यह चर्चा उठाई गई है। जो केस के मेरिट्स के बारे में कहा गया है, वह एक्सपंज करने की इजाजत देने की कृपा करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : It is not necessary, Sir.

श्री मथुरादास माथुर : हाई कोर्ट की बहस जो राजस्थान पत्रिका में छपी मैं उसका जिक्र कर रहा हूं,

श्री किशनसिंह भाटी: हाई कोर्ट के फैसले से पहले दोनों पक्षों के एडवोकेट्स की प्ली पर कमेंटरी करना केस को प्रभावित करने का तरीका है which no body is allowed to do. गवर्नमेंट पक्ष की दलील पर इस स्टेज पर कमेंटरी नहीं कर सकते। यह फैसले को प्रभावित करने का तरीका है जो वे डेलीबरेटली कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: सर्व श्री किशन सिंह भाटी व बजरंगलाल शर्मा ने जिस मुद्दे की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है, मैं कार्यवाही को देख कर गंभीरतापूर्वक इस समस्या का अध्ययन करने के पश्चात्, यदि आवश्यकता होगी तो एक्सपंज करने की व्यवस्था पर भी विचार करूंगा।

श्री बजरंगलाल शर्मा: तब तक समाचार पत्रों में यहां की बहस न छपे, इसकी व्यवस्था करें। हाईकोर्ट में दी हुई दलील कमजोर है या ताकतवर है, यह बात न आए। उस समय तक प्रकाशित न हो जब तक आपकी व्यवस्था न हो अन्यथा बात अखबार में आ जाएगी कि माथुर साहब ने यह दलील दी।

श्री मथुरादास माथुर: मेरा निवेदन है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, इसलिए सहकारी समितियां वितरण नहीं कर रही हैं, 10 दिन से सीमेंट वितरण नहीं हो रहा है।

श्री बजरंगलाल शर्मा: ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य बोलते हैं उनकी बहुत सी बातों का निर्णय नहीं हो पाता है, उससे कन्फ्यूजन होता है क्योंकि जो कुछ उन्होंने कहा है यदि उस पर आज व्यवस्था नहीं होती है, कार्यवाही से नहीं निकाला जाता है, तो समाचार पत्र में छपेगी। मैं नहीं कहता कि किस उद्देश्य से माननीय सदस्य कह रहे हैं लेकिन निश्चित है कि उसका लाभ एक ऐसा पक्ष उठायेगा जिसके द्वारा लाभ उठाना उचित नहीं है। इसलिए व्यवस्था दी जाए।

श्री अध्यक्ष: मैं कोई कमिटमेंट नहीं दूंगा। I have open mind. सीमेंट के वितरण का काम सहकारी समितियों को न देने का विषय है This may be a justiciable issue. Whether it is under examination of the court, whether it is subjudice, it is a matter that I will examine,

श्री बजरंगलाल शर्मा: लेकिन इतने वाइड इश्यू में उन बातों को लाने की कोशिश नहीं करें जो कि विचाराधीन हो किसी न्यायालय के। मुझे ऐसा भी मालूम हुआ है···

श्री अध्यक्ष: मैं मानता हूं, माननीय सदस्या, आपने जिस ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया मैं गंभीरतापूर्वक इस प्रश्न को स्टेडी करूंगा और प्रोसिडिंग्स को देखूंगा।

श्री बजरंगलाल शर्मा: आज ही निर्णय दे दें।

श्री अध्यक्ष: आज मैं व्यवस्था नहीं दे सकता। इस स्थिति में नहीं हूं।

श्री बजरंगलाल शर्मा: मुझे यह जानकारी मिली है कि कुछ डीलर्स, जो कि सीमेंट को डील करते हैं, ने विशेष प्रकार की लाबी बनाने की चेष्टा की है। मैं बहुत

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि यह 'टाक आफ दी टाउन' है कि लाबी बनाई गई है। उसके आधार पर इस सदन के प्रांगण को मिस्यूज किया जाता है तो इसको रोकने की कार्यवाही तुरन्त की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरा ध्यान आकर्षित किया। मैं भी इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा। जानकारी प्राप्त किये बिना कुछ नहीं कह सकता।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। माननीय बजरंग लाल जी सदन के सदस्यों की बेइज्जती कर रहे हैं यह कह कर कि एक लाबी क्रियेट की जा रही है...

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह सदन के माननीय सदस्यों की मानहानि है जैसा श्री बजरंग लाल जी ने कहा है कि लाबी क्रियेट की गयी है...

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, श्री प्रद्युम्नसिंह जी का यह कहना अपने आप में एक प्रमाण है।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रद्युम्नसिंह जी, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, एक सैकिण्ड।

श्री अध्यक्ष : अब आप भी क्या कहना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक ने कहा है कि हाई कोर्ट में गवर्नमेन्ट एडवोकेट ने कहा है कि हमारा प्रपोजल है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट एडवोकेट सरकार की ओर से ही बोलता है इसलिए हम उसका नोट लेकर हाउस में भी यह बात कह सकते हैं कि क्या सरकार की नीति है, क्या सरकार का स्टैण्ड है ? अगर यह कहा जाये तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में इन्टरफियरेंस बिल्कुल नहीं है।

श्री किशनसिंह भाटी : ऐसा कह रहे हैं कि इस तरह की प्ली उन्होंने दी है। इस तरह से उनकी प्ली को कोट करके इस स्टेज पर आप भाषण नहीं दे सकते।

श्री अध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्य की बात सुन ली है। आपकी बात सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह समस्या विचाराधीन है। माननीय माथुर साहब से मेरा निवेदन है कि संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करके समाप्त करें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मथुरा दास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री बजरंगलाल जी ने जो बात कही, मैं और साफ कर देना चाहता हूं। नम्बर एक मैं इस बात का हामी हूं कि सहकारी समितियों से सीमेंट का वितरण होना चाहिए। इसमें कोई गलतफहमी नहीं है। मुझे दुःख इस बात का है कि जो प्ली ली जाती है उससे कमजोरी नजर आती है। मैं कह रहा हूं कि सीमेंट का वितरण सहकारी समितियों से कराया जाये लेकिन हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है इसलिये सीमेन्ट वितरण के लिए कुछ नहीं हो रहा है तो सरकार खुद अपनी

(श्री मथुरादास माथुर)
ओर से दुकानें खोल करके वितरण का इन्तजाम करे और जनता को सुविधा दे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, सीमेन्ट के वितरण के संबंध में सरकार की नीति स्पष्ट है। हाईकोर्ट से स्टे हो गया 12 तारीख को यहां हाउस में मुझे जानकारी मिली है, इस पर बहस हो रही है। तो ज्यादा समय नहीं है। आज 9 तारीख है, तीन दिन के बाद ही बहस हो जायेगी और फिर निर्णय हो जायेगा। यदि इसमें ज्यादा विलम्ब हुआ तो सरकार क्या कार्यवाही करे उस पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया हुआ है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का निर्णय सर्वमान्य होना चाहिए। 2 बज कर 5 मिनट हो चुके हैं। चर्चा समाप्त हुई। विरोधी दल के नेता से मेरा निवेदन है कि मुझे सहयोग दें।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा एडजोर्नमेन्ट मोशन कल के लिए रख दिया जाये। अगर आज दो बजे समाप्त कर देते हैं तो कल एडजोर्नमेन्ट मोशन पर बोलने की इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के नेता कहें तो मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट....

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय नहीं है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरा प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : मैं इन्कार नहीं कर सकता। आपका प्रस्ताव है।

श्री मूलचन्द डागा : एक मिनट दिया जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। माननीय विरोधी दल के नेता।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसके सम्बन्ध में अधिक भाषण नहीं दूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां विराजमान हैं। पहले माननीय भैरोंसिंह जी स्वयं हमेशा हाउस में एजीटेट करते थे राजस्थान नहर का काम पूरी तरह से ठप्प हो जाने के सिलसिले में। हमारे मुख्य मंत्री जी हमारे माननीय प्रधान मंत्री को लाये, शाह ईरान को लाये, राजस्थान केनाल का काम पिछले 1½ साल के अन्दर बिल्कुल ठप्प हो गया है। मैं भाषण नहीं देना चाहता हूँ। मैं, अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप व्यवस्था दे दें कि राजस्थान सरकार राजस्थान नहर पर अपना वक्तव्य दे दे ताकि हम जानकारी लें और हम उनको अपनी भी जानकारी दे दें। एक वक्तव्य दिला दें, हम उस पर भाषण नहीं देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस पर वक्तव्य सरकार की ओर से दे दिया जावेगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस गर्मी के मौसम में और इस हालत में सड़कों पर हजारों लोग झुग्गी झोपड़ियों के बैठे हैं जिनमें सैकड़ों औरतें हैं उनके प्रतिनिधि मण्डल को बुलाकर उनकी समस्या सुननी चाहिए । कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि किसी भी आदमी को नहीं उजाड़ा जायेगा लेकिन हल्दी घाटी से सेठ की जमीन से लोगों को बेदखल करने के लिए पुलिस का प्रयोग किया गया । उनकी झुग्गी झोंपड़ी तबाह कर दी गयी । 50 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया । यह किस कानून में गिरफ्तार किया ? किसी किरायेदार से अब मकान मालिक मकान खाली नहीं करा सकता लेकिन सेठ की जमीन में गरीबों की झोपड़ी हटाने के लिए पुलिस भेजी गई । इस तरह से आज हजारों लोग झुग्गी झोंपड़ियों के बाहर बैठे हैं । आप उनके प्रतिनिधिमण्डल को बुलायें और बात करें ताकि समस्या गम्भीर नहीं हो । बाहर बड़े टेन्शन का वातावरण बना हुआ है । मेरा यही निवेदन है ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : एक मिनट मुझे दीजिए । पश्चिमी राजस्थान में···

श्री अध्यक्ष : दो मिनट का समय दूंगा बोलिये, श्री डागा जी ।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, मालविया इन्जीनियरिंग कालेज, जो कि जयपुर में है, माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया ध्यान दें, के अन्दर आज करीब 700 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं । उनमें विदेशों के भी विद्यार्थी हैं । जो विद्यार्थी 80 प्रतिशत तक मार्क्स लाते हैं उनको वहां एडमिशन मिलता है । आज उनके शिक्षकों ने नोटिस दे दिया है कि वह 12 तारीख से ही हड़ताल कर देंगे । 16 तारीख से लड़कों की प्रेक्टिकल परीक्षा होने वाली है उनका क्या भाग्य होगा ? उनका क्या भविष्य होगा ? सारे लोगों की एक राय हो कर आज वहां भी राजनीति घुस गयी है । आपने कार्यवाहक प्रिन्सिपल को लगाया है वह कार्यवाहक प्रिन्सिपल राजनीति शास्त्र का जानकार है । न वह बी. ई. हैं और न एम. ई. हैं । उनको आपने नियमों के खिलाफ लगा दिया है । यह हमारे माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी जानते हैं वह इनके गुरु हैं और इन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में यह भेंट दी है । श्रीमान्, यह बात रामकिशन जी ने कही है । यह मैं नहीं कहना चाहता हूं । यह तो संसद सदस्य ने एक वक्तव्य दिया है । उन्होंने कहा है कि नौकरशाही के शिकन्जे को कम किया जाकर स्वस्थ्य लोकतन्त्र ··

श्री कौशल किशोर जैन : दस मिनट ऊपर हो चुके हैं···

श्री मूलचन्द डागा : वह घटकवाद के आधार पर हुआ है··

श्री रतन लाल वर्मा : श्री अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । 2 बज कर, 10 मिनट हो चुके हैं । सारा समय भाषणबाजी में खतम हो जाता है ।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न स्वीकार करने योग्य है । मेरी उदारता का

(श्री अध्यक्ष)

अनुचित लाभ नहीं लीजिये। दो मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, शिक्षण संस्थाओं में घटकवाद की राजनीति घुस गई है। राजनीति घुस जाने के कारण वहां का प्रिन्सिपल, जिसके खिलाफ 17 लिखित चार्ज दिये हैं, आपने रीडर बना दिया। स्टोर कीपर भर्ती करने का कानूनन हक नहीं था, लेकिन भर्ती कर दिया गया। वहां एक अच्छा शिक्षक था, बाघोरिया उसने 32 महीनों तक सेवा की उसको बिना नोटिस दिये निकाल दिया।

मुख्य मंत्री जी आप बैठे हैं, मुझे बड़ी आशा है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं चाहता हूं आप निर्णय लें,

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मुझे आशा है कि व्यक्तियों की वकालत इस सदन में नहीं करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं करूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह शिक्षण संस्था बहुत बड़ी संस्था है। क्या वजह है इसकी आप तलाश कीजिये...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे बोलने दीजिये। मैं बोल नहीं सका। मेरा क्या कसूर है?

श्री अध्यक्ष : आप कृपया समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : 17-9-77 को जो सोसायटी के चैयरमेन हैं उनको हमारे ललित किशोर चतुर्वेदी ने टाइम दिया। टाइम देने पर भी उनका दुर्भाग्य था कि आपके दर्शन नहीं कर सके, आपने दर्शन नहीं दिए। भगवान नाथद्वारा में दर्शन दे देते हैं लेकिन आपने नहीं दिए। दर्शन नहीं दिए, यह सवाल नहीं, सवाल यह है, शिक्षा मंत्री जी किश्तों में आश्वासन देते हैं, अभी वे चले गये हैं, मैं किसी व्यक्ति की वकालत नहीं करूंगा मैं इन्साफ मांगता हूं 700 विद्यार्थियों के लिए जो सड़कों पर आ जायेंगे, सारा वातावरण आक्रोशपूर्ण है....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

आप चाहे किसी से, चाहे मेजर फतह सिंह जी चाहे हमारे मुख्य मंत्री जी से निष्पक्ष जांच करवा लें, हम जांच मांगते हैं। 8 महीने के अन्दर एक मीटिंग नहीं हुई जब कि प्रोवीजन यह है कि 12 महीनों में 4 मीटिंग्स होनी चाहिये। राजनीति के आधार पर शिक्षण संस्था, मालवीय रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज की बड़ी गरिमा है, मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज का नाम है, मैं आज जो वातावरण बन रहा है, उसके लिए मैं यह स्थगन प्रस्ताव लाया हूं.....

श्री अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मूल चन्द डागा : मैं निवेदन करूंगा, हमारे मुख्य मंत्री न्याय प्रिय हैं, वे इसकी जांच करवायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : अब यह जवाब देंगे तो मैं भी दूंगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : पश्चिमी राजस्थान के हजारों किसानों के लिए बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री मूलचन्द डागा : शिक्षा मंत्री हैं नहीं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (विद्युत् मंत्री) : मैं चैयरमेन हूं।

श्री मूलचन्द डागा : आप उत्तर दें तो मुझे बोलने का अधिकार दिया जाये। मैंने एलीगेशन्स लगाये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे रोका है। आपको बोलने का मौका दिया जाय तो मुझे भी बोलने का अधिकार दिया जाये। अगर आप बोलना चाहते हैं तो मैं भी एक एक बात बताना चाहूंगा। जो प्रिन्सिपल हैं उनका नाम भी आर. एस. एस. में है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाली से आये हुए विधायक ने स्थगन प्रस्ताव के जरिये प्रश्न उठाया है उस पर धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की है। शिक्षा मंत्री जी नहीं है, मालवीय रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज का चैयरमेन मैं हूं....

श्री मूलचन्द डागा : उस संस्था की हालत बिगड़ गई है जब से आपने ली है।

श्री रतनलाल वर्मा : मंत्री महोदय जवाब देते हैं, बीच में यह बार-बार खड़े होते हैं, गलत तरीका है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आप बड़े न्यायप्रिय हैं। आप बड़े हिम्मत वाले आदमी हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री आई. एल. बाघोरिया, जिनकी चर्चा माननीय सदस्य ने मोशन में की है, की नियुक्ति प्राध्यापक के नाते 6-12-75 को हुई।

श्री मूलचन्द डागा : 32 महीने..

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कुछ सुनने की क्षमता रखें।

श्री मूलचन्द डागा : 32 महीने की सेवा की है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी रक्षा कीजिए।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : आपके कहने से इनकी तारीफ नहीं की जायेगी।

श्री मूलचन्द डागा : आप जवान हैं। आप न्याय करने वाले हैं, कौशल किशोर जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी रक्षा आप नहीं कर सकते। डाक्टर की मदद लेकर कर सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं जांच की मांग कर रहा हूं। और कुछ की मांग नहीं कर रहा हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सुनने की क्षमता ही नहीं।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात् 17-9-76 को एक वर्ष के प्रोवेशन पर उनको रखा गया। प्रोवेशन क्या होता है, उसकी कन्डीशन्स क्या होती हैं उसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हैड आफ दी डिपार्टमेंट मैकेनिकल डिपार्टमेंट के थे। डा. डी. कुमार जी पहले प्रिंसिपल हुआ करते थे। डा. डी. कुमार ने जिस दिन रिजाइन किया, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर थे श्री आर. एस. सक्सेना, इस कारण से श्री आर. एस. सक्सेना को उनके रेजिगनेशन के बाद कार्य करना पड़ा। यह सच है वे मेरे प्रोफेसर रहे हैं। 25 साल से कहां हैं शायद उनकी जानकारी नहीं है, वे अब कर लें। हैड आफ दी मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने 16–8–77 को लिखा–

"Work of Shri Baghoria is not satisfactory."

अपनी रिपोर्ट नोट में दी है। श्री बाघोरिया को रिटेन किया गया। उनको सर्विसेज मे या तो निकाला जाय या इस इस पर विचार किया जाये। एक्स्ट्रा एक्टीविटीज जो सौंपी जाती हैं उनका अच्छी तरह निर्वाह करने का और उनको सुधार करने का मौका दिया जाय और 6 माह का प्रोवेशन बढ़ाया जाय। 17-9-77 से 6 महीने के लिये प्रोवेशन बढ़ाया गया। यह कहा गया कि 6 महीने का समय और दिया जाता है अपने स्वभाव को बदलने के लिए, और जो काम स्टाफ कौन्सिल द्वारा दिया जाता है उसका अच्छी तरह निर्वाह करें।

श्री मूलचन्द डागा : एक भी नोटिस दिया गया उसको ? एक भी चार्ज शीट दी गई उसको 32 महीने में ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मुझे भी पूरा उत्तर देने का अवसर दें...

(व्यवधान)

मैं व्यवस्था चाहूंगा...

(व्यवधान)

यह घटकवाद की राजनीति है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह जो आरोप लगाये हैं...

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : आपके क्या लगते हैं बागोरिया जी ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जो आरोप लगाये हैं डी. कुमार ने उसके बाद 6 महीने का जो समय बढ़ाया वह सारा काल असन्तोषजनक रहा है। एक बार फिर मौका दिया गया और 6 महीने का एक्सटेन्शन इसलिये दिया गया कि अपने स्वभाव को ठीक करें। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि दो बार नियमों में एक्सटेन्शन नहीं दिया जाता है लेकिन उस सारे एक्सटेन्शन के बाद भी उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रोवेशन का मतलब यह है

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

कि जो व्यक्ति प्रोबेशन पर है उसकी कालेज की प्रगति को देखना चाहिये। यह तो नहीं कि वह काम ही नहीं करे। मैं आपके सामने रूल कोट करना चाहता हूं।

Rule 5 of the rules regulating the terms and conditions of service of the employees of the society reads as follows:—

"The appointing authority shall have the power to terminate the services of any member of the staff without notice and without any cause assigned during the period of probation."

There is no provision for any show cause notice or enquiry for application on probation.

Rules for other administrative and ministerial staff which are called "MREC Administrative and Ministerial Staff Rules" and are adopted on the basis of the Govt. rules are also clear in this respect.

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक रूल मैं और कोट करना चाहता हूं—

"25 Unsatisfactory progress during probation:

(i) If it appears to the appointing authority that any time during or at the end of the period of probation that a probationer has failed to give satisfaction,....

श्री मूलचन्द डागा : आप लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, आप वकील नहीं हैं...

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : The appointing authority may revert him to the post held substantively by him immediately preceding his appointment on probation, provided that he holds a lien thereon, or in other cases may remove him form service :

Provided that the appointing authority may extend the period of probation of any probationer by a specified period not exceeding one year.

(ii) A probationer reverted or removed from service during or at the end of the period of probation under sub-rule (i)shall not be entitled to any compensation."

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

मिथ्यावाद कहिये...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरा स्थगन प्रस्ताव है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : No more discussion.

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या एक प्रोफेसर की वजह से सारे मालवीया कालेज का वातावरण क्षुब्ध हो रहा है ? यदि सारा वातावरण क्षुब्ध हो रहा है तो उसको दूर कीजिए। यदि असन्तोष है तो उनसे जाकर मिलिए। सवाल एक आदमी के निकालने और रखने का नहीं है। मन्त्री महोदय, क्या आप चाहते हैं कि एक आदमी की वजह से सारी इन्स्टीट्यूशन खराब हो जाय ? आप उस इन्स्टीट्यूशन को बचाइये, यही मेरा निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री मूलचंद डागा : धन्यवाद। कोई न कोई जिन्दादिल तो है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द डागा : यह राम मनोहर लोहिया की आत्मा बोल रही है···

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र : मीटिंग न हो, गलत बात है।

श्री अध्यक्ष : You are a parliamentarian. You were a member, of Lok Sabha. Do You expect that I should call you Hon'ble member by name.

श्री मूलचन्द डागा : Sorry, Sir.

श्री अध्यक्ष : There is limit to my patience. Please cooperate.

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज ठीक किया साहब आपने।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आपने, अध्यक्ष महोदय, कहा था, समय दूंगा। माननीय अध्यक्षजी, मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष : अब मैं किसी को समय नहीं दूंगा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नवरंगसिंह : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर सर····

(व्यवधान)

मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि कामां से आने वाले माननीय सदस्य को 21 तारीख को अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के द्वारा अच्छे व्यवहार न करने के कारण आमरण अनशन पर बैठना पड़ा···

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया है कि आप मेरे कक्ष में आकर चर्चा कर सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरा मोशन पहले है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझ से आकर मेरे कक्ष में मिल सकते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, आज बाढ़ पर बहस होगी। मैं

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
निवेदन करूंगा बहस हो उसी समय मुद्दे उठाये जायं।

श्री अध्यक्ष : बहस नहीं होगी।

श्री नवरंग सिंह : आपकी व्यवस्था चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : मुझ से मेरे कक्ष में मिलिये, व्यवस्था दे दूंगा।

श्री बालकृष्ण थोनवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान में अकाल पड़ा है, उस बाबत हम 13 विधायकों ने दो घंटे की चर्चा का प्रस्ताव भेजा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे पता है, यह अलग से समस्या है। आप जो कह रहे हैं उससे मेरी सहानुभूति है। मैं यथा सम्भव प्रयास करूंगा कि इस पर भी चर्चा हो सके लेकिन आज नहीं हो सकती है।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र
प्रतिवेदन

श्रीमती विद्या पाठक (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आयुक्त के निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखती हूं —

(1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त की तेइसवीं रिपोर्ट वर्ष, 1974-75।

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त की चौबीसवीं रिपोर्ट वर्ष, 1975-76 तथा वर्ष 1976-77 भाग प्रथम व द्वितीय।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री मूलचन्द डागा : आन-ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। मेरा एक पाइन्ट आफ आर्डर है।

व्यवस्था का प्रश्न

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर विचार

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट के लिये तो मंत्री महोदय को धन्यवाद। यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दे रखा है कि यह रिपोर्ट इसी सदन में डिसकस हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग 10 तारीख को हो रही है, उस मीटिंग में इसकी व्यवस्था अवश्य की जायगी।

श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय दो दिन बहस होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : समय एक दिन से अधिक नहीं मिल सकता है। आप चाहते हैं कि दो दिन दिये जायं लेकिन मैं असमर्थ हूं आपकी बात मानने के लिये। एक दिन के लिये व्यवस्था दी जायगी और चर्चा होगी।

श्री भैरवलाल कालाबादल : अध्यक्ष महोदय, पिछली विधान सभा में तो 2-4 सदस्य ही थे। अब की बार तो 26 विधायक हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : किस बारे में बोल रहे है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट के बारे में?

श्री भैरवलाल काला बादल : हां साहब।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भूतपूर्व सरकार ने इस सम्बन्ध में बिलकुल चर्चा का नाम ही नहीं लिया। इस सरकार ने एक दिन दिया है तो मेरे खयाल से धन्यवाद स्वीकार करना चाहिए।

श्री मूलचन्द सामरिया : इसीलिए तो कहते हैं कि हम दया के पात्र हैं, हमें इस पर चर्चा का पूरा मौका मिलना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री भैरवलाल कालाबादल : भूतपूर्व सरकार ने मौका नहीं दिया, उसकी पूरी आलोचना की जावे इसलिए दो दिन का समय मिलना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, मूलचन्दजी सामरिया माननीय सदस्य ने एक बात कही कि हम दया के पात्र हैं...

श्री अध्यक्ष : मूलचन्द सामरिया ने?

श्री बजरंगलाल शर्मा : हां साहब। उन्होंने कहा कि हम दया के पात्र हैं, इस तरह की बात ऐसे सदन में, जिसमें 57 सदस्य इनके हों, एक गृह मंत्री हों, दूसरे पंचायत राज मंत्री हों और तीसरे भेड़ ऊन मंत्री हों, ऐसे वर्ग के लिए कहना और खास तौर पर माननीय मुख्य मंत्री के सामने, जिन्होंने अन्त्योदय जैसा महान अभियान चला रखा है, कहें यह उचित नहीं है। ये अपने यह शब्द वापस लें "हम दया के पात्र हैं"। हम तो इनकी पूंछ पकड़ कर वैतरणी पार कर रहे हैं और ये वैतरणी को ही दया का पात्र बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष There is no point of order

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1978

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं?

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : महोदय, मैं राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 7 सन् 1978) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रतिवेदन आदि की समय पर उपलब्धि

श्री अध्यक्ष : राहत मंत्रीजी।

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष: What is the point of order ?

श्री मूलचन्द डागा : Very relevant, Sir बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग, जो तारीख 5 को हुई थी, में यह निर्णय हो गया था कि आज के रोज यानि 9 तारीख के रोज बाढ़ पर चर्चा होगी और पूरा दिन होगी। कल रात को साढ़े नौ बजे मुझे एक चालीस, पचास पेज की रिपोर्ट मिली है। मैं इस सचिवालय की गलती तो नहीं निकालता क्योंकि इसको ये प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन राज्य सरकार जब यह जानती है कि हमें व्हाइट पेपर देना है तो दो दिन पहले से छुट्टियां थीं, श्रीमान्, इन्होंने मोशन दे दिया था, मूव कर दिया था फिर भी इस प्रकार का लिट्रेचर हम लोगों को दो दिन पहले एक दिन पहले भी नहीं मिलता है तो यह किस की गलती है ? हम लोग अधिकार से वंचित हो जाते हैं, हम अपना पूरा अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के व्हाइट पेपर कम से कम दो दिन पहले दिलाने की व्यवस्था करायें। आप हमारे अधिकारों की सुरक्षा करने वाले हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकार इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी।

श्री बजरंगलाल शर्मा : इस प्रकार से तो बहुत बार आसन के द्वारा एसपर्शन किया गया है लेकिन सरकार ने कोई गौर नहीं किया। जहां तक इस प्रश्न का ताल्लुक है, इस पक्ष में बैठने वाले हों या उस पक्ष में बैठने वाले हों, आपका अपने मोशन के बाद ऐसा सख्त ओमिशन है जिसके कारण माननीय सदस्यों को अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने के अन्दर बाधा पड़ती है। सरकार को नोटिस देकर विशेष तौर पर कार्यवाही करनी चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है। हम लोग सत्ता पक्ष के सदस्य होने के कारण ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन तो नहीं दे सकते लेकिन हमारे ड्यूटी डिस्चार्ज करने में जो बाधा पैदा की जाती है उसको रोकने के लिए आप निश्चित रूप से सशक्त कदम उठायें यह हमारी आपसे अपेक्षा है, प्रार्थना है।

श्री मथुरादास माथुर : यह बात तो ठीक है, इसके साथ ही जो रिपोर्ट हमें मिली है, उस रिपोर्ट का साइक्लोस्टाइल इतना पूअर है, लफ्ज कटे हुए हैं कि पढ़ नहीं सकते। पहले पेज की प्रस्तावना में ही देख लीजिए कि क्या हालत है। मेरा मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि सरकार के पास सब साधन हैं, अगर साइक्लोस्टाइल भी करायें तो भी ठीक ढंग से करा कर हमें दें ताकि हम पढ़ सकें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सरकार ने यह जान बूझ कर किया है ताकि कोई पढ़ नहीं सके.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया है, माननीय सदस्य।

अनावृष्टि पर सदन में चर्चा

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आज सुबह ही बाढ़ के प्रश्न के साथ साथ अकाल के बारे में भी प्रस्ताव दिया है।

(श्री ईश्वर चन्द्र)
कई जगह अनावृष्टि है, मेरे क्षेत्र, झालावाड़ जिले में बारिश बिल्कुल नहीं होने से अकाल है। मेहरबानी करके बाढ़ पर बहस हो उसके साथ साथ अनावृष्टि पर, अकाल पर भी समग्र रूप से चर्चा हो।

श्री अध्यक्ष : बाढ़ और अनावृष्टि दोनों पर प्रकाश डालें, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री मथुरादास माथुर : यह नहीं होगा। अनावृष्टि पर अलग से बहस होगी...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अनावृष्टि पर बहस के लिए अलग से कोई समय दिया जावे, उस पर बहस हो, इस सम्बन्ध में मैं माननीय थानवी की आपत्ति पर यह विचार व्यक्त कर चुका हूं, माननीय सदस्य।

प्रतिवेदन आदि की समय पर उपलब्धि

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, चार तारीख को जब बाढ़ के सम्बन्ध में चर्चा करने का माननीय सदस्यों ने सरकार से अनुरोध किया था, मुख्य मंत्रीजी ने इसे स्वीकार करते हुए कहा था कि कोई दिन बाढ़ पर डिस्कसन हो जावेगा। यह उनकी तरफ से कंसेंट थी और उन्होंने यह आश्वासन दिया था सदन में कि बाढ़ के सम्बन्ध में विवरण दिया जाएगा माननीय सदस्यों को ताकि उनको मालूम हो सके कि राज्य सरकार ने रिलीफ के क्या कदम उठाए हैं और माननीय सदस्य बाढ़ की स्थिति से अवगत हो जावें। यह जो विवरण प्रसारित किया गया है, हो सकता है कि राज्य सरकार के पास कम समय हो, उस कम अवधि में जल्दी में सरकार को साइक्लोस्टाइल कराना पड़ा हो। लेकिन प्रथम पेज पर 4 अक्टूबर की तारीख साइक्लोस्टाइल की दी हुई है। जो विवरण, जो नोट, 4 तारीख को तैयार हो जावे, उस विवरण को 8 तारीख की रात को सर्क्यूलेट कराया जावे इसका मतलब यह है कि निश्चित रूप से माननीय सदस्य इस पर तैयारी नहीं कर सकें और तैयार होकर सदन में नहीं आ सकें। माननीय सदस्यों के अधिकार को सरकार ने कर्टेल किया है जिसके लिए सरकार को रेप्रीमेंड किया जाना चाहिए। जो विवरण 4 तारीख को तैयार हो गया उसको लेकर बैठे रहें विभाग में और कल रात को और आज सुबह, जब कि आज ही इस पर चर्चा होने वाली है, इसका वितरण किया जावे तो बहुत से माननीय सदस्य यहां पर नहीं थे, मार्निंग में यहां पर आए, अध्ययन करने के लिए, तैयारी करने के लिए समय चाहिए उनको।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय को यह संकेत हो गया है। आयन्दा इस पर ध्यान दें।

श्री रघुनन्दन विश्नोई : संकेत नहीं दें, इनको ताड़ना दें इस बात के लिए।

श्री अध्यक्ष : ताड़ना का विषय इस हद तक नहीं पहुंचा है, इसलिए मैंने संकेत दिया है। सरकार की सारी कमियों के साथ भी मेरी सहानुभूति है। लेकिन यह आपका अधिकार है। माननीय सदस्य हम भी इधर बैठते थे तो काफी कान खींचते थे आपके। आप जो कहें वह कम है।

श्री मथुरादास माथुर : इनके तो कान ही नहीं हैं, खींचे क्या ?

प्रस्ताव

राज्य में आई बाढ़ की स्थिति पर विचार

श्री जयनारायण पूनिया (अकाल राहत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में आई बाढ़ की स्थिति पर विचार किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष, मेरा....

श्री जयकृष्ण शर्मा : इस पर सबसे पहला प्रस्ताव मेरा है इसलिए....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि माननीय श्री डागा ने एक संशोधन प्रस्ताव दिया है। उस संशोधन प्रस्ताव के सम्बन्ध में अगर ये चर्चा करें उसके पहले कह दूं कि वह ग्राह्य नहीं है। I don't accept it. किन्तु उस बारे में कहना चाहता हूं कि मैं रोक भी नहीं सकता।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के माननीय नेता महोदय, आप अपने दल की तरफ से बोलेंगे...

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : हमारे दल की तरफ से श्री जयकृष्ण शर्मा इस पर बोलेंगे। वैसे भी सबसे पहले उनका ही प्रस्ताव था और उस प्रस्ताव पर ही माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आज की बहस रखी है तो उस हिसाब से भी इनका फर्स्ट राइट बन जाता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष फर्स्ट राइट है यह आप किस तरह से कह रहे हैं। इस तरह से फर्स्ट राइट है..

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, जिन सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव रखे है कम से कम उनको पांच-सात मिनट का समय पहले मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : जिन सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव रखे हैं उसके अनुसार ही बोलने वालों का क्रम रखा गया है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : Yes please!

व्यवस्था का प्रश्न
अध्यक्ष के खड़े होने पर
सदस्यों द्वारा पालनीय नियम

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जब भी आसन पैरों पर होता है, हमें यह याद दिलाया जाता है कि आसन पैरों पर है इसलिए कोई माननीय सदस्य खड़ा न हो परन्तु अभी जब आप पैरों पर थे तो कुछ माननीय सदस्य सदन में चल फिर रहे थे. . .

श्री अध्यक्ष : How many more times I must draw the attention of the Hon' ble Members.

श्री बजरंगलाल शर्मा : इसके अलावा जब आसन पैरों पर होता है कई मंत्री उस समय अपने स्थान से उठ कर बाहर चले जाते हैं और इसको लाइटली लिया जाता है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब आसन पैरों पर या गृह मंत्री महोदय ठीक उसी समय सदन से गये हैं। इस तरह की कार्यवाही के बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि आप निश्चित तौर से सदन के नेता महोदय को यह कहें कि वे मंत्रियों को ट्रेनिंग दें और इसके लिए कोई रिफ्रेसर कोर्स रखने की व्यवस्था करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी व्यवस्था चाहता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य बोलें तो वे अपनी सीट से ही बोलें।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं तो एम. एल. ए. की सीट से बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय डागा जी, मैं आपको निवेदन कर दूं आपकी जो आपत्ति है, वह ग्राह्य नहीं है। इसलिए श्री जयकृष्ण जी को पहला अवसर दिया जायेगा।

प्रस्ताव पर संशोधन क्रम से बोलने का क्रम

श्री मूलचन्द डागा : आपने मुझे पहले बोलने की अनुमति दी थी। इसलिए मैं आपकी आज्ञा मांग रहा हूं मैं आपके अनुशासन में रहता हूं।

राज्य में आई बाढ़ की स्थिति पर विचार

श्रीमन्, जब मुख्य मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया सदन में, उस दिन मुझे प्रसन्नता हुई कि मानवीय प्रश्न पर हमारे मुख्य मंत्री बड़े सजग हैं। लेकिन, श्रीमन्, इस बाढ़ के मामले में किस प्रकार से कार्यवाही होती है, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमारे मुख्य मंत्री हवाई जहाज से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करते हैं। अखबारों में बड़ी-बड़ी खबर छपती है कि आज मुख्य मंत्री हवाई जहाज से दौरा कर रहे हैं। उस दौरे के कारण यह मालूम होता है कि गरीबों पर मेहरबानी ऊपर से बरसती है। इसके बाद यह होता है, उनके संगठन की मीटिंग होती है और कहते हैं श्री गिरिराज और फूलचन्द जैन, जो जनता पार्टी के सदस्य हैं, दौरा करेंगे।...

श्री अध्यक्ष : यह कौन सा अमेन्डमेन्ट है।

श्री मूलचन्द डागा : बोल रहा हूं, श्रीमन्, आपने कहा है बोल सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : तीन मिनट।

श्री मूलचन्द डागा : बोलने का मौका कहां से मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जय कृष्ण जी के बाद दो, चार, पांच नम्बर पर आपको बोलने का मौका मिलेगा। आप समाप्त करें। आपका यह अमेन्डमेन्ट मैंने रूल आउट कर दिया है। It is not acceptable, यह एयरोप्लेन से क्या मतलब है।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे यह कहा था पहले चांस दिया जाएगा...

श्री अध्यक्ष : यह एयरोप्लेन कहां से लाए ? यह तो इर्रेलेवेन्ट है ?

श्री मूलचन्द डागा : मैंने जो अमेन्डमेंट दिया है, वह आपके पास है ?

श्री अध्यक्ष : मेरे पास है ।

श्री मथुरादास माथुर : यह सक्यूंलेट क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष : मैंने इसकी इजाजत नहीं दी है, because I don't accept that.

श्री मूलचन्द डागा : आपने कहा था बोलने का पहला अवसर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : आपको पाइन्ट आफ व्यू रखने का समय दूंगा क्योंकि आपने अमेन्ड-मेन्ट मूव करने की चेष्टा की है ।

श्री मूलचन्द डागा : सात तारीख को मैंने यह अमेन्डमेंट दिया था, 1978 के अन्दर राज्य में आई हुई बाढ़ की स्थिति पर समय पर प्रभावी कदम न उठाने के कारण जो जन-धन की हानि हुई है भविष्य में उस स्थिति से राज्य को बचाने लिए समय-बद्ध योजना पर विचार किया जाए····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने पुनः जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की है । सात तारीख को जो कुछ भी आपने संशोधन प्रस्ताव दिया था उसमें एयरोड्रम, एयरोप्लेन का कोई विषय नहीं है····

श्री मूलचन्द डागा : मैंने सोचा कि मुझे बोलने की इजाजत दे दी है ।

श्री अध्यक्ष : आप सदन का बहुमूल्य समय नष्ट न करें ।

श्री मूलचन्द डागा : अगर आप इजाजत देंगे तो बोलूंगा ।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय सदस्य, जो बोल रहे हैं वह ××× हैं, इसमें कोई शक-शुबाह नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, एक अध्ययन दल हमारे यहां पर आया । उस अध्ययन दल में हमारे जोइन्ट सेक्रेटरी कौल थे····

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्य ने ××× शब्द का प्रयोग किया है । मेरा निवेदन है कि इस शब्द को सदन की कार्यवाही में अंकित न किया जाए । यह जो ××× शब्द है वह····

श्री अध्यक्ष : ××× शब्द अन-पार्लियामेन्टरी है अतएव अंकित न हो ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, जब यह अध्ययन दल आया तो राज्य सरकार ने उसके सामने यह आंकड़ा पेश किया कि हमारे यहां पर चालीस करोड़ का नुकसान हुआ है । उन्होंने अध्ययन दल के सामने यह बात रखी, बड़ी हिम्मत के साथ रखी और यह बतलाया कि हमारे यहां पर कितना जन जीवन का नुकसान हुआ है, कितनी मृत्यु हुई है, कितनी फसल बर्बाद हो गई है, कितने बांध टूट गये हैं, कितनी सड़कें टूट गई हैं । इस पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक कमेटी मुकर्रर की । उस कमेटी के पांच सदस्य हैं । हमारे प्रोफेसर केदार, हमारे माननीय सिचाई मंत्री महोदय, हमारे राहत मंत्रीजी । मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिस कमेटी में फाइनेन्स का सवाल हो

××× अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किया गया ।

(श्री मूलचन्द डागा)
उसमें हमारा फाइनेन्स मिनिस्टर नहीं है। कमेटी के सामने यह रखा गया कि चालीस करोड़ का नुकसान हुआ है। यह अखबारों में खबर निकली कि राजस्थान में चालीस करोड़ का बाढ़ से नुकसान हो गया, पशुधन की हानि हुई, जन जीवन की हानि हुई और उन्होंने इसके लिए एक योजना बना कर भेजी किन्तु कौल ने, भारत सरकार ने, केवल दस करोड़ रुपया ही दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले साल की रिपोर्ट मेरे पास है। मैं माननीय राहत मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या पिछले साल जो धनराशि आपको दी गई थी वह आपने खर्च कर दी ?

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट।

श्री मूलचन्द डागा : एक टाइम दे दें..

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : क्या विरोधी दल के नेता अपने दल के सदस्य को नहीं रोक सकते।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जो धनराशि दी गई इस गवर्नमेन्ट को क्या उस धनराशि को खर्च किया गया है ? मैं चुनौती देता हूं कि पिछले साल केन्द्र से जो धनराशि मिली है, वह धनराशि खर्च नहीं हुई है, और खर्च नहीं होने के कारण ही कामां में इतना पानी भरा। दो तरह की राहत के अन्दर रकम मिलती है। एक तो कन्वेन्शन नेसिसिटी और एक ह्यूज वर्क। इन दो चीजों के लिए रकम मिलती है। आपके सामने जो रिपोर्ट पेश हुई है उसके आधार पर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि कई सालों से राजस्थान में बराबर बाढ़ आ रही है, राजस्थान सरकार ने क्या कभी ऐसी साइंटिफिक योजना बनाई है जिससे राजस्थान से बाढ़ खतम कर दी जाय ? कभी इन्होंने सोचा है कि भविष्य में बाढ़ खतम की जाय। 25 करोड़ रु. की धन राशि खर्च हो चुकी है इसके बावजूद अभी भी कामां में बाण गंगा और गंभीरा नदी अपना रोष जाहिर करती है। इतना होने के बावजूद कभी भी सरकार ने क्या कोई प्लान बनाया है, मास्टर प्लान बनाया है जिसके आधार पर आने वाले वर्षों में राजस्थान में इस तरह के...

व्यवस्था का प्रश्न

प्रस्ताव पर संशोधन क्रम से बोलने का क्रम

श्री रामनारायण चौधरी : I am very sorry to disturb you. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बोल रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है, इनका अमेन्डमेन्ट आपने रिजेक्ट कर दिया इसके बाद भी डिबेट शुरू कर दी है। हमारा पहला राइट है, हमारे दल के हिसाब से और हमारे प्रस्ताव की दृष्टि से भी। अब किस बात पर बहस हो रही है ? इनका अमेन्डमेन्ट आपने रिजेक्ट कर दिया, जयकृष्णजी बोलने के लिये खड़े हो गये इसके बाद भी ये बोल रहे हैं। I would request speaker kindly to....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे क्या अवसर फिर दिया जाएगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : कभी ऐसा होता तो नहीं है, माननीय वक्ता शुरू कर दें बोलना और बीच में ही...

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मैं विपक्ष के माननीय नेता के कथन का समर्थन करता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : किसका ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा होता नहीं। वक्ता बोलना शुरू कर दे और...

श्री अध्यक्ष : अमेन्डमेन्ट को एक्सप्लेन करने के लिये बोलें कोई ऐसी बात नहीं। इन्होंने बाढ़ के संबंध में चर्चा शुरू कर दी। यह व्यवस्था का प्रश्न विरोधी दल के नेता का है। इसलिये जय कृष्ण जी को मैं निवेदन करता हूं.....

श्री मूलचन्द डागा : रूल 265 में मेरा अमेन्डमेन्ट मन्जूर करना था। आपने नहीं किया तो क्या अब फिर चांस मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : अगर मैंने कहा था तो आपको 5 मिनट का टाइम मिल गया। अब इस क्रम के अनुसार...

श्री मूलचन्द डागा : मैंने अपना मोशन नहीं किया। मैंने अपना संशोधन मूव किया उससे...

श्रीमती सुमित्रासिंह : विरोधी दल के माननीय नेता चाहें तो वे बोल सकते हैं लेकिन...

राज्य में आई बाढ़ की स्थिति पर विचार

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने विधान सभा प्रांगण पर नियमों के तहत राजस्थान के बाढ़ पीड़ितों के बारे में एक मोशन पेश किया था तब इस सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि एक दिन की बहस इस पर होगी। इसलिए हमने ज्यादा बहस और ज्यादा बात करना उचित नहीं समझा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस बार बाढ़ ने प्रचण्ड रूप धारण किया। राजस्थान के उन हिस्सों में जिनमें बाढ़ आती नहीं रहती है, ये बाढ़ आई और जिनमें आती रहती है उनमें बाढ़ बहुत तेजी के साथ आई। बाढ़ का आना, अनावृष्टि और अतिवृष्टि दोनों का होना किसी सरकार के हाथ में नहीं होता, इसलिए इसमें सरकार को जोड़ कर कोई बात कहीं जाय यह मेरी समझ में नहीं आता लेकिन मेरा सवाल यह है कि अनावृष्टि होती अतिवृष्टि होती है तो सरकार का दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में क्या होता है ? इस सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण ही बताता है कि हम कितने जागरूक हैं। राजस्थान में भयानक बाढ़ इस वर्ष आई चाहे चूरू जिला हो, चाहे झुन्झुनूं अथवा सीकर, अलवर और भरतपुर जिला हो, इस भयानक बाढ़ के समाचारों को इतने अखबारों ने छापा। राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में ही बाढ़ आई लेकिन यह एक नई शुरूआत हुई कि सरकार का दृष्टिकोण बाढ़ पीड़ितों के प्रति बड़ा उदासीन था। यह इस बात का सबूत है कि इस सत्ता पक्ष के विधायक, जो जनता के रिप्रेजेन्टेटिव है, जो जनता से चुनकर आते हैं, जिनकी पार्टी सत्ता में है, को भी मजबूर होकर राजस्थान के सचिवालय के सामने धरने पर बैठना पड़ा। धरने पर बैठने के पहले, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मुख्य मंत्री को राजस्थान के सिंचाई मंत्री को, राजस्थान के उच्च अधिकारियों को लिखा कि मेरे इलाके कामां में जनता नारकीय जीवन व्यतीत कर रही है और

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

वहां की हालत बहुत दर्दनाक है। वहां के मंत्री जी और मंत्री ही नहीं, राजस्थान के वित्त मंत्री हैं–उनकी अन्दरूनी बात मैं जानता नहीं। वहां वित्त मंत्री गये होंगे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जहां 68-69 में बाढ़ आई थी वहां किस प्रकार का इन्तजाम किया गया वह उस क्षेत्र के एम. एल. ए. और लोगों की नजरों के सामने था। वहां के एम. एल. ए. को अब मजबूर होकर अनशन पर बैठना पड़ा। राजस्थान के मुख्य मंत्री और राजस्थान के मंत्री लोग इधर उधर भागते रहे। 6 दिन तक उस विधायक, जनता के चुने हुए रिप्रेजेन्टेटिव को किसी ने पूछा तक नहीं।

(2.59 म. प.)

(श्री रामसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान के विधायकों ने इनकी ओर से आश्वासन देकर भूख हड़ताल तुड़वाई। इससे जाहिर होता है कि राजस्थान की जनता पार्टी की सरकार बाढ़ के प्रति कितनी जागरूक है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस तरह से नहीं चल सकेगी। सरकार कुछ करने की अपने में क्षमता पैदा नहीं करेगी तो जनता की समस्याएं कभी भी हल नहीं होंगी। आपके मुख्य मंत्री चाहे वह दें, आप भी कह दें कि हमने बहुत कुछ किया है परन्तु जनता इस समय कसौटी पर आपकी सरकार को परख रही है। जिस समय जनता पर विपत्ति आती है, उस समय सरकार कितनी जागरूक रहती है। सरकार का कार्य विपत्ति के समय देखा जाता है। परन्तु आपकी सरकार तो उदासीन है। मैं जानता हूं, अलवर जिले में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में और राजस्थान के गृह मंत्रीजी के निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ का सबसे ज्यादा प्रकोप हुआ है। मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान के मंत्री और अधिकारी उस इलाके का आज तक दौरा करने भी नहीं गए हैं। जो लोगों को तकलीफें हुई हैं, उनको नजरअन्दाज कर दिया गया। जब बाढ़ आई तो मुख्य मंत्री महोदय का अखबारों में स्टेटमेन्ट आया कि वह कलकत्ता जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए करोड़ों रुपया इकट्ठा करने के लिए जा रहे हैं। वहां से रुपया लाकर वह बाढ़ पीड़ितों को देंगे। लोग तो न जाने क्या क्या कहते हैं। कोई कहता है कि इतना चन्दा हुआ। कोई कहता है कि इतना चन्दा हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बाढ़ आने पर कलकत्ता जाने की आवश्यकता क्यों हुई? कलकत्ता जाना था तो चले जाते लेकिन यहां लोगों की दिक्कतों और तकलीफों को तो देखते। उनके लिए क्या किया जा सकता है इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा, उस इलाके में कोई भी दौरा करने के लिए नहीं आया। राजस्थान के किसी भी मंत्री को किसी समस्या के बारे में लिखना डाक के 25 पैसे को बरबाद करना है। राजस्थान के मुख्य मंत्री को मैंने एक खत 13 तारीख को लिखा अलवर जिले की बाढ़ के बारे में मैंने मुख्य मंत्री को लिखा कि किस तरह से वहां पर बाढ़ आई, उससे बचाव के लिए कौन-कौन से उपाय सरकार को करने चाहिए। मैंने यह भी लिखा कि उस इलाके में क्या क्या तकलीफें हैं। कौन कौन से बांध टूटे हैं। हमारे माननीय

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने हमें जो रिपोर्ट दी है इतनी रद्दी है कि पढ़ी नहीं जाती है। मेरा निवेदन है कि पढ़ने के लायक होती तो भी उसमें बाढ़ के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं है। न तो उसमें यह दिया है कि किन-किन इलाकों में क्या हुआ न बांधों के नाम हैं। उसमें अलवर के लिए चार लाइनें हैं तो भरतपुर के लिए 5 लाइनें हैं। 5 लाइनें भरतपुर के लिये लिख दीं और चार अलवर के लिए लिख दीं। बाढ़ के सम्बन्ध में उसके अन्दर कोई चीज नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अभी, उपाध्यक्ष महोदय, दो ही मिनट हुए हैं। दो चार मिनट में समाप्त करता हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि मैंने सरकार के सामने कई चीजें रखीं। मैंने लिखा कि गेहूं और चने की व्यवस्था होनी चाहिये। फसल नष्ट हो गई है। इसलिए उनको कोई उधार भी नहीं देगा। वसूली की माफी होनी चाहिये। बाढ़ग्रस्त इलाके के गरीब लोगों की इस प्रकार सहायता करनी चाहिये कि अपना जीवन यापन कर सकें। उनको मकानों पर छप्पर डालने के लिए सहायता चाहिये। यह सब बातें मैंने मुख्य मन्त्री महोदय को लिखीं।

उपाध्यक्ष महोदय, रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र और कोट कासिम का इलाका हमेशा साबी नदी से प्रभावित होता है। इन दो स्थानों में बहुत नुकसान हुआ है। जब रामगढ़ में बाढ़ आई तो कई गांव जलमग्न हो गये। 23 हजार रुपया राजस्थान सरकार ने सहायता के लिए भिजवाया। जो कि उनकी दाल और आटे के लिए भी काफी नहीं था। कुल 23 हजार रुपया भिजवाना। जब कि कितने ही गांवों में पानी भर गया था उस अवसर पर इस सरकार ने यह सहायता की है। इसी प्रकार से कोट कासिम का इलाका है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय बाढ़ आई। उस समय एक तो बाढ़ आई नदियों के अन्दर और दूसरी बाढ़ आई इनकी पार्टी के अन्दर। दोनों बाढ़ों को कैसे रोकें। हमारे मुख्य मन्त्री जी जाते हैं दिल्ली राजस्थान की बाढ़ के बारे में बात करने के लिए, लेकिन वहां जाकर पार्टी की बाढ़ में फंस जाते हैं। कौन सा घटक मोरार जी भाई के खिलाफ चल रहा है। होता क्या है? इधर तो राजस्थान एक बाढ़ से घिरा हुआ है और उधर दूसरी बाढ़ है। कहते हैं, फाइनेन्स कमीशन आएगा। वह तो रूटीन में आता ही है। कहीं 30 करोड़, कहीं 40 करोड़, कहीं 50 करोड़ या 100 करोड़ की बात कह दी उसने तो सब मान लेते हैं। राजस्थान सरकार ने जितना रुपया मांगा है उससे न बाढ़ग्रस्त लोगों का पेट भरने वाला है और न वह मिलने वाला है। बाढ़ की समस्या तभी हल हो सकती है जब आप इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे।

इसी तरह से आज कामां के इलाके में चले जायें। नारकीय जीवन है वहां का। भटके लिए हुए लोग सड़कों पर पड़े रहते हैं। कोई ट्रक वाला निकलता है किसी तरह उनको आठ आने मिल जाते हैं, वह अनाज लेकर काम चलाते हैं। वहां के लोगों का यह हाल हो गया है। उन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार कार्य करे। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों को भलीभांति मालूम है, 140/—रु. और 135/ रु. क्विन्टल के भाव से चना बिका था।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

आज वही चना 235/–रु. और 240/–रु. क्विण्टल के भाव से मिलता है। बाजार में उनको कोई उधार नहीं देता है। इसलिए दूसरी फसल बोने के लिए बीज की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये। मैंने इस सम्बन्ध में सरकार को कहा था वहां के अधिकारियों को कहा था परन्तु सरकार ने कोई गौर नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, साबी का पानी आता है, इस साबी के पानी ने बरसात के पानी के साथ हमला किया था तो यह कहा गया था कि साबी का बांध होना चाहिये। वह स्थिति आज भी है। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, यह साबी केवल एक ही काम नहीं करती है, यह केवल विनाश ही नहीं करती है यह विकास भी करती है। हरियाणा में जमीन को यह सरसब्ज कर देती है बिना मेहनत के। उपाध्यक्ष महोदय, रूपारेल नदी के लिए भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे आप बाढ़ के लिए कितनी भी बात कहें, बाढ़ से विनाश होता है, लेकिन रूपारेल नदी से भरतपुर में पैदावार बढ़ती है इसलिए अलवर के लोग कभी भी, जब कभी बाढ़ की बात आती है तो इस बात को पसन्द नहीं करते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पांच-सात दिन के अन्दर ही युद्धस्तर पर बीज का इन्तजाम किया जाय क्योंकि चने की बुआई दस-पन्द्रह दिनों में हो जायगी। किसानों के खेतों में मिट्टी पड़ी हुई है किन्तु बीज का इन्तजाम नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस बारे में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहिये। मुख्य मंत्री जी, बहुत बड़ी-बड़ी बातों की चर्चा करते हैं। आज सरकार और मुख्य मंत्री जी बहुत चिन्तित हैं इसके लिये। वे कलकत्ता धनराशि इकट्ठी करने के लिये गये थे वहां पर इनका एक करोड़ का लक्ष्य था इकट्ठा करने का और काफी रुपया इकट्ठा करके लाये भी हैं। वे इस बारे में एक भी शब्द नहीं बोले कि कलकत्ता के लोगों ने कितने लाख रुपये दिये हैं और अन्य स्रोतों से कितना लाये हैं। इसलिये सरकार को चाहिये कि अपने साधनों को लोगों के सामने खुले आम रखे। आपने दौरा किया कलकत्ता का हवाई जहाज से, बाढ़ के नाम पर वहां पर चन्दा किया किन्तु···

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

बाढ़ से तबाही मची हुई है और जो समस्या बनी हुई है।

एक मिनट का समय और···

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार घण्टी बज रही है। बाढ़ का कलकत्ता के दौरे से···

श्री जयकृष्ण शर्मा : पालीवाल जी, आप सचेतक हैं···.

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से बात करें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपके जनता पार्टी के विधायकों ने सचिवालय के सामने धरना दिया है, सरकार की उदासीनता के खिलाफ···

श्री नवनीत पालीवाल : यह तानाशाह पार्टी नहीं है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : तानाशाह पार्टी का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो जनता के विधायक हैं उनको भी नहीं पूछते घटक के नाम पर ...

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आज का पूरा दिन जयकृष्ण जी को दे दिया जाय। चार बार घंटी बज चुकी है। दूसरे लोग भी बोलने वाले हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार क्या करना चाहती है, यह जवाब दें। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। थोथे आंकड़ों के अन्दर कोई तथ्य नहीं है, न आपने कोई क्षमता दिखाने की कोशिश की है। मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं कि जिन इलाकों में बाढ़ आई है उन इलाकों के लोगों के लए रोजगार का क्या इन्तजाम किया गया? क्या वहां के लोगों की तकाबियां सस्पेण्ड की गई? वहां पर बीज का क्या इन्तजाम है? उन लोगों के लिए छप्पर की कोई व्यवस्था की गई है? मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, इसका आप जवाब दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मुझे उम्मीद है सरकार इन पहलुओं पर विचार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : इस चर्चा में जो माननीय सदस्य भाग लेना चाहते हैं उनकी काफी लम्बी सूची है। जिन माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव दिये हैं कम से कम वे तो बोलेंगे ही। माननीय हरजीराम जी बुरडक का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

एक माननीय सदस्य : नाम बोल दीजिये।

श्री नवनीत पालीवाल : पांच-पांच मिनट का समय दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नवरंगसिंह।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री ईश्वरचन्द्र।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री लालशंकर डेंडोर।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रघुनाथ विश्नोई।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रामचन्द्र।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री नूरा

श्री नूरा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बाढ़ की समस्या के बारे में जिस तरह के सरकारी आंकड़े हमारे सामने आये, इसकी रिपोर्ट हमको पढ़ने को मिली, इसमें यह दर्शाया कि किस जिले में कितने करोड़ का

(श्री नूरा)

नुकसान हुआ लेकिन सरकार की तरफ से कितनी सहायता पहुंची यह नहीं बताया गया। काफी नुकसान होने के बाद सरकार की तरफ से सहायता के लिए अधिकारी वहां पर पहुंचे, जैसे कहीं झगड़ा हो जाने के बाद पुलिस पहुंचती है वैसे ही सरकारी मशीनरी बाढ़ आ जाने के बाद सरकारी सहायता लेकर पहुंचती है। जो सहायता उपलब्ध करायी जाती है वह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है उससे उनको कोई राहत नहीं मिलती। बाढ़ और अकाल दोनों का जुड़वा भाई की तरह का जोड़ा है। दोनों ही किसानों के बहुत बड़े दुश्मन हैं। एक तरफ बाढ़ से कई इलाकों को नुकसान पहुंचता है तो दूसरी तरफ कई इलाके पानी के लिए तरसते हैं और उनमें करोड़ों रुपया अकाल के नाम पर खर्च किया जाता है। इसलिए नदियों के पानी को नहरों के द्वारा इन इलाकों में पहुंचाना चाहिए। बाढ़ आने की स्थिति में वह पानी सूखे इलाकों में छोड़ दिया जाय तो काफी हद तक इस भयंकर स्थिति से बचा जा सकता है। इस प्रकार का सुझाव मैंने ब्लिट्ज अखबार में पढ़ा था। जहां पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है वहां इस मोटी योजना को लेकर सरकार कदम उठाये तो हमेशा जो बाढ़ग्रस्त इलाके मे सहायता देने के लिये पैसे की आवश्यकता होती है, उस पैसे का उपयोग दूसरी जगह विकास में किया जा सकता है। वाई चान्स कहीं बाढ़ आ जाय वह बात दूसरी है लेकिन हर साल जो बाढ़ आता है उस बाढ़ से बच सकते हैं। जहां तक बाढ़ पीडितों को सहायता देने का प्रश्न है सरकार की मदद से कोई गुजारा नहीं होता है। बड़े-बड़े पैसे वाले लोग उन लोगों को मदद देते हैं और उसके एवज में उनकी जमीनें छीन ली जाती है। बार-बार वे लोग ताना मारते हैं कि कहां गई सरकार। वे लोग गरीबों से एक-एक के चार-चार वसूल करते हैं। वे ब्याजखोर लोग काश्तकारों की जमीनें छीन लेते हैं और काश्तकारों के ऊपर हमेशा के लिए कर्जा चढ़ जाता है। सरकार की मदद समय पर नहीं पहुंचने के कारण महामारी फैल जाती है। ऐसे समय में भी शहर में रहने वाले डाक्टर लोग गांवों में जाना नहीं चाहते हैं। जन प्रतिनिधियों ने वहां की हालत देखी है। वास्तव में उनकी हालत देखी नहीं जाती। सरकार का जो प्रतिवेदन मिला है उसमें जितने करोड़ का नुकसान दिखाया गया है उससे ज्यादा का नुकसान हुआ है, यह तो लीपापोती है, इसकी जांच कराई जाय तो मालूम होगा कि कई गुना ज्यादा नुकसान हुआ है।

बाढ़ को रोकने की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। अगर सरकार हमेशा के लिए बाढ़ रोकने की व्यवस्था नहीं करती है तो मैं समझूंगा कि पूंजीवाद को पालने वाली सरकार की यह सबसे बड़ी पहल है। सरकार बाढ़ और अकाल का नाम लेकर लुटेरों को शोषण करने का मौका देती है। जनता ने कांग्रेस के समय में भाषण सुने और जनता पार्टी का शासन आने के बाद सुन रही है। जनता पार्टी ने और बुरी हालत कर दी इसलिये लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव में कहा था कि यहां तक हालत आ गई है कि एक विधायक, कामां के विधायक भूख हड़ताल पर बैठे। क्या उन्होंने कभी सरकार को लिखा नहीं होगा? क्या निवेदन नहीं किया होगा? लेकिन

(श्री नूरा)

उनको भी भूख हड़ताल करनी पड़ी। उसके बाद ही सारे जनता पार्टी के विधायक बैठकर विचार करने की हालत में आए। इससे पता लगता है कि सरकार किस तरह से लीपापोती वाली बात करती है। इससे आम जनता में असंतोष है। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो असंतोष बढ़ेगा और जनता स्वयं आने वाले समय में निर्णय ले लेगी, कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है।

अजमेर जिले में हर साल अकाल होता है। जब जालौर जिले में पानी पम्प किया जाता है तो अजमेर जिले को भी पानी की जरूरत है। इस साल भी अजमेर जिले में अकाल है। इस बाढ़ के पानी को भी उधर पहुंचाने की व्यवस्था करें तो जो करोड़ों रुपए का खर्च होना है वह बच जाए और अकाल से पिंड छूट जाए। सरकार ने इस बाढ़ को रोकने के लिये जो सहायता दी है वह जीरो है लीपापोती है। इससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। कमेटी नियुक्त करके जांच की जानी चाहिए ताकि पता लगे कि कितना नुकसान हुआ है। ये तो दिखावटी आंकड़े हैं, इससे ज्यादा प्रतिवेदन में कुछ नहीं है। बाढ़ को हमेशा के लिए रोकने के लिए मेरे सुझाव पर विचार करें नहीं तो जनता अपना निर्णय लेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री श्योपत सिंह।

श्री श्योपत सिंह मकासर : उपाध्यक्षजी, इस साल···

श्री नवरंग सिंह : माननीय अध्यक्ष ने मुझे बातचीत के लिए बुलाया था इसलिये मैं उनके पास गया था। मेरा निवेदन है कि मुझे मौका दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आपको श्योपतसिंहजी के बाद अवसर देंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अजीब विडंबना राजस्थान में इस वर्ष रही कि अतिवृष्टि व भयंकर बाढ़ ने राजस्थान के बहुत बड़े भू-भाग को तबाह किया है। उसके साथ-साथ कातरा और वर्षा न होने से चारों तरफ मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। इस बार राजस्थान में जो भयंकर बाढ़ आई, प्रशासन यदि चुस्त होता तो बाढ़ का यूटीलाइजेशन किसानों के हित में कर सकते थे। आज चीन ने वहां की सबसे उत्पात मचाने वाली नदी को नकेल डाल दी है।

एक माननीय सदस्य : वहां तो आदमियों को भी नकेल डालते हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : नकेल आदमियों के डलती है उस नकेल को देखने के लिए सुब्रह्मनियम स्वामी गए और अटल बिहारी जी देखने जा रहे हैं। राजस्थान में कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है। न यहां पर गंगा और न यमुना नदी है। इन नदियों को काबू किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। इस तबाही के बाद, अतिवृष्टि के बाद राज्य सरकार का सबसे पहला काम होना चाहिए था कि युद्ध स्तर पर इस काम को हाथ में लेती। हमारी खरीफ की फसल तो तबाह हुई है, अगर सरकार सचेत होती तो हम लोग रबी की फसल के अन्दर इस कमी को पूरा कर सकते थे और किसानों

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

को बचाया जा सकता था। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे मंत्रियों को इस बात की फुर्सत ही नहीं। उनका काम तो सिवाय तबादलों के और कोई नहीं है। तबादलों से परेशान हैं, तबादला कराने वाले उनका पीछा नहीं छोड़ते। अब भी समय है, कामां में बाढ़ आई है जिसके लिए हमारे विधायक ने अनशन किया है, उस क्षेत्र में जल्दी से जल्दी पानी निकालकर उस इलाके के लोगों को बचाया जा सकता है जहां रबी की फसल बोई जाती है। बाढ़ से दो तरह का नुकसान हुआ है। यहां कृषि मंत्री नहीं है। जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें कुछ आंकड़े बता दिए कि क्या-क्या हुआ? इनसे कोई पूछने वाला है कि आपने क्या किया? इतना लिख दिया कि इतने मकान गिर गए, इतने खेत बाढ़ की वजह से नहीं बोए गए यह नहीं बताया कि कितनी खड़ी फसलें बरबाद हो गईं।

किसानों को परेशान करने वाली बात यह है कि जब उसकी फसल पकने के नजदीक पहुंची, उसने खाद डाली जेब से सारा खर्चा लगा दिया और क्राप मैच्योर हो गई हो ऐसी हालत में अगर डूब जाती है तो किसानों को सदमा पहुंचता है। एक शब्द भी इस रिपोर्ट में नहीं है कि कितनी खड़ी फसल तबाह हो गई। क्या उनमें इस काबिल हिम्मत रह गई है कि रबी की फसल बो सकेंगे? पिछले साल हरियाणा सरकार ने ट्रैक्टर के ट्रैक्टर हायर करके गुड़गांव से रोहतक तक सामूहिक रूप से बिजाई के समय इमदाद की।

एक माननीय सदस्य : चीन में क्या हुआ?

श्री श्योपत सिंह मकासर : तुम में दम है नहीं। तुमको चीन भेज देंगे, फिक्र मत करो।

आज इमदाद होनी चाहिए थी रबी की फसल में उन किसानों को जिनकी खड़ी फसल तबाह हो गई, सस्ता कर्जा दिलवायें। जमीनों की काश्त करने की व्यवस्था करें, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करें। खरीफ की फसल हुई नहीं, इसलिए युद्ध स्तर पर व्यवस्था करनी चाहिए थी अगर आपके दिमाग में किसानों के लिए थोड़ा बहुत भी दर्द होता, किन्तु वह सऊर भी आप में नहीं है। आप पैसा मत दीजिए। आप बीज दें चाहे चने का बीज हो या गेहूं का हो। खाद के लिए इमदाद दें ताकि बिजाई के पहले खाद डाल कर नुकसान पूरा किया जा सके। किसान, जो फसल बो ही नहीं सकता, को सस्ता कर्ज दिया जाता, लेकिन कोई जिक्र नहीं है कुम्भकरण की नींद सो रहे हैं हमारे अधिकारी और सरकार के मंत्रीगण। उनको पता ही नहीं है इस बात का। अफसोस है इस बात का कि बाढ़ की स्थिति पर यहां बहुत पहले बहस होनी चाहिए थी मगर राज्य सरकार इस काबिल भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि अभी हमको केन्द्रीय सरकार से जो सहायता मिलने वाली थी वह नहीं मिली अब तक 36 लाख रुपया ही खर्च किया गया। दो महीने से लोग तबाह हैं, लाखों किसान और लाखों गरीब आदमी तबाह हो चुके और हमारी सरकार अभी तक 36 लाख से ऊपर रुपया नहीं दे सकी इससे ज्यादा और शर्मनाक बात क्या हो सकती है। अभी फसल की बुआई होगी, यह हमारी सरकार और अधिकारियों को पता नहीं। एक तरफ तो बाढ़ की तबाही, दूसरी तरफ लाखों मकान गिर

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

चुके और हमारी सड़कें तबाह हो गयीं किन्तु उनकी मरम्मत के लिये कोई कदम आज तक.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नहीं उठाया गया। पैसा अलाट नहीं किया गया। दूसरी तरफ जो खड़ी फसल थी थोड़ी बहुत उसको कातरा खा गया। जहां फसल खड़ी थी वहां सितम्बर के महीने में बरसात नहीं होने से अकाल की सी स्थिति पैदा हो गयी। इस साल भयंकर हालत राजस्थान में है जिसका मुकाबला करने के लिए सरकार को मदद करनी चाहिए थी किंतु सरकार ने कोई मदद नहीं की।

मैं घग्घर नदी की बात करता हूं। यह 150 मील के इलाके में बहती है। हरियाणा से यह आती है। यदि इसको काबू में ले लिया जाये, तो हजारों किसानों को बचाया जा सकता है हमारे इरिगेशन विभाग के अधिकारियों को इस बात का पता नहीं कि घग्घर नदी में कितनी बाढ़ आ रही है। मैंने टेलीग्राम दिया राज्य सरकार को कि हमारे अधिकारियों की वजह से हमारे इलाके में घग्घर नदी ने काफी बड़े क्षेत्र में जमीन को डुबो दिया। उनकी लापरवाही की वजह से यह हुआ। कोई जवाब आया? कोई जांच हुई? एक विधायक शिकायत करता है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हजारों एकड़ जमीन तबाह हो गयी किन्तु राज्य सरकार इस लायक ही नहीं कि अधिकारियों के खिलाफ जांच करती। किसी ने नहीं पूछा। "अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा" वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। मैं 7 तारीख को वहां के....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अधिकारियों से मिला। 7 सितम्बर को मैंने कहा कि पंजाब में भयंकर बाढ़ आ रही है और 74 हजार क्यूसेक्स पानी छोड़े जाने की रिपोर्ट है। मैंने उस रिपोर्ट का 11 तारीख को हवाला दिया एस. ई. को। मैंने कहा कि तीसरी दफा घग्घर में बाढ़ आ रही है और वह बहुत भयंकर बाढ़ आयेगी। मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या रिपोर्ट है? मैंने कलेक्टर से कहा, मैंने एस. ई. को कहा कि पंजाब के अन्दर उस पाइन्ट पर हमारा आदमी बैठना चाहिए। हमको मालूम नहीं कि कितना पानी आ रहा है। मैं 11 तारीख को हनुमानगढ़ से चला तो एस.ई. से मैंने बात की कि पानी बहुत आने वाला है। मैंने पूछा कि क्या रिपोर्ट है? एस. ई. कहता है कि इस दफा तो बहुत कम पानी आ रहा है। चार रोज बाद ही घग्घर ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई। जहां लाखों टन अनाज पैदा होता वहां धान की फसल, कपास की फसल, नरमे की फसल चौपट हो गयी। जिन किसानों ने सैकड़ों रुपया बीघा पर खर्च किया आज उन किसानों की कोई इमदाद करने वाला नहीं है। वह लावारिस हालत में है। हिन्दुस्तान का किसान जहां बाढ़ से पीड़ित है वहां राजस्थान सरकार के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बरबाद हो गया है। अभी भी आप चेतो और युद्ध स्तर पर काम करो। सारे अधिकारियों को आप हिदायत दें कि जहां की फसल डूबी है वहां के किसान को बीज, खाद और ट्रैक्टर की

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

व्यवस्था करें कल्टीवेशन के लिए। अब भी समय बाकी है। अभी चने की बुवाई शुरू हुई है, गेहूं की बाकी है, सरसों की भी बुवाई शुरू हो चुकी है। अगर इन सारी चीजों की व्यवस्था करें तो नुकसान को पूरा किया जा सकता है। राजस्थान के अन्दर तबाही को रोकना चाहिए। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत मामूली काम है। जो पानी यहां तबाही मचाता है उसका यूटीलाइजेशन करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवरंगसिंह,

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस वर्ष भयंकर बाढ़ और अतिवृष्टि ने एक प्रलयंकारी स्थिति पैदा कर दी है। मैं आपको निवेदन करूं कि झुन्झुनूं, सीकर और चूरू में यह कहावत चरितार्थ हो गयी है. यह कहा जाता था कि जहां नालियों में इतनी मात्रा में पानी नहीं बहा वहां पर नालियों ने नांदयां बनकर नयी स्थिति पैदा कर दी है। मैं यहां तक बताऊं कि झुन्झुनूं जिले में तो 19, 20 और 21 जुलाई याने तीन दिन में बरसात ने अपने पिछले सभी रिकार्ड बीट कर दिये। झुंझुनूं में करीब 50 हजार मकान, चूरू में करीब 90 हजार मकान और सीकर में करीब 30 हजार मकान बिलकुल ध्वस्त हो गये। वह लोग एक तरह से बिलकुल बेघरबार हो गए। उसके बाद यद्यपि राज्य सरकार ने कुछ सहायता करने की चेष्टा की लेकिन केवल 150 रुपया यदाकदा व्यक्ति को सहायता के रूप में दिया जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। वह सहायता बहुत ही मामूली थी। यही कारण हुआ कि झुंझुनूं जिले में जब बाढ़ का पसा बांटने के लिए गए तो निष्पक्षता नहीं रह पाई। इसी कारण छतरवाला देवरोड और कुछ दूसरी जगह अधिकारियों के घेराव भी हुए, उनकी घेराबन्दी भी की गयी और सही व्यवस्था नहीं रह सकी।

इसी तरह से मैं निवेदन करूं कि मेरे यहां चिराना है जहां के लिए कहा जाता है कि वहां कभी नदी नहीं आ सकती लेकिन वहां इतना भयंकर पानी आया कि हजारों बीघा जमीन नष्ट हो गयी। वहां पर कुओं की हालत यह है, मैं अकाल राहत मंत्री को लेकर जब वहां गया था तो मैंने उन्हें दिखाया कि देखिये पम्पिग सेट पर भी 10 फीट ऊंची मिट्टी चढ़ गयी। वहां का किसान है उसके पास केवल पहनने वाली बण्डी और बनियान ही बची है; बाकी सब चीजें मिट्टी में दब गयीं। वहां पर दो सौ और तीन-तीन सौ रुपया देकर अगर सरकार मान ले कि राजस्थान की या चिराना के किसान की समस्या खतम हो गयी तो यह सम्भव नहीं है। मंत्री जी ने स्वयं ने स्वीकार किया कि ऐसी स्थिति मैंने नहीं देखी। उन्होंने माना कि यह जमीन दुबारा ठीक नहीं हो सकती। फिर भी मैं निवेदन करूं कि हमारी राजस्थान सरकार जवाब देती है कि कहीं जमीन बंजर नहीं हुई है, कहीं बाढ़ नहीं आई है। मेरा 5 तारीख को एक प्रश्न था. उसका जवाब आया कि रिपोर्ट के अनुसार कहीं जमीन बंजर नहीं हुई है. इसलिए लगान माफ करने का प्रश्न नहीं उठता। ऐसी विषम स्थिति हमारे राजस्थान की है। ऐसी विषम स्थिति में हमारी सरकार का फर्ज था कि एक व्यवस्थित तरीके से लोगों की मदद करती। मैं निवेदन करूंगा कि नवलगढ़ का मोहल्ला जहां मेहतर बसते हैं, जहां खटीक और

(श्री नवरंग सिंह)

रेगर बसते हैं, जहां मुसलमान बसते हैं मैंने कलेक्टर को दिखाया। मंत्रीजी भी वहां का अवलोकन करके लोगों को आश्वस्त करके आये कि आपको सहायता मिलेगी लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि आज तक लोगों को सहायता नहीं मिली।

दूसरा मेरा निवेदन करना है कि इन्होंने सहायता का आधार बनाया 50 रुपये से 200 तक देने का वह यह बनाया है कि जिनका मकान कतई नहीं रहा। मकान का जरा सा मलवा भी अगर बाकी है तो वह सहायता का हकदार नहीं है। अब आप वहां कल्पना कीजिए कि कितने लोग बेघरबार हुए होंगे जहां 80 हजार और 50 हजार मकान ध्वस्त हुए हैं। कितनी बरबादी हुई होगी। मैं निवेदन करूं कि हमारे यहां कुछ नाम हैं चिराना, टोडपुरा, कोलसियां जहां नदी ने बिलकुल सारा स्वाहा कर दिया। जब वहां पर बांध बन रहा था तो मैं मंत्री जी को ले गया था। मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि यह बांध कम्पलीट हो जायेगा। वहां मौके पर कहा कि यहां पर श्रमिकों की संख्या 250-300 कर दो। उपाध्यक्ष महोदय, वहां 100 की संख्या घटाकर 25 कर दी। अधिकारियों ने कहा कि जरूरी नहीं है, माननीय मंत्री महोदय का आदेश मानें। यह स्थिति है। मैंने मंत्री महोदय को बताया किन्तु कोई असर नहीं हुआ। बाढ़ की स्थिति का सुधार नहीं हुआ, जहां से पानी टूटा है उसका सुधार नहीं हुआ तो झुन्झुनूं को और खतरा हो जायेगा। जहां देखने को मकान नहीं, बेचारे बड़े दुखी हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का फर्ज था कि उन लोगों की मदद करती। यद्यपि यह खुशी है मुख्य मंत्री जी कलकत्ता गये लेकिन आने के बाद हमने सुना कि वहां से पैसा आया नहीं।

इसी तरह से आपसे निवेदन करूं राज्य सरकार का यह कहना है कि कोई जमीन बंजर नहीं हुई है। मैं निवेदन करूंगा, मुख्य मंत्रीजी खाचरियावास के रहने वाले हैं उनके नजदीक का गांव खोरा है जहां 10 साल के लिये जमीन बरबाद कर दी। ऐसी स्थिति में निवेदन करना चाहूंगा कि सारी स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए मंत्री महोदय गौर करें। राजस्थान में जो बाढ़ से नुकसान हुआ है उसकी टेम्प्रेरी तौर पर कोई व्यवस्था कर दी तो उससे राजस्थान का काम चलने वाला नहीं है। ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जलवायु का परिवर्तन हो सकता है। इसके लिये सर्वे कराना बहुत जरूरी है। झुन्झुनूं जिले में 17 लोगों की जानें चली गईं। 4-10 को नवलगढ़ का बताऊं एक मकान के गिर जाने से एक औरत का पैर टूट गया। उसकी गम्भीर हालत है। उपाध्यक्ष महोदय, वह मानसिक अस्पताल में भर्ती है। दवाई के लिये उसके पास पैसे नहीं हैं...।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करूं कि एक आदमी भूख से मर गया, 5 तारीख को। लावारिश था, अस्पताल ले गये। उन्होंने कहा हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पुलिस ने कहा हमारी जिम्मेदारी नहीं। वह मर गया उसका पोस्ट मार्टम भी 24 घंटे बाद हुआ।

श्री रामनारायण चौधरी : भूख से मर गया ?

श्री नवरंगसिंह : जो भयंकर स्थिति झुंझुनूं, सीकर, चूरू में पैदा हुई है इस पर राज्य सरकार विचार करे।

श्री रामनारायण चौधरी : भूख से मरा है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री रघुनन्दन व्यास : डागा साहब, आप बोल चुके हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बड़ी गम्भीर बात है। जनता पार्टी के राज में लोग भूख से मर जायें..

श्री मूलचन्द डागा : मैं बड़ा आभारी हूं..

श्री रामनारायण चौधरी : नवरंग सिंह जी ने कहा कि झुंझुनूं जिले में एक आदमी भूख से मर गया। उसके खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई, जिसके कारण वह भूख से मर गया।

श्री जयनारायण पूनिया (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : बिलकुल गलत है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (विधि मंत्री): जिस क्रम में भाषण दिया, आपने उसको समझा नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम तो समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उसकी हालत ठीक नहीं थी। अस्पताल ले गये। दो घंटे बाद मर गया। कोई भी कारण हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : भूख से मर गया। उन्होंने कहा है। बाद में संशोधन किया होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवरंगसिंहजी ने स्पष्टीकरण भी दे दिया है।

श्री ईश्वर चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा में हमलो कैसे कह रहे हैं। सब कोई हमको कहने लगेंगे तो बड़ी मुश्किल में पड़ जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री रामनारायण चौधरी : डागा साहब बोल चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे जानकारी दी गई है कि मूलचन्दजी ने कोई अमेन्डमेंट प्रस्तुत किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय से मिले थे, उनकी सहमति मिली है कि उनको बोलने दिया जाये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : टाइम लिमिट कर दी जाये।

श्री उपाध्यक्ष : कितना समय लेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : 15 मिनट

एक माननीय सदस्य : केवल 3 मिनट दे दें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : पहले 10 मिनट बोल चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप पांच मिनट बोल लें।

श्री मूलचन्द डागा : अगर मैं इर्रेलेवेन्ट बात कहूं तो आप बन्द कर दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 5, 5 मिनट का समय दिया जाये।

श्री मूलचन्द डागा : बाढ़ के कारण जयपुर में मरता है उसको ज्यादा रुपया मिलता है, चूरू में मरता है उसको थोड़ा मिलता है और कोई झुन्झुनूं में मरता है उसको और कम मिलता है। कोई कहीं नहीं मरता है उसको भी मिलता है। यह सूची है आपकी। जयपुर में 9 आदमियों की बाढ़ के कारण मृत्यु हुई उन्हें 18 हजार, झुंझुनूं में 17 आदमी मरे और 20 हजार दिया और चूरू में आदमी मर गये 18 तो उनको 33 हजार मिल गया। यह आपके आंकड़े है, मेरे आंकड़े नहीं हैं। लिखा है चूरू में जिन लोगों की अकाल से मृत्यु हुई है उनके परिवार के लिये यह धनराशि मैंने दी है। बड़ा अजीब है। चूरू में मरने वाले आदमी की कीमत और होती है और जयपुर में मरने वाले की और ही कीमत होती है। इन्सान इन्सान में फर्क है। जोधपुर में एक भी नहीं मरा फिर यह चार हजार किसको दे दिये? प्रोफेसर केदार बड़े दयालु पुरुष हैं, आपने लिखा है, गंगानगर में मृत्यु हुई है 5 और 1 लाख 37 हजार...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कौन सा पृष्ठ है।

श्री मूलचन्द डागा : 32. You don't read it! They don't take the trouble.

गंगानगर में आदमी मरते हैं, मजबूत मरते हैं वहां रुपये दिये जायेंगे, 1 लाख 37 हजार। यह है डिस्ट्रीब्यूशन।

चूरू और झुन्झुनूं में वही बाढ़ है लेकिन धन राशि का वितरण अलग-अलग तरीके से हुआ है। मैं नहीं कहता कि राजनीति के आधार पर..

श्री सूर्यनारायण चौधरी : पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन सर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह बिलकुल सही है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप सुनिये तो सही।

पृष्ठ संख्या 32

अतिवृष्टि के कारण जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई है, उनके परिवार वालों को 2 लाख 91 हजार 700 की राशि मुख्य मंत्री सहायता कोष से निम्न प्रकार से खर्च की गई।

जयपुर--18,200। इसमें संख्या नहीं दी गई है, कितने मर गये

श्री मूलचन्द डागा : अब आप पेज 30 पर देखिये। मैंने कम्पेयर किया है। आप विधि मंत्री क्या बने हैं, प्रसिद्ध विधि मंत्री हैं। पेज 30 पर मृतकों की संख्या लिखी है, पढ़ता हूं।

चूरू में 18

झुन्झुनूं में 17

जोधपुर में कोई नहीं

(व्यवधान)

इस प्रकार मुझको डिस्टर्ब करें तो कोई लाभ नहीं होगा। मेरा यह कहना है कि बड़े

(श्री मूलचन्द डागा)
अच्छे विधि मंत्री जी हैं। भगवान करे इनको बहुत आगे बढ़ाये और सुप्रीम कोर्ट में जाय।

मेरा एक सवाल है कि इस प्रकार का जो फर्क बताया गया है, वह गलत है। अब मैंने खर्चे के मामले में देखा, बहुत बड़ी गलती है। यह राहत मंत्री जी की गलती नहीं है और मेरी हिम्मत नहीं है कि आपकी गलती निकाल दूं। यह गलती है उस नौकरशाही की जो किस प्रकार चंगुल में लेते हैं मंत्री महोदय को, ईमानदार मंत्री महोदय को चंगुल में ले लिया। गंगानगर में एक लाख रुपया मिला है। वहां आदमी मोटा होता है, सरदार होता है। यह क्राइटेरिया मेरी समझ में नहीं आया मेरे दिमाग में यह बात नहीं बैठ रही है।

अब अकाल राहत काम शुरू हुआ, उन अकाल राहत कार्यों में कितना रुपया मिला। श्रीमन् गौर फर्मायें आप और देखें इतना फर्क कैसे है? कहीं कुछ रुपया खर्च होगा और कहीं कुछ रुपया खर्च होगा। मैं आपकी सेवा में एक आंकड़ा बताना चाहता हूं। चूरू में खर्च किया गया 53। अब मकान जिनके टूटे हैं उनको कितना पैसा दिया गया? श्रीमन् चूरू के मकान बने हुये थे सीमेन्ट और पक्के पत्थर के···

(व्यवधान)

कच्चे और पक्के मकान अलग बात है। चूरू में जो पैसा दिया गया, झुन्झुनूं में जो पैसा दिया गया उसका क्या क्राइटेरिया है यह मालूम नहीं पड़ता है। कहीं कोई योजना मालूम नहीं होती है यह आपका क्या ब्ल्यू प्रिन्ट है। एक ब्ल्यू प्रिन्ट बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड ने बनाया, इसमें राजस्थान के आंकड़े दिये हैं कि 9 साल बराबर बाढ़ आई है और पिछले साल से ज्यादा बाढ़ आई है तो कोई आपने ब्ल्यू प्रिन्ट या मास्टर प्लान हाइड्रोलोजिस्ट से मिलकर कभी पेश किया है? मेरा कहना है, श्रीमन्, करोड़ों रुपया खर्च किया है। आपने मांग की 40 करोड़ की और मिला आपको 10 करोड़। चार दिन यहां स्टडी टीम रही। उसके घूमने के बाद आपने कहा है कि 40 करोड़ का नुकसान हुआ है और रुपया कितना मिला है—क्या हमारे मुख्य मंत्री महोदय बताना चाहते हैं? मैं एक बात बताना चाहता हूं इस प्रकार जो धनराशि है, मैं चुनौती देता हूं, राहत मंत्री जी का यह काम नहीं था, यह गलत तरीके से रखा गया है। सवाल है कि राजस्थान में आने वाले फ्लड को कन्ट्रोल कैसे किया जाय, उसके लिये क्या योजना बनाई जाय?

श्री बंशीलाल सारस्वत : अनावृष्टि, बाढ़ और अतिवृष्टि को रोकने के लिये सरकार के पास उपाय नहीं है। यह प्रकृति प्रकोप है। मेरा सुझाव है, इसको रोकने के लिये वैज्ञानिकों की सलाह लेनी चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे दिमाग में यह आया कि ब्ल्यू प्रिन्ट या मास्टर प्लान बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। फिर मैंने क्वेश्चन किया है।

आपकी घण्टी का डर लगता है।

मुझे बता दें ये मंत्री जी या राहत मंत्री जी, पिछली साल जो रुपया दिया सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने, वह रुपया कहां गया? इसी का परिणाम है कि अकाल पड़ गया और

(श्री मूलचन्द डागा)
हड़ताल करनी पड़ी । क्यों नहीं किया वितरण ड्रेनेज के लिए पिछली धनराशि का ? आप क्या किया इन्होंने ? माननीय ललित किशोर जी बड़े ईमानदार और सज्जन व्यक्ति हैं मैं इनकी प्रशंसा करता हूं इन्होंने सारा पैसा बाढ़ राहत में डाइवर्ट कर दिया और बाढ़ राहत में डाइवर्ट करने के बाद बाढ़ नियंत्रण की योजना बनाई । उस फ्लड कन्ट्रोल में आपने क्या किया है ? एक योजना भी नहीं बनाई । सेन्ट्रल बोर्ड के पास कब गये, ये जो पांच मंत्री थे ? कब उनकी कमेटी बनी ? फिर, श्रीमन्, फूलचन्द जी जैन और जनता पार्टी के विधायक सारे राजस्थान में घूमे थे । श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहता हूं ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : बोल चुके ।

श्री मूलचन्द डागा : पिछले टाइम में यह हुआ था कि फेमिन कोड़ में परिवर्तन करना चाहते हैं । यह मुख्य मंत्रीजी का आश्वासन है कि जनता पार्टी फेमिन कोड़ में परिवर्तन करने का कदम उठाना चाहती है कहां गये आपके वे कदम ? उस फेमिन कोड़ के लिये इधर के सारे माननीय सदस्यों ने और उधर बैठने वालों ने भी कहा था इस फेमिन कोड़ में रद्दो-बदल करें । हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने बड़ी बुलन्द आवाज में सदन में कहा था कि इस फेमिन कोड़ में परिवर्तन करेंगे । मैं कहूंगा, कौनसा परिवर्तन आप कर रहे हैं · · ·

श्री ईश्वर चन्द : कर रहे हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : यह आपका सन्तोष बड़ा अच्छा लगता है ।

मैं कहना चाहता हूं कि आपका इस प्रकार जो खर्चा होता है वह सब पानी की तरह बहता है । सारा मानसून बदल गया है । सवाल यह है · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मानसून बदलने के बाद हम किस प्रकार फ्लड को रोकें ? कच्चे मकान किनके होते हैं ? गरीबों के, उनको कितना रुपया दिया है ? 100) रु., आज के जमाने में 100) रु. मकान गिरने वालों को दें · · · ·

श्री रामेश्वर दयाल यादव : कोई सीमा है क्या इनके बोलने की ?

श्री मूलचन्द डागा : मुझे कहने दें । तो श्रीमन सारी टेक्नोलोजी को समझना पड़ेगा । क्या कहा है रिपोर्ट में, उसको पूरी तरह समझना पड़ेगा ।

अब हम आवास के बारे में कहें तो कहेंगे आवास के लिये हाऊसिंग बोर्ड ने नये-नये मकान बनाये हैं । सारा ब्ल्यू प्रिन्ट बनाया है और जो व्हाइट पेपर पेश किया है । राजस्थान सरकार ने जो काम करने की तस्वीर बनाई है भगवान करे इसको कोई न पढ़े । किसी ने इसमें अपना माइन्ड नहीं लगाया है, किसी ने नहीं बताया फ्लड कन्ट्रोल में हम कितने सफल हुए हैं । इस प्रकार का ब्ल्यू प्रिन्ट निकालते हैं और व्हाइट पेपर पब्लिश करते हैं तो गर्दन झुकानी होगी ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री मूलचन्द डागा)

यह कहा गया कि हमने इतना गेहूं बांटा । मैं बताना चाहता हूं राहत देना सदा के लिये जिन्दगी देना नहीं है । रुपये देते हुए फोटो खिचवाते हैं । 30 रुपये आपने दिये हैं । क्यों दिये ? गाड़ी फंस गई ? मैंने कहा आपकी कोई मिसाल भी है । आप हवाई जहाज में घूमते हैं और इधर से नत्थीसिंह जी बोलते हैं और वहां से बरनाला साहब कहते हैं कि हम राजस्थान की समस्या पर विचार करेंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि गरीबों को कितनी राहत मिली है ? कितना टी.ए., डी.ए. में खर्चा हुआ है ? कितने एस. डी. ओ. घूमे हैं ? वह खर्चा बता दीजिए, सही काम पर कितना खर्चा हुआ····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, अब कृपया समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : मैं खत्म कर रहा हूं, मुझे क्षमा करें।

यह कोई ब्ल्यू प्रिंट है । यह आपका लिखा हुआ नहीं है बल्कि उस नौकरशाही का लिखा हुआ है जो अपना दिमाग, अपना दिल और अपनी जिन्दगी इसमें झोंकना नहीं चाहता । इस प्रकार से सरकार का मखौल उड़ाने वाली यह नौकरशाही है । हमारे नए मंत्री जी समझदार हैं और सीधे हैं, हम इनकी बदनामी कराने को तयार नहीं हैं । मेरा नौकरशाही पर आरोप है । मैं आपसे कहता हूं कि नौकरशाही पर आप सवार हो नहीं सकते क्योंकि हमारे सारे मंत्री उनकी बैसाखियों पर चलते हैं । इनको उन बैसाखियों पर चलना होता है । इसलिये यह अपनी इण्डिपेंडेंट थिंकिंग लेकर नहीं चल सकते हैं, ये तो नौकरशाही की बैसाखियों का सहारा लेकर चलते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

नौकरशाही ने जो नुकसान किया है उसका यह ब्ल्यू प्रिंट है ।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय डागा जी, हाथ का इशारा इधर क्या कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपालसिंह खण्डेला ।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : माननीय उपाध्यक्ष जी, वैसे तो सारे राजस्थान में इस साल बाढ़ का प्रकोप हुआ है लेकिन राजस्थान के पश्चिमी भाग, जिसमें चूरू, झुन्झुनूं, सीकर और गंगानगर जिले मुख्य रूप से आते हैं, में इस बार भारी वर्षा हुई। वहां के बाशिन्दों ने कभी बाढ़ नहीं देखी, कभी तेजी से पानी बहता नहीं देखा, कभी पानी में डूबते नहीं देखा और जो ऐसी विकट समस्या के समाधान के उपाय भी नहीं जानते उन इलाकों में इस साल भारी वर्षा से बहुत बड़ी तबाही हुई है।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं सदन की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि सीकर जिले में आमतौर से डेढ़ सौ मिलिमीटर बरसात हुआ करती थी । इस वर्ष करीब छः सौ मिलिमीटर बरसात हुई है जो करीब चार गुना है। इसी तरह से चूरू जिले में चार गुना वर्षा हुई है और झुंझनूं जिले में भी जो साधारणतया: वर्षा प्रति वर्ष में होती है उससे करीब-करीब साढ़े तीन गुना अधिक वर्षा हुई है । इस अतिवृष्टि से इन तीनों जिलों के अन्दर जो वहां के रहने वालों के मकान थे, जो आम तौर पर साधा-

(श्री गोपालसिंह)

रण बरसात को बर्दाश्त कर सकते हैं, इस बार भारी संख्या में गिर गए हैं। जहां सदियों से लोगों ने कभी पानी नहीं देखा वहां नई नई नदियां और नाले बन गए हैं जिनकी वजह से वहां पर भारी नुकसान हुआ है, खेत बरबाद हो गए, मकान ढह गए, पशु बह गए और आदमी मर गए। यह जो इतना बड़ा नुकसान हुआ, मैं इस बारे में इसलिए कहना चाहता हूं कि इन जिलों के लोगों को कभी अन्दाजा नहीं था कि कभी पानी आएगा और वर्षा होने पर अपनी सुरक्षा का इन्तजाम करने की जरूरत भी पड़ेगी। अचानक पानी आया और उससे भारी बरबादी का शिकार होना पड़ा। सीकर जिले के बारे में, मैं कहना चाहूंगा कि वहां काटली नदी में इतना भारी पानी आ गया कि उसमें से सीकर, झुंझनूं, चूरू और राजगढ़ तक के इलाकों में जहां-जहां से पानी गया, वहां की जमीनों को, मकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। सीकर जिले में रानोली के पास में जो पुल था वह बह गया। खण्डेला और आस-पास के ऐरिया में पानी बह कर आया जिससे पुल टूट गया और पांच छः दिन तक सारा ऐरिया जल-मग्न हो गया। कम से कम आठ नौ दिन तक बीकानेर, गंगानगर की तरफ का ट्रैफिक बन्द हो गया। इसके बाद रेल्वे स्टेशन भी डूब में आ गया जिससे पांच सात दिन तक आवागमन बन्द हो गया। इसी तरह से कांवट के पास प्रीतमपुरा में जो पुरानी झील थी, जिसमें चार माइल लम्बाई और 2 माइल चौड़ाई में पानी भरा रहता है उसमें इतना पानी भर गया कि झील के ऊपर से पानी बह गया और चार किलोमीटर दूर काटली नदी में जाकर मिला, आप ताज्जुब करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, जहां यह पानी काटली नदी में जाकर मिला वहां तक चार किलो-मीटर लम्बा और दो सौ फीट चौड़ाई का एक नया नाला बन गया। यह तो खुशकिस्मती थी कि गांव के पास में आकर जहां पानी था वहां एक रोप आ गया और पानी रुक गया वरना सारा प्रीतमपुर गांव उसमें समा जाता, और बहुत भारी जान-माल का नुकसान होता यद्यपि इस समय रोप के कारण नाला रुका हुआ है लेकिन अगर फिर पानी आया और वह रोप बह गई तो सारा गांव जल-मग्न हो जाएगा। मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार का ध्यान खास तौर पर प्रीतमपुर ग्राम की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस समस्या के समाधान के लिए उस सारे नाले को पाटा जाय और जहां रोप है वहां पर सीमेंटेड वाल बनाई जावे ताकि दुबारा बाढ़ आवे तो गांव को खतरा पैदा नहीं हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से नीमकाथाना के क्षेत्र में सारा पानी सड़क पर आ गया और प्रीतमपुर गांव को खास तौर पर घेर लिया और सड़कें बन्द हो गईं, इसलिए वहां की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई है। जिलाधीश ने भी राज्य सरकार को निवेदन किया है कि उस क्षेत्र की सड़कों को जल्दी से जल्दी बनाया जावे और आस-पास के सारे बंधों को बनाया जावे।

इसी तरह से श्रीमाधोपुर तहसील में सीमरला गांव में काफी पानी भर गया। कुदरत ने साथ दिया और आस-पास के लोगों ने सीकर-जयपुर की सड़क को काट कर सारा पानी निकाल दिया। जिलाधीश ने

(श्री गोपालसिंह)

राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है कि वहां पर बांध बना कर इस समस्या का समाधान किया जावे।

इसी तरह से त्रिलोकपुरा, राणोली, असीपुरा, चिंघरिया आदि गांवों में लगातार बाढ़ आने से नुकसान हुआ है और करीब चार मील लम्बे और दो मील चौड़े खेतों में दस-दस फीट मिट्टी जमा हो गई है, नाकाबिले काश्त हो गई है, जमीन ऊसर हो गई है। इसी तरह से प्रीतमपुर के पास के नाले की वजह से चार मील लम्बाई में मिट्टी जमा हो गई है। पीपलिया के इलाके में हजारों लोगों के खेत खराब हो गए हैं, जमीन नाकाबिले काश्त हो गई है। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत राज्य सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारी समस्या के समाधान के लिए जैसा कि मैंने पहले भी सदन में तीन-चार दफा कहा है; काटली नदी के छोटे-छोटे बांध नीमकाथाना से लेकर उदयपुरवाटी, खण्डेला तक बना कर पानी को रोका जावे जिससे उस क्षेत्र में पानी का जो अभाव है उस का भी समाधान हो सकता है और इस नदी के पानी से सीकर, झुन्झुनूं, चूरू जिले के इलाकों में बरबादी होती है, उससे बचाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और इस नदी के पानी को जगह-जगह पर रोकने के लिए कोई एक योजना बनायेगी।

१ बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में यहां पर काफी कहा गया है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लोगों का जो नुकसान हुआ है, मकान ढह गए हैं, आदमी मर गए हैं, उनको जो सहायता दी गई है मौके पर, उसकी जो वितरण प्रणाली है, वह बड़ी खराब है। इसमें पब्लिक के लोगों का इन्वाल्वमेन्ट नहीं किया गया। मैं आपकी जानकारी के लिए यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी सीकर जिले में जितना पैसा उन लोगों के लिए भेजा गया है, जो नष्ट हो गये हैं या जिनका नुकसान हो गया है, वह पैसा बिन बंटा पड़ा है। समय समय पर जिलाधीश महोदय को, नीमकाथाना के एस.डी.एम. को मैंने निवेदन किया है कि इस पैसे को नहीं रोका जाना चाहिए, इसको जल्दी बांटा जाना चाहिए परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी करीब एक तिहाई पैसा बिना बंटा पड़ा है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस बार जो पैसा बांटा गया है उसमें पटवारी और तहसीलदार इन दोनों को रखा गया है। गांव के सरपंच को या पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव को इसमें इन्वाल्व नहीं किया गया। यदि ऐसा किया जाता तो सही ढंग से पैसा बंट जाता और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको भी समय पर पैसा मिल जाता। मुझे इस बारे में यह दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस बार जो वितरण हुआ है बाढ़ सहायता देने में, उसमें बड़ा घोटाला हुआ है। इसलिए हम लोग, जो जन प्रतिनिधि हैं, गांव के स्तर पर जो सरपंच हैं, उनका विश्वास लेकर नहीं चलते हैं तो, माननीय उपाध्यक्ष, मैं कहूंगा कि हम असलियत से दूर हो जाते हैं। यह एक तरीका हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा जन प्रतिनिधियों को ऐसे मामले में इन्वाल्व किया जाए ताकि सही वितरण हो।

(श्री गोपालसिंह)

एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे नीमकाथाना में सेवरी में पानी भरता है। यह साल भरा भरा रहता है। इससे लोगों को परेशानी होती है। इस समस्या का समाधान हमेशा के लिए होना जरूरी है। मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई प्लान बना कर या सिंचाई की व्यवस्था करके जल्दी से जल्दी उस पानी के निकलवाया जाए वरना उससे आस-पास के इलाकों में भारी बीमारी का प्रकोप होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद जहूर।

श्री मोहम्मद जहूर (कामां) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बार राजस्थान में देवी प्रकोप हुआ है उससे पूरे राजस्थान में क्षति हुई है परन्तु सबसे ज्यादा क्षति मेरे क्षेत्र कामां में हुई है। मेरे क्षेत्र में प्रति वर्ष बाढ़ का पानी आता है उससे दोनों फसलें नहीं होती हैं। यह जो बाढ़ मेरे क्षेत्र में आती है वह आती नहीं बल्कि लाई जाती है सिंचाई विभाग के द्वारा। पहले यह पानी को इकट्ठा होने देते हैं और बाद में कभी ड्रेन से पानी को निकालते हैं। उनके पास इंजिन है। अगर उनको समय पर चालू कर दिया जाता है तो वह पानी निकल जाता है। यू. पी. का राजस्थान की सीमा पर जो डेम बना है उससे हमें नुकसान होता है। हमारे क्षेत्र में हरियाणा से भी पानी आता है। उत्तर प्रदेश ड्रेन से पानी लेता है। हरियाणा ज्यादा पानी देता है मगर यू. पी. सरकार ज्यादा पानी नहीं लेती है। वह पानी अपनी मर्जी से लेती है। इस तरह से कामां क्षेत्र में कृत्रिम बाढ़ आ जाती है। सिंचाई विभाग घोटाला करता है। इस प्रकार सरकार का काफी नुकसान किया जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस साल जब बाढ़ आई तब मैंने 15 तारीख को मुख्य मंत्री जी को और सिंचाई मंत्रीजी को तार दिया था और 16 तारीख को मैंने लिख कर भी दिया था कि मेरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई है उससे लोगों को बचाने का कोई इन्तजाम नहीं हो रहा है। इसके बाद भी मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण मुझे 21 तारीख को अनशन पर बैठना पड़ा। इसका मैंने सरकार को अल्टीमेटम दिया था। मैंने मुख्य मंत्री, सिंचाई मंत्री व सिंचाई मुख्य अभियन्ता को तार व पत्रों द्वारा अनशन का नोटिस दे दिया था लेकिन सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेरे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र को देखा नहीं गया। 4 सितम्बर को लालपुर बांध टूटा, जिसके टूटने से 10/12 गांव डूब गये परन्तु यू. पी. के अखबार व रेडियो चिल्लाते थे कि मथुरा को दुबारा खतरा हो गया है। वैसे यू. पी. को कोई खतरा नहीं था, खतरा तो मेरे क्षेत्र के 10/12 गांवों को हो गया था। वे नष्ट हो गये परन्तु हमारी सरकार ने और उसके सिंचाई विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। 23 सितम्बर को हमारे उप नेता महोदय श्री सुराणा साहब इस सम्बन्ध में चीफ इंजीनियर से मिले और बताया कि इस क्षेत्र में 10/12 गांव लालपुर बांध के पानी से डूब गये हैं। परन्तु चीफ इंजीनियर महोदय ने बताया कि उनके पास आज तक कोई सूचना नहीं आई है कि इस लालपुर बांध से राजस्थान के गांव डूब गये हैं। यह कैसा प्रशासन है, कैसी मनमानी करते हैं। अपनी सरकार को भी वे कोई सूचना नहीं भेजते

(श्री मोहम्मद जहर)

हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह अर्ज करूंगा कि जब 21 तारीख को मुख्य मंत्री जी को लिख कर दिया तो उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया ? 21 तारीख को मुझे आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। जब मैं क्षेत्र में जाता था तो क्षेत्र की जनता चारों तरफ से मुझे घेर लेती थी भूखी और पीड़ित जनता द्वारा मेरे कपड़े फाड़ने की नौबत आ गई। वहां की जनता मुझे चारों तरफ से घेर लेती थी। वह यह कहती थी कि आप हमारी समस्या के बारे में सरकार को नहीं कहते हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। यहां पर 25 साल से बाढ़ आ रही है। इससे मेरे क्षेत्र के किसानों की हालत भिखारियों जैसी हो गई है। काश्त नहीं होगी तो वहां के काश्तकारों की हालत क्या होगी ? मेरे क्षेत्र के निवासियों का मुख्य धन्धा काश्तकारी का है। 10/12 गांव के लोग गुड़गांव नहर के किनारे पर पड़े हुए हैं। वे कैसे गुजारा करते हैं ? न तो उनको खाने को मिलता है न उनके पास पहनने को कपड़ा है। उनके लिए कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। वे वैसे ही पड़े हुए हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जो प्रति वर्ष बाढ़ आती है उसका एक स्थायी हल किया जाए। यू. पी. रेगुलेटर और हरियाणा रेगुलेटर पर केन्द्रीय सरकार इन्तजाम करे और समझौते के मुताबिक ही पानी छोड़ा जाय जिससे हमारे क्षेत्र में बाढ़ न आवे।

दूसरी बात यह है कि हमारे कामां क्षेत्र में गुड़गांव कैनाल निकाली जा रही है जो कि अधूरी पड़ी है। उसको पूरा करा दिया जाय। 65 लाख रुपया राज्य सरकार ने गुड़गांव कैनल को पूरा करने के लिए अलॉट कर दिया है परन्तु काम नहीं हो रहा है। इसके बन जाने से एक तो सिंचाई का काम होगा और दूसरे जो बाढ़ का पानी इंजिनों से निकालते हैं वह उसमें निकाला जा सकता है। इसलिये सरकार से मैं यह अपील करूंगा कि मेरे क्षेत्र की जनता को पूरी-पूरी इमदाद दी जाय और इस बाढ़ का स्थायी हल निकाला जाए ताकि प्रति वर्ष बाढ़ आ जाने से मेरे क्षेत्र के गांवों की जो फसलें खराब हो जाती हैं, उनको बचाया जा सके। जिनकी फसलें प्रति वर्ष खराब हो जाती हैं उनका लगान समाप्त किया जाय। दूसरे बाढ़ का पानी फसलों में घुस आया, फसलें खराब हो गईं, किसानों को नुकसान हुआ ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनट और।

दूसरी बात यह है कि अलवर का पानी जाता है वह सीकरी बांध में जाकर पड़ता है। सीकरी बांध से पानी कामां पहाड़ी की तरफ 40 प्रतिशत और 60 प्रतिशत डीग नगर की तरफ छोड़ने का है लेकिन सिंचाई विभाग वाले बरसात के दिनों में 80 प्रतिशत पानी कामां की तरफ छोड़ते हैं और डीग की तरफ 20 प्रतिशत पानी छोड़ते हैं। जब सिंचाई का पानी देने का समय आता है तब कामां पहाड़ी की तरफ 20 प्रतिशत और डीग नगर की तरफ 80 प्रतिशत पानी छोड़ते हैं। यह हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मैं मानता हूं कि सालपुर बांध को 6-6 फीट गहरा किया गया है। अब जो स्थिति पैदा हुई है वह इसकी वजह से ही हुई है। अधिकारियों ने कामां की तरफ

(श्री मोहम्मद जहूर)

पानी छोड़ा इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा यह पानी कामां की तरफ न छोड़ा जाय। इतनी बात कह कर मैं अपनी बात खतम करूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ पर बहस चल रही है उसके लिये सरकार का आभारी हूं। बाढ़ नियंत्रण के लिये जो कुछ कार्यवाही की वह हमारे सामने है। राजस्थान में इस समस्या पर दो हिस्सों में चर्चा की जा सकती है एक तो बाढ़ आने के कारण फ्लड प्रोटेक्शन और दूसरा फ्लड रिलीफ। जहां तक फ्लड प्रोटेक्शन का प्रश्न है मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो नुकसान जन जीवन का, पशुओं का मकानों का, फसलों का हुआ है और राज्य सरकार ने जो नुकसान को कूता है वह करीब-करीब चालीस करोड़ होता है—राउन्ड फिगर्स में। 15 लाख राजस्थान की जनता इस वर्ष में इफेक्ट हुई है। रिलीफ वर्क के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने 2 करोड़ 30 लाख का आवंटन किया है अगर 15 लाख आदमी इससे इफेक्टेड हुए हैं और 2 करोड़ 30 लाख का आवंटन किया है तो करीब 15-16 रुपये एक आदमी जो फ्लड से तबाह हुआ है, के पीछे राजस्थान सरकार ने बावजूद इतनी कोशिश करने के खर्च किये। आपने जो आंकड़े दिये हैं उसके हिसाब से राजस्थान में 1,86,824 मकानों, कच्चे या पक्के, जिनमें कच्चे ज्यादा हैं, को क्षति पहुंची है और 300 रुपये आप एक मकान के लिये देने जा रहे हैं। इस काम के लिये भी राज्य सरकार को 5 करोड़ 39 लाख रुपये चाहिये जिनकी बजाय आपने 1 करोड़ 88 लाख रुपये आवंटित किये हैं। इसलिये जो समस्या आप अपने स्तर से हल करना चाहते हैं उसके हिसाब से जितना रुपया आपने दिया है उसके बजाय वह 5 करोड़ 60 लाख होना चाहिये। आपने रिपोर्ट में जो फिगर्स दिये हैं, जो रुपये व्यय किये है वे कुल कितने हुए हैं इसका फिगर हमारे पास नहीं है। इसलिये मैं नहीं कह सकता कि जो रुपया दिया गया वह पूरा खर्च हो गया या नहीं, खर्च हो तो और मांग भेजी है या नहीं। यह दस्तावेज जो आपने बड़े कष्ट से बनाया है इसमें इसका जिक्र नहीं है। राजस्थान में 15 लाख आदमी बाढ़ से इफेक्टेड हैं उनकी समस्या को 15 रुपये देकर हल करना चाहते हैं और हम लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं कि काम बहुत अच्छा किया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं फ्लड की समस्या के बारे में, मुख्य मंत्री जी, राजस्थान के कोई 10-15 जिलों में फ्लड का प्रभाव होता है इसके कारण भी आपने दे दिये होंगे जिनकी मैं जानकारी नहीं चाहता। बरसात अधिक हो जाती है तो, बांधों पर चदरें चल जाती हैं और बान्ध टूट जाते हैं। मेरा सबसे पहला निवेदन है कि पिछले 10 सालों से राजस्थान में फ्लड का इफेक्ट होता है तो जिस तरह से हमने फेमिन कोड बनाया था उसी तरह से फ्लड कोड बनाना चाहिये। गिर गये मकान के लिये आप 300 रुपया देना चाहते हैं कल कोई दूसरा मंत्री आ जाय वह 500 रुपये देगा, कोई 100 रुपये देगा कोई 200 रुपये अब तो पश्चिमी राजस्थान में भी फ्लड आना शुरू हो गया हैं। नागौर जिले में बराबर फ्लड आता देख रहे हैं। अन्य रेगिस्तानी इलाकों में भी बाढ़ आ रही है। मेरा निवेदन यह है कि जब फ्लड आता है तो कलेक्टर टेलीफोन करते हैं इरिगेशन वालों को कहते है कि वाटर पंप आउट करना चाहिये। पब्लिक हैल्थ वाले कहते हैं हमारे पास छोटे

(श्री मथुरादास माथुर)
पंप हैं बड़े पंप नहीं हैं। बोट्स मांगी जाती हैं, मिलिटरी वालों के पास दौड़ते हैं। वे कहते हैं आगरा से मंगाई है। इसलिये डिपार्टमेन्ट में एक फ्लड रिलीफ सेक्शन खुला होना चाहिये और उसके पास बड़े पंप होने चाहिये बोटस भी आपके पास होनी चाहिये लोगों को रिलीफ देने के लिये। इसलिये आपको रिलीफ विभाग को पूरा सशक्त करना चाहिये। फ्लड हर साल आता है उसके लिये यह जरूरी है कि फ्लड कोड बनाया जाय। रिलीफ विभाग में फ्लड का एक स्ट्रांग सैल होना चाहिये जिसका कटीनुअस प्रोसेस रहे। तीसरा सुझाव यह है कि वित्त कमीशन ने राजस्थान को 51 करोड़ नेचरल कैलेमिटी का मुकाबला करने के लिये दिये हैं। इन 51 करोड़ का हिसाब क्या है। ये खर्च किये जा चुके या नहीं? मुझे शक है रुपये बचे हुए हैं। मुझे डर है कि फिर कमीशन की रिपोर्ट आएगी उसकी रिपोर्ट आने वाली है। उसकी रिपोर्ट में नेचरल कैलेमिटी की रेस्पांसिबिलिटी सेन्ट पर्सेन्ट राज्य सरकार की है। राजस्थान में फ्लड आये या अकाल पड़े तो उसका भारत सरकार को पूरा खर्चा उठाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भारत सरकार ने क्या किया? आपने अब तक एफर्ट्स किये उसका फल क्या निकला? आप जो कह रहे हैं—फ्लड्स का, फैमिन का सारा रुपया गवर्नमेन्ट को लोन में सब्सिडाइज करना चाहिये। आपने 20 वर्ष तक प्रयत्न किये उसका क्या नतीजा निकला?

श्री मथुरादास माथुर : यह 51 करोड़ 5 वर्ष के बीच में आया। बराबर हम कहते रहे कमीशन के सामने। इस साल आपने भी कहा है और हमने भी कहा है। आपने 51 करोड़ रुपया खर्च नहीं किया। किन्तु हमारा ज्यादा खर्चा होता है यह मान लें। उन्होंने इसको नहीं माना। वह कहते हैं कि 51 करोड़ रुपया खर्च नहीं होता है, तो वह सेण्ट पर्सेण्ट नही देंगे वह 70% ही देंगे। ज्यादा खर्च करने की हमारी वाजिब डिमाण्ड है। हम भारत सरकार से उसके लिए मांग करें। वह इतना कह सकते हैं कि 51 करोड़ रुपया दिया था वह खर्च किया या नहीं? भारत सरकार की टीम भी आती है। वह यही रिपोर्ट देगी तो सेण्ट पर्सेण्ट नहीं देंगे तो कम से कम 50 करोड़ तो देंगे। यह तो हम को मिलेंगे। आप रुपया लिये हुए बैठे हैं, कुछ तो खर्च हो गया और कुछ बचा हुआ है। अगर बचा हुआ नहीं है तो आपको भारत सरकार से इस हैड में और मांग करनी चाहिए। आपने भारत सरकार से जो रुपया मांगा है, वह आपने 33 करोड़ मांगा है। वह रुपया आ गया है। मेरा निवेदन यह है कि कुल मिलाकर 2,30,07,000 रु. खर्च आज तक हो गया है। यह भी उसमें ही शामिल होगा। 15-16 रुपया एवरेज खर्च करके आप क्या सहायता देना चाहते हैं? यह तो फ्लड रिलीफ का हाल है। फ्लड रिलीफ का यह सब मामला है, मुख्य मन्त्री जी, इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेण्ट होना चाहिए। उसमें फ्लड सम्बन्धी सारी चीजें होनी चाहिए। पानी को पम्प आउट करने के लिए और दूसरे कामों के लिए पूरा डिपार्टमेण्ट आपको बनाना चाहिए।

अब उसके बाद इसका एक दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि फ्लड आता ही

Page No. 108

(108)

(श्री मथुरा दास माथुर)

क्यों है ? गंगानगर का सवाल आज का नहीं है यह घग्घर नाली का सवाल है, भरतपुर की बाढ़ का सवाल है, हरियाणा के बांध का सवाल है, यह इस प्रकार के झगड़े हैं आखिर इनका इलाज क्या है ? रुपया मिला है ? इरिगेशन डिपार्टमेण्ट में रुपया है लेकिन आप पूरा इन्तजाम नहीं कर पाते हैं। भरतपुर में स्कीमें बनाई हैं, वह पूरी नहीं बना पाये हैं। अलवर, भरतपुर और गंगानगर में फ्लड आता है, इसके लिये मुख्य मंत्री जी मैं एक सुझाव देता हूं, आप हाई पावर टेक्निकल कमेटी बनाइये। राजस्थान को आप दो हिस्सों में बांट दें। पंजाब और हरियाणा से पानी आता है इससे भरतपुर, अलवर और गंगानगर में फ्लड आता है। आप हाई पावर कमेटी बनायें। जो स्कीम बनाए। जो रुपया आपके पास है, उससे फ्लड कंट्रोल स्कीम को पूरा करने के हमेशा के लिए फ्लड को खतम करदें। ताकि बार-बार फ्लड नहीं आये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं दो मिनिट और अर्ज करूंगा।

जिन लो लाइंग एरिया में फ्लड आते हैं और ऐसे एरिया में जहां बरसात कम होती है, लेकिन अब बरसात की मात्रा बढ़ गई है, वहां से लोगों को हटाकर किसी और ठीक जगह पर बसाया जाना चाहिए। खास कर बड़े शहरों के पास बसायें।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि हाई पावर कमेटी यह भी देखे कि फ्लड की डेफीनेशन क्या हो। कई दफा सरकार यह कह देती है, कि ज्यादा बरसात होने से मकान गिर गया तो हम क्या करें कई बार ऐसा होता है। इसलिए फ्लड कोड बनायेंगे तभी सब बातों का समाधान होगा। इस समस्या पर विचार करने का बहुत कम समय मिला है। मैं पुरजोर शब्दों में कहता हूं कि आपको हाई पावर कमेटी बनाकर इसका हमेशा के लिए फैसला कर देना चाहिए। प्लाण्ड तरीके से रुपया खर्च करना चाहिये। रुपया बहुत खर्च हुआ है, पहले भी खर्च हुआ लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है। इसलिए आप फ्लड को खतम करने का काम तेजी से कीजिए और जल्दी करने की कोशिश कीजिए।

एक बात और कहना चाहता हूं, फ्लड के बारे में सदन के अन्दर कई माननीय सदस्यों ने कई बातें कही हैं, मुख्तलिफ बातें कही हैं, फ्लड आते हैं तो अच्छी फसल होगी। लेकिन सबने यह कहा है कि बाढ़ रुकनी चाहिये। सस्पेण्ड होनी चाहिये। फ्लड कोड नहीं होने से पचास बातें पैदा होती हैं। जो वसूली आ रही है, वह रुकनी चाहिए। मुकदमें वगैरह भी चलते हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए। फैमिन में भी यह होता है। जो फ्लड इफेक्टेड एरिया है, वहां के लोगों को राहत देने की व्यवस्था होनी चाहिए वरना स्थिति और खराब होगी। आगे बीज और तकाबी की व्यवस्था कर देनी चाहिए आपने इन्तजाम किया है, लेकिन रुपया बहुत थोड़ा है। किसानों के लिए माकूल इन्तजाम करें तभी किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्य काफी हैं। अभी मन्त्री महोदय भी जवाब देंगे। इस परिस्थिति में मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय अपना उत्तर दें।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोगों को बोलने का मौका तो मिलना चाहिए।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इतना समय तो मिलना चाहिए कि हम अपनी बात को आपके सामने रख तो सकें।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी कुछ निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, यदि समय बढ़ता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, जो सदस्यों की सूची है, उसके हिसाब से काफी समय बढ़ाया जाना चाहिए। समय बढ़ाया जाये या नहीं, इस समय जो परिस्थिति है उसको देखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह अपना उत्तर दें।

श्री सुरेश कुमार : शुरू में बोलने वालों को अधिक समय दिया जाता है। यह मर्यादा के विपरीत है।

(व्यवधान)

किसान पैदा करके देता है। वह ज्यादा से ज्यादा दुःख उठाता है। उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कोई नहीं सुनता है तो इधर आ जाइये।

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में जो निर्णय हुआ उसके हिसाब से पांच बजे के बाद समय बढ़ता है तो केवल मिनिस्टर के रिप्लाई के लिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ऐसा नहीं है...

श्री नवनीत पालीवाल : ऐसा ही है, आप तो मौजूद थे माननीय सदस्य।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इसमें परेशानी की क्या जरूरत है। बाढ़ पर अपनी बात कहना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के सदस्यों को कभी पूरा समय नहीं मिलता।

श्री मूलचन्द डागा : तो आप अपनी पार्टी में बात कर लो।

श्री अब्दुल अजीज : आपका मन्त्रिमण्डल है, आपकी सरकार है

(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन की कार्यवाही का समय एक घंटे के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

राज्य में बाढ़ की स्थिति पर विचार
डा. हरिसिंह

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ के मामले में राजस्थान में एक विशेष स्थिति है। वैसे कई माननीय सदस्य इस विषय पर अलग-अलग जगहों की

(श्री हरिसिंह)

समस्याओं के बारे में अपने विचार रख चुके हैं। राजस्थान में बाढ़ की एक विशेष स्थिति के बारे में मैं कहना चाहूंगा। वह स्थिति यह है एक तरफ बरसात के वक्त राजस्थान में ज्यादा पानी आ जाता है, जिससे बाढ़ आ जाती और दूसरी तरफ राजस्थान में सूखे इलाके भी हैं, जहां पर पानी नहीं होने से पैदावार और पशुधन को भारी नुकसान होता है। यह क्यों है ? माननीय माथुर साहब ने जो कहा कि बाढ़ आती है उस बाढ़ के पानी को कन्ट्रोल करने के लिए और उस पानी को एक्सप्लाइट करने लिए हमने आज तक नहीं सोचा। एक तरफ तो पानी बरबादी लाता हैं उसको हम एक्सप्लाइट नहीं करते हैं उससे नुकसान होता है। यह हमारी एक भूल है। मैं सोचता हूं कि इससे इन्कार नहीं किया जा सकता, चाहे साबी नदी हो, चाहे काटली नदी या और कई दूसरी नदियां हैं जो साल की साल बरबादी लाती है और जान-माल का नुकसान करती हैं। उनके परमानेन्ट इलाज के लिये, कोई समाधान के लिये हम नहीं सोचते। सांभर के अन्दर ज्यादा पानी आ जाने से नमक नहीं बना तो एक तरफ तो ज्यादा पानी जाने से नमक नहीं बना और दूसरी तरफ हमने इसके सुधार के लिये कोई स्थाई उपाय नहीं किया, इसलिये इतना नुकसान हुआ। बाढ़ की स्थिति साल की साल कभी ज्यादा और कभी कम होती है। इस साल ज्यादा बाढ़ आ गई लेकिन जब तक इसका परमानेन्ट सोल्यूशन, परमानेन्ट समाधान नहीं करेंगे तब तक हमारा साल की साल करोड़ों रुपया खर्च होता रहेगा और लोगों को राहत के नाम पर लूट की छूट मिलती रहेगी। मैं आपको अर्ज करू' उपाध्यक्ष महोदय, बाढ में आफिसरों के इधर से उधर आने जाने में टी.ए.,डी.ए. में जो खर्चा होता है वह तो रिकार्ड पर है उसके अलावा इसमें गबन होता है। इन परिस्थितियों में भी जिसका दस हजार रुपया का नुकसान हुआ है उसको हम चालीस रुपये देते हैं। अभी चालीस करोड़ का नुकसान हुआ और ढाई करोड़ रुपये दिये गये। तो इस तरह से साल की साल ढाई करोड रुपया देते रहेंगे और चालीस करोड का नुकसान होता रहेगा तो इस तरह से राजस्थान की इकोनामी सुधर नहीं सकती। इसलिये हमको परमानेन्ट बेसिस पर इसको सुधारने के लिये सोचना पड़ेगा। इसके लिये हम क्यों नहीं सोचते हैं ? मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान में कहां-कहां पर बाढ़ के कारण चाही भूमि बंजर हो गई। उसका जवाब आया कि कहीं नहीं। दूसरा मैंने पूछा कि अगर भूमि कहीं बंजर हो गई तो किसानों को क्या राहत दी गई, उनको क्या साधन उपलब्ध कराये जा रहे है ? इसका जवाब आया "प्रश्न ही पैदा नहीं होता"। दो जगह मैं खुद होकर आया हूं, दस साल से ऐसे खेत हैं, एक खोरा गांव में जहां पर खेती में बजरी आ गई है उसमें अंकुर भी नहीं उग सकता। चाहे छतों पर लोग पैदा कर सकते हैं लेकिन उस जमीन पर नहीं। दूसरी जगह चिराना है जहां पर मास्टर आदित्येन्द्र जी भी मेरे साथ गये थे, इस प्रकार से और भी जगह होंगी जहां पर हालत ऐसी ही खराब होगी। सरकार का जवाब आता है कि कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार सीरीयस

(श्री हरिसिंह)

नहीं है या सरकार को मालूम नहीं, है राजस्थान में तबाही किस तरह से हो रही है। सरकार को मालूम ही नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इसका समाधान तो नामुमकिन होगा ही। यह हमारी इग्नोरेन्स क्यों है? हम उसको दूर नहीं करना चाहते। मैं अर्ज करूंगा माननीय मुख्य मन्त्रीजी से कि जिन अधिकारियों ने इस सवाल का जवाब भेजा है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और इसके समाधान के लिए सख्त कदम उठाये जायं। यह इतना कटु सत्य है, जिसको सदन में इस तरह से पेश किया जाता है। मेरा कहना है कि बाढ़ के मामले में सरकार को जागरूक होना चाहिए और परमानेन्ट सोल्यूशन ढूंढ़ने के लिए एक हाई पावर कमेटी, जैसा कि माननीय माथुर साहब ने सजेस्ट किया, बिठायी जानी चाहिए और उसकी रिकमण्डेशन के आधार पर परमानेन्ट सोल्युशन ढूंढ़ना चाहिए। राहत का काम जो सरकार इस वक्त कर रही है उससे इसका कोई सोल्यूशन होने वाला नहीं है। इससे राजस्थान की इकोनामी ठीक होने वाली नहीं है। हमने सौ रुपये दे दिये। हम लोगों को जलील करके सौ रुपया देते हैं, किसी को पांच सौ देते हैं। इतना जलील करते हैं, कई बार तो लोग सोचते हैं कि नहीं लेवें तो अच्छा है। जिस आदमी के चालीस हजार का नुकसान हुआ है उसके लिए चालीस रुपये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। यह हमारी हमेशा आदत है कि किसी को दान देने में विश्वास करते हैं उसके दुःख को दूर करने में उसकी सही सहायता करने में नहीं। हमारी इस आदत को बदलना पड़ेगा और बाढ़ का परमानेन्ट सोल्यूशन ढूंढ़ना पड़ेगा तथा बाढ़ राहत कार्यों को सही ढंग से इम्प्लीमेन्ट करना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं समझता हूं कि मौजूदा कार्यक्रम काफी नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री काशीनाथ।

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। अलवर, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कहीं भी ज्यादा वर्षा हो भरतपुर में बाढ़ बनती है। इस वर्ष भरतपुर में वर्षा शुरू होने से पूर्व ही रामगढ़ के बंधे से बाढ़ आ गई। बाढ़ों का सबसे अधिक पानी राजस्थान भर में कुम्हेर की छाती पर से होकर निकल कर जाता है। बाणगंगा नदी का आधे से ज्यादा पानी, रूपारेल नदी, जो अलवर से बाढ़ लेकर आती है, का पानी तथा कामां की बाढ़ का एक-एक बूंद पानी गोवर्धन ड्रेन से कुम्हेर में होकर निकल जाता है। आज भी इस क्षेत्र में होम्स कैनाल के सहारे-सहारे 15,000 एकड़ भूमि बाढ़ के जल से जलमग्न है। कहीं दो फीट, कहीं तीन फीट और कहीं चार फीट से अधिक पानी भरा हुआ है। घरबारी, कसंवा, आज कई ऐसे गांव हैं जो मीलों तक पानी से घिरे हुए हैं। कोरेर, कासोट, तमरेर, पेंघोर आदि कितने ऐसे ग्राम हैं जिनके लोगों को मीलों का चक्कर बाढ़ के पानी की वजह से लगाकर जाना पड़ता है। गत वर्ष केन्द्रीय बाढ़ अध्ययन दल ने इस क्षेत्र की हालत को देखते हुए निश्चय किया था कि कुम्हेर, डीग और भरतपुर

(श्री काशीनाथ गुप्त)

की बाढ़ का मूल कारण होम्स कैनाल है। यह कैनाल आज से 125 वर्ष पूर्व भरतपुर रियासत के जमाने में केप्टेन होम द्वारा इस क्षेत्र के बाढ के पानी को निकालने और सिचाई करने के लिए बनाई थी। इन्जीनियरों की रिपोर्ट थी कि यह नहर अब 414 फीट सिल्ट चुकी है। अतः केन्द्रीय अध्ययन दल ने इस नहर की क्षमता दुगुनी करने के लिए 14 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की। इसमें से अब तक केवल 3 लाख रुपया ही खर्च हो पाया है। यह रुपया भी, न मालूम भगवान ही जानता है कि वास्तव में कितना खर्च हुआ है। मैंने जगह-जगह जाकर देखा है कि कहीं-कहीं इसमें चेके खुदवाकर मिट्टी निकलवा दी गई है, कहीं 50 गज की दूरी पर, कहीं 100 गज की दूरी पर, कहीं एक किनारे पर तो कहीं दूसरे किनारे पर मिट्टी निकाल दी गई है। कहीं भी ढंग से खुदाई नहीं की गई है। मैंने कहा था कि करूंवा गांव पर बाईं ओर का किनारा जमीन से मिला हुआ है। अत: इस नहर की खुदाई की मिट्टी बाईं ओर डाली जाए ताकि इस गांव की रक्षा हो सके परन्तु यह सब मिट्टी दायें किनारे पर डलवाई गई जो कि पहले से ही दो या ढाई फीट ऊंचा था। जिसकी वजह से दायां किनारा काफी ऊंचा हो गया और तमाम गांव बाढ़ के पानी से डूब गया। यह गांव गत वर्ष भी डूब गया था। मैंने सिचाई मंत्री महोदय से कहा तो उन्होंने बतलाया कि अब बायें किनारे पर मिट्टी डाली जाएगी परन्तु बायें किनारे पर तनिक भी मिट्टी नहीं डाली गई। होम्स कैनाल, जो कि सवा सौ वर्ष पुरानी है और 20 वर्ष से जिसकी सफाई नहीं हुई है, में पुल व पुलियायें पानी के निकास की पचासों वर्ष पुरानी बनी हुई हैं, जबकि आज उस समय से वर्षा तिगुनी व चौगुनी होती है एवं बीसों गुना अधिक बाढ़ का पानी आने लग गया है। इंजीनियर लोग कहते हैं कि डिप्रेशन की वजह से पेंगोर का पानी नहीं निकल पाता है परन्तु यह गलत है। जब तक पानी के निकास के साधन आज जितना पानी आ रहा है उसके अनुसार नहीं बढ़ाये जायेंगे तब तक यह पानी खाली नहीं होगा। हमारे सिचाई मंत्री महोदय ने अपने टूर के समय...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री काशीनाथ गुप्त : मुख्य अभियन्ता से सलाह करके घोषणा की थी कि 15 अक्टूबर तक होम्स कैनाल के पानी को निकाल कर जमीन खाली कर दी जाएगी। पर मेरा यह दावा है, यह बाढ़ का पानी इस क्षेत्र से 15 दिसम्बर तक भी खाली नहीं होगा। इस बाढ़ के कारण इस क्षेत्र के काश्तकार भूखे और नंगे हो गए हैं। दिन पर दिन गरीबी बढ़ती जा रही है। गत 4-5 वर्षों से एक भी फसल इस क्षेत्र में नहीं हो पा रही है। हमारे यहां पर अधिकतर काश्त सरसों, गेहूं व चने की होती है। सरसों की फसल के लिए काश्तकार को 10-10 और गेहूं के लिए 7-7 और 8-8 जोत देनी पड़ती हैं और चने की बुवाई अक्टूबर में ही हो जाती है। जब यह भूमि दिसम्बर और उसके बाद खाली होगी, तब काश्त की कैसे भूमि तैयार की जा सकेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री काशीनाथ गुप्त : पहले जहां इस क्षेत्र में 10-10 मन प्रति बीघा पैदा होता था वहां अब 3 व 3।। मन प्रति बीघा पैदा होता है। भरतपुर जिले की जनता की यह मान्यता है कि इंजीनियर प्रति वर्ष भरतपुर में बाढ़ पैदा करते हैं। आज मेरी भी यह मान्यता बन गई है कि भरतपुर जिले में और खास कर मेरे क्षेत्र में बाढ़ को इंजीनियर ही बनाते हैं। गत वर्ष घरसोनी के पास बाण-गंगा में करीब 50 फीट का एक कट पड़ा था। ओवरसियर ने 40 हजार रुपये की स्वीकृति इस कट को बंद करने की मांगी थी, लेकिन कोई स्वीकृति नहीं दी गई। उसका वायरलैस आज भी बाढ़ कन्ट्रोल रूम में मौजूद है। करीब एक सप्ताह बाद जब नदी में बाढ़ कम हुई फिर उसने रुपये की मांग की लेकिन फिर भी कोई स्वीकृति नहीं दी गई। इंजीनियर बराबर अवहेलना करते रहे। इतने में ही नदी के अन्दर भारी बाढ़ आई जिसके कारण हजारों गज लंबा यह कट बन गया जिसने भारी बरबादी और तबाही मचा दी। इंजीनियरों ने बहाना लिया कि नदी ने अपना बहाव बदल लिया है। वास्तव में यह कतई गलत है। यदि उस कट को उसी समय बन्द कर दिया जाता तो यह बाढ़ का कारण नहीं बनता और नदी के बहाव बदलने का बहाना भी नहीं होता। जानबूझकर इंजीनियर ने गलती की। बाढ़ के समय में उसकी...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री काशीनाथ गुप्त : अयोग्यता के कारण उसको वहां से बदला गया लेकिन फिर वह सांठ-गांठ करके वहां पहुँच गया और दुर्भाग्य से उसे होम्स कैनाल का काम दे दिया गया। उसकी लापरवाही से यह इलाका पहले साल बरबाद हो चुका था। यह इंजीनियर कभी भरतपुर में नहीं ठहरता है। हफ्ते में दो तीन दिन दिल्ली भागकर जाता है जहां इसका व्यापार चल रहा है। मैंने गत वर्ष ही सिंचाई आयुक्त महोदय को इस इंजीनियर के बारे में पूरी जानकारी दी थी। उन्होंने यह स्वीकार भी किया था कि वास्तव में यह इंजीनियर भरतपुर में नहीं रहता है और लापरवाही करता है। इसी कारण इसका तबादला किया गया लेकिन राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को फिर से बरबाद करने के लिए उसे हमारी छाती पर लाद दिया।

इसके बाद सवा करोड़ रुपये का काम सी. एफ. सी. डी. का मिला हुआ है जो कि भरतपुर के पास है यह नहर भरतपुर से 23 मील दूर से प्रारम्भ होती है जहां कभी वह जाता नहीं कभी उसने इस नहर को देखा नहीं। यही कारण है कि छोटा सा 14 लाख रुपये का काम एक वर्ष में नहीं करा सका। मैंने कई बार इससे अपने साथ होम्स कैनाल पर हो रही खुदाई को देखने के लिए कहा। चारों पांचों बार उसने मुझसे हां भर ली लेकिन एन टाइम पर सी. एफ. सी. डी. के काम में व्यस्त होने के कारण नहीं चला। इस नहर का काम अधूरा है जिसकी वजह से भारी तबाही मची हुई है। मुख्य मंत्री महोदय गत वर्ष भी इस क्षेत्र को देखने आए थे और इस वर्ष भी उन्होंने देखा है। मीलों दूर-दूर तक पानी भरा हुआ था और आज भी पानी भरा हुआ है मुख्य मन्त्री

(श्री काशीनाथ गुप्त)
महोदय ने इस क्षेत्र की सहायता के लिए काफी राशि दी लेकिन दुर्भाग्य है कि इंजीनियर्स इसका उपयोग नहीं कर सके। इनकी लापरवाही से इलाका बरबाद हो रहा है। अतः ऐसे इंजीनियरों की नियुक्ति की जाए जो कि इन कामों को पूरा करा सके।

इसी प्रकार इस वर्ष मालोनी के पुल के पास बाणगंगा नदी का रुख बदलने का बहाना लिया जा रहा है जब कि यह कतई गलत है। वास्तविकता यह है कि गत वर्ष बाणगंगा में भारी बाढ़ के कारण मालोनी का पुल क्षति ग्रस्त हो गया था जिसके एक तिहाई खानों को पत्थरों से कतई बन्द कर दिया गया था। जब बाणगंगा में बाढ़ आई रामगढ़ बन्दे के कारण तो जिस ओर यह पुल बन्द था उस ओर पानी न निकलने के कारण बाणगंगा का तट उस पुल के पास कट गया पानी के वेग के कारण और वह बढ़ता ही चला गया। यदि वास्तव में यह किनारा पानी के वेग के कारण कटा तो एक फर्लांग एक मील आगे नहीं कट सकता था, दूसरी ओर भी कट सकता था लेकिन पानी का बहाव न निकलने के कारण उसी पुल के पास नदी का किनारा कटा और करीब 150 फीट पुल के पास सड़क कट गई जो करीब 50-60 फीट गहरी बन गई। यह सब पुल के बन्द होने के कारण कटा। यदि गत वर्ष ही इस पुल की मरम्मत कराई गई होती तो नदी का किनारा नहीं कटता और आज नदी के बहाव पलटने का बहाना नहीं लिया जाता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें नहीं तो मैं रिकार्ड नहीं होने दूंगा।

श्री काशीनाथ गुप्त : अभी जब सिंचाई मंत्री महोदय भरतपुर गए थे मैंने कुम्हेर रोड पर बोरई के पास बतलाया कि एम. एम. कैनाल में गत वर्ष बाढ़ के कारण दोनों तट करीब 50-50 फीट कट गए हैं। आज तक उनकी मरम्मत नहीं कराई गई है, जब कि कितने ही गांवों का यह आने-जाने का रास्ता है। इसी कटान के कारण गत वर्ष से सिंचाई के काम में पानी नहीं लिया जा रहा है। गत वर्ष श्री विजयसिंहजी, जो फ्लड कन्ट्रोल के इन्चार्ज थे, ने उसी इंजीनियर को आदेश दिए थे कि फौरन ही इन कटानों को बन्द करके बाढ़ का पानी इससे निकाला जाए ताकि इस पानी से सिंचाई भी हो सके, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया वह आज भी ज्यों की त्यों है। मंत्री महोदय ने इंजीनियरों से सलाह करके घोषणा की थी कि 8 दिन में यह काम पूरा हो जाएगा परन्तु आज 11 माह के पश्चात् भी उस जगह की वही हालत है। गांव वाले पानी में होकर आते जाते हैं। यह हालत है इन इंजीनियरों के काम की। मैं चाहता हूं कि जो 14 लाख की राशि भारत सरकार ने होम्स कैनाल को दी है उसका सदुपयोग हो और समय पर काम हो जाए। ऐसे इंजीनियर को यह काम सौंपा जाए जो कि पूरा करा सके। जिसके पास आज सवा करोड़ के काम भरतपुर शहर के भी पड़े हुए है वह दूर जाकर कैसे इस कार्य को पूरा करा सकेगा ?

गोवर्धन ड्रेन का पूरा पानी इस क्षेत्र से होकर गुजरता है जिसके सीपेज के कारण डेढ़ दो हजार एकड़ भूमि में पानी भर जाता है जहां 4-4, 5-5 वर्ष से कोई काश्त नहीं हो पा रही है। गत वर्ष 8-10 इंजि

(श्री काशीनाथ गुप्त)
इस पानी को खाली कराने के लिए लगाए गए थे लेकिन इस वर्ष एक भी इंजिन नहीं लगाया गया है···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री काशीनाथ गुप्त : मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र की बहबूदी के लिए राज्य सरकार शीघ्र से शीघ्र इस भूमि से बाढ़ के पानी को निकलवाए ताकि किसान लोग अपनी भूमि पर काश्त कर सकें और आगे के लिए ऐसी योजना बनायें कि यह समस्या इस क्षेत्र के किसानों के सामने न आए। मुख्य मंत्री जी जब इस साल इस क्षेत्र में गए थे और वहां की हालत देखी तो उन्होने भी महसूस किया था कि इस क्षेत्र के लिए कोई योजना बनाई जाएगी। योजना तो बनी हुई है केवल उसे पूरा कराना शेष है। मैं आशा करता हूं राज्य सरकार इस वर्ष शीघ्र ही इस योजना को शुरू करायेगी और जल्दी इस क्षेत्र से पानी को खाली करायेगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : सर्वप्रथम, उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी ··

श्री सुरेश कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि नामों का क्रम जो मुख्य सचेतक महोदय ने लिस्ट दी उसके अनुसार बोला जा रहा है या कोई परिवर्तन कर दिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह मेरे डिस्क्रिशन पर है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सर्वप्रथम, उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिन्होंने हमें राज्य में आई भयंकर बाढ़ के सम्बन्ध में और उसके लिये दी गई राहत सहायता के बारे में चर्चा करने का मौका दिया। माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा कि विभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट में स्पष्ट है, इस बार राजस्थान में अधिक बरसात के कारण जो बाढ़ का प्रलयंकारी रूप हुआ, बाढ़ ने तबाही मचाई और जिससे नुकसान हुआ शायद विगत दस सालों में ऐसा भयंकर प्राकृतिक प्रकोप अधिक बरसात के कारण नहीं हुआ, जिस प्रकार से यह प्रकोप हुआ। मैं इतना अवश्य निवेदन करना चाहूंगी कि इस रिपोर्ट में इस सरकार ने कहा है कि विगत कांग्रेस सरकार ने जब-जब बाढ़ आई थी तब-तब एक परिवार को केवल 100) रुपया तक की सहायता दी थी, हमने 300) रुपये तक की सहायता दी है। माननीय मुख्य मंत्री जी, आंकड़ों के जाल में आप किसी अनपढ़ या कम पढ़े लिखे को तो बहका सकते हैं लेकिन आपके दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट है और मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसाकि कांग्रेस दल के माननीय नेता महोदय ने कहा था, 15 लाख लोग आज बाढ़ से प्रभावित हैं और 2 करोड़ 30 लाख रुपयों की राशि आपने अभी तक खर्च की है उसमें व्यक्ति के पीछे नहीं बल्कि 5 व्यक्तियों का एक परिवार माना जाये तो 3 लाख परिवार होते हैं, आपने जो उनको सहायता दी है वह प्रति परिवार केवल 70) रुपया आती है। इसलिए आप 300) रुपयों की बात कहना बिल्कुल छोड़ दें।

मैं प्रत्येक जिले में तथा राजस्थान में बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है इसके

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

विशद विवेचन में नहीं जाऊंगी और इन सब बातों में सदन का समय नहीं लूंगी क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार झुन्झुनूं जिले में 72 घंटों में याने केवल 3 दिनों के अन्दर 525 मि. ली. से अधिक बरसात रिकार्ड की गई जबकि झुन्झुनूं जिले में औसत पूरे चार महिने का 450 मि.ली. है। कल्पना कीजिये आप। माननीय शेरसिंह जी, जो कि सिंचाई आयुक्त हैं वह झुन्झुनूं गये थे। वहां काटनी नदी एक मात्र नदी है। हालांकि इस नदी में पानी बहुत कम होता है लेकिन उसकी स्पीड इतनी होती है कि नदी के एक फुट पानी में भी क्रास करना मुश्किल हो जाता है। झुंझुनूं में एक गांव है छत्रवालां जहां 80 हजार रुपया लगाकर पिछली साल ही सरकार ने नदी पर गांव की सुरक्षा हेतु तटबंध बनाया था। श्री शेरसिंह जी वहां जाकर आये हैं और उन्होंने वहां का नजारा देखा है। इसलिए मैं, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके जरिये से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि 80 हजार रुपये का खर्चा हुआ लेकिन एक पत्थर भी नामोनिशान के लिए वहां नहीं है। यह मालूम ही नहीं होता कि यहां जो तटबंध बना था वह बना भी था अथवा नहीं। इतना विकराल रूप उस नदी ने धारण किया था, पता ही नहीं लगता कि कहां तटबंध बनाया गया था।

इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 100–100 वर्षों के खेजड़े के वृक्ष, जिनकी मोटाई का अन्दाज लगाना मुश्किल है, जैसे नदी में छोटे-छोटे तिनके बहते हैं ऐसे सैंकड़ों की तादाद में धाराशाही हो गये और नदी के पेटे में पड़े थे। नवलगढ़, पिलानी और मण्डावा में एक-एक कस्बे के अन्दर 6–6 फिट और 8–8 फिट पानी इकट्ठा हो गया। इन सब बातों को कह कर मैं समय जाया नहीं करना चाहती हूं लेकिन यह जरूर निवेदन करना चाहती हूं कि इतना विकराल रूप पानी भरने से हुआ। राज्य सरकार ने जो कुछ किया उसके बारे में हमारे कांग्रेस दल के नेता महोदय ने कहा कि सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन के द्वारा 51 करोड़ रुपया प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रावधान किया गया था। 51 करोड़ रुपया पांच साल के लिए आपके पास था। नेचूरल केलेमिटी के लिए 10 करोड़ 39 हजार रुपया आपके पास एक साल के लिए था तो 2 करोड़ 30 लाख रुपया खर्च करके आप संतोष कर लें और कहें कि हमने परिवार के पीछे 300) रुपया दिया है तो मैं चुनौती देती हूं कि झुंझुनूं और चूरू जहां प्राकृतिक प्रकोप था और जिस नदी ने रास्ता बदल कर हजारों बीघा खेती को नष्ट कर दिया, जहां गांव के गांव चौपट हो गये हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वहां जो आपने सहायता दी है राहत कार्यों के लिए वह बिल्कुल नाकाफी है, ऊंट के मुंह में जीरा नहीं बल्कि कुछ भी नहीं है। आपने परिवार के पीछे 300) रुपया दिया है यह 300) रुपया नहीं है बल्कि 70) रुपया आता है। झुंझुनूं में कुल 49 हजार मकान गिरे हैं, जिसमें से 18 हजार मकान तो कम्पलीटली डिमोलिश और वाश आउट हो चुके हैं। वहां 34।। लाख रुपया कुल खर्च किया है। चूरू के अन्दर 80 हजार मकान धराशाही हुए हैं, वहां आपने 59-59 लाख रुपये खर्च किये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि यह बात ठीक है कि प्राकृतिक आपदायें आती हैं तो राज्य

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

सरकार अपनी ओर से यथासम्भव उपाय ही कर सकती है। राम का घाटा राज्य से पूरा नहीं हो सकता। मैं इसको स्वीकार करती हूं लेकिन आप यह भेदभावपूर्ण नीति क्यों बरतते हैं? इससे बड़ा कष्ट होता है। झुंझुनूं जिले का कोई मंत्री मण्डल में रिप्रेजेन्टेशन नहीं है....

कुछ माननीय सदस्य : आप आ जाइये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जरा सुनिये तो सही।

इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप झुंझुनूं जिले को बिलकुल दिल से निकाल दें। क्या वहां आपकी पार्टी के लोग नहीं है? क्या वहां मानव नहीं बसते? आपने मृतक के परिवार वालों को जो सहायता दी है जो अनुदान अपनी ओर से दिया है वह भारी भेदभावपूर्ण है।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य जैसा जिक्र कर रहे थे कि झुंझुनूं जिले में जहां 17 मौतें हुई हैं और 250 पशु मरे हैं वहां पर आपने जो सहायता राशि दी है वह केवल 20 हजार रुपये की दी है और श्री गंगानगर में 1 लाख 37 हजार रुपया दिया है जहां केवल 15 आदमी मरे हैं। अंधा बांटे रेवड़ी फिर फिर अपने को दे। अपने विभाग के मंत्री, जहां जैसा चाहा, जहां जितना रुपया चाहा उस मद में खर्च कर दिया। आप जब विरोधी दल में बैठा करते थे तो सिंहगर्जना किया करते थे और कांग्रेस पार्टी को एक ही बात कहा करते थे कि आप लोगों ने आज दिन तक इस सूखे और बाढ़ का कोई पर्मानेन्ट हल नहीं निकाला। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ रुपया बाढ़ सहायता के लिए विभिन्न जिलों में खर्च किया गया। आपके दिये हुए आंकड़े हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष जी, थोड़ी दो मिनट में बात कहने दीजिए।

7–8 जिले ऐसे हैं कि वहां मौतें नहीं हुई वहां भी आपने बड़ी इफरात से दे दिया है। मुझे नाराजगी नहीं है लेकिन जो आप भेदभाव जिले जिले में बरत रहे हैं उसके बारे में निवेदन करना था। यद्यपि आपको यह बता देना चाहिये था कि पिछले सालों में 73–74 और 74–75 के अन्दर राजस्थान की कितनी पापूलेशन बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित हुई और राजस्थान में कुल कितने गांव प्रभावित हुए। वह सूचना नहीं मिल सकी है। जो सूचना मिली है उसके आधार पर मैं कह सकती हूं कि टोटल पापूलेशन जो बाढ़ से प्रभावित हुई है उस पर 2 करोड़ 30 लाख रुपया खर्च किया है। 14 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड हैं। अकाल प्रभावित औसत व्यक्ति के पीछे यह जो आपका एवरेज़ है, 16.4 रु. आता है। 73–74 में इस बाढ़ सहायता के अन्दर 5 करोड़ 77 लाख रुपया खर्च किया गया। उस समय 14 जिले प्रभावित थे अब भी 14 जिले प्रभावित हैं। पापूलेशन नहीं बता सकती। इस बार आपने 15 लाख की आबादी के आंकड़े दिये हैं। 73–74 का वाईफरकेशन है, एक प्रभावित व्यक्ति के पीछे 41.2 रु. का एवरेज आता है आपका एवरेज है 16.4। पिछले साल जब आपने सत्ता संभाली तब था 15.3

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

और इस बार आपने कर दिया 16.4। कांग्रेस के शासन में 72–73 में यह खर्च 63.6 रु. प्रति व्यक्ति आता है। 1973–74 में 41.2 रु. 1968–69 में 41.4 रु. और 69–70 में 33.3 रु. औसत व्यय है। मुख्य मंत्री जी, यह आपको स्मरण दिलाना था। आप इधर बैठ कर बड़ी सिंह गर्जना के साथ कहा करते थे कि हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपके पास साधन ना काफी हैं लेकिन इस भेदभाव की नीति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं वही स्मरण करा रही हूं। क्या हम उस भेदभाव की नीति को बर्दाश्त करें यह भेदभाव की नीति क्यों ? आखिर आपका मकसद क्या है···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जिनकी बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण मृत्यु हो गई उनके साथ भेदभाव पूर्ण नीति रखें यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि कहने को बातें बहुत थीं किन्तु आपने समय नहीं दिया अन्त में मैं यही कहूंगी कि 1973–74 में जिन लोगों के घर बाढ़ के अन्दर आ जाने के कारण कुछ ऊंचे स्थानों पर बसाया गया था उन्हें ट्रेसपासर समझ कर, नोटिस देकर यह जनता सरकार अदालतों का चक्कर दिला रही है। नागौर के अन्दर सैंकड़ों लोग परेशान हुए हैं उनके साथ ऐसी बात नहीं होनी चाहिये, मुख्य मंत्री जी। मैं निवेदन कर रही हूं जिन लोगों के घर लो लेवल एरिया में आने के कारण पानी में डूब गये हैं और ऊंचे स्थानों पर उन्हें राज्य सरकार ने बसाया है, उनको ट्रेसपासर नहीं समझें बल्कि इनके कब्जे रेगुलराइज करें। अदालतों के चक्कर के अन्दर परेशान न करें।

यद्यपि आपने बाढ़ सहायता के लिये जो कुछ किया है वह नाकाफी है लेकिन एक बात अवश्य कहूंगी कि झुन्झुनूं जिले में जो कुछ भी आपने राशि दी उसको जिला प्रशासन ने जिस मुस्तैदी, निष्पक्षता एवं तत्परता से वितरित किया है उसकी मैं अवश्य सराहना करना चाहूंगी लेकिन मुझे राज्य सरकार से शिकायत है कि झुन्झुनूं जिले में इतनी भयंकर समस्या होते हुए भी, 700 गांवों में से 480 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए, काटली नदी की वजह से एक करोड़ की फसल का नुकसान होते हुए भी···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने केवल 15 हजार मकानों के लिये सहायता दी है। झुन्झुनूं जिले में 38 हजार मकान आंशिक रूप में ध्वस्त हुए हैं जो कच्चे मकान थे उनको 200 रुपये की सहायता दी गई। माननीय मुख्य मंत्री जी, मानवीय संवेदना के बिल्कुल विपरीत बात है कि जिनके पक्के मकान थे और सम्पूर्ण रूप से नष्ट हो गये। उनको कुछ नहीं दिया गया। जिसने एक पक्का मकान बना रखा है, मकान गिरता है तो उसका कुछ नहीं और किसी के चाहे पांच झोंपड़े होंगे तो उनको सरकारी सहायता मिले यह भेदभावपूर्ण नीति है। चाहे मकान कच्चा हो या पक्का, यदि पूर्णरूपेण ध्वस्त हो गया है तो सरकार की तरफ से तत्काल राहत दिलाई जाये। अब तक जो आपने दिया है, वह नाकाफी है। अब जो

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

आपको भारत सरकार ने 11 करोड़ दिया है, मैं चाहूंगी जिनको कोई सहायता नहीं दी है, जिनके आंशिक रूप से मकान ध्वस्त हुए हैं और जिनके पूरे मकान ध्वस्त हुए हैं उनको अविलम्ब सहायता दिये जाने के लिये कदम उठाये जावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल शर्मा।

श्री मोहनलाल शर्मा (सरदार शहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में आई बाढ़ और अतिवृष्टि की चर्चा हो रही है। काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी है, जो हो चुकी है उसका रिपीटीशन नहीं करूंगा। मैं चूरू जिले के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे ही इस बार वर्षा का मौसम आया तो 19, 20 और 21 जुलाई को इतनी अतिवृष्टि हुई जितनी वर्षा हमारे चूरू जिले में कभी नहीं हुई। 20 तारीख की रात का जिक्र करूं, इस रात 7 इंच वर्षा हुई। सारे जिले में सारी रात मूसलाधार वर्षा हुई जिससे कि लोगों के मकान जो कच्चे थे वे गिर गये। इस वर्षा से चूरू जिले में 96,058 मकान गिरे जो कच्चे थे और पक्के भी काफी आंशिक रूप से क्षति ग्रस्त हुए। इसमें करीब 8 करोड़ से ज्यादा रुपये की कीमत का नुकसान हुआ। जैसे ही वर्षा का समाचार मिला, मैंने सारे जिले का दौरा किया। मुख्य मंत्री और राहत मंत्री को तार दिये और टेलीफोन से बात की। मुख्य मंत्री जी ने राहत कमिश्नर शेरसिंह जी को भेजा। राहत मिनिस्टर भी गये। इस प्रकार से 7 दिनों के अन्दर आवश्यक आयुध लेकर, जो कुछ सरकार से सहायता दी जा सकती थी वह दी गई। 7 दिनों के अन्दर हमारे जिले में 33 पम्पसेट जहां पानी इक्ट्ठा हो गया था उसको निकालने के लिये लगाये गये। मैं समझता हूं राज्य सरकार द्वारा उचित समय पर व्यवस्था की गई, उनकी तरफ से जो व्यवस्था हो सकती थी वह शीघ्रता से की गई, उसमें कोई कोताही नहीं की गई। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कुछ सदस्यों ने यहां जिक्र किया है कि राज्य सरकार ने इसकी उपेक्षा की है, उदासीनता बरती है। हमारे जिले में कोई उदासीनता नहीं बरती गई है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपने जिलों में, अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर, निरीक्षण करके राज्य सरकार को सूचना न दी हो लेकिन हमने राज्य सरकार को समय-समय पर सूचना देकर जो कुछ भी सहायता ली जा सकती थी ली है। जिनके पूर्ण रूप से कच्चे मकान गिर गये उनको 350 रुपये सहायता अनुदान के रूप में दिये गये। जो मृतक थे, पर हैड 1000 रुपये अडल्ट्स के लिये मुख्य मंत्री कोष से और 500 रुपये बच्चों के लिये दिया गया। कोई भेदभाव की नीति नहीं बरती गई। 13 अडलट्स मरे और 5 बच्चे, उनके 15,500 बनते थे, दूसरे दिन ही मृतक के परिवार को पहुंचा दिये गये। राजस्थान में चूरू जिले में यही नीति रही है। सीमेन्ट एक हजार टन दी गई। अलाट किया गया इस प्रकार से निवेदन करूंगा त्रिपाल, टिन सीट्स 200 टन सिरकियां समय पर दी गई। यह मैं कह सकता हूं कि जो सहायता है वह पूरी नहीं थी। इसके लिये हमें राज्य सरकार की तरफ से यह कहा गया कि ऐसे ही कानून बने हुये हैं। कांग्रेस सरकार थी, भूतपूर्व सरकार वह 150 रुपये से ज्यादा नहीं देती थी। यह भी मैं बताऊं सन् 60

(श्री मोहनलाल शर्मा)
में सरदार शहर में अतिवृष्टि से मकान गिर गए थे ।

श्री मूलचन्द डागा : गाली दोगे

श्री मोहनलाल शर्मा : सुन लें पहले ।

इस प्रकार अतिवृष्टि से हजारों मकान गिरे उन लोगों को प्रति व्यक्ति सिर्फ 150 रुपये लोन दिया गया था, अनुदान नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार अनुदान 350 रु. दिया गया है । जो मकान गिरे हैं उनके लिये सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे जिले में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, काफी सड़कें नष्ट हो गई हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पुराने तरीके से शहर प्यालों की तरह बसे हुए हैं इसलिये पानी निकालने की कोई व्यवस्था की जाय, टेम्प्रेरी व्यवस्था से काम नहीं चलेगा । जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन हुआ है उससे हमारे जिले को अतिवृष्टि से ज्यादा नुकसान हुआ है । क्योंकि वह पुराने जमाने का बसा हुआ है इसलिये पानी निकासी की अवश्य कोई व्यवस्था की जाय । हमारे यहां सड़कों की वैसे ही कमी है और इस बार वर्षा ने सारी सड़कों को चौपट कर डाला इसलिये शीघ्रातिशीघ्र कार्य प्रारम्भ करने की व्यवस्था की जाय । यह कहा गया कि भुखमरी से मरे हैं, यह तो मालुम नही हुआ है, वैसे यह गलत बात लगती है । जो मकान धंस गये हैं या आंशिक रूप से नष्ट हुए हैं उनके लिये कहा गया है कि 150 रु. दिया गया है । मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं लेकिन राज्य सरकार से इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि यह राशि बहुत कम है । हमारे जिले में 1 लाख 83 हजार मकान गिरे हैं वे सब पूर्णरूप से गरीब हैं और उनकी सारी फसल चौपट हो गई है ऊपर से टिड्डी आ गई हैं । परिस्थितियां भयावह हो गई हैं । इन सारी बातों को सोचकर कोई ठोस व्यवस्था की जाय, ऐसी सरकार से आशा करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेश कुमार ।

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब सायबेरियन स्टोर्क और स्पून बिल की चर्चा होती है तब भी हमारा भरतपुर जिला याद किया जाता है और जब पेन्टेड स्टार्क का जिक्र आता है तो भी आम लोगों के दिमाग में भरतपुर का नक्शा उभर आता है और जब बाढ़ की चर्चा होती है तो भी सबसे पहले दिमाग में भरतपुर का नक्शा ही उभरता है । यह भरतपुर का इलाका ही ऐसा है जो वर्षों से बाढ़ से पीड़ित है । जब से भरतपुर रियासत बनी है तब से यही हाल है, लेकिन पिछले 30 सालों से इस इलाके की अधिक बरबादी हुई है वरना जब से भरतपुर रियासत का निर्माण हुआ तब से दो बाढ़ की घटनायें भंयकर हुई हैं । एक तो मेरे नाबालिग काल में सन् 1924 में और दूसरी मेरे बालिग होने के बाद सन् 1942 में श्रीमन्, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से यह क्रम बिलकुल गायब होता जा रहा है और अब तो हालत बिगड़ गई है । श्रीमन्, मुझे अफसोस होता है कि पिछली सरकार बाढ़ से भरतपुर को न बचा सकी । श्रीमन्, पिछले पूरे 30 साल से कांग्रेस शासन में क्यों भरतपुर का इलाका बाढ़ से पीड़ित

125

(श्री सुरेश कुमार)

होता रहा ? इसका खास नमूना यह है कि 75 हजार एकड़ जमीन कामां की डूब में आई हुई थी लेकिन मैं आज की सरकार की सराहना करता हूं कि केवल अब 17 हजार एकड़ में पानी है। भरतपुर का हाल यह था कि 10 हजार बीघा जमीन पानी में थी, उसको भी पानी से निकाला गया है। मैं यह नहीं कहता कि 17 हजार एकड़ जमीन भी पानी में रहनी चाहिये, बाकी के इलाके से पानी नहीं निकालना चाहिये। श्रीमन्, वर्षों से जिसका ख्याल नहीं किया गया था उस पर इस सरकार का ध्यान तो गया है। मैंने देखा है कांग्रेस की सरकार का हाल, सीमेन्ट कट्टों में आने के बजाय सीमेन्ट के कट्टों में आगरे से काजू आते थे, सिंचाई विभाग के अधिकारी जहां डाक बंगलों में ठहरते थे, उनका उपयोग उनके द्वारा किया जाता था। अब मैं सिंचाई विभाग को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़ा भारी काम किया है इस इलाके के अन्दर। मैं यह भी निवेदन करूंगा, पिछले साल कुछ सचिवालय के स्तर पर काम हुआ था तो इस बार भी पूरी स्थिति का जायजा लेकर आप इन कामों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करायें। इसके लिये मैं श्रीमन्, सुझाव देना चाहता हूं कि भरतपुर को बाढ़ से बचाने के लिये एक ब्ल्यू प्रिन्ट तैयार करवाना चाहिये। यह खाली इंजीनियरों की सलाह से ही तैयार नहीं करवाना चाहिये बल्कि ग्रामीण लोगों, जिनको जानकारी है कि पानी कहां से आता है, कहां से नहीं आता है और कहां जाता है, साथ लेकर एक मास्टर प्लान बनवाया जाना चाहिये। कुछ छोटी-मोटी बातें भी हैं जिनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। अब तो टेक्नोलोजी काफी बढ़ गई है इसलिये मैं चाहता हूं सरकार इस सिस्टम को खतम करे और जो जमुना से पानी लाने की योजना है उसको क्रियान्वित कराने का प्रयास करे, वहां से पानी आयेगा तो अधिक अनाज पैदा होगा। लेकिन जब तक यह नहीं किया जा सके क्योंकि बड़ी स्कीम है तो फौरी काम कुछ कर दें। भरतपुर के अन्दर एक तो जहां बाणगंगा और गंभीरी का मिलान होता है वह हैड 120 साल पहले का बना हुआ है। उस हैड पर कूड़ा-कचरा काफी इकट्ठा हो गया है क्योंकि सारी मिट्टी बहकर जाती है इसलिये सारा का सारा सिल्ट-अप हो गया है। उसको दूसरी तरफ न करके उसकी मिट्टी निकालनी चाहिये जिससे खेती को भी पानी मिल सके। अगर पानी ज्यादा आता है, पुल के ऊपर से निकल कर जाता है तो पुल को श्रीमन् ......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमन्, मैं तो आज्ञा का पालन करूंगा लेकिन जितना समय दूसरों को दिया है उतना तो बोल ही सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरे ख्याल से संक्षेप में कह दीजिये।

श्री सुरेश कुमार : मैं तो, श्रीमन्, जो हुकुम करेंगे उसका पालन करूंगा। श्रीमन्, आप बोलने को मना करेंगे तो नहीं बोलूंगा।

मैं, श्रीमन् एक तो यह निवेदन कर रहा था, बाणगंगा का जो हैड सिल्ट-अप हो गया है, ऊंची-ऊंची मिट्टी आ गई है उसको निकलवाकर ठीक करवायें। श्रीमन्, मेघपुर के हैड के ऊपर किसी जमाने में 24

(श्री सुरेश कुमार)

इन्च वर्षा होती थी, आज 7 इन्च वर्षा होती है। इन दोनों नदियों का इस तरह मिलान किया जाय कि खारी नदी में मिलान हो जाय।

दूसरी एक समस्या हमारे यहां पर यह है कि वेरागी गांव के अन्दर पानी भरता है और पानी अधिक जाता है तो गांव को बाढ़ के पानी से हानि उठानी पड़ती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पानी को तलाईज किया जावे। उत्तर प्रदेश के पास एक भेरवा गांव है। उत्तर प्रदेश के इंजीनियर्स भी भरतपुर में आए थे, वे भी इससे बहुत परेशान हैं कि पानी हमारे यहां से जाता है। वहां पर भी पानी को चेनेलाइज करके खारी और यमुना नदी में डाला जाय। इस बात पर मैंने अधिकारियों से सलाह भी ली है। उनकी राय है कि अगर वहां रेग्यूलेटर बना कर पानी को चेनेलाइज किया जाये तो भरतपुर को इससे बचाया जा सकता है।

श्रीमन्, समय कम है फिर भी एक सुझाव राहत मंत्री महोदय को दूंगा। साथ ही विभाग की तारीफ भी करता हूं कि सन् 1934 में जब कि 26 हजार क्यूसेक पानी भरतपुर में आया था वहां इस साल 42,000 क्यूसेक पानी आया फिर भी भरतपुर को बहुत कम नुकसान हुआ है। फिर भी मैं विभाग से और मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस ओर और अधिक सतर्कता बरते और जो कुछ नुक्सान हुआ है उसको मिटाने का प्रयास करें।

श्रीमान् इसके साथ-साथ एक बात किसानों के बारे में भी कहना चाहता हूं। पिछले समय से किसानों से आवयाना वसूल किया जाता है और वह वाटर एडवांटेज के हिसाब से लिया जाता है। अगर पानी का एडवांटेज मिले तब तो आबयाना वसूल करें। पानी का एडवांटेज मिलने के बजाय उससे नुकसान हो गया हमारे यहां खरीफ की फसल बरबाद हो गई, गांव के गांव तबाह हो गये फिर भी यह सरकार उसी दकियानूसी सरकार की तरह से उस आबयाने को वसूल करे तो यह बड़े दुख की बात है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी वास्तविकता को महसूस करें और गरीब किसान जो बरबाद होते हैं उनका आबयाना माफ करें।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

एक अंतिम बात, श्रीमन्, मुझे निवेदन करना है। मेरा कहना यह है कि एक थोड़ी समस्या और है। अजाना बांध में 115 मोरे हैं। श्रीमन्, उनसे 18 हजार क्यूसेक पानी जाता है। उस पर पानी को चेनेलाइज करने के लिए एक चिकसाना कैनाल है जिसकी क्षमता छः सौ क्यूसेक की है। 18 हजार क्यूसेक पानी है और चिकसाना कैनाल की क्षमता छः सौ क्यूसेक की है। श्रीमन्, इसकी वजह से हमेशा नहरें टूटती हैं और नहरों के टूटने के कारण ही बाढ़ आती है। मैं निवेदन करूंगा सिंचाई मंत्री महोदय से कि गंभीरतापूर्वक विचार करें कि चिकसाना कैनाल की क्षमता को रेंज करके इसके पानी को खारी नदी तक पहूंचा दें और अन्त में होम कैनाल के सिरे से लेकर कैनाल के हैड तक मिला दें।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : अब राहत मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : पहले सिंचाई मंत्री जी बोल लें।

श्री बहादुरसिंह (नोहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टाइम थोड़ा और बढ़ाया जाय और जो माननीय सदस्य रह गए हैं उन्हें भी बोलने का मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि जो समय था उसको देखते हुए अपने विवेक से मैंने अवसर दे दिया है।

श्री हरिकृष्ण (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र की बहुत सी बातें रह गई हैं। हमें मौका दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : अब समय को देखते हुए माननीय सदस्यों को और मौका नहीं दे सकूंगा।

श्री हरिकृष्ण : हमने अपना नाम दिया था लेकिन हमें अवसर नहीं मिला है।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने बाढ़ के विषय में गंभीर चिंता प्रगट की है। इधर के लोग और उधर के बन्धु सभी ने मिल कर राजस्थान के अन्दर जो बाढ़ के कारण स्थिति बनी है उसका जिक्र किया है।

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान की ज्योग्राफी बदल रही है। पिछले कुछ वर्षों से बारिश लगातार बढ़ती चली जा रही है। जिस प्रकार के प्रबन्ध पिछले समय में माकूल रहा करते थे, आज वह स्थिति नहीं रही है। चूरू में ढाई गुना बारिश हुई, 147 प्रतिशत बारिश बढ़ी। सीकर में 127 प्रतिशत बरसात बढ़ी, यानि सवा दो गुना हो गई। जयपुर में दुगुनी बारिश हुई और गंगानगर में पौने दो गुना बारिश हुई है। बरसात के हिसाब से न केवल बारिश बढ़ी किन्तु ऐसी कुछ स्थितियां बनीं कि एक ही दिन में इतने जोर से, इतनी इन्टेंसिटी से बारिश हुई कि सभी प्रकार के साधन समाप्त होकर बाढ़ का प्रकोप खड़ा हो गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी सारी स्थिति के कारण आगे आने वाली ज्योग्राफी और उससे आने वाले परिणामों पर राज्य सरकार विचार करेगी और विचार करने के उपरांत जो स्थिति लगातार बारिश की बढ़ती जा रही है, हमको ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि जिसके कारण धीरे-धीरे बाढ़ को रोकने में सहायता हो सके।

मैं आपके माध्यम से सदस्य महोदयों से निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ ऐसी स्थिति रही, जनता पार्टी का सौभाग्य रहा कि जयपुर के इस रामगढ़ बांध में पिछले वर्ष हमने फाटकों का नया निर्माण किया। पहले केवल साठ हजार क्यूसेक पानी निकलता था, वहां इनके बनने बाद 23 हजार क्यूसेक पानी एक समय में निकल सका। अगर पहले सालों की स्थिति होती और नये फाटकों का निर्माण नहीं होता तो बारिश के समय बाणगंगा या रामगढ़ बांध की क्या स्थिति होती, आगे कौन सी प्रलय होती, उसका आप सब माननीय सदस्य अनुमान लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि भरतपुर में पिछली बार बहुत बाढ़ आई किन्तु बाणगंगा का हैड पम्प बनने से,

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
यद्यपि नुकसान हुआ है लेकिन पिछले वर्षों के मुकाबले में बहुत कम नुकसान हुआ है। इसका कारण यही रहा कि रामगढ बांध की पुनः रचना करने की दृष्टि से प्रयत्न हुआ जो 75 हजार क्यूसेक पानी रामगढ बांध में आता है उसमें से 25 हजार क्यूसेक पानी लगातार निकलने के कारण हम आज भरतपुर क्षेत्र और बाणगंगा के साथ के बांधों को बचा सके हैं। यह बात सच है कि इसके कारण भरतपुर क्षेत्र के 14 सिंचाई बांध क्षतिग्रस्त हो गये हैं, उनको हम ठीक कर रहे हैं। लगातार उनमें सुधार कार्य चालू है और जल्दी ही सारा सुधार कार्य होकर सारे तालाबों की मरम्मत कर दी जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर की जैसी स्थिति यहां पर प्रगट की गई, बात कुछ हद तक सही है कि साबी नदी के कारण जिस प्रकार की स्थिति बनी है, यह बात ऐसी है कि दूरगामी परिणाम लाएगी। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार इस पर बांध बनाने का इकरार कर चुकी है। इसके प्लान बन चुके हैं और प्लान केन्द्रीय सरकार को भिजवाये जा चुके हैं, केन्द्रीय अध्ययन टीम लगातार अपनी राय दे रही है।

सीकर की दृष्टि से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि सचमुच काटली नदी ने बहुत बड़ी स्थिति का निर्माण किया है। इसको रोकने के लिए काटली नदी के पास किसी स्थान पर पानी रोका जावे और आने वाली बाढ से सीकर को बचाने के लिए व्यवस्था की जावे, इसके लिए प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। झुंझुनूं जिले के लिए विचाराधीन है और उसके लिए जल्दी से जल्दी निर्णय करने वाले हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर की दृष्टि से जैसा मैंने निवेदन किया कि बाणगंगा में हालांकि इस बार बाढ से कम नुकसान हुआ है लेकिन फिर भी ढ़ाई करोड़ रुपया राहत कार्यों के लिए इस वर्ष मंजूर किया गया है ताकि जो कुछ बाढ आई है उस बाढ को रोक सकें।

कामां के विषय में निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले समय में 70 हजार क्यूसेक पानी आया, 70 हजार एकड़ भूमि पानी के अन्दर थी। इस बार 17 हजार एकड़ जमीन ही पानी में रही है। पिछले चार वर्षों से लगातार चालीस पचास हजार एकड़ भूमि पानी के नीचे रहती थी, इस बार 17 हजार रही है। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि छः-छः फीट ऊंचा करके इसको बचाया जाय। मैंने और राज्य के मुख्य मंत्रीजी ने केन्द्रीय सिंचाई मंत्री महोदय से लगातार सम्पर्क किया है। आप जानते हैं कि इसके एक तरफ हरियाणा है, बीच में राजस्थान है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश आता है। इसलिए हमने केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया कि इस रेगुलेटर को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले। मैं शुक्रगुजार हूं केन्द्रीय सरकार का और केन्द्रीय सिंचाई मंत्री का। हमारी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में आगे बात हुई किन्तु उत्तर प्रदेश ने हमारी बात नहीं मानी। वे अड़े रहे। आप जानते हैं कि चार सौ क्यूसेक पानी हरियाणा का, 640 क्यूसेक पानी राजस्थान का रहता है और पुराने एग्रीमेंट के अनुसार 1040 क्यूसेक पानी उत्तर प्रदेश को देना होता है। इस बार फ्लड योजना

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

के अन्दर पानी रोक दिया। हमें लगा कि एस्टीमेट से 1040 क्यूसेक पानी ज्यादा होता है। मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो 17 हजार एकड़ भूमि पानी में डूबी हुई है उसको निकालने के लिए हमने जो योजना बनाई है, उस योजना के अन्तर्गत वहां पर 1000 क्यूसेक क्षमता के पम्प लगातार काम कर रहे हैं। अक्टूबर के अन्त तक 8 हजार एकड़ जमीन को पानी से निकाल लिया जाएगा, नवम्बर के अन्त तक 4 हजार एकड़ जमीन को और पानी से निकाल लिया जाएगा। वहां पर इस प्रकार आगे बोने के लिए, बुआई के लिए व्यवस्था की जा सकेगी। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है।

भरतपुर जिले के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, वहां का सिस्टम जिस प्रकार है, उसके लिए सोचा गया है और इस सम्बन्ध में भरतपुर से आने वाले माननीय विधायक से भी चर्चा की गई है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि घुटनों तक पानी के आते ही लोगों को परेशानी शुरू हो जाती है। घुटनों तक पानी आ जाता है तो निश्चित रूप से चिन्ता होना शुरू हो जाती है। जब इससे पानी आगे बढता है तो चिन्ता बढनी शुरू हो जाती है और जब पानी सिर के ऊपर तक पहुंच जाता है और पानी बहने लगता है तो सभी को चिन्ता होती है, पानी जो ऊपर से आ रहा है वह भूमि पर कैसे रोका जाए। अब यह समस्या हो गई है जहां पर पहले 15 इंच वर्षा होती थी वहां पर 36 इंच होने लगी है। जहां पर कभी 20 इंच वर्षा होती थी वहां पर 60 इंच वर्षा होने लगी है। अब वर्षा का एवरेज बदल गया है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सभी नागरिक बन्धुओं और माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर जिले में रुपारेल, गंभीरी और बाणगंगा, ये तीन नदियां ऐसी हैं जो इस सारे इलाके को जल प्लावित कर देती हैं। इसलिए प्रयत्न कर के इन पर हमें बांध बनाने होंगे। जब इस सम्बन्ध में चर्चा होती है तो सारे भरतपुर जिले के नागरिक चिंतित हो उठते हैं कि इन नदियों का पानी रोका गया तो हमको जो पानी मिलता है, वह नहीं मिलेगा। इसलिए राज्य सरकार उनको यह गारन्टी देगी कि जितना पानी उनको आज मिलता है उतना पानी इन बांधों से उनको दिया जाएगा। इसलिए इस सम्बन्ध में वहां के लोगों की मनःस्थिति को बनाना आवश्यक है। ऐसी अवस्था में चलते रहे तो यह एक टेम्प्रेरी व्यवस्था होगी और इसका कोई स्थायी हल नहीं होगा। इसलिए इस बार जो खर्चा भरतपुर जिले में बाढ़ को रोकने के लिए होगा, उस पर विचार करना होगा। बांध बनाने के सम्बन्ध में लोगों की मनःस्थिति को बनाना होगा। इस सम्बन्ध में माननीय सिंचाई मंत्री और वहां के विधायकों को जो चिन्ता है, तो उन्हें भरतपुर जिले को इस मनःस्थिति तक लाना होगा कि इन तीन नदियों पर बांध बनाये जा सकें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मास्टर प्लान में इसकी चर्चा की गई है। बाढ़ के समय मैं तीन बार वहां के विधायकों के साथ एरिया का दौरा कर के आया हूं। माननीय विधायक भी साथ थे। जन प्रतिनिधियों के साथ, जिनमें सरपंच भी थे, चर्चा की है। इसका एक मास्टर प्लान बनाया गया है। मास्टर प्लान कोई राजनैतिक आधार

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

पर नहीं बनाया गया है। यह टैक्नीकल आधार पर बनाया गया है। इसके अलावा जनता के लोग हैं। भरतपुर जिले में ऐसे कई पुराने लोग हैं जो उस क्षेत्र से परिचित हैं, उनकी भी राय हमें लेनी होगी। आने वाले इस महीने में हम इस मास्टर प्लान को साकार रूप दे देंगे। वहां के लोगों की सहायता लेकर भरतपुर के इस सारे सिस्टम को ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। इस पैसे का भरतपुर जिले की बाढ़ को रोकने के लिए पूरा-पूरा प्रयोग किया जाएगा।

जहां तक घग्घर का सवाल है, मकासर, हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में सदन में चिन्ता व्यक्त की है। किन्तु वह एक नाला है, ड्रेन है; जिसमें से होकर पानी जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, स्थिति ऐसी बनी कि अब तक कई वर्षों से जो पानी छोड़ा गया, उस इस वर्ष सब से अधिक पानी आया 23 हजार क्यूसेक। इसमें 22 हजार 600 क्यूसेक पानी पहले आ चुका है। जो पानी है वह नाले में आएगा ही, उसको किसी कीमत पर नहीं रोका जा सकता है। परन्तु इससे बाहुरी क्षेत्र के अन्दर जो फसलें है वे बरबाद हो गई हैं। उसका उपयोग भी है। ऐसी स्थिति है जो नदी का पानी का एक्सेस होता है, वह उसमें छोड़ा जाता है। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी तो पानी पूरा फिरेगा। वहां से पानी की मांग आई है। पानी वह गया है और आज धान है, वह पानी की मांग कर रहा है। विधायक महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम ने वहां के धान को पकाने के लिए राजस्थान नहर के एस्केप से पानी छोड़ना प्रारंभ कर दिया है। थोड़े दिनों में वहां पर पानी आएगा। इस प्रकार से इस पानी का गुजरना पड़ता है उससे जो नुकसान है वह तो होगा। मुआवजा इसके नुकसान का अभी तक नहीं दिया गया है। पहले भी नहीं दिया गया है। जहां तक सहयोग का सवाल है, नए बीज का सवाल है, खाद का सवाल है, राज्य सरकार उसके लिए प्रयत्न करेगी। इससे अधिक सहायता नहीं कर सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कामां का जो लेनवा नाला है, वह बड़ा फैलता है। उस पर बांध बना कर उसको रोककर सिंचाई की दृष्टि से उसको उपयोगी बनाने का विचार किया है। यह राज्य सरकार की नीति है।

विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने इस प्रकार आने वाले पानी को रोक कर उसका उपयोग किए जाने के लिए जितने भी सुझाव दिए हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं कि आने वाले इन तीन वर्षों में सारे पानी, जो बाढ़ में आएगा, उसका अधिक से अधिक उपयोग करें। इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं और कोशिश कर रहे हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : जहां पर बाढ़ से फसल डूब गई है, डेमेज हो गई है। रबी फसल के लिए आपके द्वारा क्या इमदाद की जाएगी किसानों को? बैंक से ऋण दिलाया जायगा? खाद के रूप में, बीज के रूप में सहायता देने की क्या कोई योजना है?

श्री उपाध्यक्ष : राहत मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह एक ही मंत्रालय से संबंधित नहीं है। मुख्य मंत्री महोदय इसका उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नूरा : मंत्री महोदय यह बतावें कि जिनके घर बह गये हैं, उसके लिए क्या सहायता दी जाएगी।

श्री जयनारायण पूनिया (राहत मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस बाढ़ से हुए नुकसान के बाबत बताया गया है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। सब स्वीकार करते हैं बाढ़ से नुकसान हुआ है। इसके लिए सरकार की तरफ से वक्त के ऊपर क्या मदद की जानी चाहिए और कितनी की जानी चाहिए, उसके लिए कई मुद्दे सामने आए। जिनमें मुख्य बात तो यह बताई गई कि राहत की राशि बहुत कम है। दूसरी बात यह आई कि वह पक्षपातपूर्ण तरीके से बांटी गई और अच्छी तरह की व्यवस्था न होने के कारण जो राहत पहुंचनी चाहिए थी, वह नहीं पहुंच पाई। यह कई माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया। इस बार की अतिवृष्टि की वजह से जो अभूतपूर्व बाढ़ आई उसके लिए जो हमने कदम उठाए और समय पर उठाए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि बाढ़ के नाम पर पहले जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने आंकड़े देकर बताया, आंकड़ों के जाल में, मैं आपको नहीं फंसाना चाहता, लेकिन जिनका मकान आंशिक रूप से क्षति ग्रस्त होता था, उनको जो सहायता दी जाती थी वह दस से पच्चीस रुपये की होती थी और जिसका मकान पूर्णतः नष्ट हो जाता था उनको सौ रुपये तक की राशि की सहायता दी जाती थी। उसको हमने पिछले सत्र में जब बाढ़ सहायता के लिए कदम उठाए उस वक्त बदल दिया और सौ रुपये के बजाए तीन सौ रुपया मदद देने का तय कर दिया। जहां पर 10 से 25 रुपये की सहायता दी जाती थी उसको हमने 25 से 75 की मदद देने का तय कर दिया याने जिसका आंशिक रूप से मकान गिरता है उसको 25 से 75 रुपये तक की सहायता और जिनका मकान पूर्णतः नष्ट हो जाता है उनको 300 रुपये तक की राशि देने का प्रावधान बनाया है। इस प्रकार मकान की जो क्षति होती है, उसके लिए हम सहायता देते हैं। यह गलत है कि हम बहुत अच्छे ढंग से, सुचारु रूप से और समय पर यह राशि नहीं दे पाए। एक गरीब के लिए रुपये की जो कीमत है, उसके लिए यह बहुत बड़ी राशि है, यह कोई कम नहीं है।

पहले पता नहीं किस प्रकार से बांटते थे। सवाल यह है कि पहले पक्के मकान भी साथ होते थे। इस बार पक्के मकानों को नहीं लिया गया। जिनके कच्चे मकान थे, झोंपड़ियां थीं उन्हीं को राशि दी गई है। उन्हीं को सहायता दी गई है। त्रिपाल, सिरकियां और टीन शीट्स भी बांटी गई हैं और कोई यह भी नहीं कह सकता कि हमारे पास सहायता लेट पहुंची। 2 करोड़ तीस लाख रुपये में से जो 50 लाख रह गये वह इसलिए रह गये कि काश्तकारों को ऋण देना था लेकिन उस वक्त बाढ़ आई हुई थी, मकान गिर रहे थे इसलिए उस वक्त तकावी का ऋण वितरण नहीं किया गया। बोवाई के वक्त 50 लाख वितरण कर रहे हैं। इस प्रकार जो राशि रह गई वह राशि भी जल्दी ही अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कैम्प लगाकर बांटी गई, जिसमें कोई भेद-भाव नहीं किया गया पक्षपात नहीं किया गया भ्रष्टाचार की बात भी नहीं है। प्रत्येक

(श्री जयनारायण पूनिया)

क्षेत्र में देख लीजिए समान राशि वितरित की गई, समान भाव से वितरित की गई, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, पैसे खा गये, 200 रुपये के बजाय 150 रुपये ही दिये, आदि प्रकार की बात भी नहीं है। पक्षपात की बात निराधार है। चूरू, झुंझुनूं, सीकर के कम आमदनी वाले जो गरीब थे उनको 500 रुपये की राशि देने का प्रावधान किया गया। हमने जो आंकड़े बताये थे उनके अनुसार जो स्टडी टीम आई थी उसने भी अत्यधिक नुकसान का हवाला दिया। उससे महसूस हुआ कि राजस्थान में अभूतपूर्व वर्षा से बड़ा भारी नुकसान हुआ है उसकी क्षति पूर्ति तो हो नहीं सकती, भारत सरकार से भी नहीं हो सकती और न राजस्थान सरकार ही कर सकती है लेकिन 9 58 करोड़ उन्होंने दिये और 2 करोड़ काश्तकारों को तकावी बांटने के लिए दिये जो इस फसल के ऊपर काश्तकारों में बांटे जायेंगे। जिनके खेत में फसल बरबाद हुई या कातरा खा गया, टिड्डी खा गई, जिनको दुबारा बोवाई की जरूरत है, उनको मदद पहुंचाने के लिए तकावी ऋण देने की व्यवस्था की है। खेत का मुआवजा देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जो व्यवस्था कर सकते थे सभी जिलों में समान रूप से की है और प्रत्येक व्यक्ति को कैम्प लगाकर रुपये पैसे का वितरण किया गया है। भ्रष्टाचार की या पक्षपात की इसमें कोई बात नहीं है। दवाई, भोजन, कपड़े की व्यवस्था के लिए भी पैसे रखे गये हैं, जगह-जगह बांटे गये हैं, दवाइयां दी गई हैं। यह कहना कि कोई बिना दवाई मर गया, गलत है। इस प्रकार की बातों में सच्चाई नहीं है। इसलिए जो काम सरकार कर सकती थी उसमें हमने किसी प्रकार की कोताही नहीं की है। हां, रिपोर्ट में माननीय डागा जी ने एक आंकड़ा पकड़ा है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से कम राशि बांटी गई। इसमें टाइप मिस्टेक हुई है। मुख्य मंत्री सहायता कोष से 95 हजार रुपये की राशि आवंटित की गई। इसमें मृतकों को मुख्य मंत्री सहायता कोष से दी गई है वह 2.95 लाख रुपये है इसमें बालिग को 1000 और नाबालिग को 500 रुपये दिये गये हैं। वह जो इसके अन्दर ही एन्टर्ड हो गई। इस प्रकार टाइप मिस्टेक हो जाने की वजह से हुआ है। इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि पक्षपात हो। मैं क्षमा चाहता हूं कि गलत आंकड़े दिये गये।

अलवर, भरतपुर और कामां आदि क्षेत्रों में जो बाढ़ आई उस पर माननीय सदस्य ने भूख हड़ताल की है। उसके आधार पर जो कदम उठाये, उसके लिए सरकार पहले से ही सोच रही थी। जैसे लगान का स्थगन, बिजली चार्जेज–ये माफ करने के लिए पहले से ही जिलाधीश से आंकड़े मांगे गये हैं कि 15 अक्टूबर तक गिरदावरी की रिपोर्ट आ जानी चाहिये ताकि उसके बाद में सहायता दी जा सके। माननीय सदस्य ने भूख हड़ताल की उसके आधार पर जो मिनिमम चार्जेज थे वे माफ कर दिये गये हैं। जिनकी खेती डूब में आ गई है, उनका लगान भी माफ कर दिया गया है। मकानों के गिर जाने से जिनको हानि हुई उनको भी सहायता दी गई है। पानी निकालने के लिए पम्प सैट्स लगाये गये हैं। जितनी व्यवस्था सरकार कर सकती थी उसमें सरकार की ओर से कोई कोताही नहीं बरती गई है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मंत्री जी दो बातों का जवाब दें। एक तो राजस्थान में जिन लोगों के पूर्ण रूप से मकान ध्वस्त हो गये

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
हैं, ऐसे मकान वालों को आर्थिक सहायता 200-300 ही दी गई है क्या ?

श्री जयनारायण पूनिया : जिनके कच्चे मकान हैं उन सभी को दी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : झुन्झुनूं जिले में जिनके मकान पूर्णतया ध्वस्त हो गये हैं उनको कोई सहायता नहीं दी गई है. . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को कहूँगा। माननीय मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहेंगे।

श्री रणमल सिंह (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सीकर जिले में फसलों को कातरा खा गया, टिड्डी खा गई वहां ये क्या करेंगे ? क्या राहत कार्य शुरू करेंगे. . . . .

(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के बढ़े हुए समय में वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। माननीय मुख्य मंत्रीजी कुछ कहना चाहेंगे।

जब तक माननीय मुख्य मंत्रीजी चर्चा में पूरा भाग नहीं ले लें, जिसमें 5-10 मिनट और लगा सकते हैं, जब तक आज की यह चर्चा समाप्त न हो जाय तब तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय। क्या इसमें सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय मुख्य मंत्री का वक्तव्य समाप्त होने तक बढ़ाया गया।

राज्य में आई बाढ़ की स्थिति पर विचार

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ के संबंध में जिस प्रकार की चर्चा हुई है उस चर्चा के ऊपर माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने, माननीय राहत मंत्री जी ने बहुत कुछ कहा है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में मैं सदन को निवेदन करना चाहूंगा।

आज भरतपुर और अलवर जिले में जिस प्रकार की बाढ़ की स्थिति है उसका मूल कारण अतिवृष्टि तो है ही, उसके साथ ही, वहां अतिवृष्टि से आये हुए पानी को निकालने की जिस प्रकार की व्यवस्था है और उसमें जिस प्रकार का अभाव रह गया है उसके कारण यह सारी स्थिति बनी हुई है। अभी सिंचाई मंत्रीजी ने बताया कि कामां ड्रेन से 1040 क्यूसेक पानी यू. पी. में छोड़ते हैं और वह पानी आगे जाकर गोवर्धन नाले में गिरता है। माननीय माथुर साहब जानते होंगे जिस समय इस ड्रेन को बनाने का प्रश्न आया था, उस समय इस बात की काफी चर्चा हुई थी कि इतनी क्षमता वाला ड्रेन भरतपुर और अलवर जिले की बाढ़ का पूरा पानी अपने क्षेत्र से बाहर निकालने के लिये सक्षम है। उस समय हरियाणा, राजस्थान, यू. पी. इन तीनों सरकारों ने मिलकर इस ड्रेन का कार्य अपने हाथ में लिया। उस समय यदि यह व्यवस्था कर ली जाती कि भरतपुर और अलवर जिले में पानी ज्यादा आ रहा है और उस ज्यादा पानी को निकालने के लिये ड्रेन की चौड़ाई भी होनी चाहिये तो भरतपुर, अलवर में इस प्रकार की स्थिति नहीं होती। अब सभी लोगों को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मालूम है कि यू. पी. में मथुरा जिले में किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। गोवर्धन ड्रेन में पानी जाता है। वहां पर अत्यधिक वर्षा के कारण वह ड्रेन पहले से ही ओवर-फ्लो कर रहा है। हमने इस बात का बार-बार प्रयत्न किया है कि इस ड्रेन के अन्दर हमारा पानी और ले लें। उधर हरियाणा में भी प्रयत्न किया है कि वह भी कुछ पानी ले ले। जब तक गोर्वधन ड्रेन में ज्यादा पानी लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तैयार नहीं है उस समय तक अधिक पानी नहीं निकाल सकते हैं। इस प्रश्न पर विचार चल रहा है कि इस ड्रेन की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है या नहीं।

इसके साथ ही जो नदियों में बाढ़ आती है साबी नदी पर बांध बनाने के लिए अजमेरीपुरा के पास आज से नहीं 10-12 वर्ष से योजना पड़ी हुई है, पेन्डिंग पड़ी हुई है। हमारा यह कहना है कि यह खर्चा हमारा न हो। साबी नदी का पानी दिल्ली में जाता है और हरियाणा में जाता है। हमारे क्षेत्र से जितना सम्बन्धित होगा उससे बहुत कम जमीन को सिंचाई के लिये पानी दे सकेंगे। इस दृष्टि से तीनों राज्यों दिल्ली, हरियाणा, और राजस्थान के बीच बात चल रही है। हमारा विश्वास है कि अन्तिम निर्णय बहुत जल्दी हो जाएगा और इस बांध का निर्णय हो जाएगा।

एक नाली का माननीय सिंचाई मंत्री ने जिक्र किया है। उसका पानी हरियाणा लेक में जाता है और फिर उसका पानी राजस्थान में आता है। उस पानी को रोकने के लिए हमने एक बार बांध बनाने का विचार किया है। हम बांध बनाना चाहते हैं लेकिन हरियाणा सरकार ने उसका विरोध किया। विरोध होने के कारण यह अन्तर्राज्यीय प्रश्न हो गया है। हम उस पर बांध बना सकते हैं या नहीं, यह प्रश्न भी तीनों राज्यों में विचाराधीन है।

जहां तक सीकर में राणोली नदी पर सोभावती नाला के पास बांध बनाने की योजना है, झुंझुनू में काटली नदी का प्रश्न है, यह नदियां कोई नई नहीं हैं। राणोली नदी से इस वर्ष ही नुकसान नहीं हुआ है। यह 10-12 वर्षों से होता रहा है। आज के 10-12 वर्ष पहले ऐसी बाढ़ आई कि 3-4 दिन रेलें तक बन्द रही हैं। इसके पानी को रोकने के लिए सोभावती नाले पर बांध बनाने की योजना 15 वर्ष से विचाराधीन है। 15 वर्ष तक तो आपने सब्र कर लिया, इतने वर्षों तक आप नहीं बोले। राणोली नदी पर पानी की हम कोई अच्छी व्यवस्था करते...

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप तो उस समय बोलते थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं उस समय बोलता था।

जहां तक काटली नदी की समस्या है, माननीय सदस्या बहुत जोर से कह रही थीं कि काटली नदी के पानी को रोका जाय। कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है। लेकिन माननीय सुमित्राजी जानती हैं कि उसके लिए उपयुक्त स्थान मिलना कठिन है। उसके प्रवाह को किस प्रकार से रोका जाय इसकी जांच हम करायेंगे। कुछ शुरू भी की है। इस नदी के प्रवाह से जो हानि होती है, उसको कम से कम कैसे किया जाय, कैसे रोका जाय?

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
इस पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है।

श्री रामनारायण चौधरी : उसके प्रवाह को रोकने से आगे क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी प्रश्न है। यह भी देख लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह हम मानते हैं, यह भी एक प्रश्न है। वह सही है, नदी को बांधते हैं तो आगे के इलाके सूखते हैं। कुओं का पानी भी नीचे जाता है। कई लोग जानते हैं जिन स्थितियों से आप गुजरे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : हमें खुशी है कि आपको अनुभव हो रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जिस चीज का अनुभव कर चुके हैं, फिर उससे उलटा क्यों बोल रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : कहां बोल रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काटली बांध के लिए कह रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : काटली नदी के बांध के लिए कुछ नहीं बोला हूं। मुझे तो खतरा था कि कहीं आप बांध की घोषणा नहीं कर दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शायद आप नदी देखे हुए होते तो छोटे मोटे बांधों की बात नहीं करते। पहले सारी बात देखते। अगर, बांधों से इस समस्या का समाधान होता तो इतना खर्च करने के बजाय आप यह प्रबन्ध करते।

माथुर साहब वित्त मंत्री रहे हैं इसलिए ही उन्होंने वित्तीय प्रश्न उठाये हैं। इसलिए सिक्सथ फाइनेंस कमीशन का नेचुरल केलेमिटीज का जो 51 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार के पास पड़ा है वह नेचूरल केलेमिटीज फण्ड केवल बाढ़ के लिए ही नहीं है। यह भी है कि अगर कोई रुपया गवर्नमेंट आफ इण्डिया से आता है, नेचुरल केलेमिटीज का आता है, उसके अलावा भी वह सहायता हमको करेंगे। इस प्रकार 9 करोड़ 58 लाख एडवांस प्लान असिस्टेंट में है। एडवांस प्लान असिस्टेंस देने को कहा है।

श्री मथुरादास माथुर : एडवांस प्लान..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुन लीजिए। आप वित्त मंत्री रहे हैं। हम वित्त मंत्री नहीं रहे हैं। मेरा ज्ञान भी उतना नहीं है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : यह क्या बात हुई है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन मैं एक बात जानता हूं, आज तक बाढ़ राहत एडवांस में एडवांस प्लान के अतिरिक्त और कोई सहायता दी है।

श्री मथुरादास माथुर : अब आप क्या कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कौनसी सब्सिडी ली थी।

एक माननीय सदस्य : जुबान बन्द थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस स्टडी में जो कुछ आया उसके बारे में आप कहते हैं कि 26 करोड़ का नुकसान हुआ है और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

केवल 9 करोड़ दिया है। आप आंकड़े देख लें। हमने कितने आंकड़े दिये ? स्टडी टीम ने क्या दिया है ? उस मुकाबले में, हमको पहले के मुकाबले में ज्यादा मिला है, आप यह कहें, सिक्सथ फाइनेंस कमीशन ने नेचुरल केलेमिटीज में प्रावधान रखा है, वह खर्च हुआ है, यही नहीं, वह फण्ड 30 साल आपके हाथ में रहे हैं। हमारे हाथ में तो दो साल रहे। दो साल को लेकर आपको इतनी चिन्ता हो रही है कि इतना रुपया खर्च नहीं हुआ। आपने अब तक ढाई सौ करोड़ रुपया खर्च किया। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपने अब तक कितने पर्मानेन्ट असेट्स क्रिएट किये। आपने कोई पर्मानेन्ट एसेट्स क्रिएट नहीं किये। आपने तो सड़कें बनायीं, बंगले बनाये लेकिन अकाल राहत कार्यों के लिए काम नहीं किया। आज उन सड़कों का पता नहीं है। मैं अभी तारानगर गया था, भिलेरी के पास एक गांव है वहां पर एक सड़क है जो लोगों ने सिम्बल के रूप में छोड़ रखी है। उसके ऊपर न कोई आदमी चलता है, न पशु, न घोड़ा और न गाड़ी। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि हमारी समस्या केवल उस धन को चुकाने की ही नहीं है, हमारी समस्या उसके ब्याज को चुकाने की भी है। अगर ढाई सौ करोड़ रुपयों के पर्मानेन्ट असेट्स बन आते तो आज यह प्रॉब्लम नहीं होती।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि···

श्री श्योपतसिंह मकासर : घग्घर की गाथा भी–

श्री भैरोंसिंह शेखावत : घग्घर की माननीय सदस्य को बड़ी चिन्ता है। घग्घर की समस्या आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। उस पर कन्ट्रोल करना कि पानी नहीं आया, मेरे हाथ में नहीं है। आज तक जो किया गया है वही हमारे लिये प्रॉब्लम हो रही है। जो डिप्रेशन के अन्दर पानी डाल दिया उससे गांव तबाह हो गये उसका मुआवजा आप इस सरकार से मांग रहे हैं, हम तो देंगे जनता के लिये···

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेच्योर क्राप्स तबाह हो गई···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेच्योर क्राप्स बाढ़ के कारण से खत्म हो गई तो मैं विश्वास देता हूं कि वेस्ट बंगाल की सरकार देगी, मेच्योर क्रोप्स का कम्पनसेशन तो राजस्थान की सरकार भी देगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सवाल वेस्ट बंगाल का नहीं है कि वह क्या देती है या क्या नहीं देती है। सवाल इस बात का है कि देना चाहिए या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन कर रहा था बाढ़ का पेटर्न तो एक सा ही है, किसी भी राज्य में बाढ़ की स्थिति आवे, सबका पैटर्न एक-सा ही है। वेस्ट बंगाल का मैं कह सकता हूं। आन्ध्र प्रदेश में साइक्लोन आया, सरकार ने क्या दिया, समाचार पत्रों में हम रोज पढ़ते थे, इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सरकार की तरफ से मदद करनी होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं प्रयत्न करूंगा कि···

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुआवजे का जिक्र नहीं किया, इमदाद की बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने गलत सुन लिया···

श्री श्योपतसिंह मकासर : गलत सुन लिया होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक माननीय सदस्य, जो पाली से आये हैं, डागाजी ने कहा हवाई जहाज से बाढ़ देखने की बात। मुझे दिल्ली में सूचना मिली कि सालपुर बांध का पानी हरियाणा से रुका है और इस बात का गांव वाले प्रयत्न कर रहे हैं कि ड्रेन को तोड़ें या सालपुर बांध को तोड़ें। दिल्ली में मुझको यह सूचना मिली तो मैं हेलिकोप्टर से वहां गया, आर. ए. सी. को भी आर्डर दिया। क्योंकि अगर उस बांध को तोड़ दिया होता तो भरतपुर को बचाने वाला कोई नहीं था। आप सोचते हैं कि हवाई यात्रा की, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र के हित के लिये की।

एक बात यह कही गई कि बंगाल में कितना पैसा इकट्ठा किया गया, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बाढ़ का पैसा मैं रख लूं, यह संभव नहीं है। जितना पैसा दिया उस सबकी रसीदें हैं। जो कोई भी हिसाब देखना चाहे वे देख सकते हैं।

श्री अब्दुल अजीज : कितना लाये यह बता दें। आरोप नहीं लगाया, मारवाड़ी समाज से कितना पैसा लाये ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता दूंगा आप जानकारी चाहेंगे तो।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह आरोप नहीं लगाया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लाये हैं उसका पूरा हिसाब है। मैं अकेला नहीं गया था, सूर्यनारायणजी और मोहनलालजी थे, आलम अली जी थे, जो कुछ आया, खुला आया। मैं गया था अरमान लेकर, लेकिन बंगाल की स्थिति देखी तो साहस नहीं हुआ कि बंगाल की मदद आ सकती है। हमारी क्या स्थिति है फिर भी वहां की स्थिति को देखकर बंगाल के चीफ मिनिस्टर को मैंने एक लाख का चैक दिया। उस दृष्टि से कोई इस प्रकार की शंका करके नहीं चले। मैं समझता हूं कि मैं जाता और इसी काम के लिए जाता और वहां की स्थिति ठीक होती तो पैसा मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती लेकिन जब बंगाल में इस प्रकार का संकट आया हुआ हो तो मुझे इस प्रकार का प्रयास नहीं करना चाहिए। जितनी भी सभाएं हुई उनमें भी बंगाल के स्पीकर थे, डिप्टी स्पीकर थे, किसी में मिनिस्टर्स थे। मैंने अपील की लोगों ने पैसा दिया।

अभी एक संकट और आ रहा है जो मैं सदन के ही मार्फत निवेदन करना चाहूंगा। पैसा तो लोग देना चाहते हैं मगर चाहते हैं कि इन्कम टैक्स में रिलीफ मिलना चाहिए। अब तक 55% रिलीफ दिया जाता है। मैंने इस बारे में प्राइम मिनिस्टर से बात की कि जिन लोगों के मकान टूट गये उनकी सहायता के लिए अगर वे पैसा देते हैं तो हण्ड्रेड पर्सेन्ट रिलीफ इन्कम टैक्स में रिलीफ दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लिखकर भेजेंगे तो चेष्टा करूंगा। बाकी के राज्यों से भी इस प्रकार लिखने के लिये मैंने निवेदन किया है जिससे भारत सरकार को लिखा जाय।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

अन्त में एक बात और है अकाल और बाढ़ की तो चर्चा होती है तो पैसे की चर्चा भी रहती है केवल भ्रष्टाचार की बात होती है। यह पहली बार चर्चा हुई है, पहला वाद-विवाद है जिसमें रुपया कम बांटा गया इसकी चर्चा हो सकती है, सहायता कम दी गई इसकी चर्चा हो सकती है, पानी नहीं रोका गया इसकी चर्चा हो सकती है लेकिन मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने स्थिति को सही मानकर बात की।

श्री अब्दुल अजीज : आपकी जनता पार्टी के खण्डेला से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि राहत कार्यों में घोटाले हुए और बाढ़ सहायता की राशि 1/3 बांटी गई। पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव को हिस्सेदार नहीं बनाया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आज की चर्चा समाप्त हुई। सदन की कार्यवाही कल दिनांक 10 अक्टूबर, 1978 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.00 बजे मंगलवार दिनांक 10 अक्टूबर 1978 को म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)।

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 101 की सूची)

गत वर्ष हिन्दी के उपयोग के लिए उठाये गये कदम

1. समस्त विभागों से हिन्दी प्रयोग की प्रगति का जायजा लेने के लिये एक त्रैमासिक विवरण मंगवाना प्रारम्भ किया गया। यह विवरण प्राप्त कर जहां भी हिन्दी प्रयोग में कोई कमी देखी गई उसका तुरन्त कारण बताने तथा उसमें सुधार लाने के लिये लिखा गया।

2. राजकीय विभागों में जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायें उनमें हिन्दी माध्यम के प्रयोग के साथ-साथ हिन्दी में राजकाज करने का भी प्रशिक्षण दिया जाय, ऐसे निर्देश दिये गये। इसके फलस्वरूप सचिवालय तथा जिलों में लिपिकीय प्रशिक्षणों में हिन्दी में कार्य करने का पाठ्यक्रम चलाया गया।

3. राजकाज में अधिकारियों और कर्मचारियों को सहायता व सुविधा देने के लिये हिन्दी प्रयोग मार्ग दर्शिका तथा "वित्तीय प्रतिमान प्रारूप" दो उपयोगी प्रकाशन गत वर्ष छपवाकर वितरीत किये गये।

4. विभिन्न विभागों की अंग्रेजी प्रशासनिक सामग्री का हिन्दी अनवाद करके भिजवाया गया।

5. अंग्रेजी रबड़ की मोहरों को अनियमित घोषित किया गया।

6. केश–बुक, स्टॉक रजिस्टर व अन्य रजिस्टरों में हाथ से की जाने वाली समस्त प्रविष्टियां हिन्दी में किया जाना अनिवार्य घोषित किया गया।

7. 2 अक्टूबर से सारी वित्तीय स्वीकृतियां, सरकारी बैठकों और आयोजनों के कार्यवृत्त तथा प्रशासनिक एवं वार्षिक रिपोर्ट, समस्त आदेश, परिपत्र आदि जो भी राजकीय प्रशासनिक सामग्री मुद्रित या साइक्लोस्टाइल हो, उनमें हिन्दी प्रयोग अनिवार्य किया गया।

संलग्नक 'ख'

अगले वर्ष के लिए हिन्दी प्रयोग और विकास कार्यक्रम

अगले वर्ष के लिए हिन्दी के व्यापक प्रयोग एवं विकास के लिए हाल ही में मंत्रि-मण्डल द्वारा लिए गए निर्णयों तथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के आधार पर जो कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं :—

1. जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान अथवा अभ्यास नहीं है, उन्हें राजभाषा में काम करने का प्रशिक्षण दिया जावेगा।

2. नियम-ग्रन्थों (आर.एस.आर.,जी.एफ.एण्ड ए.आर. आदि) के अधिकृत हिन्दी अनुवादों का प्रकाशन यथा संभव शीघ्र कर दिया जाएगा।

3. वर्तमान में सेवारत कनिष्ठ लिपिक जो केवल अंग्रेजी टाइप जानते हैं एक वर्ष में हिन्दी टाइप सीख लेंगे।

4. तकनीकी विभागों में हिन्दी प्रयोग के योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाने तथा क्रियान्वित करने हेतु एक विशिष्ट समिति गठित की जाएगी।

5. समस्त अर्द्ध तकनीकी फार्म (शिड्यूल रेट, कांट्रेक्ट फार्म आदि) भविष्य में हिन्दी में या द्विभाषी छापे जाएंगे।

6. राजभाषा के प्रयोग संबंधी आदेशों के क्रियान्वयन की देखरेख हेतु भाषा मंत्री जी की अध्यक्षता में एक क्रियान्वयन समिति गठित की जाएगी।

7. सचिवालय में हिन्दी प्रयोग हेतु भाषा विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा और मुख्य सचिव को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी तथा हिन्दी टंकण यंत्रों की उपलब्धि हेतु वित्त विभाग के सहयोग से और हिन्दी टंककों और शीघ्रलिपिकों की उपलब्धि हेतु व्यवस्था एवं पद्धति विभाग के सहयोग से योजना बनाई जाएगी।

8. समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिन्दी माध्यम के अधिकाधिक प्रयोग हेतु समयबद्ध योजना बनाने के लिए हरिश्चन्द्र माथुर राजकीय लोक प्रशासन संस्थान को निर्देश दिए गए हैं।

137

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 103 की सूची)

पैरोल पर रिहा किये गये मीसा नजरबंदियों की सूची

क्र.सं.	बंदी का नाम	पैरोल पर छोड़ने का कारण
1	2	3
1.	श्री श्रीकरण शारदा	स्वयं की बीमारी के कारण
2.	,, मनोहरलाल वाहेती	,,
3.	,, भगवानदास शास्त्री	पत्नी की बीमारी एवं स्वयं की बीमारी
4.	,, राजकुमार गोयल	पत्नी की बीमारी
5.	,, महादेव	पारिवारिक परिस्थितियोंवश
6.	,, प्रेमसुख	,,
7.	,, गोपी लाल शर्मा	परिवारिक परिस्थितियोंवश एवं जनसंघ से त्याग पत्र देने
8.	,, तनसुख मोदी	पत्नी एवं पिता की अस्वस्थता
9.	,, हरिराम कुमावत	पिता की मृत्यु
10.	,, जौहरी लाल	साले की शादी हेतु
11.	,, तुलसीदास	पत्नी की अस्वस्थता
12.	,, धनराज	पिता की बीमारी
13.	,, कृष्णकान्त शर्मा	पिता जी की मृत्यु
14.	,, गणपतलाल सैनी	बीमारी के कारण
15.	,, प्रभूदास	पत्नी की प्रसूति
16.	,, रतनलाल यादव	भतीजे की शादी हेतु
17.	,, चिरंजी लाल	मां की मृत्यु
18.	,, शिवदयाल गुप्ता	पुत्री के विवाह में सम्मिलित होने हेतु
19.	,, जीतमल जैन	पिताजी के इलाज हेतु
20.	,, हरिराम चौहान	मां की सख्त बीमारी के कारण
21.	,, घुरीराम	कैंसर से पीड़ित मां की बीमारी के इलाज हेतु
22.	,, मेघसिंह	स्वयं के इलाज हेतु
23.	,, गोपाल भार्गव	मां की बीमारी
24.	,, मिमयाराम	मां की बीमारी के कारण
25.	,, भूदेव शर्मा	स्वयं के इलाज हेतु

(1280)

1	2	3
26.	श्री रामजीलाल	बच्चों के इलाज हेतु
27.	,, उम्मेदीलाल	बहिन की शादी में सम्मिलित होने हेतु
28.	,, जीतसिंह	भाई की दाहक्रिया संस्कार में सम्मिलित होने हेतु
29.	,, अरुडसिंह	पुत्र के कान के इलाज हेतु
30.	,, भवानीसिंह	रिश्तेदार की मृत्यु के कारण
31.	,, गोपीचन्द	,,
32.	,, श्यामलाल कोठारी	पिताजी की बीमारी के कारण
33.	,, केशव चन्द्र	(पुत्री की बीमारी (पत्नी की अस्वस्थता
34.	,, राधेलाल	पत्नी की अस्वस्थता
35.	,, करणमल	अच्छे व्यवहार के लिए बोण्ड भरने पर
36.	,, नारायण	लोक व्यवस्था संधारण के विपरीत गतिविधियों में भाग न लेने की अण्डरटेकिंग देने पर
37.	,, बाबूलाल जैन	अच्छे व्यवहार के लिए बोण्ड देने पर
38.	,, पुखराज	मां की बीमारी
39.	,, सम्पतलाल कोचर	पत्नी की बीमारी
40.	,, सोमदत्त श्रीमाली	साले की शादी
41	,, श्रीकिशन मतवाला	विद्यार्थी के नाते
42.	,, हरिराम चौधरी	,,
43.	,, पुरुषोत्तम दयाल हर्ष	किसी भी राजनैतिक दल में भाग न लेने की अण्डरटेकिंग देने तथा तत्कालीन प्रधान मंत्री महोदया की 20 सूत्री कार्यक्रमों में पूर्ण आश्वस्त करने पर
44.	,, रमेश पंजाबी	राजनीति में भाग न लेने हेतु आश्वस्त किया
45.	,, काशीनाथ गुप्ता	पुत्र की शादी
46.	,, हरिहर शर्मा	खोये हुए पुत्र की खोज हेतु
47.	,, मुकुट बिहारीलाल गोयल	पौत्री की बीमारी के कारण पारिवारिक सदस्यों की बीमारी एवं स्वयं की बीमारी
48.	,, लक्ष्मीचन्द्र अग्रवाल	पिता की बीमारी
49.	,, चन्द्र शेखर अग्रवाल	मानवीय आधारों पर
50.	,, गुलराज गोपाल	पुत्र, पुत्री एवं पत्नी की बीमारी
51.	,, त्रिलोकी नाथ	वयोवृद्ध पिता की बीमारी

1	2	3
52.	श्री भंवरलाल जावेटिया	पुत्री की शादी हेतु एवं 20 सूत्री कार्यक्रम में विश्वास प्रकट किया
53.	,, बंशीलाल पटवा	स्वयं की बीमारी
54.	,, दयाराम मैंठानी	पारिवारिक परिस्थितियां
55.	,, श्याम सुन्दर	एवीवीपी से त्याग पत्र, सरकार की नीति में विश्वास व्यक्त तथा जेपी आन्दोलन से असहयोग व्यक्त कर अध्ययन चालू रखना व्यक्त किया।
56.	,, पुरुषोत्तम पण्डित	मां की मृत्यु के कारण
57.	,, हीरालाल पोकरना	मां/पत्नी की बीमारी के कारण
58.	,, नाथूलाल पटवारी	पिताजी की बीमारी
59.	,, घनश्याम	पारिवारिक परिस्थितियां
60.	,, ओमप्रकाश	मां की बीमारी के कारण
61.	,, दर्शनसिंह	पत्नी की दुर्घटना के कारण
62.	,, श्रवणलाल भाटिया	बच्चे की बीमारी
63.	,, रंग वल्लभ चतुर्वेदी	लड़के की बीमारी
64.	,, मदन मंदिर	,,
65.	,, मानकलाल	जिला दण्डनायक की सिफारिश पर घरेलू परिस्थितियोंवश
66.	,, शान्तिलाल	,,
67.	डा. मदन पी जोशी	पत्नी की बीमारी
68.	श्री सबलसिंह	पुत्र के हाथ में फ्रेक्चर
69.	,, अमृत लाल	स्वयं की आंखों का इलाज
70.	,, गोबिन्दराम सिंधी	बहिन की मृत्यु एवं पारिवारिक सदस्य की मृत्यु
71.	,, ओंकारनाथ शर्मा	पिता की मृत्यु
72.	,, सम्पत लाल	पत्नी की बीमारी
73.	,, गणेश बेरवाल	पत्नी की बीमारी, विद्यार्थी के नाते
74.	,, परशुराम अग्रवाल	पत्नी की बीमारी
75.	,, रमेश कुमार	,,
76.	,, किशनसिंह ढाका	विद्यार्थी होने के नाते
77.	,, अशोक कम्बोज	,,

1	2	3
78.	श्री जय दयाल	पिछले आचरण के बारे में माफी चाही 20 सूत्री कार्यक्रम में पूर्ण आस्था व्यक्त की गई
79.	,, किशनलाल शर्मा	टी. बी. की बीमारी तथा लोक व्यवस्था के विपरीत गतिविधियों में भाग न लेने को आश्वस्त किया
80.	,, ओमप्रकाश मित्तल	लड़के के पांव में फ्रैक्चर होने के कारण
81.	,, गंगाशंकर	मां की बीमारी एवं अच्छे आचरण हेतु आश्वस्त किया
82.	,, देवीनारायन	स्वयं की अस्वस्थता
83.	,, मोतीलाल	विद्यार्थी
84	,, बजरंगलाल	,,
85.	,, कैलाशचन्द मेघवाल	भाई की शादी
86	,, विजयसिंह	भारत सरकार के द्वारा किये गये पुर्नविचार के फलस्वरूप (अपनी गिरफ्तारी पुलिस साजिस के कारण हुई बताई)
87.	,, चन्द्रभान	दादी की बीमारी, दादी की मृत्यु
88.	,, जलाल	पत्नी की बीमारी
89.	,, अचार	पत्नी व बच्चों की बीमारी
90.	,, तालब	मां की बीमारी के कारण
91.	,, मोटिया	पत्नी की बीमारी
92.	,, पीरू	बच्चे की बीमारी
93.	,, राणा	पिता की बीमारी
94.	,, अलाबक्श	पत्नी व मां की बीमारी
95.	,, किशनसिंह भाटी पुत्र प्राणसिंह	बहिन की शादी
96.	,, हरिदिवान	मां की बीमारी
97.	,, बंशीलाल	दादी की मृत्यु, पुत्री की बीमारी
98.	,, किशनसिंह माटिया	बाबा की मृत्यु, पत्नी की बीमारी
99.	,, अमृतलाल	पत्नी की बीमारी
100.	,, अमर लाल	मां की बीमारी
101.	,, नन्द लाल	मां का देहावसान, गर्भवती पत्नी की देख-भाल हेतु
102.	,, गोपाल	मां की बीमारी

1	2	3
103.	श्री लक्ष्मीचन्द्र	दादी की बीमारी
104.	,, गोकुलिया	पारिवारिक परिस्थितियोंवश
105.	,, प्रतापा	मां का इलाज हेतु
106.	,, किस्तूर चन्द	पुत्री की बीमारी का इलाज करवाने हेतु
107.	,, बागा राम	स्वयं का इलाज हेतु
108.	,, बादू मल	पत्नी की बीमारी
109.	,, हरिशंकर	पत्नी का इलाज हेतु
110.	,, चम्पालाल	भतीजे की मृत्यु
111.	,, महावीर प्रसाद	विद्यार्थी के नाते
112.	,, ताराराम	पत्नी व मां की बीमारी
113.	,, बंशीसिंह	पत्नी की बीमारी
114.	,, मैनाराम	विद्यार्थी के नाते
115.	,, भगाराम	विद्यार्थी के नाते
116.	,, भाखरा	पारिवारिक परिस्थिति
117.	,, बिरधा	पिता एवं पत्नी की बीमारी
118.	,, लीलाधर	विद्यार्थी
119.	,, दर्शन उर्फ कोडा	विद्यार्थी
120.	,, सुरेन्द्र कुमार जैन	पत्नी की बीमारी
121.	,, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	पत्नी की बीमारी
122.	,, अब्दुल जब्बार	पिता की बीमारी, माता की मृत्यु एवं पिता की मृत्यु
123.	,, रघुराजसिंह	पुत्री एवं पिता की बीमारी
124.	,, वंशीलाल बाहेती	पिता की बीमारी
125.	,, सोहनलाल पोकरणा	पत्नी की बीमारी
126.	,, गणपत लाल अन्जाना	मां की बीमारी
127.	,, नवनीतलाल	राजनीति से सन्यास ले लेना तथा 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में विश्वास प्रकट करना, अपनी गलतियों पर माफी चाहने पर
128.	,, फूलचन्द सर्राफ	लड़की की शादी के संबंध में (वैसे इनके द्वारा बी. जे. एस. से त्याग-पत्र तथा 20 सूत्री कार्यक्रम में विश्वास व्यक्त कर रिहाई हेतु प्रार्थना की गई)

(142)

1	2	3
129.	श्री नेमी चन्द	पारिवारिक परिस्थितियों, भारतीय जनसंघ से त्याग-पत्र तथा साम्प्रदायिक एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग न लेने हेतु आश्वस्त किया गया
130.	,, निर्मल कुमार	स्वयं की बीमारी के कारण भारतीय जनसंघ से त्याग-पत्र तथा साम्प्रदायिक एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग न लेने हेतु आश्वस्त किया गया
131.	,, रामगोपाल राठौड़	विद्यार्थी के नाते
132.	,, बलराज मलहन	पत्नी की बीमारी
133.	,, नन्दलाल झांडलिया	मां व बहिन की बीमारी हेतु
134.	,, राजेन्द्र शर्मा	विद्यार्थी होने के नाते
135.	,, वी.के.अग्रवाल	तत्कालीन प्रधान मंत्री की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया
136.	,, शीशराम	आंदोलन आदि में भाग न लेना व्यक्त किया
137.	,, रामकुमार टिक्कीवाल	बहिन की बीमारी के कारण
138.	,, रामधन माथुर	मां की अस्वस्थतावश
139.	,, अब्दुल वहीद	मां की बीमारी
140.	,, महावीर प्रसाद	पत्नी की बीमारी तथा माता की रुग्णावस्था
141.	,, गिरराज प्रसाद	माता की बीमारी के कारण एवं अध्ययन करने हेतु
142.	,, चंचल कुमार	पारिवारिक परिस्थितियां एवं 20 सूत्री कार्यक्रम में आस्था
143.	,, रतन लाल	पत्नी तथा मां की बीमारी
144.	,, सुरेश मित्तल	पुत्र के विवाह हेतु
145.	,, देवीदत्त गाड़िया	पुत्र की बीमारी के इलाज हेतु
146.	,, रघुवीरसिंह कौशल	मां की मृत्यु
147.	,, अब्दुल सत्तार	पुत्र की मृत्यु
148.	,, ललित किशोर चतुर्वेदी	रिश्तेदार की शादी
149.	,, देवेन्द्रसिंह	पिता की बीमारी के कारण
150.	,, दिलीप वर्मा	नाना की बीमारी
151.	,, प्रेम गालव	बच्चों की बीमारी
152.	,, हरिकुमार आदित्य	अध्ययन हेतु

1	2	3
153.	मौलाना मोहम्मद नजीर	स्वयं की बीमारी
154.	श्री खेराती	मां की मृत्यु
155.	,, कुक्की उर्फ विक्रमसिंह	जिला दण्डनायक की सिफारिश पर
156.	,, शीतल	,,
157.	,, प्रभूलाल	,,
158.	,, जगदीश पुत्र श्योराम	,,
159.	,, जगदीश पुत्र हजारी	,,
160.	,, दयाकृष्ण विजय	पुत्री की शादी
161.	,, रामपालसिंह	पिता की बीमारी
162.	,, परमानन्द घर्घवानी	मां व सास की बीमारी
163.	,, तेजकरण	पुत्री का विवाह
164.	,, बी. डी. पंजवानी	नये आर्थिक कार्यक्रम में विश्वास तथा अच्छे आचरण हेतु आश्वस्त किया.
165.	,, माधव शर्मा	वयोवृद्ध पिता की बीमारा
166.	,, कमलेश व्यास	पत्नी व बच्चों की बीमारी
167.	,, उमराव सिंह	पिता की बीमारी के कारण
168.	,, जगदीश प्रसाद	पिता की बीमारी
169.	,, रमेश कुमार	पिता की बीमारी
170.	,, शिवशंकर त्रिवेदी	मां की मृत्यु के कारण
171.	,, यशवंत कुमार	बहिन की शादी के कारण, 20 सूत्री कार्यक्रम में विश्वास किया तथा आर. एस. एस. से संबंध विच्छेद कर माफी मांगने पर
172.	,, पियूष चन्द जैन	पिता की बीमारी के कारण माफी मांगी, भविष्य में आर. एस. एस. व विरोधी राजनैतिक दलों से सम्बन्ध नहीं रखने का तथा 20 सूत्री कार्यक्रम में आस्था प्रकट की
173.	,, कन्हैयालाल मावसार	माफी मांग आर. एस. एस. से सम्बन्ध विच्छेद किया तथा अच्छे व्यवहार का वादा कया
174.	,, हीरालाल आहारी	विद्यार्थी, भारतीय जनसंघ एवं आदिवासी मोर्चा से त्यागपत्र तथा राजनीति से परित्याग एवं 20 सूत्री कार्यक्रम में विश्वास
175.	,, ओम सैनी	मां की बीमारी

1	2	3
176.	श्री कुलदीप प्रसाद सिंह	पारिवारिक परिस्थितियां
177.	,, मोहम्मद इस्माईल	पत्नी की बीमारी
178.	मास्टर रामशरण अंत्यानुप्राशी	मां की मृत्यु, पोलियो से पीड़ित बच्चे के इलाज हेतु
179.	श्री भागीरथ सिंह शेखावत	आश्रित वृद्ध सास के इलाज हेतु
180.	,, खुशीराम पंजाबी	स्वयं की आंखों का इलाज कराने हेतु
181.	,, सुरेन्द्रनाथ शर्मा	पत्नी एवं पिता की बीमारी
182	,, नाथूसिंह	विद्यार्थी के नाते
183.	,, सूर्यनारायण चौधरी	स्वयं की अस्वस्थता
184.	,, अनिलकुमार श्रीवास्तव	पिता की बीमारी
185.	,, विजय चावला	विद्यार्थी के नाते
186.	,, टीकम सिंह	पिता की बीमारी
187.	,, महावीर सिंह ढांडा	पत्नी एवं बच्चों की अस्वस्थता
188.	,, मदनलाल गोयल	स्वयं की बीमारी
189.	,, भगवानसिंह चौधरी	स्वयं की बीमारी
190.	,, वेद प्रकाश शर्मा	पत्नी की अस्वस्थता तथा स्वयं की बीमारी
191.	मास्टर आदित्येन्द्र	स्वयं की बीमारी
192.	श्री प्रहलाद कुमार शर्मा	मां की बीमारी
193.	,, राधाकृष्ण महेश्वरी	स्वयं की बीमारी
194.	,, भानुकुमार शास्त्री	पत्नी की अस्वस्थता
195.	,, विरेन्द्र बंधु	पत्नी एवं बच्चों की बीमारी एवं पारिवारिक परिस्थितियां
196.	,, मजूरूलहक	लड़की की शादी
197.	,, आचार्य गिर्राजकिशोर	भतीजी व भानजी की शादी
198.	,, अनिल पंजवानी	रिव्यू की स्थिति
199.	,, राजेन्द्रसिंह महला	रिव्यू की स्थिति
200.	,, उमाकांत उर्फ खुखारसिंह	रिव्यू की स्थिति
201.	,, अजीतसिंह सागर	दादाजी की मृत्यु
202.	,, श्रीचन्द जैसलमेरिया	मां की मृत्यु व जेल में बीमार होने के कारण (पैरोल लेने से इन्कार)
203.	,, अमरकिशन व्यास	पत्नी की बीमारी
204.	,, रेवाचन्द	मां की बीमारी
205.	,, दामोदर बंग	लड़की की शादी एवं पत्नी व मां की बीमारी के कारण

1	2	3
206.	श्री जेष्ठानन्द परिहार	पत्नी की बीमारी
207.	„ कुम्भाराम आर्य	पुत्र के एक्सीडेंट
208.	„ विज्ञान मोदी	लिखित में शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने आश्वस्त किया तथा पारिवारिक परिस्थितियां
209.	„ सोहनराज मेहता	„
210.	„ प्रह्लादेव बोहरा	पारिवारिक सदस्य की बीमारी के कारण (16-11-76 से पैरोल उपभोग नहीं किया)
211.	„ श्री शंकरराज लोढा	मां की मृत्यु व धार्मिक क्रिया के कारण, पिता की बीमारी के कारण
212.	„ अब्दुल गफूर	बहनोई की मृत्यु, बहन व पत्नी की बीमारी
213.	„ विरदमल सिंघवी	कान का इलाज करवाने
214.	„ शंकरमल सिंघवी	स्वयं की बीमारी
215.	„ कांतिलाल जसमतिया	पारिवारिक परिस्थितियां
216.	„ राजेन्द्र गहलोत	विद्यार्थी के नाते
217.	„ आर. के. रस्तोगी	कलकत्ता आपरेशन कराने जाने हेतु
218.	„ शारदा शरणसिंह	पिता की बीमारी, मां व भाई की बीमारी, ससुर की मृत्यु के कारण
219.	„ मुरली बिडला	विद्यार्थी के नाते
220.	„ श्याम आर्य	विद्यार्थी के नाते
221.	„ जुगल तापडिया	विद्यार्थी के नाते
222.	„ हिराचन्द बोहरा	पुत्र की बीमारी
223.	„ गुमानमल लोढा	भारतीय जनसंघ से स्तीफा तथा विधानसभा में जनता मोर्चा से स्तीफा देना
224.	„ मोहम्मद अली	दादी की मृत्यु
225.	„ मिश्रीलाल	दो साल से आर. एस. एस. से सम्बन्ध विच्छेद करने की स्थिति व्यक्त की गई
226.	„ भागीरथ सोनी	माफी मांगी गई 20 सूत्री कार्यक्रम हेतु आश्वस्त किया
227.	„ शिवनारायण चौधरी	राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में भाग न लेने को आश्वस्त किया तथा सरकार की नीतियों का समर्थन किया
228.	„ सोभागमल नाहर	पिता की बीमारी

1	2
229. श्री मिलापचन्द माथुर	विधवा बहन तथा पत्नी अस्वस्थ, बहन की बीमारी के कारण, सम्बन्धी की मृत्यु एवं पत्नी की अस्वस्थता
230. ,, नारायण प्रसाद	पिताजी की देखभाल हेतु
231. ,, हरिशंकर मामडा	ससुर की मृत्यु एवं पारिवारिक परिस्थितियों वश
232. ,, चांदमल	पारिवारिक परिस्थितियां
233. ,, रामेश्वरलाल खाती	भाई की बीमारी के कारण
234. ,, गुरलदास	स्वयं की बीमारी, भारतीय जनसंघ से त्याग पत्र तथा साम्प्रदायिक एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में भाग न लेने हेतु आश्वस्त किया गया।
-1 (क्र.सं. 12)	
234	

माफी मांग कर रिहा होने वाले मीसा नजरबंदियों की सूची

क्र. सं.	मीसा बंदी का नाम	आवेदन का संक्षिप्त विवरण
1	2	3
1.	श्री गोपाल भार्गव	भारत सरकार ने जो आपात स्थिति की घोषणा की है इससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं तथा उसका स्वागत करता हूं। मैं देश के प्रति विध्वंसक कार्यवाही में न तो शरीक हुआ न ही भविष्य में होऊंगा। सरकार ने जो मेरे प्रति आरोप लगाये हैं वें रद्द किये जाने की कृपा करें उसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं।
2.	श्री बाबूलाल जैन	प्रार्थी यह आश्वासन भी देना चाहता है कि वह भविष्य में किसी भी सरकारी विरोधी कार्यवाही में भाग न लेगा। अतः माफीनामा पेश कर निवेदन है कि उसे तुरन्त रिहा किया जाये।
3.	श्री आशाराम	मैंने पहले भी माफीनामा लिखकर भेज दिया है, और अब मैं दो महिने के वास्ते पैरोल पर छूटना चाहता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बाहर निकलने पर किसी भी पार्टी में भाग नहीं लूंगा और कभी कोई राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं करूंगा।
4.	श्री करणमल सोनी	अब करबद्ध निवेदन है कि मेरे उक्त विचार माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी तक पहुंचाये जावें ताकि वे मुझे अपना बच्चा समझते हुये क्षमा कर देंगी और प्रार्थी को उनके विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिये अवसर प्रदान करेंगी। जिसके लिए मैं अधीर हो चुका हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी किसी राजनैतिक दल या प्रतिबन्धित संस्था आर. एस. एस. में कोई भाग नहीं लूंगा।
5.	श्री पीयूष चंद जैन	पहले मैंने जो कुछ भी किया इसके लिये मुझे खेद है एवं आयंदा से इस प्रकार की किसी भी प्रकार की प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा।

1	2	3
		अतः मैं सरकार को यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं ग्रार. एस. एस. या किसी भी पार्टी जो सरकार विरोधी हो का सदस्य नहीं हूं श्रौर न रहूंगा। मेरी किसी प्रकार की कोई भूल यदि सरकार की नजर में ग्राई हो तो उसके लिये मैं क्षमाप्रार्थी हूँ श्रौर ग्रपने कृत्य के लिये पश्चाताप करता हूं। ····· मेरे परिवार की वर्तमान स्थितियों को ध्यान में लेकर मुझे माफी बख्शी जावे तथा कारावास से मुक्त फरमाया जावे।
6.	श्री यशवंत कुमार	इसके पहले मैंने कुछ नहीं किया फिर भी मेरे विरुद्ध कोई ग्राधार हो तो इसके लिये मुझे खेद है एवं ग्रायंदा से इस प्रकार की प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा। मेरे विरुद्ध जो भी साक्ष्य हो इसके लिये मैं माफी चाहता हूँ श्रौर आयन्दा ऐसा कोई कार्य मेरी ग्रोर से नहीं होगा। ग्रतः निवेदन है कि मेरे कुसूर के लिये मुझे माफी बख्शें एवं मुझे मीसा से रिहा करने के ग्रादेश दिलावें।
7.	श्री कन्हैयालाल भावसार	मैं उक्त माह से न तो किसी संस्था या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदस्य हूं श्रौर न मुझे उस संस्था के कार्य-कलापों से कोई संबंध है श्रौर न जानकारी है श्रौर न ग्रापतकालीन स्थिति घोषित होने के बाद कोई कार्य राज्य की मंशा के विरुद्ध किया है। उसके पहले जो भी कुछ किया था उसके लिये मुझे खेद है एवं ग्रायंदा से इस प्रकार की किसी भी प्रवृत्ति में भाग नहीं लूंगा।
8.	श्री सुदर्शन ललवानी	प्रार्थी जनसंघ में था किन्तु जनसंघ से त्याग पत्र दे दिया है क्योंकि जनसंघ की गतिविधियां राष्ट्र के हित में सिद्ध नहीं हुई हैं। प्रार्थी प्रधान मंत्री के 21 सूत्रीय कार्यक्रम में ग्रपना विश्वास व्यक्त करता है श्रौर भविष्य में किसी प्रकार की राजनीति में नहीं रहने का शपथपूर्वक विश्वास लोकप्रिय सरकार को दिलाता है। प्रार्थी से जो कुछ भी भूल हुई उसकी क्षमा चाहता है, श्रौर भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती न करने का वचन देता है। मुझे क्षमा प्रदान की जावे।

1	2	3
9.	श्री नवनीत लाल चतुर्वेदी	मैं सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य रहा हूं । मैंने सोशलिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया है तथा आयंदा सदा सर्वदा के लिये राजनीति से सन्यास ले लिया है । मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि मेरे जैसे गृहस्थ व्यक्ति के लिए राजनीति में भाग लेना उचित नहीं है । मैं अपनी गलती महसूस करता हूँ ।
10.	श्री ताराराम	यह है कि प्रार्थी ने आज तक कभी भी राजनैतिक पार्टी में भाग नहीं लिया है और न ही मैं आर. एस. एस. में जाता था । कभी कभी मुझे कुछ जनसंघियों ने बहकाया कि चलो सरकार विरोधी नारे लगाकर वापस आ जाते हैं जिससे मैं उनके बहकावे में आ गया । प्रार्थी से यह नासमझी में गलती हो गयी लेकिन अब मैं सरकार से माफी चाहता हूँ व आयंदा किसी भी राजनैतिक पार्टी में भाग नहीं लूंगा ।
11.	श्री किशनसिंह आजाद	मैं इस पत्र के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने अपने समाचार पत्र में श्रीमती गांधी की नीतियों की सदैव प्रशंसा की है और ऐसे लेख कभी नहीं प्रकाशित किये जिससे आप दोनों की नीतियों को कोई आंच आई हो और विश्वास करें कि भविष्य में भी सदैव राष्ट्रीय हित के लेखों का प्रकाशन करूंगा । यदि संयोगवश कोई ऐसा लेख कभी प्रकाशित भी हो गया हो जिससे श्रीमती तथा राष्ट्रीय आनर को कोई आंच आई हो तो क्षमा चाहूंगा ।
12.	श्री इफ्तेखारूद्दीन कुरेशी	मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि मेरे पत्र में किसी भी प्रकार से केन्द्रीय, राज्य सरकार या मुख्य मंत्री महोदय को किसी भी तरह की कोई गलती नजर आई हो तो उसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय से क्षमा याचना करता हूं और यह निश्चित विश्वास करता हूं कि भविष्य में मेरे पत्र में किसी प्रकार की कोई गलत प्रकाशन देखा जाय तो मेरे पत्र का डिक्लेरेशन समाप्त कर दिया जावे ।

1	2	3
13.	श्री रहीम बक्श	प्रार्थी ने माफीनामा भी पहले लिखकर भिजवा दिया था और अब भी माफी मांगता हूं।
14.	श्री दयाल	प्रार्थी के अभाव के कारण प्रार्थी की पूरी फैमिली अस्त-व्यस्त हो चुकी है इसलिये श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी को रिलीज फरमाने की कृपा करें। प्रार्थी माफी मांगता है कि आयंदा कभी किसी जुर्म से कोई तालुक नहीं रहेगा।
15.	श्री रामपालसिंह	ऊपर वर्णित तथ्यों के आधार पर आपसे निवेदन करना है कि शीघ्र रिहा करवाये जाने की कृपा करें। प्रार्थी किसी भी किस्म की पूर्व में की गई गलती की क्षमा मांगता है।
16.	श्री भागीरथ सोनी	मेरा किसी भी दल से कोई संबंध नहीं है फिर भी यदि आपको मेरे प्रति कोई शिकायत हो तो मुझे क्षमा करके मेरे परिवार की रक्षा करें। मैं सरकार को मेरे से जितना बन सकेगा सहयोग दूंगा। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार जैसा भी उचित समझे वैसे बाण्ड भरवाकर मुझे पैरोल पर रिहाई दिलवाई जाने की कृपा करें। यह है कि मैंने ऊपर ही कह दिया है कि मेरा किसी भी राष्ट्र विरोधी दल के साथ संबंध नहीं है। फिर भी मैं दृढ़ता पूर्वक यह घोषणा करता हूं कि मैं आयंदा भी कभी इस प्रकार की गतिविधियों में कोई हिस्सा नहीं लूंगा। इसलिये यदि किसी भी वजह सरकारी रिकार्ड में मेरे विरुद्ध कोई इत्तला है भी तो उसके लिये सच्चे दिल से क्षमा प्रार्थी हूं और मुझे क्षमा कर दिया जावे।
17.	श्री दामोदर लाल	I pray for unconditional Apology for my behaviour available on the record of your good offices.
18.	श्री जयदयाल	That Sir, my domestic circumstances are deteriorating day by day. Thus the present situation has given me a lesson hence I have decided to give up all such activities which are against Govt. Will, therefore, I pray for an unconditional apology.

परिशिष्ट–3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

पंचायत समितियों में डिस्पेन्सरियां एवं एडपोस्ट की व्यवस्था

104. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के तहत हर पंचायत समिति में 2 डिस्पेन्सरियां व एड पोस्ट खोलने थे ? यदि हां, तो सोजत में कहां कहां खोले गये ? यदि नहीं, तो अब कब तक खोल दिये जायेंगे ?

उत्तर

मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के तहत प्रत्येक पंचायत समिति के क्षेत्र में दो डिस्पेन्सरी एवं एडपोस्ट खोलने का प्रोग्राम नहीं था परन्तु इस प्रकार का प्रोग्राम राज्य सरकार की घोषित नीति के अनुसार है।

पंचायत समिति सोजत में एक राजकीय चिकित्सालय सोजत में है तथा एक डिस्पेन्सरी जो कि ग्राम पिपलाज में स्वीकृत हुई को ग्राम अटपड़ा में पंचायत समिति सोजत में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

एडपोस्ट के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं तथा जल्दी ही सोजत पंचायत समिति में एडपोस्ट खोल दी जायेगी।

राज्य में खोले गये विद्यालय

105. श्री लालशंकर डेंडोर (सागवाड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि राज्य में जो विद्यालय खोले गये हैं, वे अधिकारियों की सिफारिशों पर खोले गये हैं ? यदि हां, तो कुल विद्यालय क्रमशः प्राथमिक स्कूल, उच्च प्राथमिक विद्यालय व माध्यमिक विद्यालय राज्य के जिलों में कहां-कहां खोले गये हैं ?

उत्तर

जी नहीं। विद्यालयों का खोलने का आधार राज्य सरकार द्वारा घोषित जनसंख्या के मानदंड तथा स्थानीय आवश्यकता व उपलब्ध वित्तीय प्रावधान को बनाया गया है। जिलेवार खोले गए स्कूलों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

भीलवाड़ा में आपातकाल में निर्मित मार्केट

106. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा): क्या नगर आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) आपातकाल के अन्दर नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा निर्मित स्टोर, मार्केट तथा ट्रान्सपोर्ट मार्केट के लिए काश्तकारों की कितनी जमीन अवाप्त की गई ?

(2) दोनों मार्केट पर कितना विकास व्यय हुआ ? अलग-अलग बताने की कृपा करें।

(3) क्या उक्त दोनों मार्केट का आज कोई उपयोग हो रहा है ?

उत्तर

(1) न्यास द्वारा ट्रान्सपोर्ट मार्केट हेतु 32 बीघा 9 बिस्वा भूमि अवाप्त की

(नगर आयोजन मंत्री)

गई। स्टोन पट्टी मार्केट के लिए कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई चूंकि इस योजना की सम्पूर्ण भूमि बिला नाम की भूमि थी।

(2) ट्रान्सपोर्ट मार्केट योजना में सड़क निर्माण पर 69,000/ रु. एवं भूमि आवप्ति पर 1,93,190/– रुपये व्यय किये गये। इस प्रकार कुल रु. 2,62,190/– व्यय किये गये हैं। स्टोन पट्टी मार्केट योजना सड़क निर्माण पर 96,600/– रु. व्यय किया गया है।

(3) दोनों योजनाओं में भूखण्ड आवंटन का मामला विचाराधीन है।

पंचायत समिति सांचौर क्षेत्र में कन्या पाठशाला

107. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि इस सत्र में पंचायत समिति, सांचौर क्षेत्र में, जहां की जनसंख्या करीबन 1,75,000 है, एक भी कन्या पाठशाला नहीं खोली गई है? अगर हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका क्षेत्र, सांचौर, ग्राम होडचा, ग्राम झाब एवं ग्राम चीतलवाना में कन्या प्राथमिक पाठशाला खोलने की मांग की गई थी? अगर हां, तो इन स्थानों पर कन्या पाठशालाएं न खोलने के क्या कारण थे?

(3) अब उक्त, स्थानों पर पाठशालाएं कब तक खोल दी जावेंगी?

उत्तर

(1) जी हां।

राज्य सरकार की यह नीति है कि प्राथमिक स्तर तक बालिकाओं की अलग से कोई पाठशाला खोलने की आवश्यकता नहीं है।

(2) इन स्थानों पर अलग से कन्या प्राथमिक शाला न खोलने का कारण प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में दिया जा चुका है।

(3) इसका उत्तर प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में दे दिया गया है।

ग्राम पंणदो तहसील विराट नगर में बांध की स्वीकृति

108. श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवा-रामगढ़) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम पंणदो तहसील विराटनगर (जयपुर) का बांध स्वीकृत किया गया हैं? यदि हां, तो कार्य कब तक चालू किया जायेगा?

(2) क्या ग्राम माथासूला व धीरास तहसील जमवारामगढ़ की कई हजार बीघा भूमि के पानी को निकालने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा किया जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं।

यह कार्य वर्ष 1978–79 में प्रस्तावित हैं। प्राकलन तैयार किया जा रहा है। लाभ

(सिचाई मंत्री)
लागत अनुकूल होने पर स्वीकृत किया जायेगा व कार्य करवाया जायेगा।

(2) जी नहीं।

क्योंकि सामान्यत: ऐसे पानी के निकालने के कार्य इस विभाग द्वारा नहीं किये जाते हैं।

पिछड़ी जातियों को नियुक्ति में आरक्षण

109. **श्री शिवचरण सिंह (बयाना)**: क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार राज्य की अन्य पिछड़ी जातियों को नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान करने का विचार रखती है ?

(2) क्या राज्य सरकार अन्य पिछड़ी जातियों के सामाजिक व शैक्षणिक विकास हेतु कोई योजना बना रही है ?

(3) क्या यह सही है कि घोषणाओं के बावजूद अभी तक पिछड़ी जातियों को कोई संरक्षण नहीं दिया गया है ?

(4) क्या पिछड़ी जातियों को भविष्य में संरक्षण दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

(2) अन्य पिछड़ी जातियों के सामाजिक विकास हेतु कोई योजना नहीं बनाई जा रही है। शैक्षणिक विकास के लिये राजकीय स्कूलों में शिक्षण शुल्क से पूर्ण मुक्ति दी हुई है।

(3) जी नहीं।

(4) वर्तमान में इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता।

राजगढ़ पंचायत समिति की आर. ई. सी. योजना

110. **श्री समरथलाल (राजगढ़)** : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही कि राजगढ़ (अलवर) पंचायत समिति की आर. ई. सी. की योजना राज्य विद्युत मण्डल के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित हो जावेगी ?

उत्तर

राजगढ़ पंचायत समिति की आर. ई. सी. की योजना एम. एन. पी. के अन्तर्गत राज्य विद्युत् मण्डल के विचाराधीन थी पर आर. ई. सी के पत्र दिनांक 16–9–78 के द्वारा एम. एन. पी. के मानदण्ड बदलने के कारण अलवर जिला एम. एन. पी. श्रेणी से निकाल दिया गया है अतः यह योजना विचाराधीन नहीं है।

राज्य सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या

111. **श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज)**:—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सड़क दुर्घटनाओं से चालू वर्ष में कितने व्यक्ति घायल हुए हैं और कितने व्यक्ति काल के ग्रास हुए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में विगत वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई हैं ?

(श्रीमती नारंगी देवी)

(3) क्या यह सही है कि सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु का मुख्य कारण मोटर साईकिल स्कूटर सवारों का हेलमेट नहीं पहिनना है ? यदि हां, तो राज्य सरकार स्कूटर मोटर साईकिल सवारों को हेलमेट पहिनने की अनिवार्यता की ओर क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) राज्य में चालू वर्ष के माह अगस्त तक सड़क दुर्घटनाओं से 2403 व्यक्ति घायल हुये तथा 525 व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।

(2) जी हां ।

(3) मोटर साईकिल व स्कूटर सवारों द्वारा हेलमेट नहीं पहिनना भी सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होने का शायद एक कारण रहा है । इस संबंध में केन्द्रीय कानून बन चुका है । उसे लागू करने की तारीख केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

राज्य पथ परिवहन निगम की यूनियन के पदाधिकारियों को नियमित ड्यूटी से मुक्ति

112. मेजर श्री फतह सिंह (भीम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा मान्यता प्राप्त यूनियन के पदाधिकारियों को निगम की नियमित ड्यूटी देने से मुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो कृपया सम्बन्धित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

जी हां । सम्बन्धित आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर

आदेश

क्रमांकः एफ/रा.रा.प.प. निगम/श्रम/2369 दिनांक : 13–6–78

निगम में श्रमिक यूनियन की मान्यता के लिए दो व तीन अप्रेल, '1978 को कराये गये गुप्त मतदान में विजयी 'राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्पलाईज यूनियन (एटक)' को मान्यता प्रदान कर दी है। इस मान्यता प्राप्त यूनियन को निगम की ओर से निम्नांकित सुविधायें उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है :—

(1) प्रान्त स्तरीय कार्यालय के लिए जयपुर में सिंधी कैम्प सीमा में पर्याप्त फर्नीचर एवं एक टेलीफोन सहित उपयुक्त भवन दिया जायेगा। टेलीफोन विभाग द्वारा निःशुल्क लोकल काल की निर्धारित सीमा के अतिरिक्त लोकल कॉल एवं ट्रंक काल का जो व्यय होगा उसमें से विभागाध्यक्ष के लिए निर्धारित सीमा तक लोकल काल का व्यय निगम वहन करेगी तथा इस सीमा से आगे लोकल काल एवं ट्रंक काल का व्यय निगम द्वारा यूनियन से प्राप्त किया जायेगा।

(2) शाखा स्तरीय कार्यालयों के लिए प्रत्येक शाखा को सम्बन्धित आगार/कार्यशाला/बस स्टैण्ड/कार्यालय में जहां भवन की सुविधा हो किसी एक उपयुक्त स्थान पर कमरा दिया जायेगा।

(3) प्रत्येक आगार/कार्यशाला/बस स्टैण्ड/कार्यालय में नोटिस बोर्ड की सुविधा दी जायेगी।

(4) प्रत्येक शाखा स्तर पर एक, संभाग स्तर पर दो एवं प्रान्त स्तर पर चार कर्मचारी प्रतिनिधियों जिनके नाम यूनियन के प्रान्तीय कार्यालय द्वारा लिखित में सूचित किये जायें, उनको यूनियन से सम्बन्धित कार्यों की देख रेख के लिए उनके निगम कार्य से पूरे समय के लिए मुक्त रखा जायेगा एवं उन्हें निगम वाहनों में यात्रा हेतु निम्न प्रकार निःशुल्क स्थायी यात्रा पास की सुविधा देय होगी।

(क) शाखा तथा संभाग स्तरीय कार्य देखने वाले प्रतिनिधि संबंधित संभागों में किसी भी स्थान तथा जयपुर के लिए निःशुल्क यात्रा पास का उपयोग कर सकेंगे।

(ख) प्रान्त स्तरीय कार्य देखने वाले प्रतिनिधि पूरे प्रान्त एवं जहां तक निगम वाहनें चलती है निःशुल्क यात्रा पास का उपयोग कर सकेंगे।

(ग) प्रत्येक निःशुल्क स्थायी पास पर कर्मचारी प्रतिनिधि का फोटो तथा हस्ताक्षर होंगे।

(156)

उपरोक्त क्रम संख्या 4 के संबंध में यदि कभी किसी कर्मचारी प्रतिनिधि के नाम में यूनियन परिवर्तन करना चाहे तब यूनियन के प्रान्तीय कार्यालय से लिखित सूचना प्राप्त होने पर परिवर्तन कर दिया जायेगा और इस स्थिति में पहले वाले प्रतिनिधि को निःशुल्क स्थायी पास वापिस निगम को जमा करवाना होगा तथा जमा न होने की स्थिति में ऐसे पास को आदेश जारी कर निरस्त कर दिया जायेगा।

(5) निगम द्वारा प्रसारित किये जाने वाले विभिन्न प्रशासनिक/वित्तीय आदेशों/ परिपत्रों की प्रतिलिपियां सम्बन्धित अधिकारियों की ओर से यूनियन को भेजी जायेंगी।

(6) प्रान्तीय कार्य समिति के पदाधिकारियों-सदस्यों जिनमें संभागीय कार्य समितियों के पदाधिकारी सदस्य भी सम्मिलित हैं सहित प्रत्येक शाखा के अध्यक्ष सचिव को यूनियन की विभिन्न बैठकों में भाग लेने व यूनियन सबंधित अन्य कार्यों के लिए एक कलैण्डर वर्ष में 15 दिवस के विशेष सवैतनिक अवकाश तथा निःशुल्क यात्रा पास उन अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे जहां कि संबंधित कर्मचारी प्रतिनिधियों का पदस्थापन है, किन्तु संबंधित कर्मचारी प्रतिनिधि को इसके लिए लिखित आवेदन करना होगा।

(7) निगम के समस्त अधिकारीगण सामूहिक प्रकृति की समस्त मांगों, समस्याओं एवं विवादों पर केवल मान्यता प्राप्त यूनियन से ही वार्ता कर हल निकालेंगे। यदि मान्यता प्राप्त यूनियन की ओर से कोई मांग-पत्र प्राप्त होता है तब संबंधित अधिकारीगण मान्यता प्राप्त यूनियन के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर प्राथमिकता के आधार पर वार्ता कर समझौते का प्रयास करेंगे। जहां तक किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत विवाद का प्रश्न है और यदि ऐसा व्यक्तिगत विवाद किसी भी रूप में सामूहिक प्रकृति का न हो तब संबंधित कर्मचारी अपने ऐसे व्यक्तिगत विवाद को स्वयं या किसी भी यूनियन प्रतिनिधि के माध्यम से सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा और सक्षम अधिकारी द्वारा उचित निर्णय किया जायेगा।

बी. एस. मिन्हास,
महाप्रबन्धक।

क्रमांक: एफ./राराापनि/श्रम/2369 दिनांक : 13-6-78

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्रम आयुक्त, राजस्थान सरकार, जलेबी चौक, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, रा.रा.प.प.निगम, जयपुर।
3. समस्त अधिकारीगण, रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय, जयपुर।
4. जोनल मैनेजर, रा.रा.प.प. निगम, (नोर्थ जोन) अजमेर/(साउथ जोन), जयपुर।
5. मुख्य यांत्रिक अभियंता, रा.रा.प.प.निगम (नोर्थ जोन) अजमेर/(साउथ जोन), जयपुर।
6. समस्त संभाग प्रबन्धक, संभाग यांत्रिक अभियंता, रा.रा.प.प.निगम।
7. समस्त आगार प्रभारी/कार्यशाला प्रभारी/ रा.रा.प.प.निगम।
8. निजी सहायक अध्यक्ष/महाप्रबन्धक।
9. राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्पलाईज यूनियन (एटक), प्रान्तीय कार्यालय, सिन्धी कैम्प, जयपुर।
10. श्रम निरीक्षक, राज. परिवहन निगम,..... ।

के.एन. शर्मा,
उप महाप्रबन्धक (कार्मिक)।

जालौर में पर्यटन केन्द्रों का विकास

113. **श्री टीकम चन्द कान्त** (जालौर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जालौर जिले के सूधा माता जैसे दर्शनीय, रमणीय एवं प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान तथा जालौर के ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य युक्त जालौर जिले को भी पर्यटन केन्द्र बनाने का विचार राज्य सरकार कर रही है ? यदि हां, तो यह कब प्रारम्भ हो जायगा और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

पर्यटन विभाग, जालौर जिले में स्थित दर्शनीय स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से मूल्यांकन कर रहा है। यदि सूधा माता एवं जालौर जिला पर्यटक की दृष्टि से महत्वपूर्ण पाये गये तो इनके विकास की योजना शीघ्र बनाई जायेगी।

परिवार नियोजन का टार्गेट

114. **श्री ओंकारलाल चौहान** (अटरू) **श्री वियेन्द्रपाल सिह** (ग्रासीन्द)—क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत 2 वर्षों में परिवार नियोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि निर्धारित की गई थी ?

(2) क्या यह राशि खर्च की जा चुकी थी ? यदि हां, तो किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) गत 2 वर्षों में परिवार नियोजन का टारगेट क्या रखा गया था ? क्या यह टारगेट पूरा हो गया ?

(4) राज्य सरकार ने अब परिवार नियोजन के लिये अपना क्या कार्यक्रम बनाया है ?

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में परिवार नियोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित राशि बजट में प्रावधान की गई थी:—

वर्ष का नाम	बजट प्रावधान
1976—77	654.59 लाख रुपये (रिवाइज्ड)
1977—78	377.39 लाख रुपये

(2) जी हां, उपरोक्त राशि में से वर्ष 1976—77 में 643.42 लाख रुपये तथा वर्ष 1977—78 में 348.58 लाख रुपये खर्च किये गये है जिसके खर्च के मदों की तालिका संलग्न है।

(3) गत दो वर्षों में परिवार कल्याण के टार्गेट एवं उपलब्धियां निम्नानुसार थी:—

	वर्ष 1976—77		वर्ष 1977—78	
	टारगेट	उपलब्धियां	टारगेट	उपलब्धियां
(1) नसबन्दी	3,50,000	3,64,760	निर्धारित नहीं	12,636
(2) लूप निवेशन	46,500	11,812	48,000	8,951
(3) गर्भ निरोध	1,18,400	67,741	1,50,000	69,343

(चिकित्सा मंत्री)

इन दो वर्षों में केवल नसबन्दी आपरेशन का ही टारगेट वर्ष 1976–77 का पूरा हुआ।

(4) परिवार नियोजन कार्यक्रम को निम्न प्रकार नई दिशा दी गई:–

1 यह केवल परिवार नियोजन ही नहीं परिवार कल्याण कार्यक्रम भी है।

2. परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए लोकमत तैयार करने हेतु निम्न कार्यक्रम बनाये गये हैं :—

1. समय समय पर प्रदर्शनियां लगाना।

2. गोष्ठियों का आयोजन करना।

3. सीमित परिवार रखने के लिए संकल्प-पत्र भरवाना।

4. जन सहयोग प्राप्त करने के लिए पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समितियां बनाना।

5. कुछ महिला चिकित्सकों की सेवा-उपलब्ध कराना, पोस्ट-पार्टम केन्द्रों का विस्तार करना आदि सेवाओं का विस्तार।

STATEMENT SHOWING THE ACTUALS IN RESPECT OF FAMILY WELFARE PROGRAMME FOR THE YEARS 1976-77 & 1977-78

281-Family Welfare Direction &Administration. 1	EXPENDITURE 1976-77 2	1977-78
(i) State Secretariat Cell	0.77	0.89
(ii) State Family Welfare Bureau	7.53	8.13
(iii) District Family Welfare Bureau	59.39	44.51
(a) Rural Family Welfare Centres at Primary Health Centres	67.38	78.64
(i) Rural F.W. Sub-Centres	64.64	79.43
(ii) Urban Family Welfare Services	24.32	29.93
(a) Maternity & child Health		
(i) Immunisation	3.55	7.88
(ii) Transport	9.77	6.97
(iii) State Health Transport Org.	4.59	4.58
(a) Compensation	553.93	13.39
(b) Other Services & Supplies		
(i) Sterilisation Beds	—	0.15
(ii) Conventional Contraceptives	14.19	7.85
(iii) Post Partum Centres	21.00	23.86
(iv) Mass Education	2.38	3.28

1	2	
(a) Training, Research Statistics		
(i) Regional Health Family Welfare Training Centres	4.20	4.93
(ii) Training of ANMs., Dais & L.W Vs.	12.07	7.53
(iii) D & E Cell	2.49	2.80
(a) Other Schemes		
(i) Extension of Sterilization facilities in Rural & Semi-Rural areas	3.48	2.99
(ii) Training of Indigenious Dais	—	8.29
Total :	635.68 Lacs	336.03
Capital Expenditure	12.74 ,,	12.55
Grand Total :	648.42 ,,	348.58

माही बांध एवं मिट्टी एवं रेत की रोकथाम

116. श्री नाथूराम (बागीदोरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

माही डेम (बांध) बनने के बाद नदी में मिट्टी व रेती बहकर आयेगी उसकी रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

उत्तर

माही बजाज सागर में 100 वर्षों के भीतर अनुमानतः 8 टी.सी. मिट्टी एकत्रित होने की संभावना है। जलाशय में पर्याप्त डेड (Dead) स्टोरेज का प्रावधान है, जिसके फलस्वरूप आगामी 100 वर्षों में जलाशय की उपयोगी जल संग्रह क्षमता एवं इससे उपलब्ध होने वाली सिंचाई सुविधाओं में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा।

चूरू जिले के गांवों में पेयजल की व्यवस्था

117. श्री हजारीमल सारण (सरदार शहर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले के गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए गन्धेली—साहवा जलदाय योजना कब स्वीकृत हुई तथा कार्य कब शुरू किया गया और अब तक इस योजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना का कार्य निर्धारित समयानुसार नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या-क्या कारण हैं ?

(3) इस योजना का कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

उत्तर

(1) गन्धेली साहवा योजना नवम्बर 75 में स्वीकृत की गई थी योजना के स्वीकृत होते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। माह सितम्बर 78 के अन्त तक कुल 74.31 लाख रु. इस योजना पर व्यय किया जा चुका है।

(2) इस योजना में पाइप लाइन लगाने के अलावा सभी कार्य निर्धारित समयानुसार सम्पन्न हो चुका है। एक पार्टी ने चूरू में फैक्ट्री लगाकर पाइप सप्लाई करने का ठेका लिया था जिस कार्य में अवांच्छनीय देरी हुई है और इसी कारण इस योजना में पाइप नहीं पड़ सके हैं। इस देरी के प्रति विभाग सजग है और जल्द पाइप सप्लाई करवाने के प्रयास कर रहा है।

(3) वर्ष 80-81 तक पूर्ण होने की संभावना है।

राज्य में सट्टे से अपराधों में वृद्धि

118. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सट्टा से सम्पूर्ण राज्य में गुण्डागर्दी, चोरियां एवं अन्य प्रकार के असामाजिक कार्य बढ़े हैं? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सन्दर्भ में क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

जी नहीं। यह पूर्णतया सत्य नहीं है कि सट्टे की वजह से ही इस प्रकार के सारे अपराध घटित होते हों। हो सकता है कुछ अपराध सट्टे की वजह से भी हुये हों क्योंकि इसमें असामाजिक तत्व लिप्त रहते हैं।

खानपुर (झालावाड़) शफाखाना में रिक्त पद

119. श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

खानपुर, जिला झालावाड़ के शफाखाने में कौन-कौन से पद खाली पड़े हुये हैं? इन पदों को कब तक भरा जा सकेगा?

उत्तर

खानपुर जिला झालावाड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में निम्नलिखित पद खाली हैं :—

महिला चिकित्सक	एक
एल.एच.पी.	एक
कम्पाउन्डर	एक
कम्प्यूटर	एक
परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक	दो
वरिष्ठ लिपिक	एक

उपरोक्त पदों को योग्य कर्मचारी के उपलब्ध होते ही भर दिये जावेंगे। परिवार कल्याण के अन्तर्गत आने वाले पदों को (कम्प्यूटर, वरिष्ठ लिपिक, परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक) भरने पर भारत सरकार ने रोक लगा रखी है।

उदयपुर नियोजन केन्द्र में पंजीकृत प्रत्याशियों का चयन

120. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के उदयपुर नियोजन केन्द्र ने पिछले एक साल में नियोजन हेतु कितने

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
प्रत्याशियों की सूची विभिन्न विभागों को भेजी ?

(2) क्या यह सही है कि कई प्रत्याशियों को एक भी बार साक्षात्कार का अवसर पिछले चार वर्षों में नहीं मिला ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ प्रत्याशियों को उनके रजिस्ट्रेशन के कुछ ही दिन बाद साक्षात्कार हेतु नियोजन केन्द्र ने नाम भी भेज दिये एवं उनकी नियुक्ति भी हो गई ?

(4) क्या यह सही है कि कुछ विभाग अपनी आवश्यकता की सूची मांगने के पूर्व ही अपने यहां व्यक्ति को काम पर रख लेते हैं ? केवल विधिवत नियुक्ति के लिये यह नाटक पूरा करते हैं जिससे कई गरीब व्यक्तियों को काफी पैसा खर्च कर साक्षात्कार हेतु आना पड़ता है एवं निराश होना पड़ता है।

(5) क्या यह भी सही है कि ये नियोजन कार्यालय भ्रष्टाचार के केन्द्र बनते जा रहे हैं ? यदि हां, तो इनमें सुधार के बारे में राज्य सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) राज्य के उदयपुर नियोजन केन्द्र द्वारा पिछले एक साल (सितम्बर, 77 से अगस्त, 78 तक) की अवधि में 19,431 आशार्थियों की सूची विभिन्न विभागों को भेजी गई।

(2) जी हां। रिक्तियों के अभाव में कई आशार्थियों को साक्षात्कार का अवसर पिछले चार वर्षों से नहीं मिल सका।

(3) जी हां।

(4) जी हां। 90 दिनों से कम अवधि की रिक्ति पर आवश्यक मामलों में केजुएल लेबर को बिना नियोजन कार्यालय के नियोजक द्वारा लगाया जा सकता है।

(5) जी नहीं।

जयपुर-मण्डावा मार्ग पर बसों की व्यवस्था

121. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस जयपुर से अपरान्ह 3–45 बजे मण्डावा (झुंझुनूं) के लिये जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बस सेवा के नियमित रूप से नहीं चलने की शिकायतें निगम को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो निगम द्वारा उक्त शिकायतों को दूर करने के क्या उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) माह अगस्त और सितम्बर में उक्त बस किन-किन दिनों मण्डावा नहीं गई ? इसके क्या कारण थे ?

(4) क्या यह सही है कि जयपुर से सीधी मण्डावा के लिये एक ही बस चलती है और वह भी नियमित रूप से नहीं चलने से यात्रियों को काफी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार बस सेवा नियमित रूप से चले इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(श्री नवरंगसिंह)

(5) क्या राज्य सरकार जयपुर मण्डावा एक ओर सीधी बस सेवा चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, सम्भाग प्रबन्धक जयपुर (पश्चिम) को यह सेवा नियमित रूप से चलाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

(3) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जयपुर से सीधी मण्डावा के लिए एक ही बस नियमित रूप से चलती है।

(5) इस मार्ग पर वर्तमान यात्रीभार को देखते हुये दूसरी बस सेवा प्रारम्भ करने का विचार नहीं है।

जयपुर–मण्डावा के अगस्त सितम्बर माह में निरस्त परिचक्रों की सूचना

दिनांक	ट्रिप	मार्ग	निरस्त का कारण
15–8–78	1	मण्डावा–जयपुर	रींगस में ब्रेक डाउन होने से।
16–8–78	1	मण्डावा–जयपुर	हड़ताल हो जाने के कारण
	1	जयपुर–मण्डावा	,, ,,
17–8–78	1	जयपुर–मण्डावा	,, ,,
	1	मण्डावा–जयपुर	,, ,,
18–8–78	1	मण्डावा–जयपुर	,, ,,
19–9–78	1	मण्डावा–जयपुर	ब्रेक–डाउन होने के कारण।
17–9–78	1	मण्डावा–जयपुर	,, ,,

आपातकाल में विद्युत् मण्डल के सेवामुक्त कर्मचारी

122. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल में कितने कर्मचारियों को आपातकाल में जबरन सेवामुक्त किया गया था ? उनमें से कितने कर्मचारियों को उनके केसेज रिव्यू करके वापिस सेवा में लिया जा चुका है ?

(2) अगर इनके केसेज रिव्यू नहीं हुए हैं तो देरी का क्या कारण है ? ये केसेज कब तक रिव्यू हो जावेंगे ?

(श्री गंगासहाय)

(3) क्या इन केसेज को राज्य सरकार की रिव्यू कमेटी से रिव्यू पालिसी की सहायता के लिए रिव्यू नहीं करवाये जा सकते हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के सेवा नियमों में आवश्यक सेवा निवृत्ति के प्रावधान के तहत केवल 17 अधिकारियों को माह अक्टूबर में आवश्यक रूप से सेवा निवृत्ति दी गई थी। मण्डल ने राज्य सरकार द्वारा अप्रेल, 77 में जारी किये गये आदेश के अनुसार मामलों का रिव्यू किया और 5 व्यक्तियों को वापिस सेवा में लेने का निर्णय लेकर उनके आदेश मई/जून, 77 में जारी कर दिये।

(2) ऐसे मामले जो राज्य सरकार के दिनांक 22-4-77 के आदेश, जिसको मंडल ने मई, 77 की बैठक में लागू करने का निर्णय लिया था, के अधीन आते थे, उनके लिये आवश्यक आदेश जारी करने में कोई देरी नहीं हुई। तथापि शेष 12 व्यक्तियों के मामलों पर जिनसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, मण्डल के पूर्णकालिक सदस्यों ने कई बैठकों में विचार किया है। प्राप्त अभ्यावेदनों के बारे में मण्डल की माह अक्टूबर/नवम्बर, 78 में होने वाली बैठक में आवश्यक निर्णय ले लिये जावेंगे।

(3) जी नहीं।

राज्य में और राज्य के बाहर के शहरों में विश्राम-गृह

123. श्री बहादुरसिंह (नोहर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार की ओर से राज्य के बाहर किन-किन राज्यों/शहरों में कितने विश्राम-गृह बने हुए हैं तथा इनका सालाना कितना-कितना खर्चा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) दिल्ली में निर्मित राजस्थान हाउस में कमरा नम्बर 4 किन के लिये रिजर्व है तथा इस कमरे में पिछले साल से कौन-कौन व्यक्ति रह रहे हैं तथा खर्चे का कितना भुगतान किसने किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य के बाहर दिल्ली में तीन विश्राम भवन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राजस्थान हाउस, नई दिल्ली में कमरा नं. 4 किसी के लिये रिजर्व नहीं है। कमरा नं. 4 में पिछले साल ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची तथा उनके द्वारा प्राप्त भुगतान की तालिका सदन के पटल पर रख दी गई है।

(तालिका विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील केशोरायपाटन के गांव अरड़ाना-चरड़ाना में सिंचाई नहर टूटने से फसलों को क्षति

124. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या तहसील केशोरायपाटन के ग्राम अरड़ाना-चरड़ाना में विगत दिनों सिंचाई

(श्री गोपाल पचेरवाल)
की नहर टूटने से किसानों की फसल को कोई नुकसान हुआ था ? यदि हां, तो किस किस किसान को कितना नुकसान हुआ था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त किसानों की फसल के नुकसान का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक दे दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची साथ में संलग्न है।

(2) जी नहीं, मुआवजा का भुगतान सम्बन्धी प्राक्कलन दिनांक 22-9-78 को ही स्वीकृत कर दिया गया है। भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है शीघ्र ही इस माह के अन्त तक भुगतान हो जाने की सम्भावना है।

काम्रेन ब्रांच पर हुये नुकसान की सूची

चरहाना के काश्तकार

क्रम सं. 1	नाम काश्तकार 2	कुल नुकसान बीघा में 3	रकम 4
1.	श्री रामनाथ आ. देवी लाल ब्राह्मण	6 बीघा	525.00
2.	श्री महावीर आत्मज नन्दा माली	2 बीघा	177.00
3.	श्री रामनाथ आ. जगन्नाथ मीणा	5 बीघा	442.50
			1144.50

अरहाना के काश्तकार

1.	श्री गंगा बिशन आ. सांवल मीणा	10 बिस्वा	44.25
2.	श्री ओंकार आ. माधो मीना	13 बिस्वा	57.51
3.	श्री रामकिशन आ. गोपाल मीना	12 बीघा	1058.00
4.	श्री रतन आ. किसना मीना	4 बीघा	350.00
5.	श्री हीरा आ. कालू मीना	11 बीघा	921.50
6.	श्री दूंडा आ. फाशता मीना	5 बीघा	432.50
7.	श्री रामकिशन वा. जगनाथ माली	1 बीघा 5 बिस्वा	105.52
8.	श्री ग्रमना आ. कालू मीना	14 बिस्वा	59.12
9.	श्री छीतर आ. गिरधारी मीना	7 बीघा 16 बिस्वा	690.50

(सिंचाई मंत्री)

1	2	3	4
10.	श्री रामनिवास ग्रा. श्योड़ लाल मीना	2 बीघा 10 बिस्वा	258.87
11.	श्री नन्दू लाल ग्रा. चन्द्रा लाल मीना	7 बीघा 7 बिस्वा	633.74
12.	श्री सीता सा. विश्वारी मीना	12 बीघा	1010.00
13.	श्री छीतर बेवा ग्रा. कल्याण मीना	22 बीघा 10 बिस्वा	1920.25
14.	श्री बजरंग ग्रा. जगनाथ मीना	4 बीघा	346.00
15.	श्री राम किशन ग्रा. गोपाल मीना	1 बीघा 5 बिस्वा	102.50
16.	श्री चतरा ग्रा. मोधे मीना	6 बीघा	496.50
17.	श्री लक्ष्मण ग्रा. रोडू मीना	5 बीघा	432.50
18.	श्री केसरा ग्रा. सुखदेव मीणा	4 बीघा 5 बिस्वा	366.87
19.	श्री धून ग्रा. लक्ष्मीनारायण मीना	4 बीघा 5 बिस्वा	376.10
		योग रुपयों में	9664.35

हस्ताक्षरः–
अधिशाषी अभियन्ता
बाईं नहर खण्ड प्रथम,
चम्बल परियोजना, कोटा।

झालावाड़ जिले में चोरियां

125. श्री बालचन्द आर्य (डग) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) झालावाड़ जिले में जनता सरकार के आने के बाद अभी तक कितनी चोरियां हुई हैं ? उनके क्या कारण हैं ?

(2) क्या जनता सरकार में पुलिस विभाग चोरियों की रोकथाम के लिए असफल रहा है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जनता सरकार के आने के बाद झालावाड़ जिले में माह जून तक नकबजनी के 370 व चोरी के 330 मामले अब तक दर्ज हुये हैं। इनके प्रमुख कारण आर्थिक एवं आदतन अपराध करने की प्रवृत्ति हैं।

(2) जी नहीं।

बाड़मेर शहर की संशोधित जल प्रदाय योजना

126. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बाड़मेर नगर की संशोधित जल प्रदाय योजना कब स्वीकृत हुई और उक्त योजना के लिए कितनी राशि का विभिन्न वर्षों में क्या-क्या प्रावधान रखा गया

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
और कब तक योजनाओं को सम्पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था ?

(2) इस वर्ष सन् 1978-79 में उक्त योजना के लिये कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है ?

(3) क्या उक्त राशि से सम्पूर्ण योजना क्रियान्वित हो सकेगी ? यदि नहीं, तो क्या बाड़मेर नगर की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुये इस वर्ष और राशि का प्रावधान कराकर योजना सम्पूर्ण करा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) बाड़मेर नगर की पुनर्गठित जल प्रदाय योजना वर्ष 74-75 में स्वीकृत की गई है। इस योजना पर वर्ष 74-75 में 4.95 लाख रु. वर्ष 75-76 में 24.88 लाख रु. वर्ष 76-77 में 14.20 लाख रु. वर्ष 77-78 में 24.09 लाख रु. खर्च किये गये। इस योजना को वर्ष 78-79 में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

(2) वर्ष 78-79 में इस योजना के लिये 22.50 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

(3) जी हां। निर्धारित राशि से पूर्ण योजना क्रियान्वित हो जायेगी।

ग्राम खेजड़ली (जोधपुर) में पानी की टंकी

128. श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) ग्राम खेजड़ली तहसील जोधपुर में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग की जो टंकी बनी हुई थी, उसका निर्माण कब व कितनी लागत से किया गया ?

(2) खेजड़ली कलां में जो टंकी बनी हुई थी, उस टाइप की राज्य में कितनी व कहां-कहां पर टंकियां बनी हुई हैं और उनमें से आज तक कितनी टंकियां क्षतिग्रस्त हुई हैं?

(3) खेजड़ली कलां की टंकी का निर्माण का ठेका कब एवं किस ठेकेदार को, किस अधिकारी ने स्वीकृत किया और अभी तक कितनी धनराशि का भुगतान करना शेष है ? और जो टंकियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, उसके हर्जाने के लिए विभाग ने क्या कार्यवाही की है तथा क्षतिग्रस्त टंकी का पुनः निर्माण कब तक हो सकेगा ?

उत्तर

(1) खेजड़ली की टंकी का निर्माण वर्ष 73-74 में हुआ व इसकी लागत रुपये 1,10,000/- है।

(2) खेजड़ली की टंकी के तरह की राज्य में 14 टंकियां बनाई गई हैं जिनमें से 3 टंकियां खेजड़ली को मिलाकर क्षतिग्रस्त हुई हैं, सूची संलग्न है।

(3) इस टंकी का ठेका दिनांक 24-5-73 को मैसर्स यंग इण्डिया इन्जिनियर्स को मुख्य अभियन्ता जयपुर द्वारा स्वीकृत किया गया था। अभी तक 16,939/- धनराशि का भुगतान करना शेष है। ठेकेदार का विभाग में जो भी बकाया भुगतान है उसे रोक दिया गया है। जो टंकियां क्षतिग्रस्त हुई उनकी जांच का कार्य प्रगति पर है तत्पश्चात् ही हर्जाने इत्यादि के लिये अग्रिम कार्यवाही सम्भव है। जांच पूर्ण होने के पश्चात् ही क्षतिग्रस्त टंकी के स्थान पर पुनः निर्माण की कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न संख्या 2 के भाग की सूची

शाफ्ट डिजाइन के बने हुये स्वच्छ जलाशयों के स्थानों की सूची

1. श्री हनुमानगढ टाउन	जिला हनुमानगढ़
2. श्री गजसिंह पुरा	"
3. श्री केसरीसिंहपुरा	"
4. डूंगरगढ़	जिला चूरू
5. खासोली	"
6. गुन्द्रोज	जिला पाली
7. पाली	"
8. सोलूछजारा	जिला जालौर
9. पुनासा	"
10. मारवाड़ छापरी	जिला नागौर
11. मोमास	"
12. सोन मांगरोल	"
13. पिच्याक	जिला जोधपुर
14. खेजडली	"

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 49 की सूची)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

MEDICAL AND PUBLIC HEALTH DEPARTMENT Gr. II.

No. F. 1 (245) MPH/69/Gr. II Jaipur, dated 5th April, 1976

ORDER

An uptodate seniority list in respect of various posts in the Rajasthan Medical and Health Services based on the recommendation of D. P. C. under Rule 27 of Rajasthan Medical and Health Services 1963 is hereby issued for general information and guidance :—

1. Director, Medical and Health Services.
   1. Nil
2. Additional Director Medical and Health Services.
   1. Nil
3. Dy. Director Medical
   1. Dr. B. M. Sharma.
   2. Dr. R. L. Chopra.
   3. Dr. (Mrs.) Laxmi Bhatnagar.
4. Dy. Director Health
   1. Dr. G. R. Purohit
   2. Dr. G. C. Lodha
   3. Dr. D. K. Jagdev
   4. Dr. Pritam Singh
   5. Dr. Gyan Prakash
5. Assistant Director Medical
   1. Nil
6. Assistant Director Health
   1. Dr. B. B. L. Saxena
   2. Dr. A. B. L. Mathur
   3. Dr. B. K. Mitra
   4. Dr. M. L. Pandiya
   5. Dr. T. S. Sahai
   6. Dr. Sajjan Singh
   7. Dr. R. K. Raichaudhary
   8. Dr. V. N. Sharma.

By Order
Sd/-
(Vijai Singh)
Secretary to Government.

Page No. 170

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न सं. 61 की सूची)

वर्ष 1976-77 में चैसिस खरीदने व बाडी बनाने संबंधी विवरण

क्र. माह	प्राप्ति चै.		कमल आजाद एण्ड कम्पनी जयपुर		बॉडी बिल्डर जयपुर		मारुति लि. गुडगांव		देहली आटो. फरीदाबाद		आटो वो. सेन्टर जयपुर		सांघी इन्जी. जयपुर		आर्य इन्जी. जयपुर		हरीनारा. जयपुर		गुलाब चन्द जगदीश नारायण, जयपुर		रूवी कोच वम्बई		केन्द्रीय अजमेर	
	ली	टा	ली	टा	ली	टा	ली	टा	ली	टा	ली	टा	ली	टा	ली	टा	ली	टा	ली	टा	ली	टा	ली	टा
1—अप्रेल, 76	66	—	[illegible]	—	5	—	15	—	5	—	2	—	10	—	2	—	10	—	10	—	1	—	—	—
2—मई, 76	40	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	4	—	—	—	—	—
3—जून, 76	48	—	8	—	6	—	10	—	5	—	2	—	4	—	—	—	9	—	10	—	—	—	—	—
4—जुलाई, 76	—	—	—	—	—	—	10	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
5—अगस्त, 76	10	31	—	4	—	4	10	—	—	5	—	5	—	3	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—
6—सितम्बर, 76	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
7—अक्टूबर, 76	10	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8—नवम्बर, 76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9—दिसम्बर, 76	32	9	3	—	3	—	10	—	—	6	3	—	2	—	—	—	3	2	3	1	—	—	—	—
10—जनवरी, 77	48	31	3	—	2	—	10	30	10	—	2	—	4	—	—	1	5	—	5	—	—	—	—	—
11—फरवरी, 77	—	20	3	—	3	—	—	20	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12—मार्च, 77	31	28	5	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	24	[illegible]	[illegible]	5	—	—	3	1	1	5	—	[illegible]	—	[illegible]	—	—	[illegible]
योग	286	119	34	4	24	4	75	74	37	11	16	5	20	6	3	3	38	7	37	5	1	—	1	—

टिप्पणी:—(1) 286 चैसिस लीलैण्ड मैसर्स राजेश मोटर्स जो कि इसके अधिकृत विक्रेता हैं से खरीदे गये हैं।
(2) 119 चैसिस टाटा मैसर्स यूनाईटेड मोटर्स राजस्थान, जयपुर से खरीदे गये हैं जो कि इसके अधिकृत विक्रेता हैं।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

वर्ष 1977–78 में चैसिस प्राप्ति व बोडी निर्माताओं को आवंटन का विवरण प्रतिवेदन

क्र.सं माह	प्राप्ति	कमल एण्ड कम्पनी	आजाद बोडी बिल्डर्स	गुलाब चन्द जगदीश	हरिनारा. एण्ड संस	सांघी इन्जिनियर्स	आटो बो. सेन्टर	आर्य इन्जिनियरिंग	जगदीश नारा. राजेन्द्र	राज. बो. बिल्डर	न्यू विश. कर्मा क.ोच बिल्डर
1. नवम्बर, 77	15	2	2	2	3	2	2	—	1	1	—
2. दिसम्बर, 77	25	6	5	4	2	5	1	2	—	—	—
3. जनवैरी, 78	10	1	2	2	1	1	1	—	1	—	1
4. फरवरी, 78	12	1	1	2	4	3	1	—	—	—	—
5. मार्च, 78	/ 4	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—
	66	11	11	10	10	11	5	2	2	3	1

टिप्पणी:—(1) वर्ष, 1977–78 में केवल उक्त 66 चैसिस लीलैण्ड वाईकिंग खरीदे गये।

(2) उक्त सभी बोडी निर्माता स्थानीय (जयपुर) में हैं।

सम्भाग यांत्रिक अभियन्ता

171

वर्ष, 1976-77 एवं 1977-78 में निर्मित बस बोडी की दरों का विवरण-पत्र

1976-77

क्र. सं.	बोडी निर्माता का नाम	आर.टी.सी. पुराना नमूना जि.	दर प्रति बोडी	कुल भुगतान फर्मों को	सिटी टाइप लीलैण्ड	दर प्रति बोडी	कुल भुगतान फर्मों को	डी.टी.सी. टाइप जि.	दर प्रति बोडी	कुल भुगतान फर्मों को
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	कमल एण्ड कम्पनी	17	40562 (कर सहित)	679564	–	–	–	3	43491 (कर अति.)	143520
2.	आजाद बोडी. बिल्डर	8	,,	324496	–	–	–	3	,,	143520
3.	आटो बोडी सेंन्टर	4	35500 (कर अति.)	156200	–	–	–	–	–	–
4.	आर्य इन्जीनियरिंग	2	40562 (कर सहित)	81124	–	–	–	–	–	–
5.	सांघी इन्जीनियरिंग	14	,,	567868	–	–	–	–	–	–
6.	हरी नारायण एण्ड संस	25	,,	1014050	–	–	–	–	–	–
7.	गुलाब चन्द, जगदीश नारायण	24	,,	973488	–	–	–	–	–	–
8.	मारूती लिमिटेड	–	–	–	41	43400 (कर अति.)	2100560	21	+40000	+840000
9.	देहली आटो मोबाइल	–	–	–	5	,,	238700	13	,,	520000

10. जगदीश नारायण राजेन्द्र कुमार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11. न्यू विश्वकर्मा कोच बिल्डर्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12. राजस्थान बोडी बिल्डर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल योग	94	–	3808780	49	–	2339260	40	–	1647040

+ इन चैंसिसों की दरें अभी निश्चित नहीं की गई हैं तथा बोडी निर्माताओं को 40000 रु. प्रति बोडी अग्रिम राशि का भुगतान किया जा चुका है ।

वर्ष 1976-77 की बोडी निर्माण की कुल लागत, 1,51,59,687.00

सम्भाग यांत्रिक, अभियन्ता

1977–78

आर.टी.सी. नया नमूना जि. लीलैण्ड	दर प्रति बोडी	कुल भुगतान फर्मों को	आर.टी.सी. नया नमूना जि. टाटा.	दर प्रति बोडी	कुल भुगतान फर्मों को	आर.टी.सी. नया नमूना जि. लीलैण्ड	दर प्रति बोडी	कुल भुगतान फर्मों को	आर.टी.सी. नया नमूना जि. टाटा	दर प्रति बोडी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	44500 (कर प्रति.)	440550	4	40000 (कर प्रति.)	176000	15	44500 (कर प्रति.)	734250	–	–
8	,,	391600	4	,,	176000	15	,,	734250	–	–
7	41101 (कर प्रति.)	316477	5	34240 (कर प्रति.)	188320	10	41101(5)	226055 (कर सहित)	–	–
–	–	–	2	37550 (कर प्रति.)	81950	3	44500(5)	244750 (कर सहित)	–	–
6	44500 (कर प्रति.)	293700	3	40000 (कर प्रति.)	132000	11	,,	146850	1	37250 (कर प्रति.)
8	,,	391600	7	,,	308000	12	,,	538450	3	40000 (कर प्रति.)
8	,,	391600	5	,,	220000	15	,,	587400	–	–
10	,,	489510	50	,,	2200000	–	,,	734250	–	–
14	,,	685300	11	,,	484000	5	–	–	24	40000 (कर प्रति.)

—	—	—	—	—	—	2	,,	244750	—	—
—	—	—	—	—	—	—	41500 (कर प्रति.)	913000	—	—
—	—	—	—	—	—	1	,,	45650	—	—
—	—	—	—	—	—	1	44500 (कर प्रति.)	48950	—	—
76	—	3400337	91	—	3966270	90		437690	28	—

वर्ष 1977-78 की बीड़ी निर्माण की लागत, 56,05,880.0

(176)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

विभिन्न आगारों को नई वाहनें आवंटित करने का विवरण प्रतिवेदन

क्र. सं.	आगार का नाम	1976–77	1977–78
1.	जयपुर	54	5
2.	द्रुतगामी आगार, जयपुर	–	44
3.	नगर वाहन सेवा	49	–
4.	अलवर	17	7
5.	भरतपुर	11	1
6.	हिन्डौन	7	2
7.	कोटपूतली	3	2
8.	खेतड़ी	3	1
9.	झुन्झुनूं	4	4
10.	सीकर	4	–
11.	अजमेर	10	10
12.	ब्यावर	1	–
13.	भीलवाड़ा	5	–
14.	कोटा	20	11
15.	झालावाड़	2	–
16.	बून्दी	–	2
17.	टोंक	4	–
18.	उदयपुर	15	19
19.	चित्तौड़गढ़	10	–
20.	डूंगरपुर	3	–
21.	बांसवाड़ा	4	–
22.	बीकानेर	24	–
23.	हनुमानगढ़	22	–
24.	गंगानगर	22	–
25.	जोधपुर	26	22
26.	बाड़मेर	–	1
27.	जालौर	–	1
28.	आबूरोड़	–	2
29.	सिरोही	–	1
30.	फलौदी	–	2
		319	137

कोटा डिपो का आय-व्यय का ब्यौरा

(रु. लाखों में)

	1975–76	1976–77	1977–78
निगम बसों की आय	63.18	83.27	87.47
किराये की बसों की आय	2.98	3.50	–
योग	66.16	86.77	87.47
व्यय			
परिवर्तनशील लागत	30.55	35.08	40.45
स्थायी लागत	30.28	44.72	52.3
किराये की बसों का व्यय	2.34	2.87	–
योग	63.17	82.67	92 83
लाभ व हानि (+) (–)	(+) 2.99	(+) 4.10	(–) 5.38

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 62 की सूची)

क्र.सं.	विभाग का नाम	आपातकाल में सेवा निवृत कुल कर्मचारी	अब तक सेवा में पुनः लिये गये कर्मचारियों की संख्या			योग
			जो व्यक्ति 25 वर्ष की सेवा काल पूर्ण करने तथा 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व सेवा निवृत्त किये गये और दि 22-4-77 के आदेश के अनुसरण में वापस सेवा में आये।	पुनरावलोकन समितियों द्वारा पुनरावलोकन के कारण वापस आये	मुख्य सचिव द्वारा अपील पर निर्णय के कारण वापस आये	
1	2	3	4	5	6	7
1.	पुनर्वास	2	–	1	–	1
2.	राजकीय उपक्रम	8	–	7	–	7
3.	सार्वजनिक निर्माण	24	5	10	3	18
4.	सिचाई	33	14	13	2	29
5.	खाद्य	6	1	1	2	4

6.	सचिवालय	8	4	—	1	5
7.	पुलिस	1407	443	186	261	890
8.	यातायात	18	4	1	8	13
9.	नागरिक सुरक्षा/गृह रक्षा दल	12	2	—	1	3
10.	जनसम्पर्क	20	4	1	9	14
11.	शिक्षा	379	95	172	102	369
12.	श्रम एवं नियोजन	7	—	—	7	7
13.	आबकारी	72	11	12	19	42
14.	बीमा	13	7	—	6	13
15.	स्थानीय निधि अंकेक्षण	7	1	4	2	7
16.	राजस्थान लेखा सेवा	7	—	1	1	2
17.	पंजीयन एवं मुद्रांक	2	—	—	1	1
18.	वाणिज्य कर	63	12	—	19	31
19.	वन	149	22	17	50	89
20.	उपनिवेशन	10	4	4	1	9
21.	सैनिक, नाविक एवं वैमानिक मण्डल	2	—	—	1	1
22.	जागीर	1	1	—	—	1
23.	समाज कल्याण	3	—	1	2	3
24.	भू-जल मण्डल	1	—	—	1	1

(179)

1	2	3	4	5	6	7
25.	भेड़ एवं ऊन	10	4	2	2	8
26.	सहकारिता	21	12	1	1	14
27.	पशुपालन	35	12	4	6	22
28.	कृषि	10	2	6	2	10
29.	उद्योग	15	3	7	5	15
30.	खनिज	12	6	–	6	12
31.	राजकीय मुद्रणालय	6	1	–	3	4
32.	कारागृह	27	14	2	–	16
33.	राजस्व	547	193	77	208	478
34.	भू-प्रबन्ध	84	26	17	41	84
35.	देवस्थान	9	–	5	4	9
36.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	51	7	28	16	51
37.	स्वायत्त शासन	1	–	–	1	1
38.	मोटर गेरेज	5	–	–	3	3
	योग :	3087	910	580	797	2287

परिशिष्ट– 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 65 के आदेशों की प्रतियां व सूची)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE REFORMS (ADMINISTRATIVE REFORMS GROUP--V)

No. F. 7(39) AR/Gr.V/77. Jaipur, dated the 14 July, 1977.

ORDER

Where as the Central Government has appointed a Commission under the Chairmanship of Hon'ble Justice Shri J. C. Shah, retired Chief Justice, of Supreme Court of India vide Ministry of Home Affairs, New Delhi, Notification of 28th May, 1977 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II Section-3 Sub-section (ii), of even date numbered S. O. 374 (E) (herein after referred to as Central Notification), and whereas in view of clause (ii), of para 3 of the aforesaid notification, the State Government of Rajasthan has decided to appoint a Fact Finding Committee to receive, enquire and process the allegations and instances or series of allegations and instances, as referred to in paragraph 20 (i) to (v) in the Central Notification for submission to the Shah Commission by the State Government, the State Government hereby constitutes the aforesaid Facts Finding Committee as under:—

1. Hon'ble Justice Shri Kan Singh, Retired Judge of the High Court, — Chairman.
2. Shri Ram Raj Lal Gupta, District & Sessions Judge, Pali, — Member Secy.

The aforesaid Committee shall lay down its own procedure of working.

The Committee shall submit its final reports to the State Government by 31-10-77. In case the Committee is able to conclude enquiry into any particular allegation or series of allegations before the aforesaid dete, it shall make interim report to the State Government earlier.

By Order of the Governor,
Sd/- H. P. Agarwal (Hindi)
(H .P. Agarwal)
Deputy Secretary to Government.

182

Copy forwarded for information and necessary action to:—

1. All members.

Copy forwarded for information only:—

1. Secretary to Governor.
2. Secretary to Chief Minister.
3. Private Secretary to Ministers/State Minister, Judicial Deptt.
4. Private Secretary to Chief Secretary.
5. Director, Public Relations, Rajasthan, Jaipur.
6. Judicial Department with reference to their Note MR No. 445/Jud./77, dated 13-7-77.
7. Administrative Reforms (Gr. VII) with 2 spare copies.
8. Guard file.

Sd/- H. N. Das
for Assistant Secretary to Government.

परिशिष्ट–9 अक्टूबर, 1978–परिशिष्ट

कानसिंह समिति से प्राप्त रिपोर्ट्स की सूची

(1) मीसा, 1971 के अन्तर्गत आपातकाल में बनाई गई नजरबंदियों के संबंध में अन्तरिम रिपोर्ट-अक्टूबर 1977 में प्रस्तुत की गयी जो शाह जांच आयोग के विचाराधीन है।

(2) मीसा 1971 के अन्तर्गत आपातकाल में बनायी गयी नजरबंदियों के संबंध में पूरक रिपोर्ट-दिनांक 8–1–78 को प्रस्तुत की गयी।

(3) स्व. महाराज कुमार प्रतापसिंह की मृत्यु के संबंध में रिपोर्ट अगस्त, 1978 में प्रस्तुत की गयी।

(4) आपातकाल के दौरान राज्य सरकार द्वारा आदर्श विद्या मंदिर, जयपुर के जबरन अधिग्रहण किये जाने के संबंध में–रिपोर्ट दिनांक 28 अगस्त, 1978 को प्रस्तुत की गई।

(5) संजय गांधी की राजस्थान यात्रा के समय पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग के संबंध में रिपोर्ट सितम्बर, 1978 में प्रस्तुत की गयी।

इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत शिकायतों पर भी कानसिंह समिति से समय समय पर प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:–

(1) शाह जांच आयोग से सीधी प्राप्त शिकायतें जिनमें आयोग द्वारा कानसिंह समिति से जांच कर रिपोर्ट चाही गयी।

कुल प्राप्त शिकायत	रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी
329	274

(2) शाह जांच आयोग की सीधी प्राप्त शिकायतें जो राज्य सरकार को निराकरणीय कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई तथा उन पर राज्य सरकार द्वारा कानसिंह समिति से जांच करवाकर रिपोर्ट चाही गयी––

कुल प्राप्त शिकायतें	समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट
1123	74

(3) कानसिंह समिति द्वारा सीधी प्राप्त शिकायतों पर राज्य सरकार को समय-समय पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट्स–260

राजस्थान सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-5

प. सं. 7(47) प्र.सु./अनु.5/78 जयपुर, दिनांक 2 सितम्बर, 1978

आज्ञा

विषयः--राजस्थान आपातकालीन ज्यादतियां जांच प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को जांच कर राज्य सरकार को सुझाव देने के संबंध में समिति।

राजस्थान आपातकालीन ज्यादतियां जांच प्राधिकरण ने, श्रीमती महेन्द्र कंवर, अलवर द्वारा अपने पति स्व. श्री प्रतापसिंह की मृत्यु की जांच के संबंध में की गई शिकायत पर, आम सुनवाई करके जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट पर तथा इस तरह की आम सुनवाई करके दीगर अन्य रिपोर्टों को देखकर आगे किये जाने वाली कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को सुझाव देने हेतु राज्यपाल निम्न अधिकारियों की समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हैं:--

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर	अध्यक्ष
2. प्रमुख शासन सचिव	सदस्य
3. गृह आयुक्त	सदस्य सचिव
4. विधि सचिव	सदस्य
5. विशिष्ट शासन सचिव, प्रथम, कार्मिक विभाग	सदस्य

यह समिति अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक VI/11020/12/77-सी. ओ. एम.एस.ई. बी. दिनांक 15 सितम्बर, 1977 जिसमें जन सेवकों को पूरी व सच्ची शहादत देने पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में कुछ मार्गदर्शन किया गया है, को ध्यान में होगी तथा उक्त मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए अपने सुझाव देगी कि किस विशेष अधिकारी/कर्मचारी या गैर सरकारी व्यक्ति के खिलाफ किन विशेष कार्यों के करने या न करने की वजह से कार्यवाही की जाए, व क्या कार्यवाही की जाय तथा किन विशेष बिन्दुओं पर कोई कार्यवाही नहीं की जाय।

यह समिति अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को 2 माह में देगी।

ह.

(मनोहर सिंह)

शासन उप सचिव।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

(1) समस्त सदस्य

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है:—

(1) सचिव, राज्यपाल/मुख्य मंत्री (2) निजी सचिव, गृह मंत्री

(3) निजी सचिव, मुख्य सचिव (4) गृह (शाह आयोग) विभाग

(5) प्रशासनिक सुधार अनुभाग–7 की शाखा को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित

(6) रक्षित पत्रावली

इस आज्ञा में किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन अथवा समिति के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना के बारे में गृह (शाह आयोग) विभाग से सीधे पत्र व्यवहार करें।

ह.
अनुभाग अधिकारी।

(186)

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 72 की सूची)

पी अपराध जो श्री दुर्जनसिंह हैड कानि. ने अपनी तैनाती काल थाना पहाड़ा में दर्ज किये।

क्र.सं.	मुकदमा नं.	अपराध धारा	तारीख दायरी	नतीजा आखिरी	इस्तगासा 156(3)
(1)	1/78	147/323/304 ता.हि.	8–1–78	एफ आर अदम वकुआ	इस्तगासा 156 (3) जा.फौ.
(2)	5/78	302/392 ता. हि.	21–1–78	एफ आर अदम सबूत	–
(3)	6/78	379 ता. हि.	22–1–78	चालान नं. 5 दि. 24-2-78	–
(4)	7/78	147/323/504/498	22–1–78	एफ आर अदम वकुआ	156(3) जा. फौ.
(5)	8/78	147/149/323/504	1–2–78	चालान नं 7	–
(6)	9/78	457/380 ता. हि.	19–2–78	एफ आर अदम पता	–
(7)	10/78	354/451 ता. हि.	29–2–78	चालान	–
(8)	11/78	392 ता. हि.	6–3–78	एफ आर अदम वकुआ	156 (3) जा. फौ.
(9)	14/78	147/149/341/323	27–3–78	चालान	–
(10)	15/78	147/148/451/323	28–3–78	चालान	–
(11)	17/78	147/148/323 ता.हि.	30–3–78	चालान	–
(12)	18/78	323/341 ता.हि.	4–4–78	चालान	–
(13)	19/78	147/148/323	6–4–78	चालान	–
(14)	24/78	148/451/323	18–5–78	चालान	–
(15)	25/78	148/149/323	28–5–78	चालान	–
(16)	29/78	147/323/323	6–6–78	चालान	–
(17)	31/78	325/397/428/447/448/451	23–6–78	चालान	–
(18)	32/78	147/149/323/447	1–7–78	चालान	–
(19)	33/78	366/368	7–7–78	चालान	–
(20)	36/78	366 ता. हि.	29–7–78	एफ आर अदम वकुआ	156 (3) जा.फौ.
(21)	38/78	448/447/427	7–8–78	चालान	–
(22)	40/78	457/380 ता. हि.	13–8–78	चालान	–
(23)	41/78	457/370	20–8–78	चालान	–

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 73 की सूची)

नक्शा जुरायम क्लासवार व माह सितम्बर, 1975 से अगस्त, 1976, व माह सितम्बर 1976 से अगस्त, 1977 एवं व माह सितम्बर 1977 से अगस्त, 1978 तक के आंकड़े पुलिस थाना सांचोर

क्र. संख्या	अपराध शीर्षक	सन्	रिपोर्ट	अदम वकुआ	157 वी जा.फौ.	अदम पता	अदम सबूत	जेर तफ्तीश	चालान 299जा.फौ.	चालान	सजा	बरी रिहा	राजी नामा	जेर तजवीज अदालत	माल मसरूका	माल बाजिया पता	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	डकेती	1975–76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1976–77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1977–78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	कत्ल	1975–76	2	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–
		1976–77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1977–78	3	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	3	–	–	–
3.	लूट	1975–76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1976–77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1977–78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.	नकबजनी	1975–76	2	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1058.00	800.00	75%
	मय माल	1976–77	5	–	–	3	–	–	–	2	–	–	–	2	800.00	500.00	57%
		1977–78	6	–	–	4	–	–	–	2	1	–	–	1	12433.00	200.00	109%
5.	मवेशी चोरी	1975–76	5	3	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	2200.00	2200.00	100%
		1976–77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1977–78	4	1	–	–	–	–	–	3	–	–	–	3	1750.00	1600.00	91%
6.	अन्य चोरी	1975–76	25	9	–	2	–	–	2	12	2	2	6	2	17625.00	16466.00	93%
		1976–77	3	1	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	250.00	250.00	100%
		1977–78	15	4	–	3	–	2	–	6	–	–	–	6	5774.00	1254.00	21%
7.	बलवा	1975–76	4	3	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
		1976–77	8	5	–	–	–	–	–	3	–	–	2	1	–	–	–
		1977–78	14	1	–	–	–	2	–	11	–	–	3	8	–	–	–
8.	भा.द.सं. के	1975–76	71	19	–	3	–	–	–	49	11	8	20	10	–	–	–
	अन्य	1976–77	49	17	–	2	–	–	–	30	1	6	9	14	–	–	–
	अपराध	1977–78	103	28	–	–	1	12	–	62	7	–	12	43	–	–	–
	कुल योग	1975–76	109	34	–	7	–	–	2	66	15	12	27	12	20883.00	19466.00	93%
		1976–77	65	23	–	5	–	–	–	37	1	6	12	18	1130.00	750.00	68%
		1977–78	145	34	–	7	1	16	–	87	8	–	15	64	19567.00	3054.00	19%

नक्शा जुरायम क्लासवार व माह सितम्बर, 1975 से अगस्त, 1976, व माह सितम्बर, 1976 से अगस्त, 1977 एवं व माह सितम्बर, 1977 से अगस्त, 1978 तक के आंकड़े पुलिस थाना, सखाना

क्र.सं.	अपराध शीर्षक	सन्	रिपोर्ट	अदम वकुआ	157 बी जा.फौ.	अदम पता	अदम सबूत	जेर तफ्तीश	चालान 299ज.फौ.	चालान	सजा	बरी रिहा	राजीनामा	जेर तजवीज अदालत	माल मसरूका	माल बाजियाफ्ता	बरामदगी प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	डकैती	1975–76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1976–77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1977–78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	कत्ल	1975–76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1976–77	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
		1977–78	2	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	2000.00	2000.00	100%
3.	लूट	1975–76	3	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
		1976–77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1977–78	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	40.00	40.00	100%
4.	नकबजनी	1975–76	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2777.00	–	–
	मय माल	1976–77	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	65.00	65.00	100%
		1977–78	4	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	6350.00	32.00.00	50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.	मवेशी चोरी	1975–76	9	5	–	–	–	–	–	4	–	–	2	2	6300.00	6300.00	100%
		1976–77	4	1	–	–	–	–	–	3	1	1	1	–	2500.00	2500.00	100%
		1977–78	5	–	–	–	–	3	–	2	–	–	–	2	1600.00	1400.00	89%
6.	अन्य चोरी	1975–76	23	10	–	–	–	–	–	13	–	1	11	1	1975.00	1975.00	100%
		1976–77	3	1	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	150.00	150.00	100%
		1977–78	3	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	500.00	300.00	80%
7.	बलवा	1975–76	11	7	–	–	1	–	–	3	–	1	1	1	–	–	–
		1976–77	11	8	–	–	–	–	–	3	1	–	1	1	–	–	–
		1977–78	7	4	–	–	–	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–
8.	भा.द.सं. के	1975–76	34	18	–	–	2	–	–	14	2	–	11	1	–	–	–
	अन्य अपराध	1976–77	13	7	–	–	–	1	–	5	–	–	4	1	–	–	–
		1977–78	35	9	–	–	–	9	–	17	2	1	4	10	–	–	–
	कुल योग	1975–76	83	43	–	2	3	–	–	35	3	2	25	5	11052.00	8275.00	74%
		1976–77	33	17	–	–	–	1	–	15	3	1	8	3	2715.00	2715.00	100%
		1977–78	58	15	–	3	–	17	–	23	3	1	4	15	10490.00	940.00	66%

नक्शा जुरायम क्लास वार व माह सितम्बर, 1975 से अगस्त, 1976, व माह सितम्बर, 1976 से अगस्त, 1977 एवं व माह सितम्बर, 1977 से अगस्त, 1978 तक आंकड़े पुलिस थाना चितलवाना

क्र.सं.	अपराध शीर्षक	सन्	रिपोर्ट	अदम बकुआ	अदम 157 बीजा.फौ.	अदम पता	अदम सबूत	जेर तफतीश	चालान 299 जा. फौ.	चालान प्रतिशत	सजा	बरी रिहा	राजी-नामा	जेर तजवीज अदालत	माल मसरूका	माल बजिया पता	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	डकैती	1975-76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1976-77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1977-78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	कत्ल	1975-76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1976-77	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
		1977-78	2	1	—	—	—	—	—	1		—	—	1	—	—	—
3.	लूट	1975-76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1976-77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1977-78	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	नकबजनी मय माल	1975-76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1976-77	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	400.00	—	0%
		1977-78	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	200.00	—	0%
5.	मवेशी चोरी	1975-76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1976-77	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1977-78	3	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	4000.00	4000.00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.	अन्य चोरी	1975-76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1976-77	9	6	—	1	—	—	—	2	—	—	2	—	230.00	200.00	87%
		1977-78	12	9	—	1	—	—	—	2	—	—	—	2	250.00	250.00	100%
7.	बलात	1975-76	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	12	—	—	—
		1976-77	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1977-78	4	1	—	—	—	—	—	3	—	—	1	2	—	—	—
8.	भा.द.सं.के	1975-76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	अन्य अपराध	1976-77	28	7	—	—	—	—	—	21	—	2	10	9	—	—	—
		1977-78	46	21	—	—	1	4	—	20	—	—	3	7	—	—	—
	कुल योग	1975-76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1976-77	49	19	—	1	—	—	—	29	1	2	13	13	630.00	200.00	32%
		1977-78	70	35	—	3	1	4	—	27	—	—	4	23	4450.00	4250.00	95%

नोट:—चितलवाना थाना की स्थापना वर्ष 1976 में हुई है, इस थाने में सितम्बर, 1976 से एफ आई आर दर्जा काटना शुरू किया गया है।

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 74 की सूची)

1 जनवरी, 1978 से 31 अगस्त तक जिला भरतपुर की भरतपुर, कुम्हेर एवं नदबई तहसीलों में घटित डकैती व चोरी के मामलों के सम्बन्ध में

क्रमांक	नाम तहसील	नाम थाना	शीर्षक अपराध	मुलजिमान गिरफ्तार किये गये				मुलजिमान मारे गये				उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पकड़े गये अपराधियों में से	
				जिला पुलिस द्वारा	जनता द्वारा	उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा	राज्य के अन्य जिलों द्वारा	जिला पुलिस द्वारा	जनता द्वारा	उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा	राज्य के अन्य जिलों द्वारा	यू. पी. जेल में	यू. पी. पुलिस कस्टेडी में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	भरतपुर	कोतवाली	डकैत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		भरतपुर	लुटेरे	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			नकबजन	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			चोर	128	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		थाना सेवर	डकैत	9	1	–	–	–	2	–	–	–	–
			लुटेरे	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			नकबजन	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			चोर	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–

193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	कुम्हेर	थाना कुम्हेर	डकैत	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			लुटेरे	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			नकबजन	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			चोर	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	नदबई	थाना नदबई	डकैत	11	–	4	–	–	–	–	–	4	–
			लुटेरे	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			नकबजन	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			चोर	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–

195

परिशिष्ट—11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 78 की सूची)

सूची—"क"

(1) बालिका विद्यालय

1.	उच्च माध्यमिक / माध्यमिक विद्यालय	6
2.	बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय	11
3.	बालिका प्राथमिक विद्यालय	7

(2) छात्र विद्यालय

1.	प्राथमिक विद्यालय	47
2.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	15
3.	माध्यमिक विद्यालय	7
4.	उच्च माध्यमिक विद्यालय	2

सूची—"ख"

(1)	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, चान्दपोल	340.00
(2)	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, ग्रायड	375.00
(3)	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, पंचवटी	195.33
(4)	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, खेरादीवाड़ा	275.00
(5)	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरजपोल	99.00
(6)	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, बोहरवाड़ी	85.00
(7)	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, हाथीपोल	325.00
		1694.33
(8)	राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय, भदेसर का चौक	174.00
(9)	राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय, रावजी का हाटा	370.00
(10)	राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय, गरीब नगर	162.00
(11)	राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय, सुन्दरवारा	290.00
(12)	राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय, अशोकनगर	375.00
(13)	राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय, शबरी कालोनी	83.00
(14)	राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय, बिलोचिस्तान	79.00
		1533.00

कुल योग 3227.33

1. रा.बा.मा.वि. कस्तुरबा, उदयपुर	423/-
2. रा.पु.प्रा.वि., उदयपुर	400/-